VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

July - August 2018

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity and Constitution) 4

1.1. सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित मुद्दे (Issues Related to RTI)........ 4

1.1.1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 4

1.1.2. सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार........ 5

1.2. बेनामी अधिनियम के तहत अभियोजन पर रोक 7

1.3. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 8

1.4 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964........ 10

1.5. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)........ 12

1.6. राजद्रोह (Sedition) 14

1.7. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 16

1.8. दोषपूर्ण अभियोजन (न्याय का कुप्रबंधन) 17

1.9 गैर निष्पादक एनजीओ (Non Performing NGOs)........ 19

1.10. भारत में खेल संबंधी सट्टेबाजी की वैधता 21

1.11. भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018........ 23

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation) 25

2.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia)........ 25

2.2.भारत-दक्षिण कोरिया (India-South Korea)........ 26

2.3. बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (BIMSTEC Summit) 28

2.4. 10वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मलेन (10th BRICS Summit) 30

2.5 भारत द्वारा सार्क को प्रदत्त वित्तीय सहायता (Indian Aid to SAARC)........ 32

2.6. ट्रेड वॉर (Trade Wars)........ 34

2.7. वैश्विक शरणार्थी संकट (Global Refugee Crisis)........ 36

2.8. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UN Peacekeeping)........ 41

3. अर्थव्यवस्था (Economy)........ 45

3.1. भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion in India) 45

3.2 भारत में मज़दूरी में असमानता (Wage Inequality in India) 49

3.3. रयथू बंधु योजना 50

3.3.1.सार्वभौमिक बुनियादी आय बनाम लक्षित हस्तांतरण योजना 51

VISION IAS

3.4. भारत में वहनीय आवास (Affordable Housing In India) 52
3.5. मनरेगा एवं श्रम संबंधी समस्या 54
3.6 भारत में भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण 55
3.7 म्युनिसिपल बॉण्ड (Municipal Bonds) 58
3.8. प्रोजेक्ट सशक्त (Project Sashakt) 60
3.9. ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स (Global Digital Tax Rules) 61
3.10 रूपए में गिरावट (Falling Rupee) 64
3.11. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) 65
3.12. चीन में बनी वस्तुओं का भारतीय उद्योग पर प्रभाव 69
3.13 ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी (Draft E-Commerce Policy) 73
3.14. राष्ट्रीय एल्युमिनियम नीति (National Aluminium Policy) 75
3.15. अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (Unconventional Hydrocarbons) 78
3.16. एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण 79
3.17. डिजिटल भुगतान (Digital Payment) 81

4. सुरक्षा (Security) 85
4.1. कस्बों और शहरों में माओवादी संगठन 85
4.2. डेटा प्रोटेक्शन (Data Protection) 86
4.3. रणनीतिक साझेदारी मॉडल 90
4.4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 91

5. पर्यावरण (Environment) 94
5.1. केरल में बाढ़ (Kerala Flood) 94
5.2. मानसून पूर्वानुमान 96
5.3. ग्रीष्म ऋतु के दौरान गंगा का घटता जलस्तर 99
5.4. री-वॉटर रिसर्च सेंटर (Re-Water Research Center) 100
5.5. उच्च सागर का विनियमन 103
5.6. ग्रीन बॉन्ड (Green Bonds) 105
5.7. वन्यजीव संरक्षण हेतु निजी भागीदारी 107

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 109
6.1. भारत में ड्रोन विनियमन (Drone Regulations in India) 109

VISION IAS

6.2. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) 111

6.3. डिजिटल लैंगिक अंतराल (Digital Gender Gap) 112

6.4. गहरे समुद्री क्षेत्र का अन्वेषण 114

6.5. गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) 116

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 119

7.1. सबरीमाला मुद्दा (Sabrimala Issue) 119

7.2. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (Harassment of Women at Workplace) 120

7.3. डायन प्रताड़ना (Witch Hunting) 123

7.4. व्यभिचार का गैर-अपराधीकरण (Decriminalising Adultery) 124

7.5. ट्रांसजेंडर से संबंधित अध्ययन (Study on Transgenders) 126

7.6. धारा 377 का गैर-अपराधीकरण (Section 377 Decriminalized) 129

7.7. जनजातीय समूहों का विकास प्रेरित विस्थापन 131

7.8. घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति 133

7.9. व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 135

7.10. प्रवासन (Migration) 138

7.11.मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) 140

7.12. RTE संशोधन विधेयक, 2017 (The RTE Amendment Bill, 2017) 141

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान (Polity and Constitution)

1.1. सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित मुद्दे (Issues Related to RTI)

1.1.1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018

(The Right to Information (Amendment) Bill, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 की प्रति सांसदों के मध्य वितरित की गई। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रस्तावित संशोधन की वृहत स्तर पर आलोचना की गई।

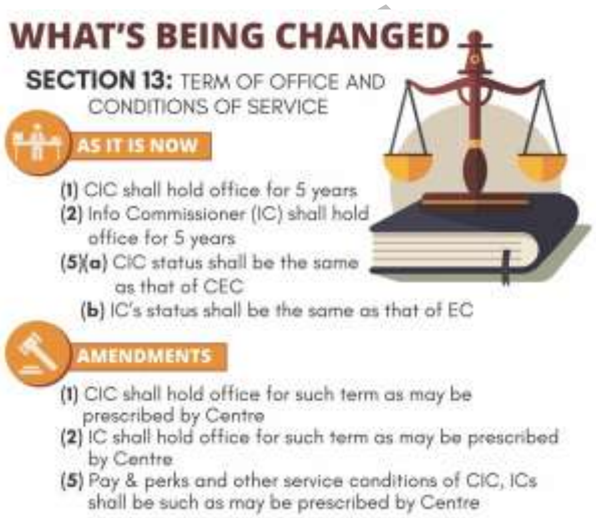

संशोधनों के विपक्ष में तर्क

- प्रस्तावित संशोधन **केंद्र सरकार** को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय तथा राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करते हैं और इस संदर्भ में संसद द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कार्यकारी अधिसूचना द्वारा परिवर्तनीय अनिश्चित कार्यकाल और वेतन मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner:CIC) की भूमिका को कम करके उसे एक आज्ञाधीन अधीनस्थ के रूप में परिवर्तित कर देता है।
- यह **उत्तरदायित्व को भी प्रभावित** करता है, क्योंकि यह लोगों के सूचना के अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- हालांकि संशोधन में कहा गया है कि इन अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों को उनकी नियुक्ति के पश्चात अहितकारी रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा, तथापि **सरकार भावी नियुक्तियों के लिए इसमें कटौती कर सकती है।**
- मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों) को एक साथ एक समान स्तर पर रखा गया था , क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार **RTI और मतदान का अधिकार** समान रूप से महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। किन्तु संशोधनों द्वारा इस परिदृश्य में परिवर्तन हो जाएगा।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में राज्यों के संप्रभु प्राधिकार को मान्यता प्रदान करता है, जबकि 2018 का विधेयक आश्चर्यजनक रूप से राज्यों को उनके कार्यकाल, पद तथा वेतन निर्धारित करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। केंद्र द्वारा ही इसे समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। यह केंद्र सरकार को **राज्य सरकारों की संप्रभुता का अतिक्रमण करने में सक्षम बनाता है।**
- इस विधेयक को **सिविल सोसाइटी और राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना** संसद में पेश किया गया, जो कि अलोकतांत्रिक ढंग से अधिरोपण के समान है।

संशोधन प्रस्तावों के पक्ष में तर्क

- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए RTI अधिनियम के तहत सक्षमकारी प्रावधान उपलब्ध कराना है। वर्तमान में, RTI अधिनियम 2005 के तहत इस प्रकार का कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों द्वारा किए जा रहे कार्य एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। अतः दोनों को एक समान स्तर पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

आगे की राह

- संशोधन प्रस्तावों के संबंध में उपर्युक्त मुद्दों के आलोक में, यह उपयुक्त रहेगा कि इस संशोधन विधेयक को वापस ले लिया जाए। इसके स्थान पर, वर्तमान RTI अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार ही सभी स्तरों पर सूचना आयुक्तों के वेतन में बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जा सकते हैं। साथ ही त्वरित रूप से अपीलों एवं शिकायतों के निपटान हेतु उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या प्रदान करके उनके कार्य को बेहतर बनाने के उपाय भी किए जा सकते हैं।

VISION

- RTI आवेदनकर्ताओं पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए सरकार सूचना के बेहतर अग्रसक्रिय (proactive) प्रकटीकरण के प्रयासों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार एवं कदाचार को प्रकट करके सच को सामने लाने वाले लोगों को सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए।

1.1.2. सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार

(Right to Information v/s Right to Privacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निजी डेटा सुरक्षा पर गठित बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी, जिसमें समिति ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन किए जाने हेतु सिफारिश की है।

निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (RTI) और निजता का अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक एवं विरोधी हैं। जहाँ RTI सूचना तक पहुंच में वृद्धि करता है,वहीं निजता का अधिकार इसे सीमित करता है। साथ ही यह दोनों राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध नागरिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करते हैं।

वर्तमान में RTI अधिनियम की धारा 8(1) (j) के अंतर्गत निम्न प्रकार की सूचना प्रदान करने की बाध्यता से छूट प्रदान की गयी है:

सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता (निजता) पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

निजता का अधिकार	सूचना का अधिकार
न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का एक मूलभूत भाग है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 **सरकारी सूचना के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय सीमा के भीतर सूचनाओं को प्रदान करने का अधिदेश** देता है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
इंटरनेशनल कोवनन्ट ऑफ़ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 17 के तहत, "किसी भी व्यक्ति की निजता, परिवार, घर और पत्र व्यवहार के मामले में न तो अनुचित या गैरकानूनी हस्तक्षेप किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का आघात किया जाएगा।"	सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य **नागरिकों को सशक्त बनाना,सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना**,भ्रष्टाचार को समाप्त करना तथा जनहित में वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करना है।

निजता का अधिकार एवं सूचना का अधिकार के मध्य विवाद

RTI अधिनियम की मौजूदा धारा 8 (1) (j) में संशोधन **सूचना प्रकटीकरण नियम को सीमित तथा निजता के पक्ष** को मजबूत करेगा। प्रस्तावित संशोधन केवल निम्नलिखित सिद्धांतों के तहत व्यक्तिगत सूचना के प्रकटीकरण को स्वीकृति प्रदान करेंगे:

- लोक प्राधिकारी के किसी भी कार्य, कार्यवाही या अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि से संबंधित व्यक्तिगत डेटा, जहाँ वृहत लोक हित के संदर्भ में लोक प्राधिकारी की कार्य प्रणाली सम्बंधी जवाबदेहिता से सम्बंधित **पारदर्शिता** बनाए रखना आवश्यक है।
- क्लॉज (a) में वर्णित पारदर्शिता से सम्बन्धित इस प्रकार की व्यक्तिगत सूचनाएं जिनके प्रकटीकरण द्वारा डेटा सिद्धांतों में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की तुलना में उन्हें प्राप्त करने में नागरिक का हित अधिक महत्वपूर्ण हो।

सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के मध्य संतुलन सम्बंधी निर्णय

- **सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज बनाम डॉ. श्रीमती एन्सन सेबेस्टियन (2010) वाद में,** प्रतिवादी द्वारा किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध की गई आंतरिक जांच-पड़ताल (domestic enquiry) संबंधी दस्तावेजों तथा छह अन्य कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

(confidential reports) सम्बंधी सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा RTI अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत छूट प्राप्ति की मांग की गयी। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आंतरिक जांच-पड़ताल एक ओपन ट्रायल है और गोपनीय रिपोर्ट वस्तुतः निष्पादन मूल्यांकन (performance appraisal)है, इनके प्रकटीकरण द्वारा निजता का अतिक्रमण नहीं होगा। इसलिए, **यह वाद निजता के साथ संतुलन बनाये रखते हुए सूचना के अधिकार की मूल भावना को कायम रखने हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है।**

- **ए.डी. शर्मा बनाम दिल्ली नगर निगम (2013) वाद में**, न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के किसी तीसरे पक्षकार की निजी संपत्ति का निरीक्षण करने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया, इसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले वाद (महासचिव, सर्वोच्च न्यायालय, भारत बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, 2010) का संदर्भ लिया था। न्यायालय ने सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के मध्य निहित तथ्यों का विश्लेषण करते हुए व्यक्ति की निजता के अतिक्रमण के लिए वृहत सार्वजनिक हित को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि एक सरकारी अधिकारी के निजता के अधिकार पर प्रतिबंध की प्रकृति किसी अन्य व्यक्ति से अधिक हो सकती है, क्योंकि आधिकारी से लोक हित के लिए कार्य करने और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उत्तरदायी होने की आशा की जाती है।

विवाद से निपटने हेतु संभावित संरचना

1. निरीक्षण

द्वि-निकाय मॉडल

- अधिकांश क्षेत्राधिकारों में, सूचना आयोग और निजता आयोग पूर्णतः भिन्न तथा पृथक निकाय होते हैं। जिन देशों में उपर्युक्त दोनों आयोग हैं वे इन अधिकारों को अलग-अलग संतुलित करने में सक्षम होते हैं क्योंकि दोनों आयोग अपने-अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित होते हैं।
- परंतु दोनों प्राधिकरणों के मध्य व्याप्त असहमति, समाधान हेतु आवश्यक समझौता और अवसर लागतों में वृद्धि कर सकती है तथा शिकायत निवारण तंत्र की समग्र दक्षता को कम कर सकती है। उदाहरणार्थ: राजनीति और नीतिगत चिंताओं के कारण कनाडा के दोनों आयोगों के मध्य इस प्रकार के तनाव को देखा गया है।

एकल निकाय मॉडल

- एक आयोग (जैसे की यूनाइटेड किंगडम में है) के अपनाए जाने से दो आयोगों के मध्य संघर्ष से संबंधित समझौता लागतों को कम किया जा सकता है और इससे निहित हितों और संघर्ष में कमी लाकर प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। परंतु यह भी किसी एक हित के अधिक मजबूत होने या अधिक प्रभावी समझे जाने के जोखिम का सामना कर सकता है और इसके कारण निकाय एकसमान सुरक्षा प्रदान करने या दोनों हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने में अक्षम हो सकता है।

भारतीय परिदृश्य

- भारतीय संदर्भ में एकल निकाय मॉडल इसकी लागत-प्रभावशीलता के कारण आकर्षक सिद्ध हो सकता है, परंतु इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो हित संघर्ष अथवा व्यक्तिगत लाभों की सुरक्षा सम्बंधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त, सूचना आयुक्त का अधिदेश केवल सार्वजनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत डाटा से ही संबंधित है, वृहत स्तर पर नागरिकों की व्यक्तिगत सूचनाओं से नहीं।
- इस क्षेत्र में विशिष्ट विशेषज्ञता वाला निकाय इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कहीं अधिक उपयुक्त होगा।

2. विधि निर्माण

एकल RTI और निजता कानून

- दोनों कानूनों को एकल अधिनियम के तहत अपनाया जा सकता है, जिसमें इसके निर्माण के प्रारम्भ से ही साझा परिभाषाओं तथा आंतरिक स्थिरता के साथ संघर्ष को सीमित करने एवं संतुलन स्थापित करने के प्रावधान किये जाएँ। उदाहरणार्थ कनाडा में विधेयक C-43, जिसे 1982 में अपनाया गया था, के अंतर्गत सूचना अधिनियम और निजता अधिनियम दोनों शामिल थे।
- इसमें कुछ कमियां भी विद्यमान हो सकती हैं जैसे कि यह विधि के औचित्य पर विधिक दुविधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ऐसे किसी अधिनियम को, जो दोनों क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर करता हो, दो एकल अधिनियमों के बराबर विस्तारित होना चाहिए क्योंकि दोनों क्षेत्रों के मध्य अधिव्यापन के बिंदु बहुत कम हैं।

पृथक RTI और निजता कानून

- कुछ न्यायक्षेत्रों में RTI एवं डाटा संरक्षण कानून हेतु अलग-अलग विधियों को लागू किया गया है। परंतु इन दोनों विधियों के संचालन के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्तर का सामंजस्य सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

- यदि प्रारंभ से ही सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य के लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो विधियों के मध्य विवाद उत्पन्न होंगे और तत्पश्चात इनसे निपटने के लिए अतिरिक्त विधायी प्रयासों की आवश्यकता होगी।

1.2. बेनामी अधिनियम के तहत अभियोजन पर रोक

(Prosecution Under Benami Act stuck)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम (PBPT Act), 1988 के तहत आरोपी व्यक्तियों के अभियोजन पर रोक लगा दी गई है ,क्योंकि अभी तक इस उद्देश्य के लिए देश भर में विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है।

पृष्ठभूमि

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में पारित किया गया था जिसका उद्देश्य बेनामी लेनदेन को समाप्त करना और सरकार को ऐसी संपत्तियों की रिकवरी हेतु सशक्त बनाया जाना था। हालांकि, इस अधिनियम में अनेक कमियां अंतर्निहित थीं जैसे कि उचित कार्यान्वयन तंत्र का अभाव, अपीलीय तंत्र की अनुपस्थिति और जब्त संपत्ति को केंद्र के अधिकार में रखने के प्रावधानों का अभाव। इन समस्याओं के कारण अधिनियम के नियम भी तैयार नहीं किए गए थे।
- इसलिए, बढ़ते काले धन और बेनामी सम्पत्तियों को समाप्त करने के लिए सख्त तंत्र प्रदान करने तथा इसका नाम बदलकर PBPT अधिनियम करने हेतु इस अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया।

संशोधित अधिनियम के प्रावधान

- 1988 के अधिनियम का 2016 को संशोधित किया गया, यह संशोधित अधिनियम बेनामी लेनदेन को एक ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित करता है जहां एक संपत्ति दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदी जाती है अथवा उसे हस्तान्तरित की जाती है लेकिन उसका भुगतान अथवा उसे उपलब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाता है। परिभाषा में संपत्ति से संबंधित ऐसे लेनदेन भी सम्मिलित है जहां i) कोई लेनदेन किसी काल्पनिक नाम के तहत किया गया हो; ii) स्वामी, संपत्ति के स्वामित्व के ज्ञान से अवगत न हो अथवा उसे अस्वीकार करता हो; iii) संपत्ति प्रदाता का पता न लगाया जा सकता हो।
- प्रमुख परिवर्तन के रूप में चार प्राधिकारियों/प्राधिकरणों की नियुक्ति पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, ये हैं- इनीशिएटिंग ऑफ़िसर ,अनुमोदन प्राधिकारी, प्रशासक और सुनवाई प्राधिकरण -जो बेनामी लेनदेन की जांच एवं पूछताछ का कार्य करेगा। एक **अपीलीय न्यायाधिकरण,** सुनवाई प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णयों की अपील की सुनवाई करेगा और तत्पश्चात इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।
- अधिनियम यह अधिदेशित करता है कि इसके तहत दण्डनीय अपराध के मुकदमे के लिए केन्द्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या अधिक सत्र न्यायालयों को **विशेष न्यायालय** के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। विशेष न्यायालय को शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के अन्दर मुकदमे की सुनवाई प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

संशोधित अधिनियम का महत्व

- यह एक व्यापक कानून है जो बेनामी संपत्ति (चल और अचल सम्पत्ति दोनों) को जब्त और कुर्की करने के लिए तंत्र और प्रक्रिया, दोनों प्रदान करता है। साथ ही यह ऐसे प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक संरचना भी प्रदान करता है।
- इसने बेनामी लेनदेन के दायरे को बढ़ा दिया है और अधिक कठोर दंड का प्रस्ताव किया है।
- इस कानून से देश के रियल एस्टेट उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे।
  - यह संपत्ति लेनदेन में सही नामों के प्रचलन को बढ़ाएगा। इससे आवासीय बाजार में पारदर्शिता आएगी।
  - सख्त कानून से रियल स्टेट की कीमतों में भी कमी आएगी, क्योंकि इस तरह के लेनदेन नकदी समृद्ध निवेशकों द्वारा अपनी अघोषित संपत्ति को रियल स्टेट में परिवर्तित करने के लिए किए जाते हैं।
  - इसने ऋणकर्ताओं, विशेष रूप से बैंकों और निजी व्यक्तियों के विश्वास में भी वृद्धि की है। यह अधिनियम ऋणकर्ताओं और बैंकों द्वारा संपत्तियों की जांच जैसे समय लेने वाली प्रक्रियाओं को समाप्त कर देगा।

संशोधित अधिनियम के साथ संलग्न मुद्दे

- **यह 1988 के अधिनियम की तुलना में छूट प्राप्त सूची का विस्तार करता है:** अब यह हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family:HUF) के सदस्यों; निदेशकों, ट्रस्टियों अथवा अन्य कर्मचारियों के नाम पर न्यासिक क्षमता में भूमि रखने वाले कॉर्पोरेटों, फर्मों, कंपनियों और भागीदारों; पति/पत्नी एवं बच्चों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोत से प्राप्त संपत्ति; पैतृक वंशजों और पूर्वजों को छूट प्रदान करता है। साथ ही, केंद्र सरकार धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट से संबंधित किसी भी संपत्ति को भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन से छूट प्रदान कर सकती है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- **HUF को छूट प्रदान करने से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का एक बड़ा भाग इस कानून के दायरे से बाहर हो गया है:** साथ ही, व्यवसायिक क्षेत्र में सीमित देयता साझेदारी तक भी छूट को बढ़ाए जाने का, अनेक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत दुरुपयोग करके बेनामी संपत्ति का सृजन किया जा सकता है।
- **यह स्पष्ट नहीं है कि यह अधिनियम अधिकारियों में निहित शक्तियों के दुरुपयोग की जांच कैसे करेगा:** अधिनियम के तहत, इनीशिएटिंग ऑफ़िसर किसी भी संपत्ति को अपने विवेक के आधार पर बेनामी संपत्ति के रूप में अधिसूचित कर सकता है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (जिसमें केवल वह संपत्ति जब्त की जाती है जो किसी अपराध के परिणामस्वरूप सृजित हुई है) के विपरीत अतिरेक या स्वेच्छाचारिता का कारण बन सकता है।

अधिनियम की कार्य-प्रणाली से संबंधित हालिया मुद्दे

- चूंकि आवश्यक विशेष न्यायालय अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं, इसलिए विभिन्न राज्यों में IT विभाग द्वारा 100 से अधिक मामलों में जांच पूरी होने के बावजूद, सुनवाई प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों की जब्ती सहित आरोपी व्यक्तियों का अभियोजन नहीं हुआ है।

आगे की राह

- भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण द्वारा बेनामी लेनदेन को पहले से ही रोका और समाप्त किया जा सकता है।
- साथ ही साथ, व्हिसलब्लोवर संरक्षण अधिनियम और लोकपाल अधिनियम जैसे अन्य सुधारों को लागू किया जाना चाहिए

1.3. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018

(Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित किया गया है, यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारियों की भ्रष्ट गतिविधियों से संबंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं।
- 2007 में, **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** द्वारा अपनी चौथी रिपोर्ट में रिश्वत देने को अपराध के रूप में शामिल करने, कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी प्रावधान में छूट प्रदान करने और भ्रष्टाचार के आरोपी सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने संबंधी प्रावधान, शामिल करने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गयी थी।
- 2011 में, भारत द्वारा **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन** की पुष्टि की गई और अपने घरेलू कानूनों को इस सम्मेलन के अनुरूप बनाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसके तहत एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध तरीके से धन एवं संपत्ति प्राप्त करने और रिश्वत देने एवं लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल करना, विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और निजी क्षेत्र में रिश्वत संबंधी गतिविधियों को संबोधित करना आदि शामिल हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है।
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन **विशेष न्यायाधीशों** को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।
- इस अधिनियम में **साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत, सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला और सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी विभाग, कंपनियों या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी भी उपक्रम में कार्यरत किसी व्यक्ति को **'लोक सेवक'** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत अवैध परितोषण लेना, आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करना आदि को अपराध की श्रेणी में रखा गया है
- **सांसदों और विधायकों** को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।

VISION IAS

- यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे **कारावास की सजा, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी और जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान किया गया है।**

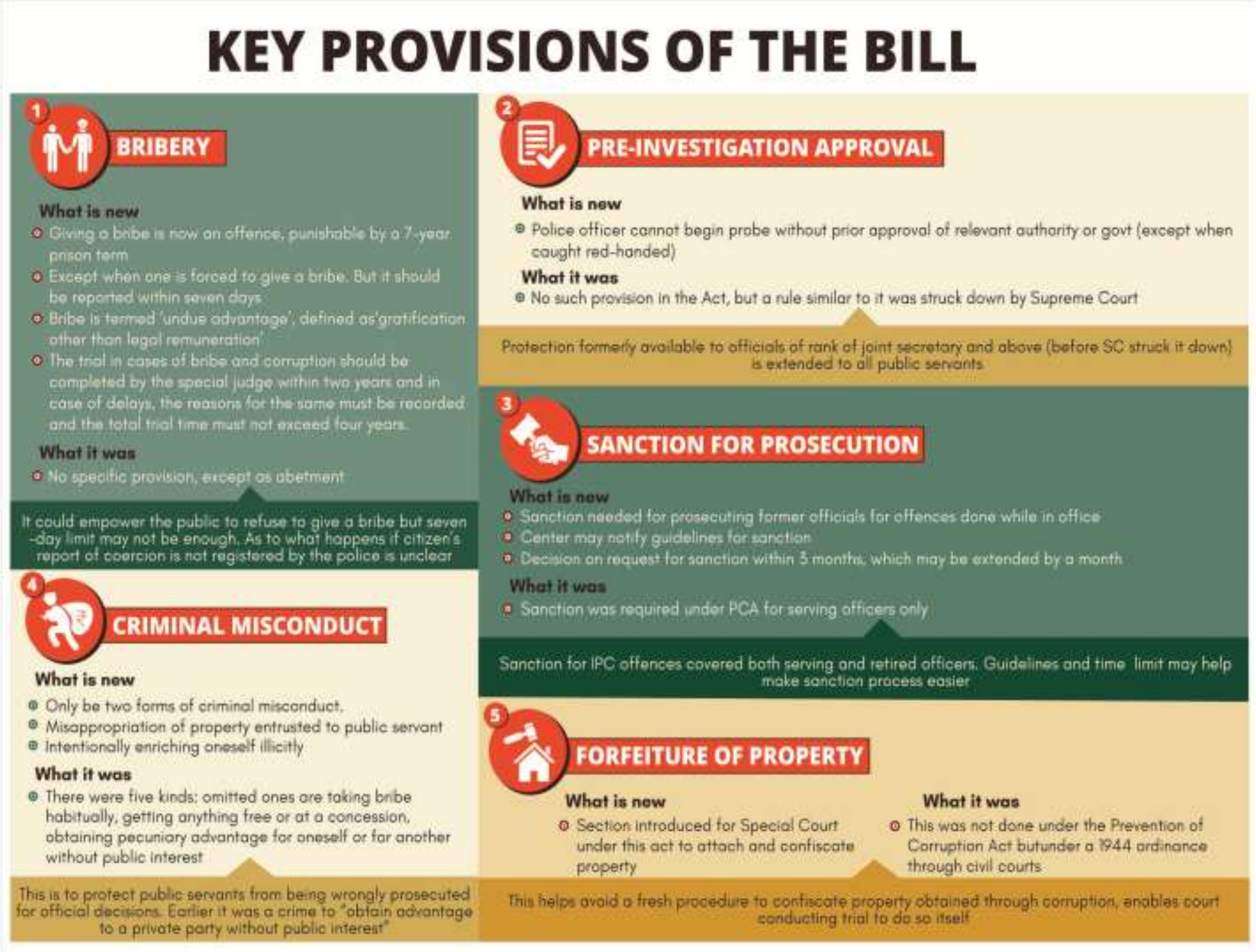

संशोधन के लाभ

- **भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को कम करने में सहायक:** भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स), 2017 में भारत के रैंक में गिरावट (180 देशों की सूची में 81वां स्थान), ऐसे मामलों में वृद्धि को दर्शाती है। अधिनियम के प्रभावी एवं कठोर कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट प्रक्रियाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है।
- **ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा:** यह सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को बिना किसी भय के और योग्यता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे निर्णयन प्रक्रिया की गतिहीनता को समाप्त किया जा सकता है।
- **भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही(trial) सुनिश्चित करना:** ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्यवाही(trial) से भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई में होने वाली अत्यधिक विलंब की समस्या कम होगी।
- **रिश्वत देने वाले को शामिल करना:** इस अधिनियम में रिश्वत देने वाले को भी अपराधी के रूप में शामिल किया गया है। यह कदम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और नकदी या अन्य प्रकार के प्रलोभन देने हेतु एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। इससे पूर्व, रिश्वत देने वाले को शामिल नहीं किया गया था जिससे भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि हुई ।

संशोधित अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **बाध्यतापूर्वक रिश्वत देने वाले' के मुद्दे का आंशिक समाधान:** हालांकि यह अधिनियम मामले की शिकायत करने हेतु सात दिन का समय प्रदान करता है, लेकिन यह उस स्थिति की उपेक्षा करता है जहां उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों में शिकायत न करने के लिए धमकी दी जा सकती है।

- **रिश्वत देने वाले को गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होने से रोकना:** भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के दौरान रिश्वत देने वाले के द्वारा दिए गए किसी भी बयान के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से उन्हें संरक्षण प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रावधान को इस अधिनियम में हटा दिया गया है। यह उन्हें गवाह के रूप में उपस्थित होने से रोक सकता है।
- **अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अवसरों में वृद्धि:** आपराधिक दुर्व्यवहार को पुनःपरिभाषित करने के बावजूद भी अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण के अतिरिक्त सम्पति अधिग्रहण के 'प्रयोजन' को सिद्ध करने की आवश्यकता है।
- **रिश्वत लेने सम्बन्धी मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व केवल आरोपी पर:** 1988 के अधिनियम के तहत, रिश्वत लेने, आदतन अपराध एवं उकसाने के मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व आरोपी पर था। हालांकि, संशोधित अधिनियम केवल रिश्वत लेने सम्बन्धी अपराध के मामले में आरोपी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व डालता है।
- **यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के कुछ प्रावधानों को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है:** विदेशी सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने सम्बन्धी मामलों, निजी क्षेत्र में रिश्वत और क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजे के संबंध में संशोधित अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- **पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता को कम करना:** पूर्व स्वीकृति (जांच के चरण से पहले भी) के प्रावधान को शामिल करके यह अधिनियम कमजोर कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के वास्तविक मामलों में अनुचित विलंब हो सकता है। यह **दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 6A** को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पूर्व अनुमति की आवश्यकता को अधिक सशक्त करता है, जिसके लिए सरकार से समान स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- **'आय के वैध स्रोत' जैसे अस्पष्ट शब्दों** को परिभाषित नहीं किया गया हैं जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि क्या किसी अज्ञात और अवैध स्रोत से प्राप्त आय पर कर का भुगतान करने से ऐसी आय वैध हो जाती है।
- उचित प्रयोजन से संशोधन किए जाने के बावजूद, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सैद्धांतिक एवं तात्विक दोनों स्वरूपों में अधिनियम का कार्यान्वयन किया गया हो। CVC द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि प्रावधान की शुचिता बनाए रखी जा सके और इसे राजनीतिक प्रभाव से संरक्षित किया जा सके। संशोधित अधिनियम को चुनाव सुधारों, राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने, लोक सेवाओं के वि-राजनीतिकरण, पुलिस सुधार, न्यायाधीशों की नियुक्तियों, CBI और लोकपाल के सदस्यों की प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, जैसे समग्र सुधारों के साथ अनुपूरित करने की भी आवश्यकता है।

1.4 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964

(Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 [CCS (conduct) rules,1964] के कई प्रावधानों का प्रयोग प्रायः लोक सेवकों के विरुद्ध किया जाता है, जिससे उनके मौलिक अधिकार बाधित होते हैं।

नियमावली से संबंधित पृष्ठभूमि

- **यह नियमावली 'क्या करें तथा क्या न करें' संबंधी नियमों के एक समूह की व्यवस्था करती है:** ये नियम सिविल सेवकों से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने, कर्तव्यपरायणता तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की मांग करती हैं जो किसी भी लोक सेवक हेतु अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। परन्तु कुछ प्रतिबन्धों एवं उनके मौलिक अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो सकता हैं। उदाहरणार्थ -
  - लोक सेवकों के किसी समाचार-पत्र या पत्रिका के संपादन या प्रबंधन में भाग लेने पर प्रतिबन्ध।
  - स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से किए गए यदा-कदा निवेशों को छोड़कर स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टेबाजी पर निषेध।
  - लोक सेवकों के उपहार प्राप्त करने, सम्पत्ति खरीदने व बेचने, वाणिज्यिक निवेश करने, कंपनियों को प्रोत्साहन देने तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यावसायिक नियोजन प्राप्त करने पर प्रतिबंध।

वर्ष 1964 में, भ्रष्टाचार की रोकथाम पर समिति (**संथानम समिति**) की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए इन नियमों को वृहद् पैमाने पर अभिवर्द्धित किया गया।

नियमावली के नियम 9 से संबंधित मुद्दे:

- **नियम 9** किसी भी लोक सेवक को तथ्य या मत, जो केंद्र सरकार या एक राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नवीन नीति अथवा कार्यवाही की एक **प्रतिकूल आलोचना** का प्रभाव रखता है, के किसी व्यक्तव्य को अपने नाम या अनामिता या छद्मनाम से प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करता है।

VISION IAS

- निगरानी तथा अनुशासनात्मक दृष्टिकोण लोक सेवक से बिना आलोचना और समान एवं संदेह रहित आज्ञा पालन की मांग करते हैं। यह संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत प्रत्याभूत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है।

अनुच्छेद 19(1)(a): भारत के सभी नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रत्याभूत करता है। यह अधिकार **अनुच्छेद 19(2)** के तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है।

अनुच्छेद 19(2) निम्नलिखित निर्बंधनों को शामिल करता है: भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन।

नियम 9 की पक्ष में तर्क

- लोक सेवक **स्थायी कार्यपालक** होते हुए भी विभिन्न चयनित कार्यपालकों के साथ कार्य करते हैं। इस मामले में उनकी राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। अतः यह लोक सेवकों की राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करता है, तथा इसके उल्लंघन के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां न्यायोचित हैं।

नियम 9 के विपक्ष में तर्क

- **एक लोक सेवक का पद प्राप्त करने से कोई अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं करता:** उच्चतम न्यायालय ने **कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, 1962** के वाद में निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों पर लागू होता है तथा लोक सेवक भी अन्य सभी नागरिकों के साथ सम्मिलित रूप से सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय ने **विजय शंकर पाण्डेय बनाम भारत संघ वाद, 2014** में दोहराया कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार लोक सेवा का सदस्य बनने के पश्चात् कम नहीं होते।
- सरकार द्वारा लोक सेवकों में अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु प्रमुखता से प्रयुक्त, अनुच्छेद 19(2) के तहत वर्णित युक्तियुक्त निर्बंधन **'लोक व्यवस्था'** को अनेक न्यायिक निर्णयों में परिभाषित किया गया है। **केन्द्रीय कारागार अधीक्षक बनाम राम मनोहर लोहिया,1960** के वाद में यह निर्णय दिया गया था कि लोक व्यवस्था लोक सुरक्षा तथा शांति का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ अव्यवस्था(स्थानीय हित के उल्लंघन सहित) की अनुपस्थिति है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) केवल तब प्रभावी होता है जब व्यक्त विचार लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने योग्य उत्तेजना के स्तर तक पहुंच जाते हैं।
- वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में आलोचना अंतर्निहित है, जबकि नियम 9 एक आधारभूत पूर्वधारणा का निर्माण करता है कि सरकार की कोई भी आलोचना अनुशासनहीनता तथा अधीनता की पर्यायवाची है। आलोचना का अर्थ अवज्ञा नहीं होता तथा सरकार की आलोचना करना सरकार के आदेशों की अवमानना के समतुल्य नहीं है।
- **औपनिवेशिक उत्पत्ति:** ये नियम जो देश में सभी लोक सेवकों पर लागू होते हैं औपनिवेशिक काल के हैं तथा औपनिवेशिक मनोभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। साथ ही ये, निगरानी और आदेश के द्वारा निर्देशित होते हैं तथा मानसिकता को नियंत्रित करते हैं।

लोक सेवक और मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों तथा पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को संशोधित करने की अधिकारिता संसद में निहित की गयी है। संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार सभी नागरिकों, जिनमे स्पष्टत: लोक सेवक शामिल हैं, को प्राप्त हैं।
- यद्यपि लोक सेवक एक नागरिक की ही भांति मौलिक अधिकार प्राप्त करता है तथा राज्य को भी अनुच्छेद 309 के तहत 'उनकी सेवा शर्तों' को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- **वर्तमान में,** राज्य के अधीन सेवा के हित लोक सेवा के पक्ष में दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता और अनुशासन तथा अन्य संबंधित गुणों की मांग करते हैं। इस प्रकार राज्य को यह सुनिश्चित करने की कि प्रत्येक लोक सेवक इन गुणों को धारण करे तथा किसी व्यक्ति को जिसमें इन गुणों का अभाव है उसे लोक सेवा में शामिल होने से रोकने की अधिकारिता प्राप्त है।
- अतः, लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित राज्य विनियमन के माध्यम से उनके मौलिक अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन केवल उस सीमा तक ही वैध होंगे जिस सीमा तक ये दक्षता, अखंडता, निष्पक्षता, अनुशासन, उत्तरदायित्व और अन्य समान गुणों के हित में उचित रूप से अनिवार्य हैं। साथ ही, इन गुणों का लोक सेवा शर्तों के साथ-साथ सामान्य आधारों के साथ

VISION IAS

'प्रत्यक्ष, निकटवर्ती और तर्कसंगत' होना भी अनिवार्य है। सामान्य आधारों के अंतर्गत ऐसे आधार शामिल हैं जिन पर सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त लोक व्यवस्था।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **वर्ष 1957** में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने लोक सेवाओं हेतु एक **नैतिक संहिता** तैयार की थी, जिसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा और आचारण के मानकों को निर्धारित किया गया था। हालाँकि इसे कभी जारी नहीं किया गया।
- वर्ष **2006** में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सभी लोक सेवकों हेतु राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि पर बल देते हुए एक **लोक सेवा विधेयक** का मसौदा तैयार किया था परन्तु इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने अपनी **चौथी रिपोर्ट (2007)** में लोक सेवकों हेतु एक नैतिक संहिता लागू करने की अनुशंसा की थी तथा सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, पारदर्शी उत्तरदायित्व, कर्तव्यनिष्ठा और आदर्श व्यवहार जैसे **'सिविल सेवा मूल्यों'** के एक संग्रह पर बल दिया था, जिसके उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया था।

आगे की राह

- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 को अन्य देशों की भांति स्व-विनियमन, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता पर आधारित **'नैतिक संहिता'** के एक वृहद् संग्रह द्वारा विस्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ यूके में सिविल सर्विसेज वैल्यूज (2006) तथा एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय आचार संहिता के अनुसार सिविल सेवकों से सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा तथा निष्पक्षता के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। यूएस में लोक सेवक 1958 में तैयार की गई एक नैतिक संहिता का अनुसरण करते हैं। यूएस ऑफिस ऑफ़ गवर्नमेंट एथिक्स कर्मचारियों के लिए उच्च नैतिक मानदंडों को प्रोत्साहित करने हेतु एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट,1978 के तहत स्थापित किया गया था। इसी प्रकार, OECD परिषद तथा यूरोपीय संघ दोनों ने लोकसंस्थाओं में कर्मचारियों के नैतिक आचरण को शासित करने के सिद्धांतों का एक विस्तृत संग्रह निर्धारित किया है।
- लोक सेवकों का नागरिकों के प्रति अग्रसक्रिय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु वरीयता के आधार पर लोक सेवा विधेयक अनिवार्य रूप से अधिनियमित किया जाना चाहिए।

1.5. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

[National Register of Citizens (NRC)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, असम द्वारा अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अंतिम मसौदे को प्रकाशित किया गया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- असम में जनसांख्यिकीय परिवर्तन **19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ जब अंग्रेजों द्वारा बागानों में कार्य करने हेतु बिहार और छोटा नागपुर से जनजातीय श्रमिकों** को असम लाया गया। इसने **बंगाल के मुस्लिम किसानों के प्रवासन को भी प्रोत्साहित किया** जो स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात् भी जारी रहा।
- प्रथम NRC स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटने हेतु 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। किन्तु वोट बैंक की राजनीति के कारण यह प्रक्रिया अप्रभावी रही।
- **1979 में, अखिल असम छात्र संघ** ने अवैध रूप से प्रवासित लोगों के निर्वासन हेतु आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो 1985 में **असम समझौते** पर हस्ताक्षर के पश्चात् समाप्त हुआ।
- असम समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 को, **1 जनवरी, 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिक का दर्जा देने हेतु, संशोधित किया गया। 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के मध्य भारत आए व्यक्ति को पंजीकरण कराने और 10 वर्षों तक राज्य में निवास करने के पश्चात् नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया इसके अतिरिक्त 25 मार्च, 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को निर्वासित करने के प्रावधान किया गए थे।** हालांकि, अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।
- **2014 में,** सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर **1951 के NRC को अद्यतन(अपडेट) करने का निर्देश दिया।** वर्तमान प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संचालित की जा रही है।

VISION IAS

NRC क्या है?

- यह असम के सभी प्रमाणित भारतीय नागरिकों की एक सूची है, असम NRC तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है।
- NRC को **नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार** अद्यतन किया जा रहा है
- इसमें, 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि से पूर्व किसी निर्वाचन सूची या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 में शामिल व्यक्तियों और उनके वंशजों को सम्मिलित किया जायेगा।
- सत्यापन की प्रक्रिया में हाउस-टू-हाउस फील्ड वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता का निर्धारण, माता-पिता के फर्जी दावों को रद्द करने हेतु परिवार के वंशावली की जांच और विवाहित महिलाओं के लिए संबद्ध एवं पृथक सुनवाई शामिल है।

इस प्रक्रिया के लाभ

- यह असम में होने वाले अवैध प्रवासन के प्रसार के संबंध में एक आवश्यक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो इनकी वास्तविक संख्या के संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा अपने लाभ हेतु लगाए जा रहे निराधार अनुमानों पर रोक लगाने में सहायक होगा।
- अवैध आप्रवासियों द्वारा राज्य की **जनसांख्यिकी में परिवर्तन करने** और राज्य की राजनीति को प्रभावित करने का भय भी समाप्त होगा।
- एक अद्यतन NRC के प्रकाशन से भविष्य में बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों के अवैध प्रवेश को नियंत्रित करने की संभावना है ,क्योंकि मसौदे के प्रकाशन ने स्वयं में यह धारणा स्थापित किया है कि वैध दस्तावेज के बिना असम में रहना जेल और निर्वासन का कारण बन सकता है ।
- NRC में नामों को शामिल करने से उन सभी बंगाली बोलने वाले लोगों को राहत मिलेगी जो अब तक बांग्लादेशियों के रूप में संदिग्ध हैं।
- यह प्रक्रिया अवैध आप्रवासियों की पहचान कर, उन्हें अपने मूल देश में वापस भेजने तथा **वैध नागरिकों के लिए देश के संसाधनों को सुरक्षित करने** में सहायक होगी और अवैध प्रवासन के कारण उत्पन्न **आंतरिक सुरक्षा** सम्बन्धी चिंताओं को कम करेगी।

NRC के समक्ष विद्यमान मुद्दे

- **बहिष्करण :** 32.9 मिलियन आवेदकों में से केवल 29 मिलियन को रजिस्टर में शामिल करने योग्य पाया गया है, शेष **4 मिलियन** को अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किया गया।
- **1971 के पूर्व के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता:** देश में दस्तावेज़ रिकॉर्ड की स्थिति को देखते हुए, यह एक **कठिन शर्त** है और अनेक व्यक्तियों के लिए इस अवधि से पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है। नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के विपरीत, **साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व NRC आवेदक पर** है।
- **गलत सूचना :** माता-पिता के संबंधों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। अनेक व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग नामों से दर्ज हैं जिससे डूप्लिसिटी या सूची से गलत बहिष्करण की संभावना उत्पन्न होती हैं।
- **पूर्ण करने पर बल:** उच्चतम न्यायालय, केंद्र और असम सरकार द्वारा बहिष्करण से असंतुष्ट व्यक्तियों के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के निर्माण पर विचार किए बिना ही इस **प्रक्रिया को पूरा करने की प्रमुखता** दी गयी थी।
- **नागरिकता संबंधी मुद्दे**
  - एक मुख्य विवाद यह है कि **अवैध आप्रवासियों के बच्चों और पोते-पोतियों को किस देश की नागरिकता प्राप्त होगी।**
  - जबकि देश के नागरिकता सम्बन्धी कानून माता-पिता की नागरिकता के बिना भी जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं, NRC के नियम इसे मान्यता प्रदान नहीं करते।
  - **नागरिकता (संशोधन) विधेयक,** जो हिंदू अवैध प्रवासियों और अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता हेतु पात्रता प्रदान करता, इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के अलगाव के संबंध में आशंका उत्पन्न करता है।
- **डी-वोटर्स संबंधी मुद्दा:** 40 लाख बहिष्कृत व्यक्तियों में से लगभग **2.5 लाख व्यक्ति डी-वोटर्स**(संदिग्ध मतदाता-doubtful voters), उनके वंशज और ऐसे व्यक्ति है जिनके मामले असम में फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित हैं।
  - डी-वोटर्स(D-voters) वे मतदाता हैं जो सरकार द्वारा उचित नागरिकता प्रमाण-पत्रों के कथित अभाव के कारण मताधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं और उनका अंतर्वेशन **फॉरनर्स ट्रिब्यूनल** के निर्णय पर निर्भर करेगा।
- **प्रकाशन के पश्चात् उत्पन्न होने वाले मुद्दे**
  - **दावों और आपत्तियां:** यदि बाहर हुए व्यक्ति एक ही दस्तावेज को दूसरी बार जमा करते हैं तो उन्हें पुनः अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।

VISION IAS

- **निर्वासन संबंधी मुद्दा:** कोई भी राज्य अवैध आप्रवासन पर एकतरफा कार्य नहीं कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य अभी तक इस सम्बन्ध में कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ है, जिससे अंततः उन लोगों के भविष्य हेतु अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी।

- **मानवीय चिंताएं:** इस देश में लंबे समय से निवास करने वाले व्यक्तियों की चिंताओं की उपेक्षा करने से देश के लोकतांत्रिक सामाजिक मूल्य का ह्रास होगा।

बहिष्कृत व्यक्तियों के समक्ष विद्यमान विकल्प

- जारी की गई **सूची केवल एक मसौदा है, न कि अंतिम सूची। अंतिम सूची दिसंबर 2018 तक** प्रकाशित होने की संभावना है।
- दावों और आपत्तियों को दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है, जिसके लिए विभिन्न NRC सेवा केंद्रों पर सुधार हेतु फार्म प्राप्त होंगे।
- क्रमिक अपील की प्रक्रिया संबंधी विकल्प: व्यक्ति चरणबद्ध प्रक्रिया से - NRC सेवा केंद्र , जिला मजिस्ट्रेट, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

आगे की राह

- **अंतिम रूप से सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों के संबंध में:** ये आधिकारिक तौर पर नागरिक नहीं होंगे लेकिन भारत में "स्टेटलेस" व्यक्तियों से संबंधित कोई निश्चित नीति नहीं है। निश्चित रूप से, उनके पास मतदान के अधिकार नहीं होंगे लेकिन उन्हें "मानवतावादी आधार" पर कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं जैसे कि काम का अधिकार इत्यादि।
- **नागरिकता प्रदान करने के नियमों में छूट प्रदान करना:** देशीयकरण की प्रक्रिया के माध्यम से घोषित अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है लेकिन इसका कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा सकता है।
- **अवैध प्रवासन के मुद्दे को व्यापक रूप से हल करना:** असम में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को हल करने से संपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के माध्यम से पुनः प्रवेश कर सकते हैं और देश के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं। अतः, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:
  - **व्यापक सीमा प्रबंधन:** बाड़बंदी सहित, 24x7 पूर्ण निगरानी, नई इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि।
  - **वर्क परमिट:** विदेशियों को पारदर्शी वर्क परमिट के विकल्पों की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।
  - **भ्रष्ट व्यक्तियों को दंडित करना:** अवैध प्रवेश और निवास आदि सुनिश्चित करने में विदेशियों का सहयोग करने वाले अधिकारी और अन्य व्यक्तियों को इस तरह के व्यवहार हेतु दंडित किया जाना चाहिए।
  - **पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना:** इसके माध्यम से दूसरे देश में अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों को उचित सत्यापन के पश्चात् मूल देश द्वारा वापस स्वीकार करने हेतु उचित व्यवस्था की जा सकती है।
  - **अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता:** जैसे यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी(UNHCR), इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन(IOM) और इस तरह के जटिल मुद्दे में अनुभव रखने वाली अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है।
  - **सार्क अभिसमय का निर्माण:** भारत को सार्क अभिसमय या शरणार्थियों संबंधी घोषणा हेतु सार्क क्षेत्र के अन्य देशों को प्रोत्साहन के लिए पहल करना चाहिए जिससे सदस्य राज्य 1951 के शरणार्थी सम्मेलन को अभिपुष्टि हेतु सहमत होगें।

1.6. राजद्रोह (Sedition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124A (जो राजद्रोह से संबंधित है) के संबंध में व्यापक सार्वजनिक चर्चा हेतु परामर्श पत्र प्रकाशित किया है।

राजद्रोह - संक्षिप्त परिचय

- **राजद्रोह क्या है-** IPC की धारा 124A के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जो बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास अथवा जुर्माने के साथ तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।"
- **राजद्रोह के संबंध में चिंताएं -** लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राष्ट्र में इस धारा की प्रासंगिकता निरंतर विचार-विमर्श का विषय है। सरकार धारा 124A का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त युक्तियुक्त प्रतिबंधों से परे भी कर सकती है। यह आशंका व्यक्त की जाती है कि सरकार द्वारा इस धारा का दुरुपयोग

VISION IAS

राजनीतिक असंतोष तथा सरकार और इसकी नीतियों की रचनात्मक आलोचना को दबाने हेतु किया जा सकता है जो कि लोकतांत्रिक शासन की मूल भावनाओं के विपरीत है।

- यू.के., ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही राजद्रोह से संबंधित कानूनों को अत्यधिक कठोर मानकर इन्हें समाप्त कर चुके हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: औपनिवेशिक अवशेष

- **उत्पत्ति और विकास -** ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन प्रणाली की वैधता किसी भी प्रकार की राजनीतिक असहमति या असंतोष को शांत करने पर कायम थी, इस प्रकार धारा 124A को लागू करने का उद्देश्य व्यक्ति विशेष की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना था। धारा 124A को 1870 में IPC के विशेष अधिनियम XVII के माध्यम से जोड़ा गया, और राजद्रोह को परिभाषित किया गया तथा इसमें 1898 में संशोधन करते हुए इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया गया।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और राजद्रोह के मध्य संघर्ष का कालक्रम -** भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा इस पर राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले युक्तियुक्त निर्बंधनों (अनुच्छेद 19 (2)) के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए 'राजद्रोह' की पुन: व्याख्या और पुन: परीक्षण किया गया। इन निर्णयों ने 'राजद्रोह' के दायरे को सीमित करके इसे अधिक स्पष्ट, यथार्थपूर्ण और सटीक बनाने का प्रयास किया।
- **राजद्रोह अधिनियम के लिए आवश्यक तत्व -** रोमेश थापर, केदारनाथ सिंह, कन्हैया कुमार वाद के न्यायिक निर्णयों में राजद्रोह अधिनियम को पुनः परिभाषित किया गया तथा निम्नलिखित तत्वों को राजद्रोह अधिनियम के लिए आवश्यक तत्व माना गया:
  - लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना
  - एक वैध सरकार का हिंसक तरीके से तख्ता पलट करने का प्रयास
  - राज्य या जनता की सुरक्षा पर संकट।
- **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार के पक्ष में न्यायिक निर्णय -** ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, रमेश सिंह बनाम भारतीय संघ, श्रेया सिंघल बनाम राज्य आदि वादों में दिए गए न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि 'कौन-से मामले राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आते हैं':
  - राजनीतिक मतभेद
  - सरकार और इसकी नीतियों से मतभेद
  - विभिन्न मुद्दों पर कुंठा की अभिव्यक्ति जैसे कि नस्लवादी राज्य या लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण राज्य
  - भारत राष्ट्र की भिन्न या परस्पर-विरोधी संकल्पना को अभिव्यक्त करना
  - रुष्ट होने का अधिकार
  - शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन।

न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया है कि जब तक कि किसी भी गतिविधि का उद्देश्य लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना, राज्य या जनता की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न करना अथवा एक वैध सरकार का हिंसक या अवैध तरीके से तख्ता पलट करने का प्रयास करना न हो, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है।

राजद्रोह और अन्य कानून

- IPC की कई धाराएं राज्य के विरुद्ध तथा लोक शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित हैं। गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 नामक एक अन्य अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया है।
- चूंकि राजद्रोह राज्य के विरुद्ध एक अपराध है, इस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों के उच्च मानकों को लागू किया जाना चाहिए। इसे राज्य के विरुद्ध गंभीर अपराधों के विरुद्ध उपयोग में लाना चाहिए। यदि कोई मामला राजद्रोह अधिनियम के दायरे में नहीं आता है, तो उपरोक्त वर्णित कुछ अन्य कानूनों / विधियों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

आगे की राह

- असहमति एक जीवंत लोकतंत्र में सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करती है तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्येक प्रतिबंध को तर्कसंगत कारणों के साथ सावधानीपूर्वक लगाया जाना चाहिए। यदि देश सकारात्मक आलोचना के लिए मुक्त नहीं है, तो स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की स्थितियों में बहुत अधिक अंतर नहीं है।
- 'राजद्रोह' की परिभाषा को सीमित करने तथा राज्य के विरुद्ध अपराधों से निपटने वाली अन्य विधियों/कानूनों से संबंधित न्यायिक निर्णयों के मद्देनजर, कानूनी विद्वानों , विधि-निर्माताओं, सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, अकादमिक, छात्रों और यहाँ तक कि सामान्य जनता के मध्य निम्नलिखित मूलभूत प्रश्नों के संबंध में विचार-विमर्श आरंभ करने का प्रयास:

VISION IAS

- आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में राजद्रोह कानून की आवश्यकता, जहां वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा गारंटी के रूप में प्रदत्त एक मूल अधिकार है,
- राजद्रोह पुनः परिभाषित करना या राज्य के विरुद्ध अपराधों से निपटने वाले विभिन्न विधियों के आलोक में राजद्रोह कानून की आवश्यकता।

1.7. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971

(Contempt of Court Act, 1971)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके तहत यह जाँच की गई है कि अवमानना की परिभाषा को 'अदालत के निर्देश या निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा' तक सीमित करने के लिए अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं।

भूमिका:

- **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1926** न्यायालय की अवमानना के संबंध में भारत का पहला कानून था। कालांतर में इसे निरसित कर दिया गया और पुनः दो बार 1952 और 1971 में (**सान्याल समिति, 1963** की सिफ़ारिशों के पश्चात) प्रतिस्थापित किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों में बड़ी संख्या में अवमानना के मामले लंबित हैं। अतः विधि आयोग को कार्य दिया गया था कि यह अवमानना की परिभाषा को इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संकुचित करे जिससे ऐसे मामलों की संख्या में कमी आ सके।

अभिलेख न्यायालय (कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड)

- संविधान "कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड" शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हालांकि,सर्वोच्च न्यायालय ने इस शब्द को एक न्यायालय के संदर्भ में प्रयुक्त किया है जिसकी समस्त **कार्यवाहियाँ एवं निर्णय लिखित रूप में एवं अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं।**
- यदि किसी न्यायालय को किसी कानून द्वारा "अभिलेख न्यायालय" घोषित कर दिया गया, तो उसके पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी-
  - अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति,
  - इसके अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरण की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति,
  - अपने स्वयं के अधिकार-क्षेत्र के प्रश्न को निर्धारित करने की शक्ति।

न्यायालय की अवमानना संबंधी प्रावधान:

- **संवैधानिक**
  - **अनुच्छेद 129 और 215** में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सन्दर्भ में यह प्रावधान किया गया है कि वे स्वयं की अवमानना हेतु दंड देने समेत एक अभिलेख न्यायालय के रूप में समस्त शक्तियाँ धारण करेंगे।
  - **अनुच्छेद 142 (2)** सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना हेतु किसी भी व्यक्ति को जांच के दायरे में लाने और उसे दंडित करने में सक्षम बनाता है।
- **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971-** यह न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा 'न्यायालय की निंदा' करने या न्यायालय के निर्देश या निर्णय या रिट या आदेशों की 'जानबूझकर अवज्ञा' करने पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - इस **अधिनियम की धारा 2** अदालत की अवमानना को परिभाषित करता है। इसमें अवमानना को सिविल (किसी भी निर्णय, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा) और आपराधिक अवमानना (शब्दों के प्रकाशन अथवा किसी कृत्य द्वारा किसी न्यायालय की प्राधिकारिता को नीचा दिखाने का प्रयास करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करना या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप करने की मंशा से इसमें रुकावट डालना) में वर्गीकृत किया गया है।
  - इसमें **कुछ अपवादों** का भी उल्लेख किया गया है जिनके लिए धारा 4 (न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष रिपोर्ट), धारा 5 (किसी वाद की मेरिट पर निष्पक्ष टिप्पणियां) आदि के तहत अवमानना की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  - **अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों** में शामिल हैं- धारा 12 (अवमानना के मामले में दण्ड को निर्दिष्ट करती है) तथा धारा 14-15 जोकि अवमानना के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बंधित हैं।

VISION IAS

न्यायालय की अवमानना हेतु दंडित करने की शक्तियों की प्रासंगिकता:

- दण्डित करने की शक्तियों के साथ अवमानना का कानून आम लोगों की दृष्टि में न्यायालयों का सम्मान सुनिश्चित करता है, चूँकि इससे ऐसे लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना सुनिश्चित होता है जो न्यायालयों के सम्मान पर आघात करते हैं।
- न्यायालय के आदेश की अवज्ञा विधि के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। वस्तुतः अवमानना के कानून को एक ऐसे धागे के समान माना जा सकता है जो संविधान की मूल संरचना को एक साथ बांधे रखता है। इसके साथ ही न्यायालय की गरिमा को यथावत बनाए रखना विधि के शासन के मुख्य सिद्धांतों में से एक है।
- यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को लागू करता है - यह धनवान और शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध एक तंत्र के रूप में कार्य करता है जो न्यायालय के आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाता है।
- न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन के अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की थी।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि इसकी कार्य-पद्धति को मीडिया और जनता के विचारों से प्रभावित होने से बचाया जाए।

इस कानून पर पुनर्विचार के पक्ष में तर्क

- यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है।
- किसी लोकतंत्र में, न्यायिक जवाबदेहिता भी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, किसी वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध FIR दायर करने को न्यायालय की अवमानना माना जाना इसकी जवाबदेहिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
- अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु 'न्यायालय की निंदा करने' (scandalizing the court) जैसे आधार अस्पष्ट हैं तथा इनका दुरूपयोग किया जा सकता है।
- UK में भी, आपराधिक अवमानना के आधार के रूप में 'न्यायालय की निंदा' को 2013 से समाप्त कर दिया गया है।

विधि आयोग का मत :

- 27वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार **1971 के अधिनियम** में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
- इसके दुरुपयोग के खिलाफ अधिनियम में कई सुरक्षा उपाय निर्धारित किये गए हैं। उदाहरण के तौर पर, अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर उन मामलों को ख़ारिज किया जा सकता है जो अवमानना नहीं करते या जिनमें अवमानना दंडनीय नहीं है। संबंधित प्रावधान ये भी स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय अवमानना के सभी मामलों पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।
- आयोग ने यह भी कहा है कि अधिनियम न्यायिक समीक्षा में खरा उतरा है और इसलिए, इसमें संशोधन करने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में, प्रक्रिया को निर्धारित करके यह कानून, अवमानना शक्तियों के सन्दर्भ में न्यायालयों की अधिकारिता को सीमित करता है।
- अवमानना की परिभाषा में संशोधन करना अस्पष्टता का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्चतर न्यायालयों द्वारा संविधान के तहत अवमानना शक्तियों का प्रयोग जारी रखा जायेगा। ऐसे में यदि अधिनियम में आपराधिक अवमानना की कोई परिभाषा नहीं है, तो उच्चतर न्यायालयों द्वारा अवमानना हेतु विभिन्न परिभाषाएं और व्याख्याए दी जाने लगेंगी।
- किसी विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति में भी, न्यायालयों के पास संविधान के तहत उनकी अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति विद्यमान है क्योंकि **अधिनियम 1971** 'अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति' का स्रोत नहीं है अपितु यह एक प्रक्रियात्मक कानून है जो इस शक्ति के प्रवर्तन और विनियमन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है।

1.8. दोषपूर्ण अभियोजन (न्याय का कुप्रबंधन)

Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice)

विचाराधीन कैदियों (under trials) का प्रतिशत	कारागार में व्यतीत किया गया समय
25.1%	1 वर्ष से अधिक
17.8%	1 वर्ष तक
21.9%	3 से 6 माह
35.2%	3 माह तक

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय विधि आयोग (LCI) ने **"रॉंगफुल प्रॉसिक्यूशन (मिस्कैरिज ऑफ़ जस्टिस): लीगल रेमेडीज"** नामक शीर्षक से अपनी 277वीं रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- **भारत विश्व के उन प्रमुख देशों में से एक है जहाँ अधिकतम अंडर ट्रायल** (विचाराधीन कैदी) **जनसंख्या है:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की प्रिज़न स्टेटिस्टिक्स इंडिया (PSI) रिपोर्ट 2015 के अनुसार सम्पूर्ण देश में 4.19 लाख से अधिक कैदी थे जिनमें से 67.2% विचाराधीन थे (अर्थात् जो न्यायिक हिरासत में हैं तथा जिनकी जांच या ट्रायल लम्बित है)। वर्ष 2015 के दौरान 82,500 से अधिक कैदी दोषमुक्ति के आधार पर तथा 23,400 से अधिक कैदी अपील पर रिहा किए गए थे।
- इस प्रकार, विचाराधीन कैदी अपने मामले के ट्रायल /न्यायिक निर्धारणों की प्रतीक्षा में अत्यधिक समय व्यतीत कर देते हैं। यह तब **न्याय का और अधिक गंभीर कुप्रबंधन** बन जाता है जब परीक्षण और कार्यवाहियों के अधीन लंबित रहते हुए व्यक्ति को अनुचित तरीके से अभियुक्त ठहराकर बंदी बना लिया जाता है जबकि प्रथम दृष्टया ऐसी कार्यवाही अनुचित प्रतीत होती है।
- **ऐसी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्राय:** पीड़ित व्यक्ति के **मौलिक अधिकारों जो कि** संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्राप्त हैं तथा अन्य सभी मानवाधिकारों का **उल्लंघन** होता है। इसके अतिरिक्त उसे सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, उसके मूल्यवान वर्षों की क्षति होती है, उसका मानसिक, भावनात्मक एवं शारीरिक उत्पीड़न होता है, कार्यवाहियों के दौरान अत्यधिक धन का व्यय होता है तथा उसे जेलों में अतिशय भीड़ को सहन करना पड़ता है।

मौजूदा प्रावधान निम्नलिखित उपचार उपलब्ध कराते हैं:

वर्तमान में एक पीड़ित व्यक्ति हेतु न्याय के कुप्रबंधन से संबंधित न्यायालय आधारित उपायों की तीन श्रेणियां उपलब्ध हैं।

- **सार्वजनिक कानूनी उपाय:** इसे संविधान के **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) तथा **अनुच्छेद 22** (मनमानी गिरफ्तारी तथा अवैध निरोध के विरुद्ध संरक्षण) के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दौरान व्यवहार में लाया जाता है। ज्ञातव्य है कि इन अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय क्रमशः **अनुच्छेद 32 और 226** के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
- **निजी कानूनी उपाय:** यह लोक सेवकों के **अन्यायपूर्ण कृत्यों,** विशेष रूप से एक लोक सेवक द्वारा नियोजन के दौरान की गई लापरवाही के कारण हुई मौद्रिक क्षति के लिए राज्य के विरुद्ध दीवानी मुकदमों के रूप में मौजूद है। सार्वजनिक और निजी कानूनी उपाय दोनों ही प्रकृति में पीड़ितों के हित पर केन्द्रित हैं।
- **आपराधिक कानूनी उपाय:** यह दोषकर्ता को उत्तरदायी ठहराता है, अर्थात् राज्य के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके कदाचार के लिए आपराधिक कार्यवाही करने का अधिकार देता है।

- **पुलिस और अभियोजन पक्ष के दुर्व्यवहार के कारण मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण राज्य के उत्तरदायित्व को शामिल करता है।** हालांकि देश में विद्यमान आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत ऐसे दोषपूर्ण अभियोजनों के पीड़ितों के प्रति राज्य की प्रभावी प्रतिक्रिया का अभाव है। वर्तमान व्यवस्था के तहत उपलब्ध उपचार जटिल और अनिश्चित हैं तथा ये पीड़ितों के अधिकारों के लिए किसी सांविधिक या वैध समर्थन के बिना केवल एक अनुग्रहपूर्ण दायित्व हैं।
- **सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR), 1966 का अनुच्छेद 14(6)** न्याय के कुप्रबंधन से निपटने हेतु राज्य पक्षकारों पर एक दायित्व का सृजन करता है। इस दायित्व के तहत एक विधान का प्रवर्तन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त समयावधि के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। भारत ने वर्ष 1968 में ICCPR की अभिपुष्टि कर दी थी, परन्तु इस संदर्भ में अभी तक विधि का प्रवर्तन नहीं किया गया है।
- **बबलू चौहान वाद** में दिल्ली उच्च न्यायलय ने भारत में दोषपूर्ण अभियोजन तथा बन्दीकरण के पीड़ितों हेतु राहत और पुनर्वास उपलब्ध करवाने के लिए विधान की संभाव्यता के परीक्षण हेतु भारतीय विधि आयोग (LCI) से निवेदन किया था। इसीलिए LCI ने न्याय के कुप्रबंधन के उपर्युक्त मामलों के संबंध में मानकों की व्यवस्था की है तथा अनुशंसाओं को उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए **आपराधिक प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 2018 का एक ड्राफ्ट कोड** भी प्रस्तुत किया है।

सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा,1966

- यह न्याय के कुप्रबंधन से निपटने वाले प्रमुख दस्तावेजों में से एक है।
- यह अपने पक्षकारों को जीवन के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, वाक् स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, निर्वाचन संबंधी अधिकार तथा उचित प्रक्रिया तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार सहित व्यक्तियों के सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के सम्मान हेतु प्रतिबद्ध करता है।
- अगस्त 2017 तक अनुबंध के 172 पक्षकार थे। इसके अतिरिक्त 6 अन्य हस्ताक्षरकर्ता भी हैं जिन्होंने अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।

VISION IAS

- यह **आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)** तथा **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)** के साथ-साथ इंटरनेशनल बिल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स का भाग है।
- प्रंसविदा के अन्य महत्वपूर्ण भाग हैं-
  - शारीरिक गरिमा का अधिकार,
  - व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा,
  - प्रक्रियात्मक निष्पक्षता तथा प्रतिवादी का अधिकार,
  - व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं,
  - राजनीतिक अधिकार आदि।

भारतीय विधि आयोग (LCI) की अनुशंसाएं

- **'दोषपूर्ण दोषसिद्धि' तथा 'दोषपूर्ण बंदीकरण' के विपरीत 'दोषपूर्ण अभियोजन' को न्याय के कुप्रबंधन का मानक होना चाहिए:** 'दोषपूर्ण अभियोजन' में वे मामले शामिल होंगे जहाँ अभियुक्त एवं वह व्यक्ति जो अपराध का दोषी नहीं है तथा पुलिस और/या अभियोजन पक्ष व्यक्ति की जांच करने और/या उस पर अभियोग चलाने में दुर्व्यवहार के किसी भी रूप में संलग्न हैं। इसमें वे दोनों मामले शामिल होंगे जहाँ व्यक्ति ने जेल में समय व्यतीत किया था और साथ ही साथ जहाँ उसने समय व्यतीत नहीं किया था। इसके अतिरिक्त वे मामले भी जहाँ अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी नहीं पाया गया था अथवा जहाँ अभियुक्त एक या अधिक न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया था परन्तु अंतत: उच्च न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया गया था।
- **एक पारदर्शी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता:** दोषपूर्ण अभियोजन के कारण पीड़ितों को होने वाली क्षति और हानि के संबंध में एक पारदर्शी, एकसमान, वहनीय एवं प्रभावोत्पादक तथा समयबद्ध उपचार हेतु एक सुव्यवस्थित विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता है।
- दोषपूर्ण अभियोजन हेतु क्षतिपूर्ति के दावों पर निर्णयन के लिए **प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना का सुझाव।** कार्यवाही हेतु कारण तब उत्पन्न होगा जब अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था या बिना सद्भावना के था तथा वहां दोषमुक्ति की प्रबल सम्भावना थी।
- **समाज में पीड़ितों के पुनर्वास को पूर्ण करने हेतु आर्थिक तथा गैर-आर्थिक दोनों प्रकार की क्षतिपूर्तियाँ:** यद्यपि आर्थिक सहायता मौद्रिक पारितोषिक के रूप में होगी जो विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती है । जबकि गैर-आर्थिक सहायता सेवाओं के रूप में परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, व्यावसायिक/रोजगार कौशल विकास तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो में रोजगार खोजने, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने आदि के संबंध में अभियुक्त व्यक्तियों के अवसरों को प्रभावित करने वाली निरर्हताओं का निराकरण आदि सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।
- **क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक:** ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति अपराध की गंभीरता, दंड की कठोरता, बंदीकरण की अवधि, स्वास्थ्य की हानि और क्षति, मानसिक एवं भावनात्मक हानि तथा समाज में पीड़ित की स्थिति सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर होगी।

1.9 गैर निष्पादक एनजीओ (Non Performing NGOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने ब्लैकलिस्टेड एनजीओ (blacklisted NGOs) की सूची जारी की है। इससे लोगों को अपने क्षेत्र में निष्पादक (performing) और गैर निष्पादक (non-performing) संगठनों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी।

ब्लैकलिस्टेड नॉन-परफॉर्मिंग NGOs वाले राज्य		
राज्य	**सक्रीय**	**निष्क्रिय**
ओडिशा	70	289
आंध्रप्रदेश	41	149
उत्तर प्रदेश	78	78
तमिलनाडु	49	66
दिल्ली	158	43
तेलंगाना	18	42

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल
VISION IAS

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- वे गैर-सरकारी संगठन(NGO) जिनके पास **दर्पण पोर्टल** पंजीकरण संख्या नहीं है उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाला गया है। ज्ञातव्य है कि इस पोर्टल पंजीकरण सुविधा को सरकार हेतु प्रमाणित निकायों को सूचीबद्ध करने के लिए नीति आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पोर्टल **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण संख्या** प्राप्त या **किसी अन्य मंत्रालय** या नाबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय महिला आयोग आदि जैसे **स्वायत निकायों द्वारा ब्लैकलिस्टेड** निकायों को सूचीबद्ध करने में भी सहायक हैं।
- हालाँकि NGOs का मानना है कि मानदंड पारदर्शी नहीं हैं तथा निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने से पूर्व उन्हें कोई सूचना या नोटिस उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

NGOs का विनियमन

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) 2010 में प्रावधानित किया गया था। इसके तहत सभी NGOs को विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी NGOs को अब उनके FCRA लाइसेंस हेतु पुन:पंजीकरण करवाना होगा। स्थाई FCRA लाइसेंस से युक्त संगठनों को अब अपने लाइसेंस को प्रत्येक पांच वर्षों में नवीकृत करवाना आवश्यक होगा।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि विदेशी अंशदान प्राप्ति हेतु आवश्यक कम से कम 10000 FCRA लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है।
  - सरकार ने कई प्रमुख NGOs को पांच क्रमागत वर्षों के उनके वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में असफल होने के पश्चात् विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
  - मंत्रालय ने सम्पूर्ण देश के NGOs को उनके बैंक खातों जिनमें वे विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं को सत्यापित करवाने का निर्देश दिया था। वर्ष 2017 में जारी एक परिपत्र (circular) में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि FCRA के तहत पंजीकृत सभी NGOs को एक एकल निर्दिष्ट बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- CBI तथा IB की रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों ने दर्शाया है कि अधिकांश NGOs द्वारा प्राप्त अंशदान का दुर्विनियोजन किया गया है। ऐसे NGOs के कारण भारत को अपनी जीडीपी के 2-3% तक की क्षति उठानी पड़ी है।
- इसीलिए वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से NGOs के लिए सरकारी अंशदान के विनियमन हेतु एक विधि प्रवर्तन की जांच करने तथा अंशदान के दुरुपयोग व दुर्विनियोजन या वार्षिक विवरण के मामले में उन्हें अभियोजित करने के लिए निर्देश दिया था।
- इस प्रतिक्रिया में केंद्र द्वारा **ऐसे पथ भ्रष्ट NGOs को ब्लैकलिस्टेड करने हेतु दिशा-निर्देशों** जारी किए गए।
- ग्रीनपीस, एमनेस्टी तथा कोरडेड सहित विभिन्न NGOs पर्यावरण संरक्षण या मानवाधिकार समर्थन हेतु अभियानों को प्रायोजित करके पश्चिमी सरकारों के विदेशी नीतिगत हितों के लिए उपकरणों के रूप में कार्य करने के दोषी थे।

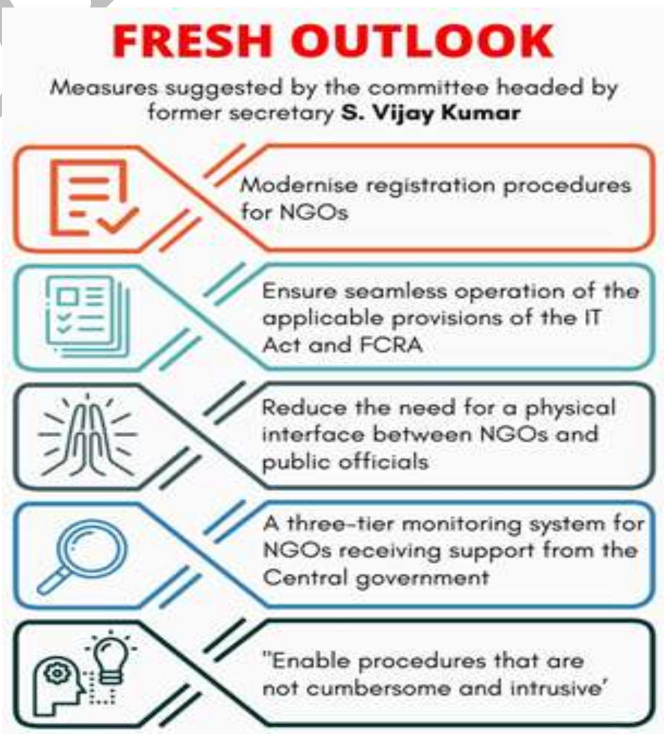

NGOs की वैधता से संबंधित अन्य मुद्दे

- NGOs की संगठनात्मक संरचना की **स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता:** उदाहरणार्थ बोर्ड की भूमिका एवं संरचना, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन संरचना इत्यादि के संदर्भ में निरंतर प्रश्न किए जा रहे हैं।
- एक NGO के **व्यक्तियों से संबंधों, उद्देश्य की पारदर्शिता तथा अनुपालन,** प्रतिनिधित्व स्थिति (यह किसका प्रतिनिधित्व करता है?), सेवित समुदाय से संबंध आदि से संबंधित प्रश्न भी किए जा रहे हैं।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

- **एक समाज सेवा आपूर्ति अभिकर्ता के रूप में NGOs** की प्रभावशीलता: सामान्य रूप से इसका तात्पर्य प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं मात्रा से है जैसे कि दवाओं, खाद्य पदार्थों आदि का वितरण। अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी, निधियों का अभाव आदि भी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

- सरकार को NGOs द्वारा अंशदान के दुरुपयोग की जांच हेतु आयोगों या पुन:जांच हेतु समितियों को नियुक्त करना चाहिए। समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर NGOs की गतिविधियों का निरिक्षण एवं निगरानी भी की जानी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा **एस. विजय कुमार समिति** की अनुशंसाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- भारत में NGOs राजनेताओं को उत्तरदायी बनाने हेतु अनेक चुनावी सुधार कराने में सफल हुए हैं। साथ ही NGOs द्वारा सरकारी व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, वर्तमान समय में भारत में कार्यरत NGOs को अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं के उत्तरदायित्व में वृद्धि करने हेतु केन्द्रित करना चाहिए।

1.10. भारत में खेल संबंधी सट्टेबाजी की वैधता

(Legalising Sports Betting in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के विधि आयोग ने सरकार को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि अवैध सट्टेबाजी एवं जुए को रोकना संभव नहीं है, इसलिए खेल संबंधी सट्टेबाजी को "विनियमित" करना एकमात्र व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।

भारत में सट्टेबाजी

- 'जुआ और सट्टेबाजी' संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) में शामिल है जो इन गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रकार के भेद नहीं किए गए थे और सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867, देश में जुआ और सट्टेबाजी की गतिविधियों को अधिनियमित करता था।
- सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867, लॉटरी को छोड़कर किसी भी गतिविधि के अवसर और संभावना को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम एक कॉमन गेमिंग हाउस को संचालित करने, स्वामित्व रखने और उसमे संलिप्त पाया जाने को प्रतिबंधित करता है, हालांकि, अधिनियम के दायरे में "गेम ऑफ़ स्किल्स" को शामिल नहीं किया गया है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित करता है और इसके लिए, ऑफ़लाइन जुआ संचालन हेतु निर्धारित दंड से भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान करता है।

भारत के विधि आयोग

- यह भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक **कार्यकारी निकाय** है।
- इसका मुख्य कार्य विधिक सुधारों हेतु अनुशंसा प्रदान करना है।
- प्रथम विधि आयोग की स्थापना ब्रिटिश सरकार दवारा 1834 में **लार्ड मैकॉले** की अध्यक्षता में की गयी थी।
- आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

सट्टेबाजी/जुआ को वैधता क्यों प्रदान की जानी चाहिए?

- इससे प्राप्त धन का उपयोग **जन कल्याण संबंधी गतिविधियों** के लिए किया जा सकता है।
- विनियमन प्राधिकृत एजेंसियों को नाबालिगों और 'प्रॉब्लम -गैम्बलर्स' द्वारा जुए की घटनाओं की पहचान और उसके रोकथाम हेतु सशक्त करेगा।
- **मैच-फिक्सिंग के खतरे** को रोकने के लिए विनियमित सट्टेबाजी की अनुमति दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एंटी-करप्शन यूनिट के अनुसार, एक विनियमित बाजार में अवैध सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना सरल है।
- अन्य सकारात्मक परिणामों में अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्ति, रोजगार सृजन, पर्यटन का विकास जैसे कई कार्य एक सम्मानजनक उद्योग के रूप में विकसित हो सकते है; और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के द्वारा किसी भी प्रकार की असुविधा को रोकना, आदि शामिल हैं।
- यह मनी लॉनड्रिंग संबंधी व्यवसाय को नियंत्रित करने में सहायक होगा। वर्तमान में सट्टेबाजी की गतिविधियां अंडरवर्ल्ड द्वारा संचालित की जाती है और अत्यधिक धनराशि को हवाला लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है जिसका प्रयोग आतंकवाद के वित्त पोषण में किया जाता है।

VISION IAS

संविधान और सट्टेबाजी

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत **सूची I की प्रविष्टि 40** के अनुसार, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित है।
- **सूची II की प्रविष्टि 34** के अंतर्गत जुआ के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदान की गयी है। अतः, अपने क्षेत्राधिकार में जुए को प्रतिबंधित और विनियमित करने सहित इस विषय पर विधि निर्माण की अनन्य शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि "सट्टेबाजी और जुआ" की अभिव्यक्ति में लॉटरी संबंधी आचरण शामिल है एवं इसे सदैव इसके अंतर्गत शामिल समझा जाना चाहिए।
- चूंकि 'भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी' को संसद की अनन्य विधायी अधिकारिता में एक विषय के रूप में प्रावधानित किया गया है, इसलिए कोई भी राज्य विधानमंडल लॉटरी से संबंधी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है।

सट्टेबाजी/जुआ को वैधता क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए?

- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत सामाजिक मानदंडों और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।
- 'नैतिकता पर राजस्व' को प्रभावी करने संबंधी तर्क स्वीकार्य नहीं है। गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड इत्यादि जैसे राज्य, समाज पर इसके दुष्प्रभावों के कारण राजस्व संग्रह के बजाए सामाजिक नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं।
- जुआ व्यक्ति की वित्तीय क्षति का कारण सिद्ध हुआ है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी गतिविधियां समाज के कमजोर वर्गों को प्रायः अकल्पनीय और अपूरणीय तरीके से प्रभावित करती हैं।
- इसका एक प्रमुख दोष **लोन-शार्किंग** है अर्थात जुए के लिए अत्यधिक दरों पर ऋण लेना।
- सरकार की वर्तमान नीति (राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011, आदि), देश का वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिवेश और प्रचलित सामाजिक एवं नैतिक मूल्य सट्टेबाजी एवं जुए को प्रोत्साहित नहीं करते हैं।

सट्टेबाजी पर लोढा समिति

- सट्टेबाजी, (BCCI और IPL नियमों द्वारा नियंत्रित सट्टेबाजी को छोड़कर) को वैधता प्रदान करने की सिफारिश की है।
- विनियामक ढांचा सरकार को मैच फिक्सिंग से सट्टेबाजी को पृथक करने में सक्षम बनाएगा।
- खेल के साथ निकटता से जुड़े खिलाड़ियों, प्रशासकों और अन्य लोगों को पारदर्शिता हेतु अपनी आय और परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- आयु एवं पहचान संबंधी दर्ज किए गए विवरण के आधार पर सट्टा लगाने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया जायेगा।

अनुशंसाएँ

- **आदर्श विधि:** संसद द्वारा जुए को विनियमित करने हेतु एक आदर्श विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसे राज्यों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- **लाइसेंस द्वारा संचालन:** जुआ और सट्टेबाजी, यदि कोई हो, तो उसे केवल गेम लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त भारत के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों द्वारा ही संचालित की जानी चाहिए।
- **जुआ को परिभाषित किया जाना:** जुआ को दो श्रेणियों, अर्थात् 'प्रॉपर गैंबलिंग' और 'स्माल गैंबलिंग' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्रॉपर गैंबलिंग अमीर वर्ग के लिए होगी जो उच्च लाभ के लिए खेलते हैं, जबकि स्माल गैंबलिंग निम्न-आय वर्गों के लिए होगी ।
- **जुए सीमा का निर्धारण:** सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मासिक, अर्द्ध -वार्षिक और वार्षिक आधार पर जुए के लेनदेन की संख्या पर एक निश्चित सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- **सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा:** नियमों द्वारा सुभेद्य वर्गों, अवयस्क और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जुए के माध्यम से किए जाने वाले शोषण से सुरक्षा करने की आवश्यकता है।
- **जोखिम के संबंध में जागरूकता:** जुए/सट्टेबाजी से संबंधित जोखिमों और इन्हें जिम्मेदारी पूर्वक कैसे खेलना है, के संबंध में जानकारी सभी जुआ और सट्टेबाजी के पोर्टल/प्लेटफार्मों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- **विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना:** कैसीनो/ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी कानूनों और नीतियों में संशोधन किया जाना चाहिए। यह पर्यटन और रोजगार को प्रेरित करेगा।
- **लेनदेन की विधि:** ऑपरेटरों और खिलाड़ियों के मध्य किए गए लेनदेन को अनिवार्य रूप से 'नकद रहित' बनाया जाना चाहिए। यह अधिकारियों को प्रत्येक लेनदेन पर निकटता से नजर रखने में सहायता करेगा।

VISION IAS

- **कराधान:** ऐसी गतिविधियों से अर्जित किसी भी आय को आयकर अधिनियम, 1961, वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 और अन्य सभी प्रासंगिक कानूनों के तहत कर योग्य बनाया जाना चाहिए।
- **दंड:** मैच फिक्सिंग और खेल संबंधी धोखाधड़ी को विशेष रूप से कठोर दंडात्मक प्रावधान के साथ दंडनीय अपराध के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

1.11. भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018

(Fugitive Economic Offenders Bill (FEOB), 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB), 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि

- आर्थिक अपराधियों से संबंधित ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं जिनमे आपराधिक मामलों की शुरूआत की संभावना के कारण अथवा आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही आर्थिक अपराधी भारतीय न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से सुरक्षित भाग जाते है। भारतीय न्यायालयों में ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति के कारण अनेक विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे
  - इससे आपराधिक मामलों में जांच में गतिरोध उत्पन्न होता है, न्यायालयों के बहुमूल्य समय की हानि होती है, और भारत में विधि के शासन का अवमूल्यन होता है।
  - आर्थिक अपराध के ऐसे अधिकांश मामलों में बैंक ऋणों की गैर-अदायगी शामिल होती है, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बदतर हो जाती है।
- इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए कानून के मौजूदा सिविल और आपराधिक प्रावधान अपर्याप्त हैं। अतएव, ऐसी गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी, त्वरित और संवैधानिक दृष्टि में मान्य प्रावधानों का होना आवश्यक है।
- उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को, प्रचलित विधियों की कमियों को समाप्त करने और आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि की प्रक्रिया से बच निकलने की प्रवृतियों पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम के द्वारा प्रचलित विधियों के अंतराल को समाप्त करके विधि के शासन को पुनःस्थापित करने की अपेक्षा की गयी है जिससे आर्थिक अपराधियों पर उच्च निवारक प्रभाव आरोपित किया जा सके।
- यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों द्वारा की गयी वित्तीय धोखा-धडी की क्षतिपूर्ति हेतु उच्च वसूली प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा जिससे ऐसे संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होगा।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम किसी व्यक्ति को एक **भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) के रूप में** घोषित करने की अनुमति प्रदान करता है **यदि**:
  - किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो जहां मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक का हो , और
  - उसने देश छोड़ दिया हो और अभियोजन का सामना करने हेतु वापस लौटने से इंकार कर दिया हो ।
- यह न केवल लोन डिफॉल्टर और फ्रॉड्सटर को शामिल करता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो कर, काले धन, बेनामी संपत्तियों और वित्तीय भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** विधि प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च एजेंसी होगी।
- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए, **एक विशेष अदालत (धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत नामित)** में एक आवेदन दायर किया जाएगा जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्ति का विवरण, और व्यक्ति के अता-पता से संबंधित कोई जानकारी शामिल होगी।
- विशेष अदालत को व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने से कम से कम छह सप्ताह का समय दिया जाएगा । यदि व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।
- यह अधिनियम विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने की स्थिति में अधिकारियों को **अस्थायी रूप से आरोपी की सम्पत्ति को कुर्क करने** की अनुमति प्रदान करता है।
- FEO के रूप में घोषित होने पर, किसी व्यक्ति की **संपत्ति को जब्त किया जा सकता है** और ऋणभार(संपत्ति से संबंधित अधिकारों और दावों) से मुक्त संपति को केंद्र सरकार से संबद्ध(vested in) किया जा सकता है।
- भगोड़े के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति ,जबतक भारत वापस नहीं आते हैं और अभियोजन का सामना नहीं करते हैं , वे भारत में **कोई भी सिविल केस दायर करने में सक्षम नहीं होंगे** ।

VISION IAS

अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- **यह न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है:** प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों जैसे -निष्पक्ष व्यवहार, दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष होने , न्याय तक पहुंच आदि का इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों द्वारा उल्लंघन होता है जैसे:
    - किसी व्यक्ति को केवल भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने और उचित सुनवाई(trial) के बिना उसकी संपत्ति की बिक्री।
    - एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी से संबंधित सभी संपत्तियों को जब्त करना, न कि केवल आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को ।
- **इसके तहत अधिकारियों को जाँच से पूर्व एक सर्च वारंट प्राप्त करने** या गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने **की आवश्यकता नहीं होती है**। ये सुरक्षा उपाय साक्ष्य से छेड़छाड़ करने और उन्हें विकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- यह अधिनियम एक मनमाना और भेदभावपूर्ण विभेद भी उत्पन्न करता है जिसके आधार पर केवल 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के अपराध पर ही FEOBs के प्रावधानों लागू होंगे।
- अधिनियम के अधिकांश प्रक्रियात्मक आयाम **प्रचलित कानूनों** जैसे CrPC 1973 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 **के समान** हैं। उदाहरण के लिए, CrPC 1973 भी भगोड़े अपराधी की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की अनुमति प्रदान करता है।
- **जब्त संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग स्पष्ट नहीं किया गया है:** अधिनियम निर्धारित करता है कि एक FEO की संपत्ति जब्त की जाएगी और केंद्र सरकार में संबद्ध (vested in) की जाएगी। केंद्र सरकार 90 दिनों के बाद संपत्तियों का निपटान कर सकती है। हालांकि, अधिनियम यह निर्धारित नहीं करता है कि केंद्र सरकार बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग कैसे करेगी अर्थात क्या सरकार बिक्री से प्राप्त आय उन लोगों के साथ साझा करने के लिए बाध्य होगी जिन्होंने FEO के विरुद्ध दावा किया है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation)

2.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने **भारत के साथ आर्थिक संबंधों** को बढ़ावा देने के लिए **भारत आर्थिक रणनीति रिपोर्ट (India Economic strategy report)** जारी की है।

द्विपक्षीय संबंध

हाल के वर्षों में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में क्रमिक विकास देखने को मिला है तथा ये सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण भागीदारी में परिणत हुए हैं।

वास्तव में इन दोनों देशों में बहुत सी समानतायें हैं जो इन दोनों के बहुलतावादी, वेस्टमिंस्टर-शैली आधारित लोकतंत्र, राष्ट्रमंडल परम्पराओं, विस्तारशील आर्थिक संबंधों और बढ़ती हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं में तथा इनके साझा मूल्यों में परिलक्षित होती हैं। इनके संबंधों के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं-

- **राजनीतिक वार्ताएं** - ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य स्वतंत्रता के पूर्व ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। भारत द्वारा 1941 में सिडनी में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास (Consulate general of India) को एक व्यापार कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
  - विभिन्न उच्च स्तरीय वार्ताओं के अतिरिक्त दोनों ही देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं औषधि, पर्यावरण, जलवायु एवं वन्यजीव आदि से सम्बन्धित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - ये विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में भी सहयोगी हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही राष्ट्रमंडल, IORA, आसियान रीजनल फोरम, जलवायु और स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत भागीदारी (Asia Pacific Partnership on Climate and Clean Development) के सदस्य हैं और दोनों ने ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है।
- **सुरक्षा और स्थिरता** - बदलते वैश्विक परिदृश्य में ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत को संभावित भागीदार के रूप में देखता आया है। इन दोनों देशों ने आपसी द्विपक्षीय सम्बन्धों को उन्नत कर 'रणनीतिक भागीदारी' स्थापित की है तथा 2009 में सुरक्षा सहयोग से सम्बंधित संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये। इसके अतिरिक्त ये दोनों ही 'क्वाड'(Quad) ग्रुपिंग का भी हिस्सा हैं।
- **नागरिक परमाणु सहयोग** - सितंबर 2014 में तत्कालीन आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 13 नवंबर, 2015 को लागू हुआ तथा यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऊर्जा व्यापार हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई संसद ने "सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल, 2016" पारित किया।
- **कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी** - एक 'ऑस्ट्रेलिया-भारत सामरिक अनुसंधान निधि (2006)' का सृजन किया गया तथा दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान, खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, नैनो टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री विज्ञान और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं की पहचान की है।
- **अर्थव्यवस्था एवं व्यापार-** भारत, ऑस्ट्रेलिया का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और पांचवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार 2014-15 में लगभग 18 बिलियन डॉलर का था।

आर्थिक रणनीति रिपोर्ट का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य बढ़ते रणनीतिक संबंधों को और अधिक महत्त्व प्रदान करना है। ध्यातव्य है कि यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विदेश नीति पर जारी श्वेत पत्र के बाद जारी की गयी है। इस श्वेत पत्र ने भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा इसमें भारत को आस्ट्रेलिया के प्रमुख रणनीतिक भागीदारों में से एक के रूप में देखा गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

- इसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसकी प्रगति असमान होगी लेकिन दिशा स्पष्ट और अपरिवर्तनीय होगी। इसके साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए इसे आस्ट्रेलिया के शीर्ष तीन निर्यात बाजारों में रखा जाना चाहिए और इसे आस्ट्रेलिया के बाह्य निवेश के लिए एशिया में तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बनाना चाहिए।

VISION IAS

- यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण (वर्ष 2035 तक) तय करता है। रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार अगले 20 वर्षों में भारत को किया जाने वाला ऑस्ट्रेलियाई निर्यात 2017 के 14.9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर हो जाएगा, वहीं भारत में किया जाने वाला ऑस्ट्रेलियाई निवेश 10.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो जायेगा।
- ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RECP)** के माध्यम से **CECA के कुछ उद्देश्यों** को प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- **इस रणनीति के तीन प्रमुख स्तम्भ** हैं: **भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स** (भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा भागीदारी के संबंध में), **आर्थिक संबंध** और **लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क।** इन आर्थिक लिंकेज के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा बड़ी भूमिका होगी।
- आर्थिक रणनीति सरकार के सीमित सहयोग के साथ प्रमुखतः बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों पर निर्भर होगी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों के व्यवसाय ही व्यापारिक और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। हालाँकि भारत एक ऐसा बाजार है जहां सरकार को समीकरण से बाहर नहीं किया जा सकता है।
- यह रिपोर्ट भारत में क्षेत्रकों को विभिन्न वर्गों में बाँटती है। इसमें एक फ्लैगशिप सेक्टर (शिक्षा), तीन लीड सेक्टर(कृषि व्यापार, संसाधन एवं पर्यटन) और 6 प्रॉमिसिंग सेक्टर (ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खेल, विज्ञान एवं नवाचार) और भारत के दस राज्य शामिल हैं जहाँ ऑस्ट्रेलियाई प्रयासों को अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

रणनीति को साकार करने के समक्ष चुनौतियां

- यह रिपोर्ट मुख्य रूप से भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देखती है जो सेवा क्षेत्रक के बल पर उभरेगी। रिपोर्ट में पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र, प्रायः सेवा क्षेत्रकों से ही सम्बंधित हैं। इसके अलावा, यह रिपोर्ट 'मेक इन इंडिया' को केवल रक्षा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य से देखती है।
- रिपोर्ट का भू-राजनीतिक फोकस एक अन्य संभावित चुनौती है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी स्पष्ट रूप से इस घोषित भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स का महत्वपूर्ण तत्व है। आम तौर पर भारत में सुरक्षा और सामरिक चर्चा, आर्थिक वार्ताओं से जुड़ी नहीं होती है। इसी प्रकार सामान्यतः व्यापार नीति को भी विदेश नीति के साथ सम्मिश्रित नहीं किया जाता।
- इसके अतिरिक्त, भारत में इंडो-पैसिफिक अवधारणा का महत्व अभी भी सुरक्षा समुदाय तक ही सीमित है। भारतीय व्यापार विशेषज्ञों द्वारा इस अवधारणा को उत्साहपूर्वक अपनाया जाना अभी बाकी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए की भारत इस रिपोर्ट पर अत्यधिक ध्यान देगा और मुख्य रूप से भू-राजनीतिक आधारों पर मजबूत और स्थायी आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करेगा।

2.2.भारत-दक्षिण कोरिया (India-South Korea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई ने गत वर्ष राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा की। दृष्टव्य है कि यह उनकी पहली यात्रा थी।

हस्ताक्षर किए गए महत्वपूर्ण समझौते:

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेई की भारत यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों सहित **11 समझौतों** पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं-

- **व्यापार उपाय पर:** इसका उद्देश्य व्यापार उपाय के क्षेत्र में सहयोग करना है। उदाहरण के लिए एंटी-डंपिंग, सब्सिडी, काउंटरवेलिंग।
- चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने के लिए व्यावसायीकरण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करने के लिए **फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ग्रुप हेतु।**
- वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग हेतु।
- जैव प्रौद्योगिकी और जैव-अर्थशास्त्र, ICT एवं दूरसंचार आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु।

यात्रा से संबंधित प्रमुख तथ्य

- मून द्वारा **लोग (पीपुल), समृद्धि (प्रॉस्पेरिटी) और शांति (पीस)** के लिए सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक **'3P प्लस'** की संकल्पना प्रस्तुत की गई।
- भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नोएडा में विश्व में सैमसंग के सबसे बड़े **मोबाइल विनिर्माण संयंत्र** का उद्घाटन किया गया।

- दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने वर्तमान के 20 बिलियन डॉलर **व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर 2030 तक 50 बिलियन डॉलर** करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।
- चीन के बाद दक्षिण कोरिया दूसरा देश होगा जिसके साथ भारत द्वारा अफगानिस्तान में संयुक्त परियोजना का निर्माण किया जाएगा।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) उन्नयन के अंतर्गत अर्ली हार्वेस्ट पैकेज पर संयुक्त वक्तव्य**: इसका उद्देश्य व्यापार उदारीकरण (झींगा, मोलस्क और प्रसंस्कृत मछली सहित) के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके भारत-दक्षिण कोरिया CEPA का उन्नयन हेतु चल रही वार्ता को सुविधाजनक बनाना है।

नई दक्षिणी नीति

- नई दक्षिण कोरियाई सरकार अपने चार पारंपरिक, प्रमुख राजनयिक भागीदारों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस के समान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु प्रयास कर रही है।
- यह 'नार्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्यूनिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी (NEAPC)' को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति के तहत अनुसरण किये जाने वाले नए नीतिगत दिशा-निर्देश हैं।
- नई दक्षिणी नीति, NEAPC के 3 भागों में से एक है जिसमें आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ मजबूत संबंध सम्मिलित है।
- मून की नई दक्षिणी नीति का लक्ष्य आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना तथा समृद्ध एवं जन-केंद्रित शांतिपूर्ण समुदाय का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गयी भारत की "एक्ट ईस्ट पालिसी" का मुख्य लक्ष्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़े संबंधों को पुनर्जीवित करना तथा द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय स्तर पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ नई सामरिक साझेदारी विकसित करना। ये दोनों नीतियां अपने उद्देश्यों में समेकन को प्रदर्शित करती हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

- 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के पश्चात **राजनीतिक** रूप से भारत ने कोरियाई मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई।1962 में द्विपक्षीय दूतावास संबंध स्थापित किए गए थे। इन्हें 1973 में राजदूत स्तर तक उन्नयन किया गया था। तभी से दोनों के मध्य कई उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन हो चुका है।
- **वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में**, समय के साथ कोरिया गणराज्य (RoK's) की खुले बाजार की नीतियों का भारत के आर्थिक उदारीकरण और 'लुक ईस्ट पालिसी' के साथ-साथ 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के साथ समेकन हुआ है। 2010 में CEPA के कार्यान्वियन के बाद व्यापार और आर्थिक संबंधों में तीव्रता आई है और 2011 में द्विपक्षीय व्यापार दो वर्ष की अवधि के दौरान 70% की वृद्धि के साथ 20.5 बिलियन डालर से अधिक हो गया था। आर्थिक सहयोग हमारे संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
    - भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए जून 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित एक पहल **'कोरिया प्लस'** का आरम्भ किया गया था।
    - सैमसंग, हुंडई मोटर्स और LG जैसे प्रमुख कोरियाई समूहों द्वारा भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। दोनों देशों के मध्य अनुमानित रूप से 4.43 बिलियन डॉलर (मार्च 2017 तक) का निवेश हुआ है।
    - **दक्षिण कोरिया के पक्ष में अधिक व्यापार घाटे** ने भारत को अपने बाज़ारों को कोरिया के लिए और अधिक उदार बनाने के प्रति सावधान कर दिया है। इसके विपरीत, 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्थापित एक विशेष "कोरिया प्लस" डेस्क के बावजूद कोरियाई कंपनियों द्वारा भारत में व्यवसाय के दौरान आने वाली समस्याओं को उठाया गया हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध-** भारत और कोरिया के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, सियोल, बुसान आदि में विभिन्न सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- **अन्य क्षेत्र-** दोनों देशों के मध्य **पर्यटन** के क्षेत्र में सदैव निम्न प्रगति रही है जबकि **रणनीतिक** रूप से नई दिल्ली और सियोल दोनों ही अपने पड़ोसी देशों में विद्यमान तनाव को लेकर चिंतित हैं।

आगे की राह

- **व्यापार: 2010 के CEPA के "अर्ली हार्वेस्ट"** उपबंध को बढ़ावा देने संबंधी समझौता, दोनों देशों के मध्य 11 क्षेत्रों में प्रशुल्को को समाप्त करेगा। यह समझौता भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ दक्षिण कोरियाई पेट्रोरसायन कंपनियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

VISION IAS

- **निवेश:** स्टील कंपनी पॉस्को द्वारा ओडिशा में संयंत्र की स्थापना की विफलता के प्रत्युत्तर में और अधिक कोरियाई कंपनियों को निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रगति क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से सम्बंधित वार्ताओं पर निर्भर करेगी।
- **रणनीतिक मोर्चा**: रणनीतिक क्षेत्र में **भारत ने कोरियाई शांति प्रक्रिया में एक "हितधारक" के रूप में अपने स्थान की सुनिश्चित्ता पर बल दिया है,** जबकि दक्षिण कोरिया ने पहली बार भारत-प्रशांत नीति के संबंध में वार्ता करने में रूचि दिखाई है।
- अल्पावधि में दोनों देशों के मध्य साझा हितों को अफ़गानिस्तान में **संयुक्त "क्षमता निर्माण" कार्यक्रम** में देखा सकता है।

निष्कर्ष

- दक्षिण कोरिया भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अनिवार्य भागीदार बन सकता है।
- दक्षिण कोरिया की तकनीकी उन्नति और विनिर्माण क्षमताएं भारत की आर्थिक संवृद्धि और मानव संसाधन विकास में सहायक हो सकती हैं।
- ऐसे समय में जब अमेरिकी विदेश नीति अस्थिर और अप्रत्याशित है और चीन वैश्विक प्रभुत्व की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ा रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण कोरिया-भारत भागीदारी उन्नत और सुदृढ़ हो।

2.3. बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (BIMSTEC Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नेपाल में 'बे ऑफ़ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC)' का चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

चौथे शिखर सम्मेलन के बारे में अन्य सम्बंधित तथ्य

- यह बैठक चार वर्षों के अंतराल के बाद हुई है। इससे पूर्व तीसरा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन 2014 में 'नाय पी ताव' में आयोजित किया गया था।
- इस शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - बिम्सटेक के लिए एक **चार्टर तैयार करना।** अब तक यह 1997 के बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर कार्य कर रहा है।
  - दो शिखर सम्मेलनों के बीच की अवधि के दौरान दिशा प्रदान करने और प्रक्रिया के नियम निर्धारित करने के लिए एक **स्थायी कार्यकारी समिति की स्थापना करना।**
  - बिम्सटेक सचिवालय की संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर सहमति जिसमें **अतिरिक्त वित्तीय एवं मानव संसाधनों** का उपयोग भी शामिल है, ताकि यह बिम्सटेक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बन सके।
  - सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से एक **बिम्सटेक विकास कोष** (BIMSTEC Development Fund) की स्थापना करना।
  - फोकस सेक्टरों के तार्किकीकरण के एक भाग के रूप में इसने थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित **पांच स्तंभों** (कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, सुरक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी) **की नई रणनीति** का स्वागत किया गया।
  - **आतंकवाद** के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की **दृढ़ता से निंदा** की गई।

बिम्सटेक के बारे में

- इसका गठन लगभग दो दशकों पूर्व 06 जून 1997 को किया गया था।
- इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
- 2014 में ढाका में बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया था।
- यह एक क्षेत्रक-संचालित सहकारी संगठन है, जो छह क्षेत्रकों के साथ प्रारंभ हुआ था। इन क्षेत्रकों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन सम्मिलित थे।
- यह आठ अन्य क्षेत्रकों तक विस्तारित हुआ है जिनमें कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, पर्यावरण, संस्कृति, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।

बिम्सटेक का महत्व

- **विश्व की लगभग 22% जनसंख्या** बंगाल की खाड़ी के आस-पास के सात देशों में निवास करती है और इसकी संयुक्त GDP लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। विश्व की व्यापारिक वस्तुओं का एक चौथाई भाग प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है।

VISION IAS

- इस क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता, विशाल बाजार और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए इसमें **उच्च आर्थिक क्षमता** विद्यमान है।
- यह **विभिन्न क्षेत्रीय पहलों को जोड़ने वाला** प्रतीत होता है। बिम्सटेक के सात सदस्य देशों में से पांच SAARC के भी सदस्य हैं, दो ASEAN के भी सदस्य हैं तथा छह SASEC के भी सदस्य हैं।
- **बांग्लादेश** बिम्सटेक को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जो इसे बंगाल की खाड़ी में एक छोटे से राज्य से कहीं ज्यादा महत्त्व प्रदान करता है। इसी प्रकार श्रीलंका इसे दक्षिणपूर्व एशिया से जुड़ने एवं स्वयं को व्यापक हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्रों के लिए उपमहाद्वीप के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता प्रदान करने वाले अवसर के रूप में देखता है।
- **नेपाल और भूटान के लिए** बिम्सटेक, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से पुनः जुड़ने और उनकी स्थलरुद्ध भौगोलिक स्थिति से बाहर निकलने की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक है।
- **म्यांमार और थाईलैंड को** बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ अधिक गहन सम्बन्ध स्थापित करने से बढ़ते उपभोक्ता बाजार तक पहुंच स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही बीजिंग को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा तथा दक्षिणपूर्व एशिया में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का विकल्प विकसित किया जा सकेगा।
- **भारत के लिए महत्व**
  - भारत के लिए, यह **'नेबरहुड फर्स्ट'** और **'एक्ट ईस्ट'** जैसी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु एक नैसर्गिक मंच है।
  - **SAARC में गतिहीनता** भारत के लिए बिम्सटेक तक पहुंच स्थापित करने का एक प्रमुख कारण है। वास्तव में इस गतिहीनता के कारण भारत की बढ़ती आर्थिक आकांक्षाओं एवं इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शासन में सुधार करने में इसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को हानि पहुँची है।
  - बिम्सटेक भारत-चीन को एक नया प्रतिस्पर्धा क्षेत्र प्रदान करता है। यह भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे **चीनी निवेशों का मुकाबला** करने के लिए एक रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। चीनी परियोजनाओं द्वारा इन मानदंडों का व्यापक रूप से उल्लंघन किया जाता रहा है।
  - यह नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु आचार संहिता का विकास कर सकता है तथा मौजूदा सागरीय कानून (law of the seas) को क्षेत्रीय रूप से लागू कर सकता है।
  - यह **बंगाल की खाड़ी के शांत क्षेत्र (Bay of Bengal Zone of Peace)** की स्थापना जैसे उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र के सैन्यीकरण पर रोक लगा सकता है। यह शांत क्षेत्र किसी बाह्य-क्षेत्रीय शक्ति के किसी भी आक्रामक व्यवहार को सीमित करने का प्रयास करेगा।

बिम्सटेक की उपलब्धियां

- **बिम्सटेक तटीय नौवहन समझौते और बिम्सटेक मोटर यान समझौते (MVA)** पर वार्ता की जा रही है।
- बिम्सटेक देशों ने **बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन** की स्थापना पर समझौता ज्ञापन (MoU) के लिए वार्ता संपन्न की है।
- सीमा शुल्क के मामलों में आपसी सहायता पर बिम्सटेक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये वर्तमान में अनुसमर्थन चरण में है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सहयोग तथा तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स और समुद्री डकैती जैसे सुरक्षा खतरों की जांच के लिए सहयोग जैसे क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है।
- **ढाका में एक सचिवालय** और साथ ही क्षेत्र में कुछ बिम्सटेक केंद्रों की स्थापना भी की गई है।

चुनौतियां

- 2004 में **बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते** पर वार्ता की गई थी, जो अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को वर्तमान के 7% से 21% के स्तर तक बढ़ा सकता है। इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। यह देशों के मध्य व्यापार आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है।
- बिम्सटेक को इस क्षेत्र में अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विद्यमान होने का लाभ प्राप्त होता रहा है, लेकिन **यह विश्व के सबसे कम एकीकृत भागों में से एक है।**
- **शिखर सम्मेलनों में निरंतरता का अभाव:** दो दशकों में बिम्सटेक नेताओं ने शीर्ष स्तर पर केवल तीन बार भेंट की है।
- सहयोग के क्षेत्रों, कमजोर संस्थागत तंत्र, वित्तीय बाधाओं आदि पर ध्यान केंद्रित न करने से **विकास की गति मंद हुई है।**

VISION IAS

- **आतंकवाद** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण खतरा है और इस मुद्दे पर सदस्य देशों के मध्य अधिक सहयोग की आवश्यकता है।
- **समुद्री सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे:**
  - **2015 रोहिंग्या शरणार्थी संकट** ने हजारों 'शरणार्थियों' को आपराधिक नेटवर्क, समुद्री डकैती और इस्लामी उग्रवादियों द्वारा भर्ती के लिए सुभेद्य बना दिया है।
  - बंगाल की खाड़ी कुछ सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती की घटनाओं तथा गैरकानूनी, अनियमित और अप्रतिबंधित (IUU) मत्स्यन के लिए भी प्रवण है।
  - वर्तमान में, उप-क्षेत्रीय स्तर पर समुद्री सुरक्षा सहयोग पहलों (उदाहरण के लिए, CORPAT अभ्यास, Milan अभ्यास, और 'IO 5' समूह) में सभी तटीय खाड़ी राष्ट्र शामिल नहीं हैं।

आगे की राह

- बिम्सटेक को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसकी सदस्यता के आधार को बढ़ाने की आवश्यकता है। बिम्सटेक को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसी तीन प्रमुख एशियाई शक्तियों तक **अपनी सदस्यता का विस्तार करने** पर विचार करना चाहिए।
- बिम्सटेक को **बिम्सटेक क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स और डिजिटल कनेक्टिविटी** पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह बिम्सटेक रेलवे समझौते पर वार्ता प्रारंभ करने पर भी विचार कर सकता है।
- **अधिक सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क** इस क्षेत्र के लोगों में बिम्सटेक पर स्वामित्व के भाव को अधिक मज़बूत बनाएगा।
- सीमा शुल्क, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सूचना का आदान-प्रदान, विवाद समाधान आदि मामलों में सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय व्यापार सुविधा समझौते की भी आवश्यकता है। साथ ही इसे अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना माल के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए **नियामकीय सामंजस्य** का लक्ष्य भी रखना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी उच्चता में देशों को ऊपर उठाने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने तथा नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में सहायता के लिए **IPR सहयोग को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।**
- बिम्सटेक देशों द्वारा एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाना चाहिए, जिसमें **भारत के पूर्वोत्तर को बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के साथ जोड़ने** पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह पर्यटन और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक सिद्ध हो सकता है।
- बिम्सटेक को जनशक्ति प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान-प्रदान आदि क्षेत्रों में **अन्य बहुपक्षीय संगठनों के साथ समझौता करने पर विचार करना चाहिए।**

2.4. 10वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (10th BRICS Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई तक हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु - **'अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग'** थी।

ब्रिक्स (BRICs) संबंधी तथ्य

- **ब्रिक्स** 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा विकसित संक्षिप्त शब्द है। आधिकारिक रूप से 2006 में गठित इस संगठन में मूल रूप से चार उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थीं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। तदुपरांत 2010 में, दक्षिण अफ्रीका समूह का 5वाँ सदस्य बना।

नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी (PartNIR)

- इसका लक्ष्य अवसरों को अधिकतम करने हेतु डिजिटलीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेशिता और निवेश के लिए ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ बनाना तथा चौथी औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है।
- यह तुलनात्मक लाभ, आर्थिक विकास में वृद्धि, ब्रिक्स देशों का आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा, सतत औद्योगिक उत्पादन क्षमता को मजबूत, विज्ञान पार्कों एवं टेक्नोलॉजी बिज़नस इनक्यूबेटर के नेटवर्क की निर्माण तथा प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा।

जोहान्सबर्ग घोषणा से संबंधित तथ्य

इसमें लोकतंत्र, समावेशिता के सिद्धांतों की पुन: पुष्टि की गई तथा एकपक्षीयता और संरक्षणवाद से निपटने को लेकर सहमति व्यक्त की गई है। जोहान्सबर्ग घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली:** इसमें विश्व व्यापार संगठन आधारित "पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, नियम-आधारित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार की केंद्रीयता" पर बल दिया गया है।

VISION IAS

- **संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता:** यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। इसके साथ ही यह निष्पक्ष, न्यायोचित एवं समान वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान, लोकतंत्र के प्रोत्साहन और विधि के शासन का समर्थन करता है।
- **चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व:** यह चौथी औद्योगिक क्रांति के संचालकों में से एक के रूप में संस्कृति के महत्व और भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और इसके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक अवसरों को स्वीकार करता है। **यह नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी (PartNIR) की स्थापना की अनुशंसा करता है।**
- **काउंटर टेररिज्म के संबंध में:** यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविक रूप में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गठबंधन स्थापित करने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका का समर्थन करता है। यह संयुक्त राष्ट्र से **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय** (Comprehensive Convention on International Terrorism:CCIT) को अतिशीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने की मांग करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता** के साथ ही **वाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्धा** संबंधी चिंताएं भी विद्यमान हैं। अतः यह बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के कठोर अनुपालन की मांग करता है।
- **ब्राजील में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना:** घोषणापत्र के अंदर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फण्ड के निर्माण और साओ पाउलो (ब्राजील) में NDB के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है, जो अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र के साथ-साथ इन महाद्वीपों में NDB की उपस्थिति को समेकित करने में सहायक होगा।

ब्रिक्स का महत्व

- **यह समूह पांच देशों और चार महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है:** यह विश्व की जनसंख्या के 43%, कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 22% और वैश्विक व्यापार के 17% का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स देशों का संयुक्त उत्पादन वर्ष 2020 तक अमेरिका, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाएगा।
- **प्रभावशाली समूह :** इसमें चार विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ रूस भी शामिल है जो एक बहु-ध्रुवीय विश्व के निर्माण को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स ने अपने हितों की सीमाओं का विस्तार किया है और नए संस्थानों एवं साझेदारी की स्थापना की है। उदाहरण के लिए, **न्यू डेवलपमेंट बैंक** जैसे संस्थानों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए तंत्र की अग्रणी भूमिका हेतु नवीन प्रेरक बलों को बढ़ावा दिया है।
- यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में IMF सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे **वैश्विक मुद्दों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।** ब्रिक्स राष्ट्र समानता, वार्ता और व्यावहारिक सहयोग के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
- यह सदस्यों से संबंधित **द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान** करता है। उदाहरण के लिए भारत ने चीन के साथ अविश्वास और समस्याओं को हल करने के लिए शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठकों का उपयोग करने का प्रयास किया है।
- **'अफ्रीका तक ब्रिक्स की पहुंच' और 'ब्रिक्स प्लस' प्रारूप:** 2017 में ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स प्लस को आरंभ किया गया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देश भी सम्मिलित थे। इसे जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान भी अपनाया गया था। यह विभिन्न नेताओं के मध्य नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है।
- **ब्रिक्स के अंतर्गत विविध एजेंडे:** यह वैश्विक शासन सुधार, ब्रिक्स जेंडर एंड वीमेन फोरम की स्थापना के प्रस्ताव द्वारा महिला सशक्तिकरण और नई टीकों की खोज के लिए अनुसंधान, विकास एवं टीकाकरण हेतु एक वैक्सीन रिसर्च सेंटर की स्थापित की दिशा में कार्य कर रहा है।
- अर्थव्यवस्था और व्यापार, वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति, थिंक टैंक्स और ट्विंड (twinned) सिटी जैसे क्षेत्रों में **बहु-स्तरित व्यावहारिक सहयोग** स्थापित किया गया है जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

संबंधित चिंताएँ

- **यह अभी भी अपने प्रारंभिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है**, जैसे a) वैश्विक वित्तीय शासन में सुधार; b) संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) के विस्तार संबंधी कार्य में धीमी प्रगति।
- **सदस्यों के विरोधाभासी विचार:** उदाहरण के लिए चीन द्वारा भारत के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों की घोषणा करने के कदम का विरोध किया गया है। चीन भारत के UNSC और NSG में सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों के विरुद्ध भी है। भारत द्वारा समर्थित **ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी** पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- **सदस्यों के मध्य समानता का अभाव:** चीन तथा रूस को छोड़कर ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश हैं। ब्राजील और रूस हाइड्रोकार्बन का निर्यात करते है, वहीँ चीन और भारत हाइड्रोकार्बन के शुद्ध आयातक हैं। चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जबकि अन्य देश इसके सदस्य नहीं हैं। वित्तीय प्रणालियों की संरचना, आय, शिक्षा, असमानता, स्वास्थ्य

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

के स्तर संबंधी चुनौतियों में भी ब्रिक्स देशों के मध्य काफी असमानता है जो उनके लिए एकीकृत होने और समन्वित कार्रवाई करने को कठिन बनाती है।

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अभी तक सदस्य देशों से बाहर ऋण प्रदान नहीं किया है:** अभी तक कुल ऋण 5.1 बिलियन डॉलर केवल सदस्य देशों को ही प्रदान किया गया हैं। अफ्रीकी देशों जैसे अन्य विकासशील देश अपने बुनियादी ढांचे के लिए NDB की सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

आगे की राह

- **समूह के भीतर शक्ति असंतुलन** को दूर करने और वैश्विक शासन के लिए उन्हें एक बहु-ध्रुवीय विश्व के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि करनी चाहिए। यह बहुध्रुवीयता संप्रभु समानता और लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण में सहायता होगी।
- NDB की सफलता के लिए इसे **अतिरिक्त संस्थानों में निवेश** करना चाहिए, उदाहरण के लिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुरूप एक संस्थागत अनुसंधान शाखा (इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च विंग) की स्थापना जो पश्चिमी द्वारा संचालित ज्ञान प्रतिमानों से पृथक समाधान प्रदान कर सकता है और यह विकासशील विश्व के लिए अनुकूल भी होगा।
- ब्रिक्स को **ब्रिक्स एनर्जी एलायन्स और एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट की स्थापना** के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र के SDGs के तहत निर्धारित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- ब्रिक्स सदस्यों को डिजिटल युग में अपने **घटकों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए**। लोगों, व्यवसायों एवं अकादमिक जगत के मध्य निर्बाध संवाद पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे संवादों के द्वारा किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयासों की तुलना में इस गठबंधन के भविष्य को अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है।

2.5 भारत द्वारा सार्क को प्रदत्त वित्तीय सहायता (Indian Aid to SAARC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विगत पांच वर्षों में भारत द्वारा सार्क पड़ोसी देशों को प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा 2013-14 के 6000 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग आधी होकर वर्ष 2017-18 में 3,500 करोड़ रुपये रह गई है ।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सार्क पड़ोसी देशों में मालदीव एकमात्र देश** है जिसको भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि हुई है।
- वित्तीय सहायता में गिरावट के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि इस सहायता संबंधी आंकड़े में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को प्रदत्त **लाइन ऑफ़ क्रेडिट (1-2% की न्यूनतम ब्याज दरों पर दी गई सहायता) को शामिल नहीं** किया गया है।
- इस प्रवृत्ति का एक अन्य कारण यह हो सकता है कि प्राय: ये राष्ट्र अतिरिक्त सहायता को **निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रयोग करने में सक्षम नहीं** होते हैं।
- परन्तु इन प्रवृत्तियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक **परियोजना चक्रों (project cycles)** से संबंधित है:
    - **अफगानिस्तान** में प्रमुख परियोजनाएं - सलमा बांध और अफगानिस्तान संसद का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसलिए कोई अगली बड़ी परियोजना प्रारम्भ होने से पूर्व वित्तीय सहायता में स्वाभाविक रूप से गिरावट आई है।
    - **बांग्लादेश** में अखौरा-अगरतला रेल लिंक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुख्य अनुदान पूरा हो जाने के कारण अब आंकड़ों में गिरावट आई है।

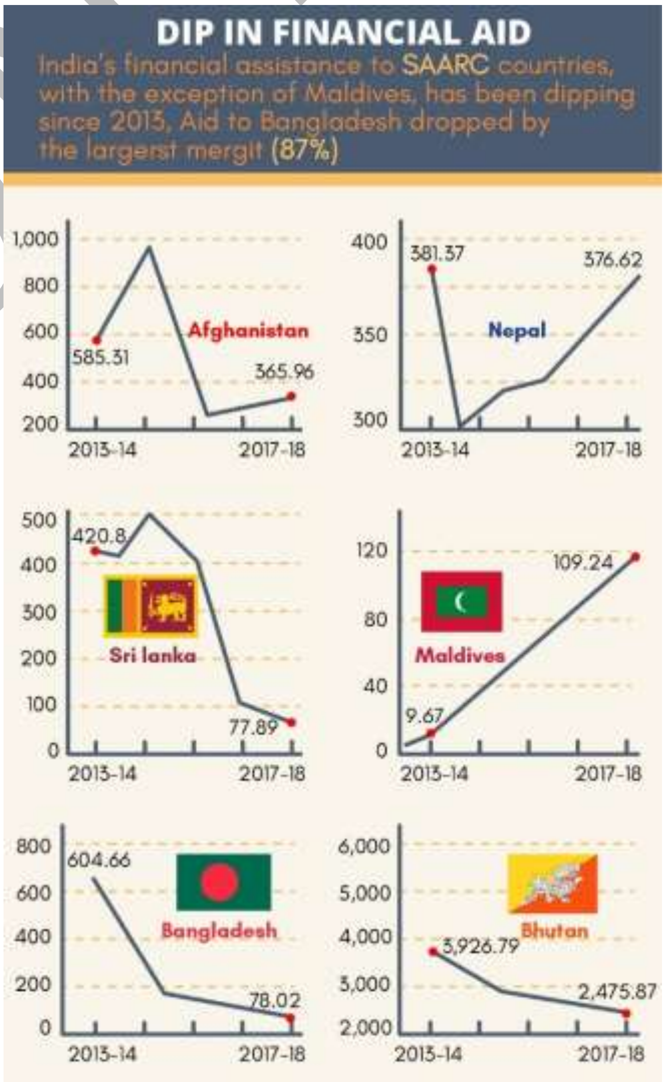

VISION IAS

- **भूटान** में प्रमुख HEPs के लिए निर्धारित अधिकांश सहायता संवितरित कर दी गयी है और इसकी पंचवर्षीय परियोजना हेतु निर्धारित सहायता भी लगभग समाप्त हो गई है। (हालांकि, भूटान भारत से विकासात्मक सहायता प्राप्त करने वाले दक्षिण एशियाई देशों में सबसे आगे है।)
- **श्रीलंका** में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण यह गिरावट प्रदर्शित हुई है।
- **मालदीव को प्राप्त** सहायता में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि यहां भारत द्वारा अभी भी कुछ प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है।

सार्क

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) 1985 में स्थापित दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है।
- इसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- इसका सचिवालय **काठमांडू** में स्थित है।
- ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरीशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।

सार्क की प्रासंगिकता में गिरावट

- यद्यपि सहायता में गिरावट को अस्थायी घटना के रूप में समझा जा सकता है, तथापि सार्क की प्रासंगिकता में एक स्पष्ट गिरावट आई है, जिसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा जा सकता है:
- हालांकि सार्क एक मंच और एक फ्रेमवर्क के रूप में विकसित होने में सफल रहा है, परन्तु अभी तक यह बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों के संदर्भ में एक संघर्ष-मध्यस्थता या संघर्ष-समाधान संस्था के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए 'आतंकवाद के दमन से संबंधित क्षेत्रीय अभिसमय' आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में असफल रहा है।
  - **आर्थिक सहयोग स्थापित करने में असमर्थता:** दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (SAFTA) के प्रभावी होने के बावजूद सार्क क्षेत्र में वस्तुओं के संदर्भ में अन्तः-क्षेत्रीय व्यापार लगभग पांच प्रतिशत और सेवाओं के संदर्भ में केवल 0.2 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है, तुलनात्मक रूप से आसियान में अन्तः-क्षेत्रीय व्यापार का स्तर 26 प्रतिशत और मर्कोसुर में 15 प्रतिशत है।
  - सार्क के तहत बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं और संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, 2016 में पाकिस्तान के द्वारा आपत्ति के पश्चात भारत द्वारा प्रस्तावित सार्क सेटेलाइट परियोजना को त्याग दिया गया।
  - **वास्तविक परिणामों की कमी:** अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे **'ज़ॉम्बी संगठन (Zombie organisation)'** के रूप में वर्णित किया है जो "अर्द्ध-नियमित संचालन स्तर" रखता है और इसके लक्ष्यों के संबंध में प्रगति अपेक्षा से कम हुई है।
  - सार्क **कल्याण संबंधी अपनी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में असमर्थ** रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में निवास करने हेतु बाध्य है।
- यह क्षेत्र विश्व की 400 मिलियन निर्धन जनसंख्या का आवास स्थल है, जिसका तात्पर्य है कि इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे निवास करता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) में सभी सार्क देशों की रैंकिंग निम्न है।
  - बिम्सटेक जैसे **अन्य संगठनों का उद्भव** इसकी उपयोगिता के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है।
- **शिखर सम्मेलन की नियमितता का अभाव:** हालांकि सार्क चार्टर के अनुसार सदस्य देशों के राज्य-प्रमुखों का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, परन्तु 1985 से अब तक **केवल 18 शिखर सम्मेलन** ही आयोजित किये गए हैं। (हाल ही में भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के निरंतर समर्थन के कारण सार्क की पहलों में सहयोग करने से इंकार कर दिया है।)

सार्क की प्रासंगिकता में ह्रास के कारण

- सदस्यों के मध्य **संघर्ष और शक्ति असंतुलन** क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति को बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए: संगठन के दो प्रमुख प्रतिभागियों भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक राजनीतिक तनाव, अविश्वास, सीमा पार संघर्ष और सुरक्षा संबंधी चिंताएं विद्यमान हैं।
- **क्षेत्रीय समस्याओं** ने भी सहयोग में बाधा उत्पन्न की है: भारत-श्रीलंका के मध्य कच्चातिवु द्वीप विवाद, पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐतिहासिक तनावपूर्ण संबंध, अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, इत्यादि।

VISION IAS

- सार्क का **सर्वसम्मति से निर्णय लेने का सिद्धांत और विवादित द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान को विचार-विमर्श से बाहर रखना** संगठन को अप्रभावी और कमजोर बनाते हैं।
- **एक देश का प्रभुत्व:** अधिकांश अन्य आर्थिक समूह, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान आदि लगभग समान स्तर की अर्थव्यवस्थाओं के संगठन हैं। परन्तु सार्क में मुख्य रूप से भारत का प्रभुत्व है, जिसका संगठन की आबादी, क्षेत्र या सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान है।
- इस संगठन की व्यापार प्रगति में **सीमित परिवहन कनेक्टिविटी, रसद (logistics) और नियामक बाधाएं** प्रमुख अवरोधक हैं। उदाहरण के लिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य व्यापार और अन्य संबंध दोनों देशों द्वारा सीमा साझा न करने और पाकिस्तान के माध्यम से कनेक्टिविटी के कारण बाधित होते हैं और इस प्रकार ये संबंध भारत और पाकिस्तान के सुदृढ़ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर निर्भर हो जाते हैं।
- सार्क को **संसाधनों की कमी** का सामना करना पड़ रहा है और सदस्य देश अपने योगदान में वृद्धि करने के अनिच्छुक हैं।
- **राजनीतिक अनिश्चितताएं:** इस क्षेत्र के कुछ देश राजनीतिक अनिश्चितताओं से ग्रसित हैं और सरकार बहु-पक्षीय पहलों के लिए आवश्यक कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वच्छंद नौकरशाही:** अधिकांश सार्क देशों में नौकरशाही और हित समूह दृढ़ता से स्थापित हैं जो प्रत्येक मुद्दे को संकीर्ण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखते हैं।
- **गठन के उद्देश्य का अभाव:** सार्क आर्थिक और विकासात्मक सहयोग की खोज की परिणति नहीं था, बल्कि इसके गठन का कारण क्षेत्रीय इकाई से रहित क्षेत्र होने की शर्मिंदगी से बचने की आवश्यकता था।

आगे की राह

- सार्क में विभिन्न उदीयमान अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान कर सकती हैं।
  - WTO, संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों के संबंध में वैश्विक वार्ता के दौरान सार्क अपने सदस्यों को एक अधिक सुदृढ़ अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है।
  - यह राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने हेतु एक प्रभावी मंच प्रदान कर सकता है। सार्क के बहाने अनौपचारिक बातचीतों ने अनेक बार मतभेदों का समाधान करने और शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य किया है।
  - सार्क भारत की "पश्चिम की ओर देखो (लुक वेस्ट)" नीति की सफलता में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।
- सार्क के सदस्य देश एक जैसी चुनौतियों जैसे गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल, आधारभूत संरचना, आतंकवाद इत्यादि का सामना कर रहे हैं। इनका समाधान परस्पर सहयोग और मिलकर कार्य करने से अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है। उदाहरण के लिए, **नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना और शिक्षा संबंधी "दिल्ली घोषणा"** ने शिक्षा से संबंधित समस्या के समाधान हेतु एक ब्लूप्रिंट प्रदान किया है।
- संगठन को अपने सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी प्रयासों के साथ-साथ **निवेश गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु भी प्रयास करने चाहिए**। दक्षिण एशियाई संयुक्त उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यटन में वृद्धि के उद्देश्य से आप्रवासन प्रक्रियाओं में कमी लाकर लोगों के निर्मुक्त वैध आवागमन प्रदान कर, जमीनी स्तर पर व्यापक लोकप्रिय समर्थन को बड़े पैमाने पर सुधारा जाना चाहिए।
- सीमा पार अवैध प्रवासन, आतंकवादी हमलों, नारकोटिक्स व्यापार और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
- सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे का सार्क मंच से परे अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए।
- भारत द्वारा सार्क के पुनरुत्थान में व्यापक भूमिका निभाए जाने की आवश्यकता है।

2.6. ट्रेड वॉर (Trade Wars)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के नेतृत्व में कई देशों ने अपने आयात पर अभूतपूर्व उच्च टैरिफ आरोपित किया है। ऐसी परिस्थिति को ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) कहा जाता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- मार्च 2018 के आरंभ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी व्यापार कानूनों के तहत 'राष्ट्रीय सुरक्षा' प्रावधानों के अनुसार स्टील एवं एल्युमिनियम के आयात पर क्रमशः 25% और 10% का टैरिफ प्रस्तावित किया।
- इसके अतिरिक्त अमेरिका ने 1,300 से अधिक चीनी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ का विस्तार किया। ये वस्तुएं अमेरिका द्वारा चीन से आयात में 46 बिलियन डॉलर के लिए उत्तरदायी हैं।

VISION IAS

- इसके प्रत्युत्तर में चीन द्वारा अप्रैल में 106 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी आरोपित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका से लगभग 50 अरब डॉलर का चीनी आयात (चीन को किया जाने वाला आयात) प्रभावित हुआ।
- इसके बाद भारत ने स्टील और एल्युमिनियम पर आरोपित अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका से आयातित 30 वस्तुओं पर 50% टैरिफ आरोपित कर दिया। इसी तरह की कार्रवाई यूरोपीय संघ के द्वारा की गई और 3.3 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए गए।
- ट्रम्प ने G-7 विज्ञप्ति (G-7 communique) को खारिज कर दिया, जिसमें विश्व के लिए "नियम-आधारित व्यापार प्रणाली" का समर्थन किया गया था और हाल ही में सितंबर में चीन निर्मित 200 बिलियन डॉलर मूल्य के अन्य उत्पादों पर लेवी आरोपित करने की चेतावनी भी दी।

ट्रेड वॉर क्या है?

सामान्य तौर पर **'संरक्षणवाद'** पर आधारित, ट्रेड वॉर एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को आयात और निर्यात पर टैरिफ, कोटा या अन्य प्रतिबंध आरोपित करने के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकती है एवं उनके मध्य राजनीतिक तनाव भी उत्पन्न कर सकती है।

संरक्षणवाद: देश की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने हेतु टैरिफ जैसे विभिन्न प्रतिबंधों का प्रयोग संरक्षणवाद कहलाता है।

इस प्रकार के कदम उठाए जाने का कारण

- अनुचित व्यापार प्रथाओं, IPR उल्लंघनों और अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने के संबंध में चीन के विरुद्ध अमेरिकी आरोप।
- चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को संतुलित करने और राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों को संबोधित करने हेतु।
- स्थानीय विनिर्माण और रोजगार को सुरक्षा प्रदान करना।

WTO की भूमिका

- WTO का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार की सुविधा प्रदान करना है: यह नियमों की स्थापना, विवादों के निपटान और देशों के मध्य उनके मतभेदों को दूर करने हेतु आपसी बातचीत का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करता है। जिन देशों को लगता है कि अन्य सदस्य अनुचित तरीके से कार्य कर रहे हैं, वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए WTO काउंसिल, समितियों और इसकी विवाद निपटान प्रणाली का उपयोग करते हैं।
- **हालांकि विवादों के समाधान हेतु एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तथापि WTO निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, दोनों ने पहले अपने विवादों को हल करने हेतु WTO के विवाद निपटान तंत्र से संपर्क किया था।

ट्रेड वॉर के वैश्विक प्रभाव

- **WTO के तहत स्थापित नियम आधारित व्यापार प्रणाली को क्षति**: इस स्थिति ने वैश्विक व्यापार समझौतों को प्रभावित किया है। साथ ही इसने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली एवं वैश्वीकरण को प्रभावित करते हुए WTO की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया है।
- **निवेश में कमी, निराशाजनक व्यय, वित्तीय बाजारों में अव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी:** निवेश सम्बन्धी निर्णयों ने रोजगार एवं करों के संग्रहण को प्रभावित किया है और अनिश्चितताओं के कारण रोजगार सृजन एवं ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस अत्यधिक प्रभावित हुआ है। करों के बढ़ते बोझ के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी सभी हितधारकों को हानि पहुंचाएगी तथा इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **वैश्विक मुद्राओं में गिरावट के परिणामस्वरूप ट्रेड वॉर के साथ-साथ करेंसी वॉर की स्थिति:** विभिन्न विकासशील देशों की करेंसी जैसे तुर्की की लीरा, चीनी युआन और भारतीय रुपए में तेजी से गिरावट आई है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध, समस्त विश्व के उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में बढ़ोत्तरी:** अमेरिका और चीन के मध्य तनाव कर सम्बन्धी निर्णयों से आगे भी बढ़ सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रत्यक्ष रूप से बाधित कर सकता है ,क्योंकि निवेश को लक्षित किया जा रहा है। ऐसी ख़राब परिस्थिति में कंपनियों को कारखानों या वितरण केंद्रों को स्थानांतरित करना पड़ सकता है।

VISION IAS

- **अक्षमता में वृद्धि:** टैरिफ उत्पादन और उपभोग अक्षमता को प्रोत्साहन देकर 'डेडवेट (deadweight) हानियाँ सृजित करते हैं- जो स्वयं अमेरिका के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु कल्याण की शुद्ध हानि है। एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ आरोपित किये जाने से अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों जैसे मोटर, मशीन उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुंचेगी, जैसा कि 1980 के दशक की शुरुआत में देखा गया था जब अमेरिकी मोटर कंपनियों की उनके जापानी समकक्षों के समक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गयी थी।
- **विकासशील दक्षिण के देशों की बाजार पहुंच में बाधा डालना:** व्यापार पूंजीगत प्रवाह को सुगम बनाता है और ये दोनों देश अनेक विकासशील और निम्न आय वाले देशों को वैश्विक विकास में भागीदारी करने तथा तुलनात्मक लाभ, विशेषज्ञता एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लाभ उठाने में सहायता करते हैं। ट्रेड वॉर उन्हें प्रभावित करेगा।
- **एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव:** ताइवान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश परस्पर निर्भर हैं और वैश्विक विनिर्माण श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये देश चीन में अंतिम रूप से संयोजन के लिए आवश्यक घटकों का उत्पादन करते हैं। वैश्विक व्यापार पर प्रतिबन्ध इनके विनिर्माण और इनकी निर्यात समर्थित संवृद्धि को प्रभावित करेगा।

भारत पर प्रभाव

- **वृद्धि दर में मंदी:** वैश्विक वृद्धि दर में मंदी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी गिरावट का खतरा है।
- **भारतीय निर्यात में कमी :** पहले से ही कम हो रहे निर्यात में और गिरावट आ सकती है।, स्टील तथा एल्युमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत को 241 मिलियन डॉलर की हानि वहन करनी होगी। यह तेल की बढ़ती कीमत के साथ भारत के वर्तमान चालू खाता घाटे (CAD) को और बढ़ा सकता है। यह भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) को प्रभावित करेगा।
- **रुपए में गिरावट:** पहले से ही रुपया अपने ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को और बढ़ावा देगा।
- **भारत में निवेश प्रवाह में कमी:** वैश्विक बाजारों में अस्थिरता FII एवं FDI को कम करेगी जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को प्रभावित करेगी।
- **हालांकि, व्यापार घाटे को कम करने का एक अवसर है:** भारत का चीन के साथ 51 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार घाटा है, जिसे सोयाबीन जैसी प्रमुख मदों का निर्यात करके कम किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ा, वस्त्र और रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ाकर इस अवसर का उपयोग कर सकता है।
- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन:** ट्रेड वॉर वैश्विक उत्पादन को बड़े MNCs से बड़े पैमाने पर मानवीय श्रम का उपयोग करने वाले अपेक्षाकृत छोटे घरेलू व्यवसायों की ओर स्थानांतरित कर देगा। इस परिवर्तन से घरेलू कारखानों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

आगे की राह

- भारत ने बड़े 'प्रतिवादी उपायों (retaliatory measures)' के माध्यम से नहीं बल्कि वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे से निपटने की अपनी वरीयता का चुनाव करके उचित कदम उठाया है।
- चीन की भाँति व्यापार विवादों के समाधान के लिए WTO के विवाद निपटान निकाय (DSB) की सहायता लेना, स्थिति को सामान्य करने हेतु एक संभावित कदम हो सकता है।
- भारत को उन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार तंत्रों के लाभों को एक साथ अधिकतम बनाने का प्रयास करना चाहिए जिनका यह सदस्य है और साथ ही RCEP, NAFTA आदि जैसे नए क्षेत्रीय समूहों में शामिल होने का प्रयास भी अवश्य करना चाहिए।
- चीन को स्वैच्छिक रूप से एक लचीली विनिमय दर की ओर बढ़ना चाहिए (जो युआन के अधिमूल्यन की छूट देता हो, इससे बदले में आयात सस्ता होगा) और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में वृद्धि करनी चाहिए (जिससे चीन में परिवारों को कम बचत और अधिक व्यय करने में सहायता मिलेगी जिससे अधिक आयात को प्रोत्साहन मिलेगा)। यह चीन के व्यापार अधिशेष को कम करेगा जो ट्रेड वॉर को रोकने में उपयोगी होगा।

2.7. वैश्विक शरणार्थी संकट (Global Refugee Crisis)

शरणार्थी संकट विस्थापित लोगों के बड़े समूहों के संचलन को संदर्भित करता है, जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों या अन्य प्रवासियों के रूप में हो सकते हैं। UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) के अनुसार, 2017 में, उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा या मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण 65.6 मिलियन लोग बलात् विस्थापित हुए थे।

VISION IAS

शरणार्थी (Refugee)

एक शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा हो।

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (Internally displaced person)

एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP) वह व्यक्ति होता है, जिसे शरणार्थी के समान ही कारणों से अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है परन्तु वह अपने ही देश में किसी अन्य स्थान पर प्रवास करता है तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं करता है। शरणार्थियों के विपरीत, IDP को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का संरक्षण प्राप्त नहीं हैं या ये कई प्रकार की सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण सूडान और यमन।

शरण माँगने वाला (Asylum seeker)

जब लोग अपने देश को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देश में शरण मांगते हैं, तो वे शरण (asylum) के लिए आवेदन करते हैं। शरण (asylum) से आशय, शरणार्थी के रूप में पहचाने जाने के अधिकार तथा कानूनी सुरक्षा और भौतिक सहायता प्राप्त करने से है।

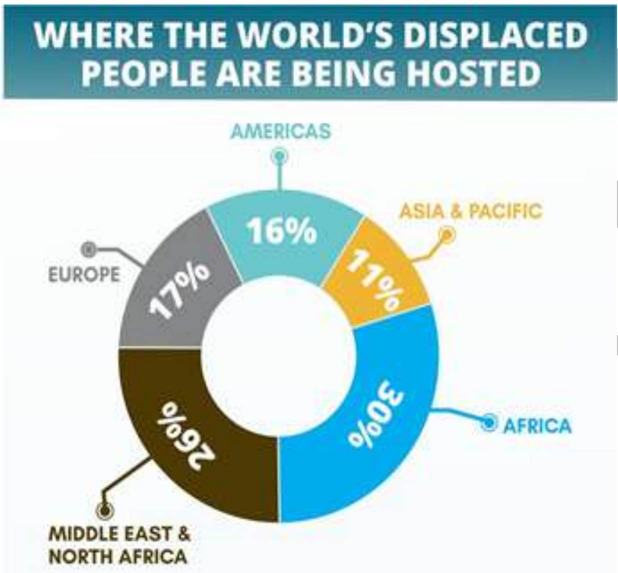

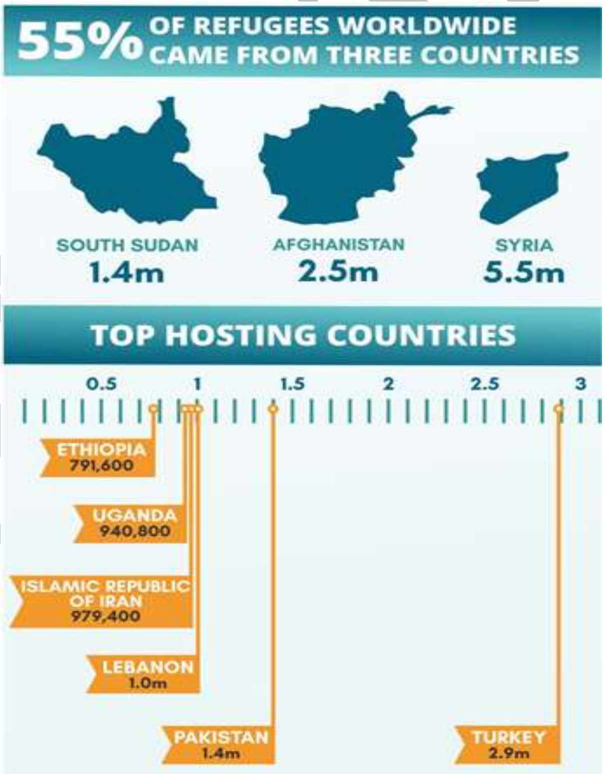

शरणार्थी संकट के कारण

- **युद्ध एवं गृहयुद्ध तथा उत्पीड़न:** जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि संपूर्ण विश्व में शरणार्थी संकटों के पीछे युद्ध और उत्पीड़न मुख्य कारण रहे हैं। युद्ध के कारण उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता लोगों को बेहतर जीवन और अवसरों की खोज में अन्य स्थानों पर प्रवास करने हेतु बाध्य करती है।
    - उत्पीड़न धार्मिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, प्रजातीय या राजनीतिक उत्पीड़न जैसे कई रूपों में हो सकता है। कुछ धार्मिक शरणार्थियों में म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में ईसाईयों, पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति किया जाने वाला उत्पीड़न शामिल है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** भ्रष्टाचार, लालच, सत्तासीन लोगों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने के कारण आम लोग पीड़ित हैं। विशेष रूप से कई अफ्रीकी देश, जैसे- युगांडा, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण सूडान, सूडान, इरिट्रिया आदि भ्रष्ट देशों की सूची में उच्च स्थान पर हैं।
- **पर्यावरण और जलवायु:**
    - यद्यपि वे संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा निर्धारित शरणार्थियों की परिभाषा के अंतर्गत उचित रूप से समायोजित नहीं होते हैं, फिर भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से विस्थापित लोगों को प्राय: 'जलवायु शरणार्थी' कहा जाता है।

- इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार, 2008 से प्रत्येक वर्ष, संपूर्ण विश्व में लगभग 26.4 मिलियन लोग बाढ़, तूफान, भूकंप या सूखे के कारण बलात् विस्थापित होते हैं।
- **आर्थिक कठिनाई:** लोग बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति हेतु भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उत्प्रवास करते हैं, क्योंकि प्रवासियों के लिए अपने क्षेत्र में निवास योग्य परिस्थितियां या रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं।
- **भुखमरी:** यह अनुमान लगाया गया है कि चार उत्तरी अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों (सोमालिया, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया और यमन) में 20 मिलियन लोग गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। परिणामस्वरूप इनमें से कई लोग शरणार्थी बनते जा रहे हैं और स्थायी खाद्य स्रोतों की खोज में अपने जन्मस्थान को छोड़ने हेतु बाध्य हैं।
- **लिंग/यौन अभिविन्यास (Gender/Sexual Orientation):** LGBT व्यक्ति हत्या, यौन और लिंग आधारित हिंसा, शारीरिक हमलों, उत्पीड़न, मनमानी हिरासत, अनैतिक या विकृत व्यवहार के आरोपों; सम्मेलन, अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकारों से वंचित किए जाने तथा विश्व भर के सभी क्षेत्रों में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में भेदभाव से पीड़ित हैं।

वैश्विक आप्रवासन स्थिति

- संपूर्ण विश्व में, अनुमानित रूप से 191 मिलियन आप्रवासी हैं। विगत 50 वर्षों के दौरान आप्रवासन की संख्या में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है;
- 115 मिलियन आप्रवासी विकसित देशों में निवास करते हैं; इसमें से 20% (लगभग 38 मिलियन) अकेले अमेरिका में हैं, जो अमेरिका की जनसंख्या का लगभग 13% हैं; कुल आप्रवासियों का 33% यूरोप में निवास करता है; 75% आप्रवासी केवल 28 देशों में निवास करते हैं;
- कुल प्रवासियों में से लगभग आधी संख्या (लगभग 95 मिलियन) महिला प्रवासियों की है;

शरणार्थियों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क

लाभ:

- शरणार्थियों द्वारा प्राय: वैसे **कार्य किये जाते** हैं जिन्हें मेजबान देश के लोग नहीं करते हैं, या नहीं कर सकते हैं।
- वे प्राय: ज्यादा समय तक और कम वेतन पर कार्य करते हैं। यद्यपि यह विवादास्पद है या कभी-कभी शोषणकारी भी होता है, परन्तु यह मेजबान देश को लाभ पहुंचाता है।
- जब शरणार्थियों का मेजबान देश में स्वागत किया जाता है, तो वे सहिष्णुता एवं तालमेल के साथ सहयोग करने वाले समाज की **विविधता में योगदान** कर सकते हैं।
- शरणार्थी मेजबान देश की अर्थव्यवस्था के लिए **प्रतिभा पूल** की तरह कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें अपने मूल देश में बेहतर रूप से शिक्षित किया गया हो।

कमियां:

- **तस्करी और बलात् श्रम:** महिलाएं और बच्चे प्राय: अमानवीय व्यवहार के लिए एक आसान लक्ष्य होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों को स्कूलों तक पहुंच भी प्राप्त नहीं होती है तथा परिवार के लिए कोई स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं होती है।
- **शैडो इकोनॉमी:** शरणार्थी संकट का पहला आर्थिक प्रभाव मुख्य रूप से निम्न मजदूरी वाले रोजगार के कारण शैडो इकॉनमी के उद्भव और फलने-फूलने के रूप में देखा जा सकता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** यह सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उत्पन्न करता है क्योंकि कई असत्यापित शरणार्थी चरमपंथी, आतंकवादी या ड्रग्स की तस्करी करने वाले आपराधिक तत्व हो सकते हैं।
- **क्षेत्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौतियां:** यूरोप के मामले में शरणार्थी संकट के कारण यूरोपीय देशों में बढ़ते पॉपुलिज्म (populism) और राष्ट्रवाद ने यूरोपीय संघ की समन्वयात्मक और एकीकरण की क्षमता को कम कर दिया। यूरोपीय संघ, जिसे क्षेत्रीय एकीकरण के सबसे सफल उदाहरण और भविष्य के शक्ति केंद्र के रूप में माना जाता रहा है, वह आज अत्यधिक दबाव में है।
- यह एक **सामाजिक/राजनीतिक मुद्दा** बन सकता है, जहां स्थानीय लोगों की भावनाओं को भड़काने या उनके कष्टों के लिए उत्तरदायी कारक रूप में नस्लवाद का उपयोग किया जा सकता है। एक धारणा यह भी है कि आप्रवासी और शरणार्थियों को स्थानीय गरीब जनसंख्या की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे वहां तनाव और शत्रुता भी उत्पन्न हो सकती है। सामान्यत:, जहाँ वे प्रवासित होते हैं उन राज्यों के पुलिस और अधिकारियों द्वारा उनका **उत्पीड़न** भी किया जाता है।
- **अवैध आप्रवासन** से संबंधित चिंताओं के कारण, अधिकांश कानून का पालन करने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले आप्रवासियों के विषय में भी गलत धारणाओं का प्रसार हो सकता है।

VISION IAS

- विकासशील देशों को **प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन)** का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अपने छात्रों को शिक्षित करने हेतु सीमित संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यदि उस प्रतिभा को दूसरे देश में नियोजित किया जाता है तो वह बहुत कम लाभ प्रदान करता है। (उदाहरण के लिए UK पर प्राय: विकासशील देशों से मेडिकल स्टाफ को सक्रिय रूप से भर्ती करने का आरोप लगाया जाता है।)

प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते (ग्लोबल कॉम्पैक्ट) के संबंध में

- यह SDG के लक्ष्य 10.7 के अनुरूप है जिसमें सदस्य देश सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
- यह वैश्विक समझौता प्रवासन के संदर्भ में साझा समझ, साझा जिम्मेदारियों और उद्देश्य की एकरूपता प्रदर्शित करता है।
  - साझा समझ यह है कि वर्तमान और संभावित प्रवासियों को अधिकारों के संबंध में पूरी सूचना और अनियमित प्रवासन के जोखिमों के विषय जानकारी होनी चाहिए
  - साझा जिम्मेदारी क्योंकि कोई भी देश प्रवासन की चुनौतियों और अवसरों से अकेले नहीं निपट सकता है।
  - समझौते की सफलता के रूप में उद्देश्य की एकरूपता, परस्पर विश्वास, दृढ़ संकल्प और राज्यों की एकजुटता पर निर्भर करती है।

समझौते के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

- प्रतिकूल चालकों और संरचनात्मक कारकों को कम करना, जो लोगों को अपने मूल देश को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं।
- नियमित प्रवासन के लिए मार्गों की उपलब्धता और लचीलेपन में वृद्धि करना तथा प्रवासन से संबंधित सुभेद्यता को कम करना।
- निष्पक्ष और नैतिक भर्ती की सुविधा प्रदान करना तथा गरिमापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने वाली परिस्थितियों का संरक्षण करना।
- सीमाओं को एकीकृत, सुरक्षित और समन्वित तरीके से प्रबंधित करना।
- प्रवासियों को हिरासत में लेना केवल अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए तथा इससे संबंधित विकल्पों की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- पूर्ण समावेश और सामाजिक एकजुटता की गहन समझ हेतु प्रवासियों और समाज को सशक्त बनाना।
- सामाजिक सुरक्षा अधिकारों और अर्जित लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) के लिए तंत्र स्थापित करना।

समझौते का महत्व

- यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है। यह न ही निर्देशित और न ही अधिरोपित है तथा यह राज्यों की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करता है।
- यह जटिल और विवादास्पद मुद्दों में बहुपक्षवाद (वैश्विक सहयोग की मांग करने वाले मुद्दों पर एक साथ आने की हमारी क्षमता) की संभावना को प्रदर्शित करता है।
- यह प्रवासन के कारण के रूप में जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करता है और इस चुनौती को हल करने हेतु दृष्टिकोण विकसित करता है।
- यह सुभेद्य जनसंख्या समूह के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिन्हें प्रवासन के दौरान अपने जीवन को खतरे में डालने के दौरान प्राय: उत्पीड़ित किया जाता है और उन पर हमला किया जाता है।

शरणार्थियों के लिए की गई प्रमुख पहलें

- **यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन (1951)** प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या राजनीतिक मत के कारण उत्पीड़न से बचकर भाग निकलने, और इस भय के कारण अपने मूल देश में लौटने के अनिच्छुक लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। शरणार्थियों को प्रदत्त ये अधिकार नॉन-डिस्क्रिमिनेशन (non-discrimination), नॉन-पेनलाइजेशन (non-penalisation) और नॉन-रिफ़ाउलमेंट (non-refoulement) के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां जो प्रवासन के विभिन्न पहलुओं का समाधान करती हैं, जैसे-**
  - **यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) -** संपूर्ण विश्व में शरणार्थियों की सुरक्षा और मानवीय सहायता के प्रावधानों की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही **इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)** शिविरों के समन्वय और प्रबंधन हेतु एक अग्रणी एजेंसी है तथा यह **इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज** के साथ आपातकालीन आश्रयों का संचालन करता है।

VISION IAS

- o 1949 में स्थापित **यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट (UNRWA),** मध्य पूर्व में पंजीकृत फिलिस्तीन शरणार्थियों को बुनियादी सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक सेवाएं) उपलब्ध कराती है।
- o शरणार्थी शिविरों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को भी तैनात किया जाता है।
- o **इंटर-एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी (IASC)**, **"क्लस्टर एप्रोच"** के माध्यम से समेकित कार्रवाई हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत आने वाली और बाहरी, दोनों प्रकार की सभी मानवतावादी एजेंसियों का समन्वय करती है।

- **डबलिन समझौता:** यह यूरोपियन यूनियन का एक समझौता है, जिसे 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया था।
  - o यह **यूरोप में आने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत शरण याचिका के मूल्यांकन** का दायित्व सौंपे जाने हेतु यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के निर्धारण के लिए मानदंड एवं तंत्र की व्यवस्था करता है।
  - o इस समझौते के अनुसार, उस **यूरोपीय देश में शरण याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए, जहाँ वह व्यक्ति आता है** और इस प्रकार आश्रय का ज्यादातर जिम्मेदारी उस देश को वहन करनी होती है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल:
- बाल अधिकारों पर अभिसमय (1989)
- प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ़ माइग्रेंट्स बाइ लैंड, सी एंड एयर (2000)
- इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ़ द राइट्स ऑफ़ आल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड मेम्बर ऑफ़ देयर फैमिलीज़ (1990)।

- हाल ही में, यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा यूरोपीय संघ में 'माध्यमिक' प्रवासन पर कठोर नियम, **संपूर्ण EU में 'नियंत्रित केंद्रों' का निर्माण**, यूरोपीय संघ के बाहर के देशों में **रीजनल डिसेम्बार्केशन प्लेटफार्म** की स्थापना, EU की सीमाओं को मजबूत बनाना और EU **असाइलम पालिसी** में सुधार के माध्यम से शरणार्थी संकट से निपटने हेतु एक मसौदा तैयार किया गया है।
- **नानसेन इनिशिएटिव (2012):** यह आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे **"जलवायु शरणार्थियों"** के संदर्भ में सीमापार विस्थापित लोगों की आवश्यकताओं का समाधान करने वाले सुरक्षा एजेंडे पर सर्वसम्मति बनाने हेतु राज्य-प्रेरित परामर्श प्रक्रिया है।
- **न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी (2016):** यह एक संयुक्त राष्ट्र घोषणा है जिसमें शरणार्थियों की सुरक्षा हेतु तंत्र को सुदृढ़ करने और उसमें सुधार करने हेतु प्रतिबद्धताओं की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। यह तीन ठोस योजनाओं को प्रस्तावित करती है:
  - o 2018 में दो नए वैश्विक समझौतों के अंगीकरण हेतु व्यवस्था करना: **शरणार्थियों पर एक वैश्विक समझौता** तथा **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता** और आगे इसने ठोस योजनाओं का सुझाव भी दिया है।
  - o प्रवासियों की सुभेद्य परिस्थितियों में सहायता करने हेतु **दिशा-निर्देशों को विकसित** करना जो असहाय बच्चों की बढ़ती संख्या के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा।
  - o 2018 में शरणार्थियों पर वैश्विक समझौतों को अपनाकर विश्व के शरणार्थियों की मेजबानी और सहायता के लिए **जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्व का न्यायसंगत साझाकरण** सुनिश्चित करना।
- **संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन** - संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश (अमेरिका और हंगरी को छोड़कर) हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु प्रवासन के लिए एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर सहमत हुए हैं। यह अंतर-सरकारी आधार पर आयोजित प्रथम वार्ता समझौता है और यह सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 10.7 के साथ भी संगत है, जिसके तहत सदस्य राष्ट्र सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

प्रवासन संकट से निपटने के लिए सुझाव

- **वैश्विक शरणार्थी संकट पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन** अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साझाकरण पर केंद्रित है;
- **शरणार्थी अभिसमय का वैश्विक अनुमोदन:** हालांकि 145 देशों द्वारा शरणार्थी अभिसमय की पुष्टि की गई है, वहीं मध्य-पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया सहित विश्व के ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें बहुत कम देशों ने संधि की पुष्टि की है। देशों को 1951 के

VISION IAS

शरणार्थी अभिसमय और इसके 1967 प्रोटोकॉल को बिना रुकावट या भौगोलिक बाधाओं के हस्ताक्षर और पुष्टि करने और इसके प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु घरेलू कानूनों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- **सुदृढ़ घरेलू शरणार्थी प्रणालियों का विकास:** राष्ट्रों में शरणार्थी दावों का आकलन करने हेतु उचित घरेलू प्रक्रियाएं विद्यमान होनी चाहिए। शरणार्थियों को मौलिक अधिकारों तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाओं तक पहुंच की गारंटी प्रदान करनी चाहिए।
- **सर्वप्रथम जीवन की रक्षा करने की पूर्ण प्रतिबद्धता:** राष्ट्रों को आप्रवासन नीतियों को लागू करने के क्रम में संकटग्रस्त परिस्थितियों में लोगों के जीवन की रक्षा को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जहां लोगों (जिसमें समुद्र पार करने का प्रयास करने वाले लोगों सहित अन्य संकटग्रस्त लोग सम्मिलित हैं) के समक्ष मृत्यु का खतरा विद्यमान है, राज्यों को खोज और बचाव अभियान में निवेश करना चाहिए और संकटग्रस्त लोगों के बचाव के लिए तत्काल आगे आना चाहिए।
- **मानव तस्करी की समस्या का मुकाबला करना:** राष्ट्रों को तस्करी गिरोहों की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रों को तस्करी पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि यह शरणार्थी दर्जे के निर्धारण संबंधी प्रक्रियाओं और/या पुनर्वास अवसरों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- **शरणार्थियों को पुनर्स्थापित करना:** प्रथम शरण और पुनर्वास वाले देशों द्वारा कुशल और लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील शरणार्थी चयन और सुरक्षा जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करने सहित वैश्विक एकजुटता की भावना के साथ पुनर्वास किया जाना चाहिए। विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं वाले शरणार्थियों के लिए पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान करना जो प्रथम शरण वाले देश में सुरक्षित नहीं हैं।
- **ज़ेनोफोबिया (बाहरी लोगों से भय) की समस्या से मुकाबला:** सरकारों को ज़ेनोफोबिया को बढ़ावा देने से बचना चाहिए, उदाहरण के लिए शरण-मांगने वालों या प्रवासियों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराना। सरकारों के पास जेनोफोबिक हिंसा के समाधान हेतु प्रभावी नीतियां भी होनी चाहिए।
- **समावेशी मानवतावादी और विकास सहायता प्रदान करना:** अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अन्य द्विपक्षीय सहायता के अतिरिक्त, प्रथम शरण वाले देशों में शरणार्थियों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण निवास की अनुमति प्रदान करना।
- **एक वैश्विक शरणार्थी निधि की स्थापना:** इस प्रकार की निधि को शरणार्थी संकट से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की सभी मानवतावादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इस निधि को शरणार्थियों और उनके मेजबान समुदायों को सेवाएं प्रदान करने में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मेजबानी वाले देशों को सार्थक वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। यह मौजूदा विकास सहायता के अतिरिक्त होनी चाहिए।
- **हिंसक संघर्षों को समाप्त करना:** देशों को शांति प्रक्रिया में व्यापक निवेश करना चाहिए और संकट के मुख्य कारणों के रूप में हिंसक संघर्षों को समाप्त करने हेतु दृढ़तापूर्वक प्रयास करना चाहिए।

शरणार्थी और प्रवासी बच्चों की रक्षा हेतु यूनिसेफ की विशिष्ट कार्रवाई:

- बाल शरणार्थियों और प्रवासियों की रक्षा करना, विशेष रूप से असहाय बच्चों की शोषण और हिंसा से सुरक्षा करना।
- विभिन्न व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत करके शरणार्थी का दर्जा मांगने वाले या प्रवास करने वाले बच्चों की हिरासत को समाप्त करना।
- बच्चों की सुरक्षा और उनको कानूनी दर्जा प्रदान करने हेतु परिवारों को एक साथ रखना ही सबसे बेहतर तरीका है।
- सभी शरणार्थियों और प्रवासी बच्चों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं अन्य गुणवत्तायुक्त सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।

2.8. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UN Peacekeeping)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2018 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की 70वीं वर्षगांठ मनाई गयी।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के संबंध में

- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन एक ऐसी तकनीक है जिसे संघर्ष के रुकने पर शांति को बनाये रखने के लिए (चाहे ये शांति कितनी ही अल्पकालिक क्यों न हो) तथा शांति स्थापनाकर्ताओं द्वारा किये गए समझौतों के क्रियान्वयन के लिए डिजाइन किया गया है। यह संघर्ष से अस्त-व्यस्त हो चुके देश को स्थायी शांति की दिशा में बढ़ने के लिए सहायता देने वाला एक अद्वितीय एवं गतिशील साधन है।

VISION IAS

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तीन आधारभूत सिद्धांत:

ये सिद्धांत,अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही ये अंतर-संबंधित हैं और परस्पर सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- **पक्षकारों की सहमति:** संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को संघर्षरत दोनों पक्षों की सहमति के साथ परिनियोजित किया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि दोनों पक्षों द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जाये तथा शांति मिशन के संचालन की स्वीकृति देते हुए संयुक्त राष्ट्र को इसके अधिदेशित कार्यों के निष्पादन में राजनीतिक और भौतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
- **निष्पक्षता:** संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कार्यकर्ताओ को संघर्ष के पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अपनी अधिदेशित कार्रवाइयों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए।
- **आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त बल का उपयोग नहीं**: संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन एक प्रवर्तन उपकरण नहीं है। हालांकि, वे सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत आत्मरक्षा और अपने अधिदेश की रक्षा के लिए रणनीतिक स्तर पर बल का उपयोग कर सकते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का उद्भव उस समय हुआ जब शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता ने सुरक्षा परिषद को असहाय बना दिया था। प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मई 1948 में स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा **यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविज़न आर्गेनाईजेशन (UNTSO)** के निर्माण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य पर्यवेक्षकों को मध्य-पूर्व में तैनात करने का आदेश दिया गया। UNTSO का उद्देश्य इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के मध्य युद्धविराम समझौते की निगरानी करना था।
- विगत 70 वर्षों में, 70 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में संयुक्त राष्ट्र ध्वज के अंतर्गत 1 मिलियन से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने अपनी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में 125 देशों के 1,00,000 से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों द्वारा 14 शांति मिशनों में सेवाएँ दी जा रही हैं।
- प्रारंभ के वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों का लक्ष्य मुख्य रूप से युद्ध विरामों को बनाए रखने और स्थितियों को सामान्य बनाने तक सीमित था ताकि शांतिपूर्ण साधनों से संघर्ष का समाधान करने हेतु राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जा सकें। उन मिशनों में सैन्य पर्यवेक्षक और सीमित अस्त्र-शस्त्र युक्त सैन्य दल सम्मिलित थे तथा उनकी भूमिका युद्धविराम एवं सीमित शांति समझौतों के समर्थन हेतु निगरानी, रिपोर्टिंग और विश्वास-निर्माणकारी भूमिका निभाने की थी।
- वर्तमान समय के बहुआयामी शांति मिशनों में नागरिक, सैन्यकर्मी और पुलिसकर्मी एक साथ कार्य करते हैं तथा इन्हें शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है। इसके साथ ही इनके कार्यों में राजनीतिक प्रक्रियाएँ सुलभ कराना, नागरिकों की रक्षा करना, लड़ाकों को शस्त्रविहीन करना, चुनावों को समर्थन देना, मानवाधिकारों की रक्षा एवं उन्हें प्रोत्साहन तथा विधि के शासन की पुनर्स्थापना करना शामिल हैं।

भारत की भूमिका

- विगत 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत के सर्वाधिक शांति कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। भारत के 163 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए हैं।
- भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैन्य और पुलिस कर्मियों का तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। अबेई, साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान, मध्य पूर्व, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में भारत के 6,693 कर्मी तैनात हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ऑपरेशनों की सफलता	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ऑपरेशनों की प्रमुख विफलताएं
• **महिला शांतिकर्मी** प्रमुख भूमिका निभा रही हैं और प्रदर्शन में सुधार के लिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ये कमांड पदों सहित पुलिस अधिकारियों, सैनिकों, पायलटों, सैन्य पर्यवेक्षकों, और अन्य वर्दीधारी और नागरिक भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं।	• संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आंतरिक अध्ययन में पाया गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, विभिन्न आक्रमणों से नागरिकों की रक्षा के लिए नियमित रूप से बल का उपयोग करने से बचते हैं। वे UNSC द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत होने के बावजूद केवल 20% मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।

VISION IAS

• **सिएरा लियोन (1999 से 2005):** विनाशकारी गृहयुद्ध के पश्चात देश में शांति समझौते को लागू करने का लक्ष्य शांति मिशन कार्यकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।	• **स्रेब्रेनिका (1995):** 1992-1995 के मध्य बोस्निया में हुए युद्ध के अंत में, बोस्नियाई सर्ब बलों ने 8000 मुस्लिमों की हत्या कर दी। शांति मिशन कर्मियों की उपस्थिति के बावजूद यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय इतिहास का जघन्यतम नरसंहार रहा है।
• **बुरुंडी (2006)**: संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ऑपरेशनों ने इसे दशकों से चल रहे नृजातीय युद्ध से उबरने में सहायता की।	• **रवांडा नरसंहार (1994**): संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया जिनके अनुसार नरसंहार के होने का अनुमान था तथा इसके प्रारंभ होने के पश्चात् हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया।
• अन्य सफल शांति मिशनों ने कंबोडिया, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक, नामीबिया और ताजिकिस्तान समेत कई देशों में विवादों को समाप्त करने और सामंजस्य को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान की है। शांति मिशनों की इन प्रभावशाली उपलब्धियों के रिकॉर्डों के कारण इसे 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ।	• **सोमालिया (1995**): संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोमालिया में कई अमेरिकी सैनिकों की हत्या के पश्चात सभी शांति-मिशन सैनिकों को वापस बुला लिया गया। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र के कई अधिकारियों ने इसे शांति मिशनों की सबसे बड़ी विफलता के रूप में वर्णित किया।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सुधार की आवश्यकता:

- शांति मिशनों के डिजाइन और कार्यान्वयन में राजनीति और सहयोग को प्रेरक बनाया जाना चाहिए।
- **बदलती जमीनी आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करने हेतु संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम को अधिक उदार रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए**: शांति मिशनों एवं विशिष्ट राजनीतिक ऑपरेशनों के मध्य स्थित स्पष्ट विभेद को मिशनों के विभिन्न चरणों के मध्य प्रतिक्रियाओं के सातत्य तथा सुगम संक्रमण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को आवश्यक प्रतिक्रियाओं के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम को दर्शाने के लिए "शांति ऑपरेशन" शब्द को अपनाना चाहिए और अंतर्निहित विश्लेषण, रणनीति और योजना को सुदृढ़ बनाने में निवेश करना चाहिए ताकि मिशन की अधिक सफल संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही इन्हें एक अनुक्रमित और प्राथमिकता युक्त तरीके से त्वरित स्थिति-विशिष्ट प्रतिक्रिया देने हेतु तैयार किया जाना चाहिए।
- **भविष्य के लिए एक सुदृढ़, अधिक समावेशी शांति और सुरक्षा भागीदारी की आवश्यकता है:** अधिक चुनौतीपूर्ण जोखिमों का सामना करने हेतु एक सुदृढ़ वैश्विक-क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा भागीदारी की आवश्यकता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को अधिक क्षेत्र-केंद्रित (field-focused) होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अधिक जन-केंद्रित होना चाहिए**: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को क्षेत्रीय-मिशनों की विशिष्ट और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से परिचित करवाया जाना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों को स्वयं को प्राप्त अधिदेश के अनुसार लोगों के साथ संलग्न होने, उन्हें सम्मिलित करने, और उनकी रक्षा करने के लिए एक नवीनीकृत संकल्प प्रस्तुत करना चाहिए।
- **संघर्ष रोकथाम और मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए**: वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र को संघर्ष की रोकथाम करने और राजनीतिक समाधानों का समर्थन करने हेतु साझेदारी को संगठित करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता स्थापित करनी चाहिए। इसके साथ ही इसे समुदाय, धर्म, युवा और महिला समूहों तथा वैश्विक व्यापार समुदाय समेत सिविल सोसायटी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र तंत्र के परे दूसरों के ज्ञान और संसाधनों को आकर्षित करने के उपाय खोजने चाहिए।
- **स्पष्ट दिशा और साझा उद्देश्य निर्धारित करना**: सुरक्षा परिषद, सचिवालय, क्षेत्रीय शक्तियों तथा सशस्त्र बलों की आवश्यकता पड़ने पर सेना और पुलिस बल उपलब्ध कराने वाले देशों के मध्य सार्थक और प्रभावी परामर्श के माध्यम से एक प्राप्त करने योग्य अधिदेश तैयार किया जा सकता है।
- **वर्दीधारी कर्मियों की गति, क्षमता और प्रदर्शन में सुधार**: संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगियों को जोखिम के प्रति प्रतिक्रिया हेतु तीव्र तैनाती के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करना होगा।

- **मेजबान देशों और स्थानीय समुदायों के साथ संलग्न होना** :स्थानीय लोगों से सिर्फ परामर्श लेने के बजाय उनकी कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने से, ये मिशन स्थानीय लोगों पर शांति मिशन के प्रभाव की निगरानी करने तथा उस पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकेंगे।
- **दुर्व्यवहार को संबोधित करना और उत्तरदायित्व में वृद्धि**: सैन्य बलों का योगदान करने वाले देशों को सख्ती से जाँच कर यौन शोषण और दुर्व्यवहार में शामिल राष्ट्रीय कर्मियों के अभियोजन की प्रक्रिया का आरम्भ करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों को संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों द्वारा पहुँचाई गई हानि के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में शांति मिशन ऑपरेशनों के लिए पारस्परिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए **एक्शन फॉर पीसकीपिंग (A4P)** की शुरूआत की है। इसके माध्यम से महासचिव ने, सदस्य राज्यों, मेजबान देशों, सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों, क्षेत्रीय भागीदारों और वित्तीय योगदानकर्ताओं को संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था के साथ सामूहिक भागीदारी को नवीनीकृत करने और उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए पारस्परिक रूप से प्रतिबद्ध होने के लिए आहूत किया।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नाबार्ड द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2016-17 जारी किया गया था।

वित्तीय समावेशन को कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है **(जैसे- बचत खाता, कम लागत वाले ऋण, वित्तीय सलाहकार सेवाएं और बीमा सुविधाएं)।**

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य

- मुख्यधारा की विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे- बचत बैंक खाते, ऋण, बीमा, भुगतान और प्रेषण एवं वित्तीय तथा क्रेडिट सलाहकार आदि तक पहुंच प्रदान करना।
- विशाल औपचारिक वित्तीय बाजार का लाभ प्रदान करना तथा अनौपचारिक ऋण बाजार के शोषण से अपवर्जितों की रक्षा करना ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके।

वित्तीय समावेशन का महत्व

- **GDP:** वित्तीय समावेशन और गरीबी के साथ इसका सीधा सह-संबंध है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बैंकिंग प्रणाली से अपवर्जन के परिणामस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1% की हानि हुई है।
- **औपचारीकरण:** यह लघु व्यवसायों या सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण उपलब्धता की औपचारिक प्रणाली सृजित करेगा। इसके फलस्वरूप इन उद्यमों या व्यवसायों के स्वामियों को परिसंपत्तियों में निवेश करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **बीमा तक पहुंच में सुधार** जिसके परिणामस्वरूप रुग्णता, प्राकृतिक आपदा, फसल हानि या रोजगार की कमी जैसी आपात स्थितियों में गैर-नियोजित व्यय से सुरक्षा प्राप्त होगी।
- **बैंकों को लाभ:** वित्तीय समावेशन ग्रामीण जनसंख्या के बड़े हिस्से में बचत की संस्कृति का विकास कर वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को विस्तृत करता है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **सरकार को लाभ:** वित्तीय समावेशन लाभार्थी के खाते में **प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण** को सक्षम बनाता है जिसके परिणामस्वरूप लेन-देन की लागत को कम करना, वितरण नेटवर्क में रिसाव को कम करना, किसी अन्य के नाम पर लाभ लेने वाले लाभार्थी की पहचान करना (ghost beneficiary), इच्छित लाभार्थी तक पहुंचना और सेवाओं का समय पर वितरण करना सुगम हो जाता है।
- **साहूकारी व्यवस्था का उन्मूलन:** यह औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा के माध्यम से सूद पर धन देने वाले साहूकारों (usurious money lenders) द्वारा कमजोर वर्गों के शोषण को कम करता है।
- यह उचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए लोगों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है।

- **अवैध धन पर नियंत्रण :** बैंकिंग परिवेश में अधिक धन के प्रवेश के कारण नकद अर्थव्यवस्था में कमी।
- **उद्यमिता को प्रोत्साहित करना:** औपचारिक बैंकिंग चैनलों से पर्याप्त और पारदर्शी ऋण की उपलब्धता के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और समृद्धि बढ़ाने से जनता की उद्यमशीलता में वृद्धि होगी।
- इसका लक्ष्य समाज में सर्वाधिक गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम बनाते हुए तथा समाज में असमानता को कम करते हुए **समावेशी विकास करना है।**

चुनौतियां

- **मांग-पक्ष सम्बन्धी बाधाएं:**
  - जागरुकता की कमी, गरीबी और निरक्षरता उन कारकों में से हैं जिनके परिणामस्वरूप वित्तीय सेवाओं की मांग में कमी आती है और इस प्रकार वित्तीय अपवर्जन होता है।

- ग्राहकों के लिए बैंकों का प्रतिकूल एवं असंवेदनशील रवैया भी वित्तीय सेवाओं की मांग को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **आपूर्ति-पक्ष सम्बन्धी बाधाएं**
  - बैंक शाखाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अधिक कमी है। इसके अतिरिक्त बहुधा वित्तीय उत्पादों को महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संरचित, वितरित या समूहीकृत नहीं किया जाता है।
  - वित्तीय समावेशन को मुख्य आधार प्रदान करने वाली आधारभूत अवसंरचनाएं जैसे- पर्याप्त गति वाला इन्टरनेट, उपकरण (स्मार्ट फोन और कंप्यूटर), विद्युत् इत्यादि पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
  - सामाजिक लागत: संचार का अभाव, भाषा सम्बन्धी बाधाएं और साक्षरता का निम्न स्तर जैसे कारक भी लागत में वृद्धि करते हैं और बैंकरों को उपयुक्त पहल करने से रोकते हैं।

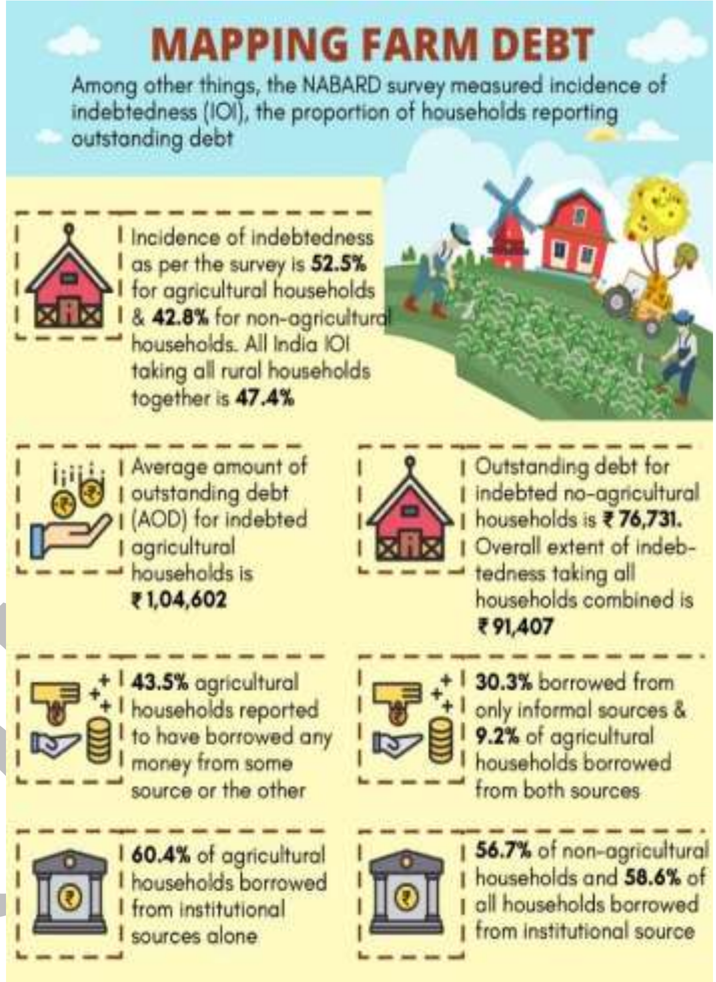

- औपचारिक बैंकिंग सेवाओं में सम्मिलित प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण लोगों को निराश होकर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। इसके कारण उनके जीवन स्तर में गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त अनैतिक और अनियमित ऋण दाताओं पर निर्भरता के कारण लागत उच्च हो जाती है तथा आपराधिक घटनाओं और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है।

भारत में वित्तीय समावेशन का विस्तार

- **समग्र समावेशन में सुधार: क्रिसिल इनक्लिक्स रिपोर्ट 2017** के अनुसार भारत में वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2013 में 50.1 की तुलना में **वित्तीय वर्ष 2016 में इसका अखिल भारतीय स्कोर 58.0 हो गया है**। इसके लिए उत्तरदायी दो प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
  - जन-धन पहल के कारण जमा खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - सभी क्षेत्रों में क्रेडिट खातों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।
- **ग्रामीण वित्तीय समावेशन में वृद्धि: NAFIS के अनुसार** 88.1% ग्रामीण परिवारों और 55% कृषि परिवारों के पास बैंक खाते हैं जिनमें प्रति परिवार 17,488 रुपये प्रति वर्ष की औसत बचत होती है।
  - औसत भारतीय कृषि परिवार (अर्थात ग्रामीण परिवारों का 48%) की आय कृषि वर्ष 2015-16 में **प्रति माह 8,931 (प्रति वर्ष 1,07,172)** रुपये रही। जबकि गैर-कृषि परिवारों की औसत वार्षिक आय 87,228 रुपये रही जिसमें सर्वाधिक योगदान मजदूरी (54%) तत्पश्चात वेतन (32%) और अंततः गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों (12%) का रहा। कृषि परिवारों ने गैर-कृषि परिवारों की तुलना में 23% अधिक आय अर्जित की है।
- **महिला समावेशन में सुधार: विश्व बैंक के ग्लोबल फिंडेक्स सर्वे (2017)** के अनुसार, भारत में खाता स्वामित्व में व्याप्त लैंगिक अंतराल 2014 के 19.8% से घट कर 6.4% के स्तर पर आ गया है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार 77% भारतीय महिलाओं के पास बैंक खाता है। हालांकि औपचारिक वित्त व्यवस्था में महिलाओं के **व्यापक वित्तीय समावेशन** की कमी है:
  - **बचत:** कुल महिला बैंक खाता धारकों में से 16.7% से भी कम महिलाएँ औपचारिक रूप से बैंकों में बचत करती हैं। यह 26% के वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है।

- **उधार:** औपचारिक ऋण बाजारों तक पहुंच के मामले में भारतीय महिलाएं वैश्विक औसत से काफी पीछे हैं। भारत में केवल 5% महिलाओं ने औपचारिक ऋण बाजारों से ऋण प्राप्त किया जबकि वैश्विक औसत 9% है। वहीं दूसरी ओर भारत में महिलाओं द्वारा अनौपचारिक रूप (परिवार और मित्रों) से ऋण लेने की दर 30% है।
- **अन्य:** भारतीय पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं का वित्तीय समावेशन पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। दोनों के मध्य यह अंतराल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के स्वामित्व एवं प्रयोग, प्रेषण के लिए खाते का उपयोग तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखता है।

महिलाओं के वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

- **गरीबी कम करने का उपाय-** विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि 75 देशों में से 41 देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सर्वाधिक गरीब परिवारों में रहने की अधिक संभावना है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण महिलाओं की गरीबी से बाहर निकलने की क्षमता कम हो जाती है; जिसके कारण इनके गरीबी की स्थिति में बने रहने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **ऋण की आवश्यकता:** महिलाएं विकासशील देशों में स्व-रोजगार के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस प्रकार उन्हें औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बावजूद विश्व बैंक द्वारा किए गए शोध के अनुसार महिलाओं के बैंक ऋण प्राप्त करने की संभावना कम होती है।
- **लैंगिक समानता:** यह महिलाओं को सशक्त बनाकर और उन्हें उनके वित्तीय जीवन पर अधिक नियंत्रण देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इस उद्देश्य से बहुधा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं पर अधिक व्यय किया जाता है।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** स्वयं के लिए तथा परिवार के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में उनका यह निवेश ऐसे निवेशों को बढ़ावा देता है जो उनके समुदाय में एक सतत प्रभाव के साथ अंतर-पीढ़ीगत परिवर्तन को जन्म देते हैं।
- **समग्र राष्ट्रीय विकास:** किसी क्षेत्र के विकास एजेंडे में महिला आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। अनुभव यह दर्शाते हैं कि जब महिलाएं स्वयं अपनी आय सृजित करती हैं तो वे अपने परिवारों और समुदायों में निवेश करती हैं।

महिलाओं के वित्तीय समावेशन से सम्बंधित विशिष्ट चुनौतियां

- **सुरक्षा चिंताएं,** सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध उनके सशक्तिकरण, सौदेबाजी क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को अवरुद्ध करते हैं।
- **संपार्श्विक (collateral) के अभाव** और निम्न स्तर की व्यय योग्य आय के कारण अनेक महिलाओं को ऋण देना अत्यंत जोखिम पूर्ण होता है।

RBI समिति (दीपक मोहंती) की अनुशंसाएं

- सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए कि महिलाएं अधिकाधिक संख्या में बैंकों में खाते खोलने के लिए प्रेरित हों। इसके साथ ही सरकार को कल्याणकारी उपाय के रूप में बालिकाओं के लिए जमा योजना 'सुकन्या शिक्षा' आरम्भ करने पर विचार करना चाहिए।
- **ऋण व्यवस्था की स्थिरता के लिए:** 'आधार' जैसे विशिष्ट बायोमीट्रिक आइडेंटिफायर (Biometric Identifier) को प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण खाते और ऋण सूचना कंपनियों के साथ शेयर की गई सूचना के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- **सरकार से व्यक्तियों को धन हस्तांतरण (Government To Person-G2P):** G2P भुगतान को सुदृढ़ बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा को और अधिक कार्यकुशल बनाया जाए। यह सरकार के लिए वित्तीय समावेशन में सहायक होगा।
- **अंतिम-बिंदु तक सेवा वितरण:** अधिकतम संभव G2P भुगतानों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा के उपयोग से एक निम्न लागत वाला समाधान विकसित किया जाना चाहिए।
- **बैंकों का ऐसा बिज़नेस मॉडल** जिसमें निर्दिष्ट लिंक शाखाओं द्वारा उचित निगरानी के साथ बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) को एकीकृत किया जाए और एक सामान्य व्यक्ति के विश्वास को जीतने के लिए अधिक संख्या में निश्चित अवस्थिति वाले BC आउटलेटों की स्थापना।
- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC)** नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा अपने प्रमुख वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं (lead literacy officers) को चिह्नित किया जाना चाहिए जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा अपने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (CAB) में प्रशिक्षित किया जाएगा। तदुपरांत ये प्रशिक्षित परामर्शदाता FLCs का प्रबंधन करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

VISION IAS

- MSMEs के लिए **पेशेवर ऋण** मध्यस्थों/सलाहकारों की एक प्रणाली की स्थापना जो इस क्षेत्रक और बैंकों, दोनों को क्रेडिट मूल्यांकन में सहायता प्रदान करेगी।
- **विशिष्ट इंटरेस्ट फ्री विंडो:** एक ब्याज मुक्त बैंकिंग संरचना जिसके अंतर्गत जमा स्वीकार करने वाले बैंक पूर्णतः वित्तीय गतिविधि के रूप में ऋण नहीं देंगे बल्कि बैंक इक्विटी और/या व्यापार वित्त पोषण में शामिल होकर लाभ और हानि साझाकरण के आधार पर कार्यप्रणाली का संचालन करेंगे।

आगे की राह

- **भाषा:** जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी में संवाद नहीं करता है इसलिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में अपनाने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना:** समुदाय केंद्रित शिक्षा और उसमें भी विशेष रूप से उन सामाजिक मुद्दों के समाधान पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो परिवार में महिलाओं की वित्तीय भूमिका को प्रतिबंधित करते हैं।
- **मांग-पक्ष सम्बन्धी बाधाओं** को दूर करने के लिए
  - कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से **कार्यबल सहभागिता** में सुधार करने की आवश्यकता है (कौशल भारत मिशन, स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया योजना)।
  - प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके प्रति **सामाजिक प्रवृत्ति को बदलना**; उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करना; और वैधानिक तंत्र के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  - विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी हस्तक्षेपों **(प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान और प्रधानमंत्री वित्तीय साक्षरता अभियान)** के माध्यम से वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ वित्तीय साक्षरता में सुधार करना आवश्यक है।

- **आपूर्ति-पक्ष सम्बन्धी बाधाओं** को दूर करने के लिए
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी जगह **अधिक बैंक शाखाओं को स्थापित करने की आवश्यकता** है। बेहतर तरीके से प्रशिक्षित बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के माध्यम से भी अभिगम्यता को बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए वित्तीय उत्पाद भी तैयार किये जाने चाहिए।
  - बेहतर इंटरनेट गति **(भारतनेट परियोजना)** और सब्सिडी युक्त दरों पर स्मार्टफोन जैसे उपकरण प्रदान कर **डिजिटल स्पेस की पहुंच में सुधार** के माध्यम से वित्तीय समावेशन में पर्याप्त सीमा तक वृद्धि की जा सकती है।
- बचत, ऋण और बीमा से सम्बंधित ऐसे समाधानों का पैकेज डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो **महिलाओं के वित्तीय जीवन के लिए अधिक प्रासंगिक** हो।
- **संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना:** वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच गरीबी को समाप्त करने, नौकरियां सृजित करने, लैंगिक समानता स्थापित करने तथा बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायक होगी।

वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहलें

- 1904 में सहकारी आंदोलन और 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम (14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया)।
- वित्तीय समावेशन के लिए **'स्वाभिमान'** योजना जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत लाना है।
- RBI द्वारा दो वित्तीय समावेशन योजनाएँ (FIPs) तैयार की जा चुकी हैं।
  - **प्रथम FIPs:** 2010-2013 के लिए 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 असंबद्ध गांवों को लक्षित किया गया था और इस लक्ष्य का 99.7% प्राप्त कर लिया गया था।
  - **द्वितीय FIPs:** 2013-2016 के लिए 2,000 से कम जनसंख्या वाले 491,825 असंबद्ध गांवों को लक्षित किया गया था

और इस लक्ष्य का 96% प्राप्त कर लिया गया था।

- लघु बैंकों और भुगतान बैंकों (नचिकेत मोर कमेटी द्वारा अनुशंसित) के लिए विभेदीकृत बैंकिंग लाइसेंस; 10 सूक्ष्म वित्त बैंकों के लिए अनुमोदन जारी किए गए।
- अगस्त 2014 में प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने 30 करोड़ से अधिक खाते और योजना प्रारंभ होने के बाद खोले गए खातों में 80000 करोड़ रुपये से अधिक जमा को देखते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है।
- **विमुद्रीकरण:** सरकार ने विमुद्रीकरण के बाद से डिजिटल भुगतान के लिए एक व्यापक नीति निर्मित की है। आधार के व्यापक विस्तार ने ग्राहकों को ATMs और सेवा टर्मिनलों के अतिरिक्त डिजिटल BC भुगतान बिंदुओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है जिससे महिलाएं भी समान रूप से लाभान्वित हुई हैं।
- **भारतीय डाक भुगतान बैंक**: इसका उद्देश्य मुख्य रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों** में 300,000 डाक कर्मियों तथा सेल फोन और बॉयोमीट्रिक उपकरणों से लैस ग्रामीण डाक सेवकों को तैनात करते हुए डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर **बैंकिंग सेवाओं में व्याप्त अंतिम-बिंदु के अंतर** को समाप्त करना है।

3.2 भारत में मज़दूरी में असमानता (Wage Inequality in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी रिपोर्ट **"इंडिया वेज रिपोर्ट: वेज पॉलिसीज़ फॉर डीसेंट वर्क एंड इन्क्लूसिव ग्रोथ"** के माध्यम से भारत में मज़दूरी में असमानता के सन्दर्भ में चेतावनी दी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- यद्यपि 1993-1994 से 2011-2012 तक **वास्तविक मज़दूरी बढ़कर लगभग दोगुनी (247 रुपये)** हो गयी है किन्तु औसत श्रम उत्पादकता अर्थात् प्रति श्रमिक GDP की तुलना में इसकी वृद्धि दर मंद है।
- राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में **लेबर शेयर (राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसका भुगतान पारिश्रमिक के रूप में श्रमिकों को किया जाता है)** 1981 के 38.5% के स्तर से घटकर 2013 में 35.4% के स्तर पर आ गया था।
- 2009-10 में सभी **मजदूरों के एक तिहाई भाग को किया गया भुगतान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम** था जिसमें सभी अनियमित श्रमिकों का 41% और वैतनिक श्रमिकों का 15% सम्मिलित था।
- **ग्रामीण और नगरीय** क्षेत्रों के साथ-साथ **नियमित और अनियमित श्रमिकों** के मध्य व्यापक लैंगिक अंतराल और **मजदूरी संबंधी अंतराल** विद्यमान हैं।

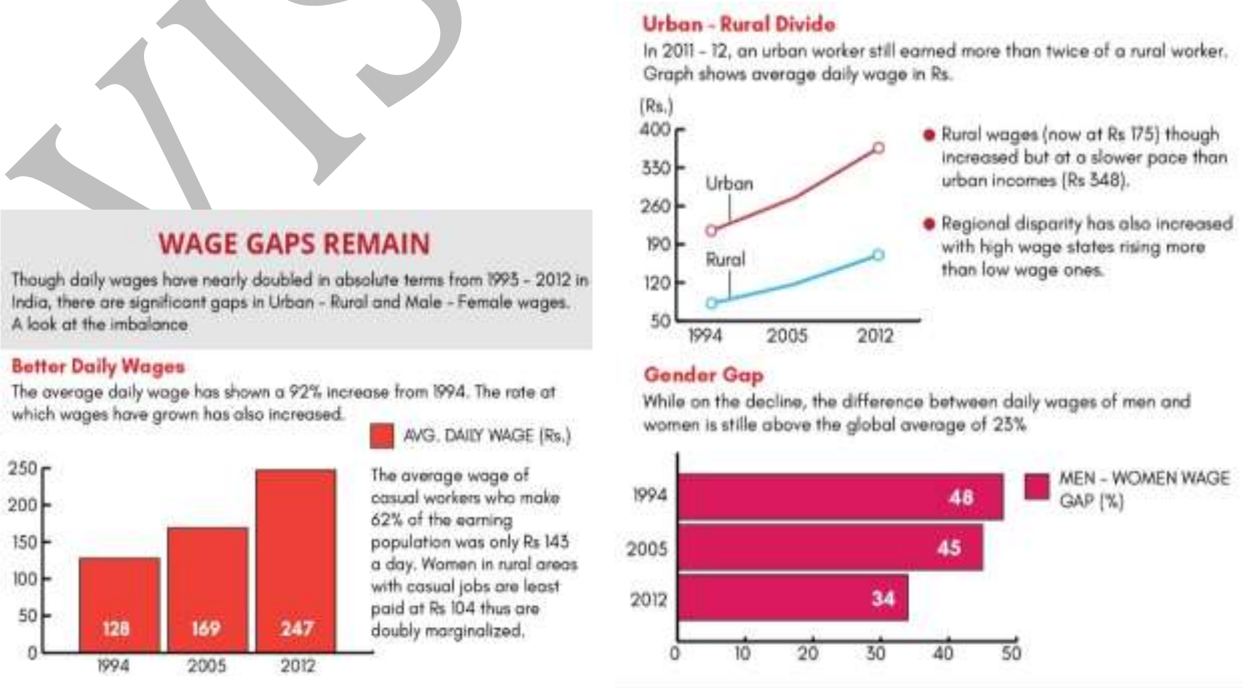

VISION IAS

मजदूरी में असमानता के परिणाम

- श्रम में अनौपचारिकता एवं वर्गीकरण और परिणामस्वरुप **संसाधन वितरण में असमानता** के कारण सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है जो अंततः निर्धनता और अपराध में वृद्धि का कारण बनती है।
- आर्थिक असमानता **नागरिक सहयोग में कमी** और सामाजिक असमानता में वृद्धि करती है।
- इससे **क्रोनी कैपिटलिज़्म (Crony Capitalism)** का उदय होता है और लोकतांत्रिक शासन संरचना को कमजोर होती है जिससे अन्याय में वृद्धि होती है।

आगे की राह

- **मजदूरी में एकरूपता:** श्रम राज्य सूची का विषय है जिसके कारण मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है। अतः, न्यूनतम मजदूरी के सार्वभौमीकरण के लिए मजदूरी संहिता विधेयक, 2017 जैसे सांविधिक राष्ट्रीय मजदूरी कानून को अधिनियमित किया जाना चाहिए।
- **न्यूनतम मजदूरी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन** जिसमें कड़े दंडात्मक प्रावधान, कार्यस्थलों पर अधिसूचनाओं का अनिवार्य प्रदर्शन और अधिक प्रचार, शिकायतों के निवारण हेतु राष्ट्रीय टोल फ्री हॉटलाइन तथा बैंक हस्तांतरण या अन्य उपायों के उपयोग के माध्यम से मजदूरी भुगतान के दस्तावेज़ीकरण में सुधार करना इत्यादि सम्मिलित है।
- न्यूनतम मजदूरी कानून को अपने विधिक दायरे का विस्तार करते हुए इसमें भारत के सभी क्षेत्रकों, उद्योगों और क्षेत्रों के समस्त श्रमिकों को सम्मिलित करना चाहिए।
- मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करने हेतु **लोकतांत्रिक, समावेशी और सहभागितापूर्ण श्रमिक संघों का निर्माण** किया जाना चाहिए।
- **सरकारी एजेंसियों, अकादमिक संस्थानों एवं विशेषज्ञ संगठनों के मध्य सहभागिता** होनी चाहिए और नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों एवं सरकारों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्तरदायित्वों को रेखांकित किया जाना चाहिए।
- सामयिक डेटा की कमी एक अन्य प्रमुख बाधा है और यह नवीनतम रिपोर्ट भी NSSO के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (EUS), 2011-12 के आंकड़ों पर आधारित थी। इसलिए, अधिक यथार्थवादी हस्तक्षेप करने हेतु राज्य विशिष्ट प्रौद्योगिकी संचालित डेटा के साथ **व्यापक डेटा संग्रह** किया जाना चाहिए।
- **श्रम गहन विनिर्माण उद्योगों** द्वारा महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

3.3. रयथू बंधु योजना

(Rythu Bandhu Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तेलंगाना** सरकार ने किसानों का समर्थन प्रदान करने के लिए **रयथू बंधु** (किसानों के मित्र) योजना प्रारंभ की है।

रयथू बंधु योजना से संबंधित तथ्य

- यह किसानों के लिए एक प्रकार की निवेश समर्थन योजना है, जिसमें किसानों को उनकी जोत (landholdings) के आधार पर चेक भुगतान शामिल है। सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को प्रत्येक फसल के मौसम से पूर्व **4,000 रूपए प्रति एकड़ "निवेश समर्थन"** के रूप में प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य किसान को **बीज, उर्वरक, कीटनाशक, और खेत संबंधी तैयारी पर** होने वाले व्ययों का एक बड़ा भाग पूरा करने में सहायता करना है।
- इस योजना में राज्य के 31 जिलों की 1.42 करोड़ एकड़ भूमि शामिल है, और **भू स्वामित्व वाला प्रत्येक किसान** इसका लाभ उठाने का पात्र है।

लाभ

- यह योजना प्रत्येक फसल के मौसम से पूर्व **धन के लिए साहूकारों की आवश्यकता को समाप्त करेगा** और 4-5 वर्षों में ऋण से मुक्त होने में सहायता करेगी।
- सरकार **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) बनाने के बजाय चेक जारी करेगी** जो कि बैंक द्वारा किसानों की पिछली देनदारियों के विरुद्ध DBT धन को समायोजित करने की संभावना को समाप्त करती है।
- यह **सामाजिक और कृषि नीति** के लिए आदर्श हो सकती है। इसे देश में **सार्वभौमिक बुनियादी आय (universal basic income) के लिए एक परीक्षण** के रूप में देखा जाता है।

VISION IAS

चुनौतियां / दोष

- **उचित भूमि रिकॉर्ड के अभाव** के परिणामस्वरूप कई किसान इस योजना से बाहर रह गए हैं। नाम अथवा सर्वेक्षण संख्या में विसंगतियों के कारण कई चेक वापस कर दिए गए हैं।
- यह योजना **समृद्ध किसानों और समृद्ध भूस्वामियों को बाहर नहीं करती है।** इस योजना में एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों को चेक वापस किया जा सकता है। परन्तु यह प्रावधान केवल स्वैच्छिक है।
- इस योजना में **पट्टेदार किसानों को वंचित रखा गया** है जो अनुमानित रूप से तेलंगाना की कृषि जनसंख्या का लगभग 40% हैं और अधिकांश सबसे निर्धन और वंचित पृष्ठभूमि से सम्बंधित हैं।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) के बारे में

यह आवधिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को बिना शर्त नकद हस्तांतरण है।

UBI के पक्ष में तर्क

- **निर्धनता और सुभेद्यता में कमी:** UBI के परिणामस्वरूप धन का न्यायसंगत वितरण होगा।
- **विकल्प:** नागरिक कल्याण व्यय को अपनी इच्छानुसार (जैसा बेहतर समझे) व्यय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बढ़ी हुई आय व्यक्तियों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि करेगी, क्योंकि अब उन्हें किसी भी कार्य संबंधी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- **बेहतर लक्ष्यीकरण:** चूंकि सभी व्यक्तियों को लक्षित किया जाता है, अपवर्जन संबंधी त्रुटि (किसी भी नागरिक के योजना से बाहर रहने की संभावना) नहीं होती है।
- **आघातों के विरुद्ध बीमा:** यह आय स्वास्थ्य, आय और अन्य आघातों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा।
- भुगतान के रूप में **वित्तीय समावेशन में सुधार** - हस्तांतरण वित्तीय सेवाओं की मांग में वृद्धि करेगा, जिससे बैंकों के सेवा नेटवर्क के विस्तार में निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **मनोवैज्ञानिक लाभ:** एक गारंटीकृत आय दैनिक आधार पर निर्वाह योग्य आय की खोज के दबाव को कम कर देगी।
- **प्रशासनिक दक्षता:** भिन्न सरकारी योजनाओं के स्थान पर UBI राज्य पर प्रशासनिक बोझ को कम कर देगी।

UBI के विपक्ष में तर्क

- **विशिष्ट व्यय:** परिवार इस अतिरिक्त आय को अनुचित गतिविधियों अथवा शराब, तंबाकू जैसी विलासितापूर्ण वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं।
- **नैतिकता संबंधी खतरे:** न्यूनतम गारंटीकृत आय लोगों को आलसी बना सकती है और श्रम बाजार से बाहर कर सकती है।
- **नकद द्वारा प्रेरित लिंग असमानता:** पुरुषों द्वारा UBI के खर्च पर नियंत्रण करने की संभावना है जो कि अन्य प्रकार के हस्तांतरण के संदर्भ में नहीं दिखता है।
- **निकास संबंधी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रदत्त वित्तीय लागत:** वृहद जनसंख्या के आकार को देखते हुए, सरकार पर अत्यधिक राजकोषीय बोझ पड़ेगा। साथ ही, एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद विफलता के मामले में सरकार को UBI को समाप्त करना कठिन हो सकता है।
- **सार्वभौमिकता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था - स्वैच्छिक अपवर्जन के लिए विचार:** समृद्ध व्यक्तियों को हस्तांतरण के प्रावधान से विरोध उत्पन्न हो सकता है क्योंकि यह गरीबों के लिए समता और राज्य कल्याण के विचार का उल्लंघन कर सकता है।

3.3.1.सार्वभौमिक बुनियादी आय बनाम लक्षित हस्तांतरण योजना

(Universal Basic Income V/S Targeted Transfer Scheme)

लक्षित योजनाएं

- इंडोनेशिया और पेरू के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि विकासशील देशों में विद्यमान लक्ष्यीकरण विधियां भले ही त्रुटिपूर्ण हो किन्तु ये सार्वभौमिक कार्यक्रमों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में अधिक लाभकारी प्रतीत होती हैं। इसका कारण यह है कि सार्वभौमिक कार्यक्रमों की तुलना में लक्ष्यीकरण विधियाँ प्रति-लाभार्थी आधार पर गरीबों को अधिक लाभ का हस्तांतरण कर सकती हैं।
- इन लक्ष्यीकरण कार्यक्रमों की एक कमी इसमें निहित अपवर्जन दोष (Exclusion Error) है क्योंकि इनका लक्ष्यीकरण त्रुटिपूर्ण है और इसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में गरीब परिवार इसके दायरे से बाहर छूट जाएंगे।

लक्ष्यीकरण की विधि में सुधार

- **समुदाय-आधारित लक्ष्यीकरण प्रक्रिया:** कार्यक्रम के अंतर्गत किसी दिए गए समुदाय को निश्चित संख्या में स्थान आवंटित किए जाते हैं,और एक सहभागितापूर्ण बैठक के माध्यम से वे आपस में मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनमें से किस/किन व्यक्ति/व्यक्तियों

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

को सर्वाधिक आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप अधिक पारदर्शिता और बेहतर समावेशन की प्राप्ति होती है। इसे बेहतर रूप में संस्थागत बनाने के लिए, स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ लोगों को सामाजिक लेखांकन के उपकरण का उपयोग करने के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए।

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जन-धन, आधार और मोबाइल के प्रयोग के साथ त्वरित गति से नकद हस्तांतरण बेहतर लक्ष्यीकरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाएगा। विकास में वृद्धि के लिए इससे पूंजीगत व्यय की लागत और अतिरिक्त संसाधनों को कम करने में सहायता मिलेगी।
- **सशर्त हस्तांतरण:** कार्यक्रम कुछ स्पष्ट शर्तों पर आधारित होना चाहिए जिन्हें पूरा करने पर ही लाभार्थियों को आवश्यक सहायता की प्राप्ति हो। उदाहरण के लिए, गरीब परिवारों को आधारभूत मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य एवं शिक्षा की शर्तें पूरी करने पर ही नकद हस्तांतरण की प्राप्ति का प्रावधान किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के अनेक यादृच्छिक परीक्षणों से पता चला है कि इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप शर्त के उन संकेतकों या क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार देखने को मिला है जिन्हें पूरा करने पर ही लक्षित लाभार्थी सहायता का पात्र बन सकता था।

निष्कर्ष

कल्याणकारी योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ या रिसाव (लीकेज) अंततः लक्ष्यीकरण तंत्र की सटीकता पर निर्भर करते हैं। चाहे भारत एक अर्द्ध-सार्वभौमिक बुनियादी आय की ओर बढ़े या लक्षित कार्यक्रमों को जारी रखे, बेहतर लक्ष्यीकरण कल्याण कार्यक्रमों पर किये जाने वाले सरकारी व्यय के प्रभाव को निश्चित रूप से तीव्र कर सकते हैं।

3.4. भारत में वहनीय आवास (Affordable Housing In India)

भारत सरकार के अनुसार, वहनीय आवास (AH) ऐसे किसी भी आवास को संदर्भित करता है जो वहनीयता संबंधी कुछ मानदंडों की पूर्ति करता हो। इनमें परिवार की आय का स्तर, आवासीय इकाई का आकार या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स (EMI) की राशि अथवा वार्षिक आय के अनुपात में आवासीय मूल्य के संदर्भ में वहनीयता शामिल हो सकती है।

महत्व

- भारतीय शहर अत्यधिक दबाव में हैं और बढ़ती प्रवासी आबादी को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- चरघातांकीय रूप से बढ़ रहे शहरीकरण और मलिन बस्तियों में वृद्धि, बुनियादी सेवाओं का अभाव, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक सीमित पहुंच के परिणामस्वरूप प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।
- आवास मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना अवधि के दौरान 18.78 मिलियन आवासों की कमी का अनुमान लगाया गया, जिनमें से 99% कमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वाले समूहों (LIG) में व्याप्त थी।

Table 1 : Definition of Affordable Housing, GoI

Min. area of habitation	Provision of basic amenities	Cost of house
EWS Min. 300-500 sq ft (super built up area)	Sanitation, adequate water supply and power	EMI < 30-40% of gross monthly income of buyer
LIG 500-600 sq ft	Provision of community spaces, amenities such as parks, schools and healthcare facilities within project area or neighborhood depending upon the site and location of the housing project	Reasonable maintenance cost
MIG 600-1,200 sq ft (super built up area)		

- एक अनुमान के अनुसार देश में 2022 तक शहरी आवास में लगभग 30 मिलियन की कमी हो जाएगी। वहनीय आवास के संबंध में मांग एवं आपूर्ति के मध्य बढ़ता यह अंतर लोगों को मलिन और अनौपचारिक बस्तियों में रहने के लिए विवश कर रहा है।
- वहनीय आवास पर बल देने के परिणामस्वरूप न केवल जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होगी बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा।

गंभीर मुद्दे एवं चुनौतियां

वहनीय आवास (AH) परियोजनाओं के लिए भू-खंडों का अनुचित चयन: शहर की सीमाओं के भीतर उच्च कीमतें और भूमि-उपलब्धता में कमी विकासकर्ताओं (डेवलपर) द्वारा संचालित परियोजनाओं को हतोत्साहित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग इन आवासीय इकाइयों में रहने के इच्छुक नहीं होते।

केंद्रीय बजट 2017-18 में किए गए प्रावधान

केंद्रीय बजट 2017-18 में वहनीय आवास को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गयी है :

- वहनीय आवास को **बुनियादे ढाँचे का दर्ज़ा** प्रदान करना।
- वहनीय आवास प्रमोटर्स के लिए परियोजना को पूर्ण करने की अवधि को **पूर्व के 3 वर्ष से** बढ़ाकर **5 वर्ष करना।**
- विकासकर्ताओं को पूर्ण हो चुकी परन्तु बिना बिकी हुई इकाइयों की नोशनल रेंटल इन्कम (अर्थात किराये द्वारा आय अर्जन की अन्तर्निहित क्षमता भले ही घर को किराये पर न दिया गया हो) पर कर चुकाने के लिए एक वर्ष का समय प्रदान करना।
- वहनीय आवास के लिए **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की अवधि** को तीन से घटाकर दो वर्ष करना।
- बिक्री योग्य क्षेत्र (saleable area) से कार्पेट एरिया तक वहनीय आवास के लिए **अर्हता मानदंडों में संशोधन।**
- वहनीय आवास खंड के लिए व्यक्तिगत ऋण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा **पुनर्वित्त की सुविधा** प्रदान करना

- **लंबी वैधानिक मंजूरी एवं अनुमोदन प्रक्रिया:** विभिन्न प्राधिकरणों से सभी 20-30 आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग जाता है जिससे निर्माण अवधि और परियोजना लागत में वृद्धि होती है।
- **विकास मानदंडों, नियोजन एवं परियोजना निर्माण में कमियां:** उदाहरणार्थ, केंद्रीय और राज्य सरकारों की वहनीय आवास नीतियों के मध्य असंगतता लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक और बाह्य कनेक्टिविटी आधारभूत संरचना प्रदान करने में संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई भी एक दोष है ।
- **लाभार्थी चयन में चुनौतियां:** अपने लक्षित ग्राहकों की पहचान करने के लिए वहनीय आवास के विकासकर्ताओं के पास लाभार्थी डेटाबेस की कमी है।
- **क्षमता संबंधी बाधाएं** जैसे प्रवर्तन एजेंसियों की अपर्याप्त क्षमता और इकोनॉमी ऑफ स्केल (उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से लागत में बचत करना) को प्राप्त करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का अभाव।
- कम लाभ मार्जिन और इनपुट लागत में बदलाव के प्रति उच्च संवेदनशीलता तथा परियोजना संबंधी विलंब इत्यादि के कारण **बड़े संगठित रियल एस्टेट अभिकर्ताओं की भागीदारी की कमी।**
- विकासकर्ताओं के लिए क्रेडिट का संवर्द्धन करने वाले उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की कमी के साथ-साथ रखरखाव के लिए उपयुक्त तंत्र या कोष की कमी के कारण **निर्माण वित्त की उच्च लागत।**

भारत सरकार की पहलें एवं हस्तक्षेप

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY -2015):** पूर्व कार्यक्रमों की कमियों को दूर करना और एक सर्वव्यापी योजना विकसित करना।
- विकासकर्ताओं के लिए ब्याज की लागत को कम करने हेतु 2012 से वहनीय आवास परियोजनाओं हेतु **बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)** की अनुमति दी गयी है।
- टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन-डेवलपमेंट के विकास के लिए **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का मार्ग खोलना।**
- कम आय वाले ग्राहकों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के सहयोग से 1200 करोड़ रुपये के कोष के साथ **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि (2012)** की स्थापना की गयी थी ।
- HUDCO (Housing and Urban Development Corporation) और NHB (National Housing Bank) द्वारा **कर मुक्त बांड जारी** किए जाते हैं ताकि उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण/उधार की निम्न लागत सुनिश्चित की जा सके और बदले में उनके द्वारा प्रदत्त ऋण की लागत को कम किया जा सके।

वहनीय आवास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं

- राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM -2005)
- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं पर उप-मिशन (BSUP)
- एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (IHSDP)
- शहरी निर्धनों के आवास हेतु ब्याज अनुदान की योजना (ISHUP)

- **रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA):** यह राजस्व साझेदारी के साथ संयुक्त विकास समझौते करने, दबावग्रस्त आस्तियों के स्वामियों द्वारा बड़े विकासकर्ताओं को भूखंड विक्रय करने के साथ ही भूमि लेनदेन में वृद्धि को सुगम बनाने, परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने को सुगम बनाने आदि के माध्यम से इस क्षेत्र की ओर नए क्रेताओं का ध्यान आकर्षित करेगा।

VISION IAS

- विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में निर्माण परमिट प्राप्त करने संबंधी प्रयासों के माध्यम से **इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस** में सुधार किया गया है।
- सरकारी भूमि पर वहनीय आवास के विकास हेतु **6 सार्वजनिक निजी भागीदारी विकल्प विकसित** किए गए हैं।

आगे की राह

- **सुरक्षा एवं लागत को संतुलित करना:** नीति निर्माताओं, विकासकर्ताओं को योजनाबद्ध परियोजनाओं की लागत का निर्धारण करते समय श्रमिकों के कौशल स्तर, बजट एवं समय सीमा, पूर्वज्ञात जोखिमों और प्राकृतिक खतरों के लिए शमन उपायों, वैकल्पिक संधारणीय सामग्री के उत्पादन के साथ स्थानीय सामग्री के उपयोग सहित पर्यावरण अनुकूल समाधान जैसे कारकों पर ध्यान देना चाहिए।
- **विभिन्न क्षेत्रों के क्रेताओं हेतु मानकीकृत व्यावसायिक मॉडल:** समाज के भीतर लक्षित उन ग्राहकों के संबंध में स्पष्टता स्थापित करनी चाहिए जिनके लिए आवासों का निर्माण और विकास किया जा रहा है।
- **वित्तीयन**
    - वहनीयता के क्षेत्रवार तरीके से पुनः मापन और क्रमिक रूप से वर्द्धनशील वित्तपोषण, किराये संबंधी समाधान इत्यादि के माध्यम से वित्तीय सीमा को कम करने पर ध्यान देना चाहिए।
    - स्वयं -सहायता समूहों (SHGs) की पहुंच का उपयोग करके सूक्ष्म बंधकों (micro mortgages) के माध्यम से प्रभावी वित्तपोषण द्वारा LIG और EWS आबादी के बड़े वर्गों के लिए आवास वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
    - केंद्रीय और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं के साथ अभिसरण के विकल्प के माध्यम से संसाधन पूल का उपयोग करना।
- **सुदृढ़ सुविधाएँ:** वहनीय आवासों के निर्माण में रहने योग्य मानदंडों, जैसे- अवस्थिति (नौकरी, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच इत्यादि), कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे (जैसे- जलापूर्ति, बिजली और स्वच्छता सुविधाओं) को शामिल करना चाहिए।
- इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण तकनीक का चयन किया जाना चाहिए।
- दीर्घकालिक धारणीय तंत्र, जैसे- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आवधिक लेखा परीक्षा आदि की स्थापना।

3.5. मनरेगा एवं श्रम संबंधी समस्या

(MGNREGA and Labour Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में पाया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA / मनरेगा) के कारण कृषि में श्रम संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है।

मनरेगा (MGNREGA) से संबंधित तथ्य

- भारत सरकार ने निर्धनता की समस्या को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने हेतु एक सुव्यवस्थित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के निर्माण के उद्देश्य से 2005 में मनरेगा को आरम्भ किया था।
- इसका उद्देश्य निर्धनों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक ऐसे परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक थे।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **निर्धन राज्यों में अधिक लोगों द्वारा पारंपरिक श्रम के स्थान पर मनरेगा को वरीयता दी जाती है:** परंपरागत रोज़गार से मनरेगा में स्थानांतरण अनियमित श्रम करने वाले परिवारों में अधिक है और यह ओडिशा (75 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके प्रमुख कारणों में महिला-पुरुषों के मध्य पारिश्रमिक संबंधी समानता और पारंपरिक रोजगार की तुलना में मजदूरी में वृद्धि शामिल है।
- **कृषि श्रम में गिरावट:** 1993-94 और 2011-12 के मध्य ग्रामीण रोजगार में कृषि का हिस्सा 78% से 64% तक गिर गया तथा विगत पांच वर्षों में इस गिरावट की गति अत्यधिक तीव्र हो गयी। श्रम बल में बड़ी गिरावट ने ग्रामीण श्रम बाजार को संकुचित कर दिया है जिससे खेत संचालन के लिए श्रम की कमी हो गयी है।
- **प्रति व्यक्ति-प्रतिदिन के लिए मनरेगा की मजदूरी दर में विगत कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति** दिखाई दे रही है। इसके साथ ही देश भर में कृषि मजदूरी में भी वृद्धि हुई है जिसके पीछे मनरेगा एक महत्वपूर्ण प्रेरक बल रहा है।
- **कृषि श्रमिकों को बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त होना:** श्रम बाजारों के संकुचित होने से कृषि मजदूरों को बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, कार्य स्थल पर बेहतर व्यवहार/आचरण और कृषि कार्य दिवसों की अवधि पर मोलभाव करने की क्षमता प्राप्त हुई है। यह

VISION IAS

कृषि में नियत कार्य के आधार पर पारिश्रमिक (piece rate) या अनुबंध कार्य की ओर स्थानांतरण का कारण भी बना है, जिससे कामकाजी दिनों की संख्या में परिवर्तन की सुविधा प्राप्त हुई है।

- **लिंग समानता:** मनरेगा में महिलाओं के लिए कृषि मजदूरी में वृद्धि की दर पुरुषों की तुलना में अधिक है जिससे कृषि मजदूरी में ऐतिहासिक रूप से व्याप्त उच्च पुरुष-महिला अंतराल में काफी हद तक गिरावट आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, लगभग 4.6 करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया था, जिनमें से **54 प्रतिशत** रोजगार महिलाओं द्वारा प्राप्त किये गये थे।
- **कृषि यंत्रीकरण में सुगमता:** जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य छोटे सीमांत किसान (जो मनरेगा में भी संलग्न हैं) अधिक प्रभावित नहीं हुए, या कई मामलों में इन्हें काफी हद तक लाभ भी हुआ, समृद्ध किसान भी यंत्रीकरण के माध्यम से आंशिक रूप से बढ़ती लागत को वहन करने में सक्षम थे।
- **तंगहाली के कारण प्रवासन (distress migration) में अत्यधिक कमी:** निर्धन ग्रामीण परिवारों पर मनरेगा के सकारात्मक प्रभावों में से एक तंगहाली के कारण प्रवासन में अत्यधिक कमी आना भी है।
- **श्रमिकों के मध्य आयु वितरण:** अधिकांश मनरेगा श्रमिक (75%) 30-50 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदर्श (सैंपल) जनसंख्या का 17 प्रतिशत वृद्ध जनसंख्या (50-70 वर्ष) तथा 8 प्रतिशत युवा जनसंख्या (20-30 वर्ष) से सम्बंधित है।

कमियां

- **इस योजना के तहत प्रदत्त रोजगार में हाल के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है:** ऐसा कोई राज्य नहीं है, जिसके द्वारा 2011-12 में भाग लेने वाले परिवारों के 50% को भी 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।
- **राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन में अंतर:** दो राज्य अर्थात् तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, मनरेगा के माध्यम से प्रदत्त लगभग एक-चौथाई रोजगार के लिए उत्तरदायी हैं (जोकि कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या में उनकी हिस्सेदारी से भी अधिक है)। वहीं महाराष्ट्र और बिहार के द्वारा मनरेगा के माध्यम से अपेक्षाकृत कम रोजगारों का सृजन किया गया है जबकि इनकी कुल ग्रामीण परिवारों में उच्च हिस्सेदारी है।

आगे की राह

- **एक सुविचारित मनरेगा कैलेंडर का निर्माण किया जाना चाहिए जो कृषि विशिष्ट मौसम के दौरान कार्यों को स्थगित करता हो:** उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में कार्य अनुसूची को कुछ हद तक पारंपरिक रोजगार के मौसम से समायोजित किया गया था।
- मनरेगा योजना को कुछ कृषि कार्यों तक विस्तृत कर इसके कवरेज में वृद्धि करना तथा **इसे अधिक कृषक-अनुकूल बनाना।** इससे उन लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं को हल किया जा सकता है जो इससे वंचित रह गए हैं।
- श्रम की कमी की समस्या को कम करने के लिए **प्रौद्योगिकी संचालित विकल्पों** को अपनाया जाना चाहिए।
- कृषि यंत्रीकरण हेतु सस्ते संस्थागत क्रेडिट तक सुगम पहुंच, किसान उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहन, नीतिगत समर्थन, समावेशी कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम (विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए) तथा प्रवासी श्रमिकों का बचाव, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत परिवर्तन **जैसे अन्य उपाय** अपनाए जाने की आवश्यकता है।

3.6 भारत में भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

(Digitizing Land Records in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा जिला स्तर पर ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को प्रोत्साहित करने हेतु भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तावित की गयी है।

परिचय

- एक संपत्ति के रूप में भूमि अद्वितीय है। बढ़ती जनसंख्या के साथ इसकी मांग में वृद्धि हो रही है, जबकि इसकी उपलब्धता सीमित है।
- भूमि (या भूमि अधिकार) तक पहुंच आजीविका और औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। यह देखा गया है कि व्यापक भूमि अधिकार संपन्न व्यक्ति बेहतर बाजार पहुँच एवं भूमि अधिकारों के कारण उपलब्ध अन्य आर्थिक अवसरों के कारण भूमिहीन व्यक्तियों की तुलना में बेहतर स्थिति में होते हैं।

VISION IAS

- हालांकि, ज़मींदारी प्रथा के कारण उत्पन्न मुद्दों, कानूनी फ्रेमवर्क में विद्यमान अंतराल और भू-अभिलेखों के निम्नस्तरीय प्रबंधन जैसे अनेक कारणों से भारत में भूमि स्वामित्व संबंधी आंकड़े अस्पष्ट हैं। इससे भूमि स्वामित्व से संबंधित कई कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं और कृषि एवं रियल एस्टेट क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

मंत्रालय की कार्य योजना के मुख्य बिंदु
- जिला स्तर पर सभी संबंधित कार्यालय और विभाग सभी प्रासंगिक जानकारियाँ मुख्य रूप से वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे एवं पेपरलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन देने पर बल देंगे।
- भौतिक संपर्क बिंदु की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन आवेदन जमा करने, भुगतान, ट्रैकिंग और निगरानी की सुविधा प्रदान करने वाली एक प्रणाली को संरचित और लागू करना, ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने में सहायक होगा।
- राजस्व अदालतों में राजस्व विवादों के लिए ई-फाइलिंग और ई-सम्मन की सुविधा प्रदान करने वाली एक प्रणाली को संरचित और लागू करना तथा एक अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय सारिणी सुनिश्चित करना।

अव्यवस्थित भू-अभिलेखों के कारण उत्पन्न चुनौतियां

- **अत्यधिक मुकदमेबाजी:** विश्व बैंक द्वारा 2007 में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि देश में कुल लंबित अदालती मामलों में दो-तिहाई भूमि से संबंधित विवाद हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक प्रपत्र में भी उल्लिखित है कि भूमि विवादों को हल करने में औसतन 20 वर्ष का समय लगता है।
- **कृषि ऋण:** छोटे और सीमांत किसान (जो कुल भूमि के आधे से अधिक पर अधिकार रखते हैं) औपचारिक भूमि स्वामित्व धारण नहीं करने के कारण कृषि क्षेत्र को की जाने वाली औपचारिक पूंजी और क्रेडिट की आपूर्ति से वंचित रह जाते हैं।
- **इनपुट लागत पर प्रभाव:** गलत भूमि रिकॉर्ड से किसानों के बीमा दावों में कमी आ सकती है।
- **अवसंरचनात्मक विकास में विलंब:** बाधा रहित भूमि की अनुपलब्धता, भूमि अभिलेखों का अद्यतन न होना, भू-अभिलेखों के संयुक्त माप सर्वेक्षण का प्रतिरोध, भू-स्वामियों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग और भू-स्वामियों द्वारा दर्ज कराए गए मध्यस्थता वादों की बड़ी संख्या आदि के कारण बहुत सी नयी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विलंब हुआ है।
- **नगरीकरण और आवास की कमी:** अव्यवस्थित भूमि अभिलेख भविष्य में कानूनी विवाद के खतरे को बढ़ाते हैं तथा नवीन आवासीय परियोजनाओं में और अधिक निवेश को प्रतिबंधित करते हैं। इस विलंब के कारण शहरी क्षेत्रों में 2022 तक 2 करोड़ आवासों की कमी होने की संभावना है।
- **बड़ी संख्या में बेनामी लेनदेन :** अस्पष्ट स्वामित्व और गैर-अद्यतन भूमि अभिलेखों से गैर-पारदर्शी रीति से संपत्ति के लेन-देन में वृद्धि होती है। **बेनामी लेन-देन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2015** की जांच करने वाली **वित्तीय मामलों की स्थायी समिति (2015)** ने उल्लेख किया है कि भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और उनको नियमित अद्यतन किये जाने के द्वारा बेनामी लेन-देन के माध्यम से काले धन के सृजन को नियंत्रित और समाप्त किया जा सकता है।

सुव्यवस्थित भूमि अभिलेख के लाभ
- **स्पष्ट भूमि स्वामित्व से विभिन्न बाधाओं में कमी आएगी-** स्पष्ट भूमि स्वामित्व इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के दुरुपयोग के स्थान पर निर्धन लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उधार लेने में सहायता प्रदान करने से लेकर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण हेतु वाणिज्यिक भूमि के अधिग्रहण तक विभिन्न बाधाओं को दूर करेगा।
- **भू-अभिलेखों के ऑनलाइन दस्तावेजीकरण** को संबंधित जिले या राज्य की अदालती रजिस्ट्रियों से जोड़ा जा सकता है, जिसके माध्यम से कोई खरीदार किसी संपत्ति के संबंध में किसी भी लंबित मुकदमे की तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- **ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस:** व्यवसाय हेतु भूमि रिकॉर्ड संबंधी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया बोझिल और अक्षम है तथा वर्तमान में कई विभागों में विस्तारित है। भूमि अभिलेखों के सुव्यवस्थित होने से इसमें सुधार आएगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- **भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना (1988-89):** यह योजना सभी भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए प्रारंभ की गयी थी। हालांकि, यह अधिक सफल नहीं हो सकी।
- **लैंड टाइटलिंग बिल, 2011**
  - इसका उद्देश्य सुनिश्चित संपत्ति स्वामित्व प्रणाली की स्थापना करके भू-अभिलेखों के रखरखाव में सुधार करना है।
  - इसके तहत, अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर एक लैंड टाइटलिंग अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

VISIONIAS

- **राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP), 2008:**
  - भू-अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भूमि/संपत्ति विवादों को कम करने, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और अंततः देश में अचल संपत्तियों के लिए गारंटीकृत निश्चयात्मक स्वामित्व प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।
  - इस पहल के तहत, 2017 तक सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मॉडल के माध्यम से देश के सभी जिलों में भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रावधान किया गया है।
  - योजना का नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) कर दिया गया है और यह डिजिटल इंडिया पहल का एक भाग है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2013:** वर्तमान में यह संसद में लंबित है। इसके तहत संपत्ति के पट्टे की अवधि के बावजूद पंजीकरण को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है।
- **कर्नाटक में भूमि परियोजना:** इसके तहत राज्य सरकार ने भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना प्रारंभ किया है।
- **राजस्थान शहरी भूमि (स्वामित्व प्रमाणन) अधिनियम, 2016:** यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार राजस्थान में भूमि स्वामित्व के लिए गारंटीकर्ता है और दोषपूर्ण स्वामित्व के मामले में मुआवजा प्रदान कराएगी।

भारत में अस्पष्ट भूमि स्वामित्व के कारण

भू-अभिलेखों की व्यवस्था ज़मींदारी प्रथा से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा साथ ही भारत में कानूनी ढांचा गारंटीकृत स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। भू-अभिलेख से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका प्रबंधन करने की व्यवस्था इन अभिलेखों में अन्तराल को और अधिक व्यापक बना देती है।

- भू-अभिलेखों के सरकारी सत्यापन के अभाव के कारण भारत में **भूमि स्वामित्व अनुमानित प्रकृति का** है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रमाणित संपत्ति के लेन-देन भी सदैव स्वामित्व की गारंटी प्रदान नहीं कर सकते ,क्योंकि स्वामित्व के पूर्व हस्तांतरण (earlier transfer) को चुनौती दी जा सकती है।
- **सभी लेन-देनों के लिए संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और पंजीकरण की लागत भी उच्च है:** भारत विश्व के सर्वाधिक स्टाम्प ड्यूटी दर वाले देशों में शामिल है जो संपत्ति के पंजीकरण को हतोत्साहित करता है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ऑन ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (2015) ने स्टाम्प ड्यूटी को 2% तक कम करने की सिफारिश की थी।
- **भू-अभिलेखों का रख-रखाव:** भू-अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति निम्नस्तरीय है और ये स्वामित्व संबंधी वास्तविक एवं स्पष्ट स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते, जिसके कारण भू-अभिलेखों में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। कमेटी ऑन फाइनेंसियल सेक्टर रिफॉर्म्स (FSRC), 2009 द्वारा पंजीकरण प्रक्रियाओं और भू-अभिलेखों के लिए दूरस्थ एवं आसान पहुंच प्रदान करने की सिफारिश की गयी थी।
- भूमि पंजीकरण के कार्यों में विभिन्न विभागों के सम्मिलित होने के कारण **भू-अभिलेखों से सम्बंधित मानकीकृत डेटा की कमी** विद्यमान है तथा भू-अभिलेखों को संभालने वाली विभिन्न नोडल एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव है। FSRC (2009) द्वारा प्रपत्रों (फॉर्मों) के मानकीकरण और भूमि कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की गयी है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड की क्षति, और लेन-देन में विलंब की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- **रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण की धीमी गति:** 2008 से सितंबर 2017 तक, जारी किए गए धन के केवल 64% भाग का भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण में उपयोग किया जा सका था।
- **भ्रष्टाचार की उच्च दर:** विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश भर में रजिस्ट्रार कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष 700 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का रिश्वत के रूप में लेन-देन किया जा रहा है।

निश्चयात्मक स्वामित्व प्रणाली (Conclusive title system) चार बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है:

- यह भू-अभिलेखों के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) होगी। यह लिखित रेकॉर्डों (textual records) व मानचित्रों का रख-रखाव करेगी व उन्हें अद्यतन बनाएगी तथा सर्वेक्षण और समाधान क्रियाकलापों (survey and settlement operations) और अचल संपत्ति के पंजीकरण का प्रबंधन करेगी।
- भूमि सम्बन्धी (कैडस्ट्रल) रिकॉर्ड भूमि के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक विवरण दर्शाते हैं।
- स्वामित्व संबंधी अभिलेख स्वामित्व की स्थिति का एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं; इसमें पंजीकरण के बाद दाखिल ख़ारिज स्वचालित रूप से हो जायेगा और पिछले रिकॉर्ड का संदर्भ आवश्यक नहीं है।

VISION IAS

- स्वामित्व बीमा, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा भूमि की प्रमाणिकता को मान्यता प्रदान की गयी है और स्वामित्व संबंधी दोषों के कारण होने वाली हानि के लिए स्वामित्व धारक को क्षतिपूर्ति करेगी।

आगे की राह

- FSRC, 2009 ने देश में भू-अभिलेखों में सुधार के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएँ की थीं:
    - **अनुमानित स्वामित्व से निश्चयात्मक स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तन।** निश्चयात्मक स्वामित्व राज्य-गारंटीकृत स्वामित्व है। राज्य इसकी प्रमाणिकता के लिए स्वामित्व की गारंटी प्रदान करता है और किसी भी विवाद के मामले में क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है।
    - **भू-अभिलेखों एवं पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दूरस्थ और आसान पहुंच** प्रदान करना।
    - लोगों को संपत्ति हस्तांतरण को पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **पंजीकरण शुल्क को कम** होना चाहिए।
- **संपत्तियों से सम्बंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन** जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह **आंध्र प्रदेश सरकार** द्वारा किया जा रहा है। **भारत में ब्लॉकचेन भूमि रजिस्ट्री की क्षमताएं हैं:**
    - **लागत प्रभाविता:** यह वितरित संसाधनों के माध्यम से दक्षता में वृद्धि करेगी जिससे दीर्घकालिक लागत में कमी आएगी। उदाहरण कि संबंधित विभाग कार्यबल में की आवश्यकता में कमी आना।
    - **दक्षता:** संपत्ति से संबंधित सभी लेन-देनों के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में स्मार्टफ़ोन का उपयोग, वर्तमान प्रणाली की अक्षमता को कम कर देगा और वर्तमान स्वामित्व व्यवस्था में अत्यधिक संख्या में कार्यरत मध्यस्थों की संख्या में कटौती करेगा। ब्लॉकचेन की टैम्पर-प्रूफ प्रकृति भी भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है क्योंकि इसके तहत पटवारी रिश्वत के बदले भूमि रिकॉर्ड बदलने में सक्षम नहीं होंगे।
    - **पारदर्शिता:** ब्लॉकचेन पर पंजीकरण का अर्थ यह होगा कि रजिस्ट्री में जानकारी जनता के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है। CAG को ऐसी स्थितियों में एक हितधारक के रूप में लाया जा सकता है ताकि CAG कार्यालय भी लेन-देन को देख सके एवं अपलोड की गयी सूचना को देख सके।
    - **प्रशासनिक भार में कमी:** भूमि/संपत्ति से संबंधित विवाद वर्तमान में भारत में कुल लंबित मामलों का 70% हैं। एक सुदृढ़ भूमि स्वामित्व प्रणाली के माध्यम से देश में भूमि संबंधित विवादों की संख्या में कमी होगी और इससे देश की अदालतों में लंबित मामलों में भी कमी आएगी।

3.7 म्युनिसिपल बॉण्ड (Municipal Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही इंदौर नगर निगम ने 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड सूचीबद्ध किए और 1.26 गुना ओवरसबस्क्रिप्शन प्राप्त किया। विगत एक वर्ष में हैदराबाद और पुणे के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बाद यह इस प्रकार की तीसरी लिस्टिंग है।

म्युनिसिपल बॉण्ड के बारे में

- म्युनिसिपल बॉण्ड प्रत्यक्ष रूप से ULBs द्वारा या किसी भी मध्यवर्ती साधन (कॉर्पोरेट नगर इकाई / सांविधिक निकाय / स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) के माध्यम से जारी विपणन योग्य ऋण उपकरण होते हैं। इनका उद्देश्य ULBs द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना है।
- संबंधित नगरपालिका विधि के तहत ULBs के लिए निर्धारित शक्तियों के आधार पर प्राप्त किये गए धन का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मौजूदा ऋणों के पुनर्वित्त, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने आदि के लिए किया जा सकता है।
- 1997 में भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला **पहला ULB** बैंगलौर नगर निगम था।

म्युनिसिपल बॉण्ड का महत्व

- **भारतीय शहरों की वित्तीय समस्याओं को हल करने में सक्षम:** ये भारतीय शहरों के वित्तीय समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, 2011 में गठित इशर जज अहलूवालिया समिति के अनुसार, अगले 20 वर्षों में स्थिर कीमतों पर लगभग 40 ट्रिलियन रूपए की आवश्यकता होगी।
- **पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु भावी नकद आपूर्ति का लाभ:** CARE रेटिंग अनुमानों के अनुसार, भारत में बड़ी नगरपालिकाएं म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करके प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये तक संग्रहित कर सकती हैं।
- **शहरी परियोजनाओं के लिए नए दीर्घकालिक निवेशकों और संसाधनों की सुनिश्चितता:** इसके अंतर्गत बीमा निधि, म्यूचुअल फंड और विदेशी फंड सम्मिलित हैं। यह राजस्व और पुनर्भुगतान विकल्पों के मामले में अधिक लचीलापन भी प्रदान करता है।

VISION IAS

- **आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक प्रभावी साधन (force multiplier) के रूप में:** ULBs के लिए आवश्यक है कि एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण मानकों को लागू करें जो नागरिकों के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हो।
- **शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार:** म्युनिसिपल बॉण्ड से प्राप्त धन शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, उस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि कर सकता है और निवेशकों के लिए एक बेहतर निवेश विकल्प भी सिद्ध हो सकता है।

2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'म्युनिसिपल बॉण्ड के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश' के अनुसार प्रभावी निर्गमन हेतु पूर्व शर्त:

- **वित्तीय अनुशासन और सूचना का प्रकटीकरण:** लेखांकन अनुशासन, वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और ULBs द्वारा सूचना का प्रसार एवं प्रकटीकरण की आवधिकता, लंबे समय से निवेशकों की महत्वपूर्ण मांग रही है।
- **रिंग फेन्स्ड प्रोजेक्ट (Ring Fenced Projects):** यह अनुमोदित DPRs के साथ निवेशक का विश्वास बढ़ाने में सहायता करता है।
- **सतत वित्त पोषण के लिए परियोजना का शेल्फ:** ULBs द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड को एक बंद पहल के स्थान पर एक जारी वैकल्पिक वित्तपोषण चैनल के रूप में देखना आवश्यक है। भावी बॉन्ड के निर्गमन के द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के वरीयता प्राप्त शेल्फ के साथ एक बहु-वर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए।
- **एस्क्रो राजस्व:** निवेशकों के जोखिम संबंधी दृष्टिकोण के समाधान हेतु डेट सर्विसिंग (debt servicing) के लिए एस्क्रोइंग (escrowing) के माध्यम से ULBs की विशिष्ट राजस्व प्राप्ति को अलग रखा जा सकता है ताकि निवेशकों तक नकदी प्रवाह की स्पष्टता और निश्चितता में सुधार किया जा सके इससे क्रेडिट गुणवत्ता में और बांड की रेटिंग में सुधार होगा।

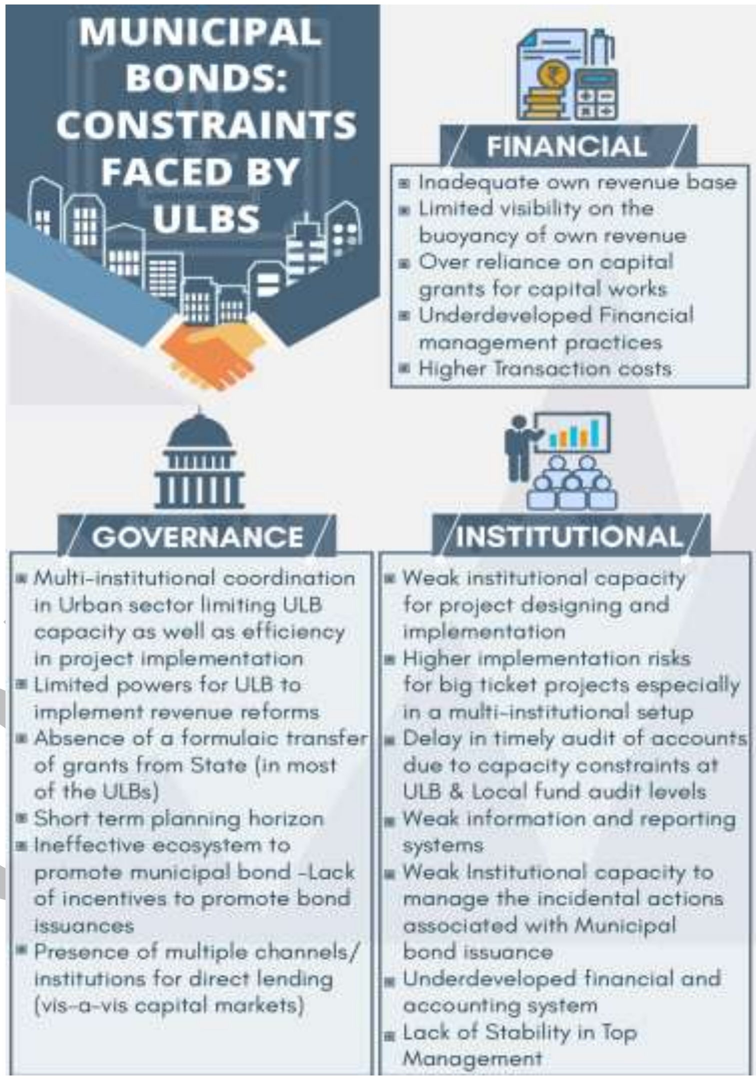

आगे की राह

- चूंकि बांड का पुनर्भुगतान नकद रूप में किया जाना है, इसलिए शहरी सरकारों को अन्य स्रोतों के माध्यम से अपने राजस्व आधार को मजबूत करना चाहिए, जैसे संपत्ति कर में सुधार और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से।
- बॉन्ड से प्राप्त धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि पूर्व में कई राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के लिए किया गया था।
- भारत को म्युनिसिपल बॉण्ड से संबंधित जोखिम को कम करने हेतु नीतियों की आवश्यकता होगी, इसके लिए निम्नलिखित मॉडल को अपनाया जा सकता है:
    - जापान द्वारा नगरपालिका के वित्तपोषण के लिए जापान फाइनेंसियल कारपोरेशन को संप्रभु गारंटी प्रदान की गयी है।
    - दक्षिणी अफ्रीकी विकास बैंक, म्युनिसिपल बॉण्ड निर्गमन का समर्थन करने हेतु इसके बैलेंस शीट का प्रयोग करता है।
    - डेनमार्क द्वारा पूल के एक शहर के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, बांड धारकों की सुरक्षा के लिए पूल फाइनेंस/संयुक्त बॉन्ड निर्गमन तंत्र का उपयोग किया जाता है। (तमिलनाडु और केरल के कुछ शहरों ने इसका प्रयोग किया गया है)

म्युनिसिपल बॉण्ड पर सेबी दिशा-निर्देश, 2015:

- सेबी विनियम, 2015 के अनुसार, नगरपालिका या कॉर्पोरेट नगर इकाई (CME) को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- ULB की विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में भी नकारात्मक नेट वर्थ नहीं होनी चाहिए।

- नॉन-डिफ़ॉल्ट: नगरपालिका को विगत 365 दिनों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों या बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट नहीं किया जाना चाहिए।
- नॉन-विल्फुल डिफॉल्टर: कॉर्पोरेट नगरपालिका इकाई, इसके प्रमोटर, समूह कंपनी या निदेशक का नाम RBI द्वारा प्रकाशित विल्फुल डिफॉल्टर्स की सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
- सार्वजनिक निर्गम के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड की रेटिंग अनिवार्य रूप से निवेश ग्रेड से ऊपर होनी चाहिए। इन बांडों की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए तथा बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को मौद्रिक एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- नगरपालिकाओं द्वारा परियोजना की कुल लागत का कम से कम 20% योगदान करना आवश्यक है।
- सेबी ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को राजस्व बांड (revenue bonds) के निर्गमन के माध्यम से भी धन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। जब म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन को किसी एक परियोजना के लिए रखा जाता है तो ऐसे म्यूनिसिपल बॉन्ड को **राजस्व बांड** कहा जाता है। इन बॉन्ड का भुगतान परियोजना से अर्जित राजस्व से किया जा सकती है।

3.8. प्रोजेक्ट सशक्त (Project Sashakt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक व्यापक परियोजना **'प्रोजेक्ट सशक्त'** की घोषणा की।

गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) की वर्तमान स्थिति

- बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPAs) मार्च 2018 में उच्चतम स्तर **11.6%** तक पहुंच गई।
- इन **ऋणों में से लगभग 85%** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के थे। PSBs के लिए GNPA 15.7% है। निजी बैंकों की तुलना में PSBs की स्थिति विशेष रूप से खराब है, क्योंकि उन्हें विभिन्न सरकारी उद्देश्यों और सामाजिक बैंकिंग की अनिवार्यताओं के तहत उधार देना होता है।
- RBI ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल NPA अनुपात में **मार्च 2019 तक 12.2%** तक वृद्धि हो सकती है।

प्रोजेक्ट सशक्त से संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट क्षमता, ऋण व्यवस्था (क्रेडिट कल्चर) और क्रेडिट पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करना है।**
- यह दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान की दिशा में **सुनील मेहता समिति** द्वारा अनुशंसित **पांच-सूत्री रणनीति** है।
  - **लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) समाधान दृष्टिकोण**
    - यह 50 करोड़ रुपये तक के ऋण पर लागू होता है।
    - इसके लिए, दबाव का पता लगाने के 90 दिनों के भीतर प्रत्येक बैंक द्वारा साधारण आव्यूह और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर आधारित एक समाधान योजना प्रस्तुत की जाएगी।
    - बैंकों द्वारा अतिरिक्त फण्ड के प्रावधान सहित इन योजनाओं को तैयार और अनुमोदित करने के लिए आंतरिक SME स्टीयरिंग पैनल स्थापित किए जाने चाहिए।
  - **बैंक-संचालित समाधान दृष्टिकोण**
    - यह उधारदाताओं के एक संघ के नेतृत्व में 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु प्रस्ताव है। इनका 180 दिनों के भीतर पूरा होना आवश्यक है, जिसके असफल होने पर संपत्ति को कार्यवाही के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भेजा जाएगा।
    - इसके तहत, बैंक इंटर क्रेडिटर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते के अनुसार दबावग्रस्त खातों से संबंधित ऋणदाता एक प्रस्ताव योजना तैयार करने हेतु एक लीड बैंक को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करेंगे।
    - इस समाधान योजना को ऋण का कम से कम 66 प्रतिशत धारित करने वाले ऋणदाताओं द्वारा मतदान करके अनुमोदित किया जाना होगा।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र संचालन समिति को 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया को प्रमाणित करना होगा।

- **संपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC)/वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) संचालित समाधान दृष्टिकोण**
  - इसके तहत, 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों का समाधान एक स्वतंत्र संपत्ति प्रबंधन कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसे वैकल्पिक निवेश फण्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
  - AIF द्वारा विदेशी और संस्थागत निवेशकों से धन जुटाया जाएगा। बैंक भी (यदि इच्छुक हों तो) निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, AIFs, NCLT में संपत्ति के लिए बोली भी लगा सकते हैं।
  - इन NPAs के मूल्य का प्रकटीकरण लीड बैंक द्वारा खुली नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (ARCs), AMCs और अन्य निवेशक भाग ले सकते हैं।

- **NCLT/ IBC दृष्टिकोण:** यदि अन्य विकल्प विफल होते हैं तो यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के उपयोग की परिकल्पना भी करता है। यह मार्ग, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के समक्ष पहले से ही मौजूद वृहद संपत्तियों पर और उन संपत्तियों पर लागू होता है जिनका समाधान अभी भी लंबित है।
- **एसेट-ट्रेडिंग प्लेटफार्म:** निष्पादित और गैर-निष्पादित दोनों संपत्तियों के व्यापार के लिए का इसका निर्माण किया जाना चाहिए।

लाभ

- यह बैंकों और दबावग्रस्त कंपनियों का **परिचालन संबंधी परिवर्तन** सुनिश्चित करेगा और परिसंपत्ति मूल्य को बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- इस योजना में **सरकारी हस्तक्षेप शामिल नहीं** है क्योंकि यह पूर्णत बैंकों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसे लागू करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रावधान **बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा विनियमन का अनुपालन** करते हैं। इसलिए यह **समाधान की प्रक्रिया को तेज** करेगा।
- इसे महत्वपूर्ण **संपत्तियों के लिए बाजार निर्माण** के प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह सराहनीय है।
- **इंटर क्रेडिटर समझौता**, ऋणदाता बैंकों के मध्य निर्णय निर्माण से पूर्व होने वाले विलम्ब को समाप्त करेगा और समाधान योजना को तेजी से कार्यान्वित करेगा।
- समाधान प्रक्रिया विश्वसनीय **दीर्घकालिक बाह्य पूंजी लाने में** सहायता करेगी और घरेलू बैंकिंग क्षेत्र के भार में कमी करेगी।
- यह भविष्य में **गैर-निष्पादित ऋणों को बढ़ने से रोकने के लिए सुदृढ़ गवर्नेंस और ऋण संरचना** भी सुनिश्चित करता है।

चुनौतियां

- रणनीति धीमी गति से **बढ़ती हुई प्रतीत** होती है क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण बैंकों में NPA के प्रारम्भिक समाधान का प्रयास नहीं करता है।
- इस समाधान योजना में कुछ भी नया नहीं है। **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए केंद्रित वर्टिकल (focused verticals)** स्थापित करने, SME संचालन समिति जैसे सभी दृष्टिकोण अधिकांश बैंकों में किसी न किसी रूप में संचालित है। इसके अलावा, NPA समाधान के लिए 26 ARCs और कुछ समाधान परामर्शदात्री सेवा कंपनियां (resolution advisory service companies) पहले से ही संचालन में हैं।
- अतीत में बैंक-संचालित समाधान दृष्टिकोण असफल रहा है। इसके अलावा, यहां मुख्य चुनौती आम सहमति पर पहुंचने की होगी, क्योंकि NPA खातों में फँसे कर्ज में कई बैंकों/ऋणदाताओं द्वारा प्रदत्त ऋण सम्मिलित होंगे।
- ARCs कम पूंजी वाले संस्थान हैं। उन्हें **व्यापक पैमाने पर NPA समाधान के लिए संसाधनों को एकत्रित करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक केवल कुछ निवेशक** ही शामिल हुए हैं।
- बैंकों की तुलना में ARCs छोटे संस्थान हैं और लोगों के निवेश पर निर्भर होते हैं। यदि निवेशित धन का उपयोग दबावग्रस्त संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है तो वे जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- वह कीमत जिस पर बैंकों द्वारा ARCs को संपत्ति हस्तांतरित की जानी चाहिए, एक विवाद का मुद्दा बना रहा है। बैंक और ARCs द्वारा निर्धारित कीमतें प्रायः अलग-अलग होती हैं।

3.9. ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स (Global Digital Tax Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों की एक बैठक में यूरोपीय वित्त नेताओं द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर के वैश्विक नियमों में प्रगति की मांग की गयी है।

ग्लोबल डिजिटल कराधान संबंधी मुद्दे

- **डिजिटलीकरण** अपेक्षाकृत अधिक पारंपरिक बिजनेस मॉडल (जैसे- ई-कॉमर्स) को उपभोक्ताओं के अधिकार क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति के बिना ही उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को किसी भी प्रकार की पारंपरिक बिक्री किए बिना ही आय सृजन करने के लिए उपयोगकर्ता सहभागिता पर आधारित नए बिजनेस मॉडल का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे-सोशल मीडिया व्यवसाय, जो विज्ञापन बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन करते हैं।
- वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतिम उपयोगकर्ता आधारित कराधान (end user based taxation) की बजाय कंपनियों की भौतिक उपस्थिति वाले अधिकार क्षेत्र में उन पर कर लगाने का प्रावधान करते हैं। हालांकि, डिजिटल बिजनेस किसी देश में बिना किसी महत्वपूर्ण भौतिक उपस्थिति के बाजारों से राजस्व प्राप्त करते हैं परन्तु वे उस देश में करों का भुगतान नहीं करते हैं।
- ये दुर्बलताएं बेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) के लिए अवसर उत्पन्न करती हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि जहां आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और मूल्य सृजन होता है वहाँ लाभ पर कर लगाया जाता है।
- **कर मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति** ने अक्टूबर 2017 की अपनी रिपोर्ट **'टैक्स चैलेंजेज ऑफ डिजिटाईजेशन'** में कठोर कार्रवाई पर बल दिया है। समिति की मत इस तथ्य पर आधारित था कि प्रायः विकासशील देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में कर राजस्व हानि का मुख्य स्रोत होते हैं, क्योंकि वे पर्याप्त उपभोक्ता और उपयोगकर्ता आधार प्रदान करते हैं, परन्तु इनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था बिजनेस की मेजबानी करने की संभावना कम होती है।
- एक OECD रिपोर्ट **उच्च डिजिटलीकृत बिजनेस की तीन सामान्य विशेषताओं की पहचान करती है:** बिना जन समुदाय के पार-क्षेत्राधिकार पैमाना (cross-jurisdictional scale without mass); अमूर्त परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा (IP) पर अत्यधिक निर्भरता; और डेटा का महत्व, उपयोगकर्ता भागीदारी और उनका IP के साथ समन्वय।

हालिया डिजिटल कर विवादों का मामला

- आयरलैंड में, यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐप्पल ने 2014 में आयरिश कर अधिकारियों को 0.005% का भुगतान किया था, जो 12.5% की निगम कर दर से बहुत कम था, जिसके कारण इन दोनों के मध्य कर विवाद हुआ।

इस कदम का महत्व

- सीमापार संचालित होने वाली डिजिटल कंपनियों को केवल उनकी भौतिक उपस्थिति वाले स्थान पर कर देने के बजाय उन स्थानों पर भी करों का भुगतान करना होगा जहां उनके उपयोगकर्ता अवस्थित हैं।
- मार्च 2018 में यूरोपीय आयोग ने नए नियम प्रस्तावित किए थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोपीय संघ में एक उचित एवं विकास अनुकूलित तरीके से डिजिटल बिजनेस गतिविधियों पर कर लगाया जा सके। प्रस्तावित नियमों के तहत, यूरोप में महत्वपूर्ण डिजिटल राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर अपने टर्नओवर का 3% कर देना होगा।
- विभिन्न देशों (अधिकार क्षेत्रों) ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर के लिए **एकपक्षीय नियम** को अपनाना प्रारंभ कर दिया है, उदाहरण के लिए:
  - 2016 में, **फ्रांस** ने ऑनलाइन वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं को शामिल करने के लिए ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के वितरण पर अपने कर को बढ़ाया। ऑनलाइन वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं मुफ़्त में उपलब्ध कराया जाता है परन्तु दर्शकों को दिखाए गए विज्ञापनों के माध्यम से इन्हें मुद्रीकृत किया जाता है।
  - **इटली** ने डिजिटल ट्रांजेक्शन पर एक करारोपण (लेवी) को अपनाया है जिसके 2019 से प्रभावी होने की सम्भावना है। इसका लक्ष्य डिजिटल और पारंपरिक बिजनेस के मध्य समान स्तर को सुनिश्चित करना है और वर्तमान में कॉर्पोरेट टैक्स नियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गयी गतिविधियों को सम्मिलित करना है।
  - **सऊदी अरब और कुवैत** में कर अधिकारियों ने 'वर्चुअल सर्विस परमानेंट एस्टैब्लिशमन्ट' की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे देशों में बिना किसी भौतिक उपस्थिति के भी अस्तित्व में समझा जाता है।
  - ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, तुर्की, न्यूजीलैंड, हंगरी इत्यादि जैसे अन्य देशों द्वारा इसी प्रकार के अंतरिम उपायों को अपनाया गया है।
- OECD और जी-20 राष्ट्रों द्वारा BEPS परियोजना का निर्माण किया गया, जो सामान्यतः उन कर रणनीतियों को लक्षित करता है जो लाभ को कृत्रिम रूप से कम कर वाले या कर रहित क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित करती हैं। इस परियोजना का **एक्शन प्लान 1** डिजिटल अर्थव्यवस्था के कर पहलुओं से संबंधित है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

- OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय डिजिटल आय पर कराधान के संदर्भ में दीर्घकालिक विचारों पर कार्य कर रहे हैं और इस मुद्दे पर 2020 तक वैश्विक सहमति बनायी जाएगी।

भारत की स्थिति

- भारत में, डिजिटल अर्थव्यवस्था लगभग $ 450 बिलियन पर पहुंच गई है और आगामी 3-4 वर्षों में इसके $ 1 ट्रिलियन से अधिक होने की सम्भावना है। विस्तारशील डिजिटल विश्व ई-कॉमर्स, ऐप स्टोर, क्रिप्टोकरेंसी, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IOT), बिग डेटा और अन्य देशों के मध्य क्लाउड कंप्यूटिंग को शामिल करेगा।
- बजट 2015-16 में, ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के लिए कर भुगतान को प्राप्त करने के लिए **6% इक्वलाइजेशन लेवी** लागू की गई थी।
- 2018-19 बजट ने डिजिटल फर्मों पर कर लगाने के लिए आयकर अधिनियम में उचित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, क्योंकि मौजूदा दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAAs) प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत शामिल नहीं हैं, अतः भारत को कर संधि पर पुनर्वार्ता करने की आवश्यकता होगी।
- बजट में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, IT अधिनियम "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (significant economic presence)" प्रदान करेगा जिसके तहत भारत में डेटा अथवा सॉफ्टवेयर का डाउनलोड शामिल होगा या डिजिटल साधनों के माध्यम से भारत में निर्धारित संख्या में उपयोगकर्ताओं से वार्ता करना शामिल है।
- भारत ने तकनीकी रूप से **बहुपक्षीय उपकरण (MLI)** कहे जाने वाले वैश्विक तंत्र के लिए समर्थन किया है। यह उन कर डिजिटल कंपनियों के लिए स्थायी उपाय होगा, जो देश में बड़े उपयोगकर्ता आधार से राजस्व अर्जित करते हैं। डिजिटल व्यापार के लिए कराधान प्रावधानों को शामिल करने के लिए यह स्वचालित रूप से द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन करेगा।

मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेशर्ज़ टू प्रिवेंट बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (MLI) के बारे में

- यह विश्व भर में OECD/ जी-20 BEPS परियोजना से प्राप्त परिणामों को द्विपक्षीय कर संधियों में स्थानांतरित करके मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कर नियमों में अंतराल को समाप्त करने हेतु सरकारों के लिए मजबूत समाधान प्रदान करता है।
- यह विशिष्ट कर संधि नीतियों को समायोजित करने के लिए नम्यता प्रदान करने के साथ-साथ संधि के दुरुपयोग का मुकाबला करने और विवाद समाधान तंत्र में सुधार के लिए स्वीकृत न्यूनतम मानकों को भी लागू करता है।

चिंताएं

- **नीतिगत चुनौतियां:** डिजिटलीकरण बड़ी संख्या में सार्वजनिक नीति संबंधी चुनौतियों को उत्पन्न करता है और नीति निर्माण की प्रकृति को भी परिवर्तित कर रहा है।
- **कुछ यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा उठाए गई चिंताएं:** चूंकि ये उपाय उनकी कुछ कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय भागीदार प्रतिकारी उपायों के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी चिंतित है कि करारोपण की दिशा में होने वाला एक बदलाव जहां कंपनी की भौतिक उपस्थिति वाले स्थान के बजाय कंपनी की सेवाओं के उपभोग वाले स्थान पर कंपनी पर कर लगाया जाएगा, दीर्घ काल में इसकी लाभकारी कार निर्माता कम्पनियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- आयरलैंड और लक्समबर्ग जैसे **कम कर वाले यूरोपीय संघ के सदस्यों** को उनके कम कर अधिकार क्षेत्र में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खोने का भय है।
- **भेदभावपूर्ण प्रतीत हो सकता है:**अमेरिका इन उपायों को अपनी डिजिटल कंपनियों को एक किनारे करने के कदम में रूप में देखता है क्योंकि प्रमुख डिजिटल कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।
- **यूरोपीय संघ की अंतरिम डिजिटल कर योजना कंपनी के लाभ के बजाय उसके राजस्व को लक्षित करती है:** यह कॉर्पोरेट कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति के विरुद्ध है।
- विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए असंगत एकपक्षीय नियम **डिजिटल फर्मों के कर बोझ को बढ़ा सकते** हैं।

आगे की राह

विश्व भर में, नीति निर्माताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था लेनदेन पर कर आरोपण संबंधी मुद्दे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विभिन्न देशों ने इन लेन-देन में से कुछ करों के प्रावधान प्रस्तुत किए हैं, एक अलग कर संहिता बनाने की आवश्यकता है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्बन्धी लेनदेन के लिए अधिक पारदर्शिता ला सकती है। इसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

- डिजिटल अर्थव्यवस्था लेनदेन संबंधी मुद्दों को समय-समय पर संबोधित करने के लिए विशेष रूप से गठित एक तंत्र भी करदाता की विभिन्न शिकायतों का भी समाधान करेगा।
- लेन-देन सहित नवाचारकर्ताओं के लिए डिजिटल इकोनॉमी स्पेस का उपयोग कर करदाताओं के लिए अतिरिक्त कर प्रोत्साहन के साथ उद्योग के विकास को समर्थन प्रदान करना।

VISION IAS

- संहिता की उद्योग विशेषज्ञों द्वारा निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए, और जैसे-जैसे नए प्रकारों का विकास हो उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3.10 रूपए में गिरावट (Falling Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट आई और यह पहली बार 71 रुपये/डॉलर के स्तर से भी नीचे चला गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष के आरम्भ से ही डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में 10% की गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप रुपया एशिया में डॉलर के मुकाबले सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है।
- अन्य उभरते बाजारों की मुद्राएं विशेष रूप से तुर्की की लीरा, अर्जेंटीना की पेसो और दक्षिण अफ़्रीकी रैंड के ऊपर निवेशकों के कम होते विश्वास के कारण अत्यधिक हानि का सामना कर रहे हैं।

रुपये में गिरावट के कारण

- **विश्व में डॉलर की बढ़ती मांग :** पश्चिम में तरलता की कमी के साथ US फेडरल रिजर्व द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरों के कारण इस वर्ष फ़रवरी से डॉलर की बढ़ती कीमतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में उभरते बाजारों में अपना पैसा लगाने वाले निवेशकों ने अमेरिकी परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जो अब अत्यधिक आर्थिक लाभ प्रदान कर रही हैं।
- **पश्चिम की तुलना में उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में उच्च घरेलू मुद्रास्फीति:** इस प्रकार इन मुद्राओं के लिए डॉलर और अन्य प्रमुख पश्चिमी मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट आना स्वाभाविक है।
- चीन और अमेरिका के मध्य विद्यमान **ट्रेड वॉर** जिस कारण उच्च टैरिफ युक्त आयात प्रतिबन्ध आरोपित किये गए हैं। इसके फलस्वरूप डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है। तेल आयात करने वाली कंपनियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में डॉलर की खरीद के कारण भी रुपये के मूल्य में गिरावट आई है।
- **तेल की कीमतें:** ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में वृद्धि के बावजूद **ईरान पर लगे प्रतिबंधों** ने तेल की कीमतों को कम नहीं होने दिया। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ने 75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर लिया है। यह भारत के लिए प्रतिकूल स्थिति है ,क्योंकि भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और यही कारण है कि चालू खाता घाटा लगातार दबाव की स्थिति में है।
- **निर्यात से अधिक आयात:** शुद्ध निर्यात में बिना किसी वृद्धि के भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है। भारत का चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5-3% के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। दूसरे शब्दों में भारत निर्यात की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में आयात कर रहा है। तनाव पूर्ण वित्तीय परिस्थितियों में बढ़ता चालू व्यापार घाटा रुपये पर दबाव में निरंतर वृद्धि कर रहा है।

रुपये में गिरावट के प्रभाव

- **आयात पर:** देश का आयात और अधिक महंगा हो जाता है, क्योंकि आयात की समान मात्रा के लिए पहले की अपेक्षा अधिक रुपयों का भुगतान करना पड़ता है।
- **प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर:** निर्यात की समान मात्रा की खरीद के लिए अपेक्षाकृत कम डॉलर की आवश्यकता होती है। भारत अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ा सकता है जिसे मज़बूत रुपये को प्राथमिकता देने वाली मुद्रा विनिमय दर नीति ने गंभीर रूप से प्रभावित किया था। प्रतिस्पर्द्धात्मकता में यह वृद्धि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगी।
- **मुद्रास्फीति पर:** अत्यधिक महंगे आयात के कारण मुद्रास्फीति में और भी वृद्धि होने की संभावना है विशेष रूप से भारत में जहां आगत (इनपुट) के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं हमारे आयात का एक बड़ा भाग हैं। यह तेल आयात बिल को भी प्रभावित करता है जो मुद्रास्फीति को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि निवेशकों को भी हतोत्साहित करेगी।
- **GDP विकास दर पर:** जहाँ एक ओर महंगे आगतों तथा परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी जिसका सकल घरेलू उत्पाद पर भी सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अधिक कीमतों के कारण मांग में कमी इसे प्रभावहीन बना सकती है।
- **घाटे का विस्तार:** विश्लेषकों के अनुसार तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की वृद्धि चालू खाते तथा राजकोषीय संतुलन को क्रमशः 0.4% और सकल घरेलू उत्पाद को 0.1% तक विकृत कर सकती है।
- **पर्यटन पर:** विदेश यात्राएं और अधिक महंगी हो जाएंगी। वहीं इसके दूसरे पहलू के अंतर्गत घरेलू पर्यटन अधिक बढ़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप पर्यटक भारत आना अधिक पसंद करेंगे ,क्योंकि उनकी मुद्रा की क्रय क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी ।
- **रोजगार पर:** मध्यम अवधि में, निर्यातोन्मुख उद्योग जैसे-फार्मास्यूटिकल क्षेत्र,आईटी क्षेत्र, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र इत्यादि अधिक रोजगार का सृजन कर सकते हैं।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISIONIAS

सरकार द्वारा उठाये जाने योग्य कदम

- **दीर्घकालिक उपाय**
    - अन्य आयात के साथ ही साथ तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।
    - **निर्यात उद्योगों को बढ़ावा** देने के लिए कई उपायों को अपनाना जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि करदाताओं की टैक्स रिफंड तक आसानी से पहुंच हो; सीमा पर लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना; नये बाजार खोलने के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जिससे व्यापार सौदों में वृद्धि हो सके।
    - प्रक्रियाओं, कानूनों और विवाद निवारण को और सरल बनाकर **FII के बजाय FDI को आकर्षित करना।** भारतीय संस्थाओं द्वारा अधिक अंतर्वाह सुनिश्चित करने के लिए विदेशों से लिए जाने वाले उधार संबंधी नियमों को और उदारीकृत किया जाना चाहिए।
    - **घाटे को निर्धारित सीमा में बनाए रखना:** यद्यपि विगत कुछ वर्षों में भारत की वित्तीय स्थिति में अन्य समकक्ष देशों की तुलना में सुधार हुआ है तथापि जुड़वाँ घाटा अभी भी उच्च स्तर पर ही बना हुआ है। सरकार को इस स्थिति में घाटे को और बढ़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता और जोखिम में वृद्धि होगी।
- **अल्पकालिक उपाय**
    - धन के बहिर्वाह को नियंत्रित करने के लिए **केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि।** हालांकि इस कारण ऋण की लागत बढ़ जाएगी। इसके फलस्वरूप देश में होने वाले निवेश में गिरावट आ सकती है।
    - **अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग:** 22 जून तक RBI के पास 407.81 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था जिसे वह खुले बाजार में बेच सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा भंडार केवल अस्थिरता को कम करने में उपयोगी हैं। इनका प्रयोग खराब आर्थिक प्रबंधन के उपचार के रूप में नहीं किया जा सकता है। यदि वित्तीय बाजारों को यह अनुभव होता है कि देश में आधारभूत स्तर पर समस्याएं विद्यमान हैं, तो मुद्रा को बचाना अत्यंत कठिन हो सकता है।

3.11. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में भारत के स्थान में सुधार लाने हेतु संसद ने विशेष राहत (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया है।

विशेष राहत अधिनियम, 1963 क्या है?

- विशेष राहत किसी अनुबंध के उस दशा में निष्पादन को संदर्भित करता है जब अनुबंधात्मक दायित्व को पूर्ण करने में हुई विफलता हेतु मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त न हो।
- कानून यह निर्धारित करता है कि किसी ऐसी स्थिति में जहाँ अनुबंध का निष्पादन न होने पर होने वाली वास्तविक क्षति का मापन न किया जा सके या मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त न हो तो एक पक्ष अनुबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति (विशिष्ट निष्पादन) हेतु दूसरे पक्ष को निर्देश देने के लिए न्यायालय से अनुरोध कर सकता है।
- यह **विशेष निष्पादन** एक सीमित अधिकार है जिसे न्यायालय अपने **विवेकानुसार** प्रदान कर सकता है।
- यह अवसंरचना अनुबंधों तक विस्तारित है जैसे- हाउसिंग सोसाइटीज़ का निर्माण या भूमि का क्रय-विक्रय।
- यह अधिनियम किसी ऐसे पक्ष के लिए **दो मुख्य उपचारों** की व्यवस्था करता है जिसका अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है:
    - वह पक्ष अनुबंध को बाध्यकारी रूप से निष्पादित करने हेतु न्यायालय से अनुरोध कर सकता है (विशिष्ट निष्पादन)।
    - वह पक्ष निष्पादन के स्थान पर मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की मांग कर सकता है।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

- वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस किसी देश में एक व्यवसाय की स्थापना तथा परिचालन हेतु विनियामकीय परिवेश को प्रतिबिंबित करता है।
- रैन्किंग दस मापदंडों पर किसी देश के प्रदर्शन पर आधारित होती है, जैसे कि अनुबंधों का प्रवर्तन तथा एक व्यवसाय प्रारम्भ करना।

VISION IAS

Parameters	Rank as Doing Business Report, 2018	Rank as Doing Business Report, 2017
Starting a business	156	155
Getting credit	29	44
Trading Across Borders	146	143
Dealing with construction permits	181	185
Protecting Minority Investors	4	13
Getting Electricity	29	26
Enforcing Contracts	164	172
Paying Taxes	119	172
Resolving Insolvency	183	136
Registering property	154	138

पृष्ठभूमि

- **व्यवसाय प्रारंभ करने के समक्ष व्याप्त मुद्दे**
  - **एक व्यवसाय का आरम्भ:** किसी व्यवसाय का प्रारम्भ करने हेतु विनियम तथा प्रक्रियाएं अधिक समय लेती हैं जिसके कारण बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप भारत से बाहर जा रहें हैं। ये स्टार्ट-अप सिंगापुर जैसे देशों में अपना आधार स्थापित कर रहे हैं जहाँ ऐसी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत सरल हैं।
  - **भूमि का अधिग्रहण तथा सम्पत्ति का पंजीकरण:** ज़मींदारी प्रथा की विरासत, विधिक ढांचे में अंतराल तथा भू-अभिलेखों के निम्न-स्तरीय प्रशासन सहित विभिन्न कारकों के फलस्वरूप भूमि के अधिग्रहण तथा इसके उपयोग हेतु अनिवार्य अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब हो जाता है।
  - **निर्माण परमिट:** वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के अनुसार भारत में एक निर्माण परमिट प्राप्त करने में 33 प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है तथा इसमें 192 दिनों से अधिक समय लगता है जबकि वहीं सिंगापुर में इस सन्दर्भ में केवल 10 प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं तथा इनमें समग्र रूप से केवल 26 दिन लगते हैं।
  - **करारोपण:** स्थायी समिति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत में कर प्रशासन जटिल रहा है तथा मध्यस्थता कार्यवाहियां अत्यधिक समय लेने वाली रही हैं।
  - **विद्युत् का अभाव:** नीति आयोग के अनुसार राज्यों में किसी भी उद्यम को आरम्भ करने में विद्युत्-आपूर्ति में कमी एक प्रमुख बाधा बन जाती है। यह इन उद्यमों की क्षमता, उत्पादकता तथा रोजगार सृजन की संभावनाओं को प्रभावित करती है।
  - **चक्रव्यूह चुनौती- प्रवेश करना सरल परन्तु निकास में बाधाएं:** ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में अति **निम्न उत्पादकता तथा निकास की क्षीण सम्भावना वाली** अकुशल फर्मों की एक बड़ी संख्या मौजूद है।
  - **बड़ी एवं छोटी कंपनियों के मध्य भेदभाव:** नीति आयोग के अनुसार विनियम छोटी कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनियों पर असमान रूप से अनुपालन का अत्यधिक भार डालते हैं जिसके कारण छोटी कंपनियाँ अपना बाज़ार मूल्य या आकार बढ़ाने से इसलिए डरती हैं कि कहीं बड़ी कंपनी का रूप लेने पर उन पर भी अनुपालन का भार न बढ़ जाए।
  - **अनुबंधों का प्रवर्तन:** स्थायी समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत में अनुबंध को लागू करने में लगभग **4 वर्षों** का समय लगता है जबकि सिंगापुर में छह माह से भी कम समय लिया जाता है। मुकदमेबाजी की जटिल प्रक्रियाएँ, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों से संबंधित भ्रमपूर्ण स्थिति तथा लंबित वादों की अधिकता इस विलम्ब के कारण हो सकते हैं। अनुबंधों के उल्लंघनों ने अवसंरचना क्षेत्र से घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित किया है।
- 1963 के अधिनियम में परिवर्तनों हेतु सुझाव देने के लिए **आनंद देसाई समिति (2016)** का गठन किया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि भारत में आर्थिक विकास के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसने त्वरित ढंग से अनुबंधों के प्रवर्तन तथा विवादों के समाधान को सुविधाजनक बनाने हेतु संबंधित कानूनों में व्यापक सुधारों को प्रेरित किया है।

VISION IAS

आनंद देसाई पैनल की अनुशंसाएं

- अनुबंध के उल्लंघन हेतु विशिष्ट निष्पादन की राहत उपचार के सामान्य नियम के रूप में प्रदान की जानी चाहिए तथा मौद्रिक क्षतिपूर्ति वैकल्पिक उपचार के रूप में दी जानी चाहिए।
- लोक निर्माण कार्यों के मामले में न्यायालयों की व्याख्या को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाने के उद्देश्य से केंद्र को न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि निष्पादन (performance) एवं व्यादिष्ट राहत (injunctive relief) प्रदान करते समय न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त विवेकाधीन शक्तियों को सीमित किया जा सके।
- अनुबंधों के मामले में (सरकारी अनुबंधों को छोड़कर) अधिनियम को तीसरे पक्षों के अधिकारों को भी संबोधित करने हेतु संशोधित किया जाना चाहिए।
- अधिनियम में अतार्किक एवं अनुचित अनुबंधों, अनुबंधों में पारस्परिकता इत्यादि तथा अनुबंध में निहित शर्तों को संबोधित करने वाले प्रावधानों का समावेश।

विधेयक के महत्वपूर्ण तथ्य

- **विशिष्ट निष्पादन:** यह न्यायालय द्वारा अनुबंध के प्रवर्तन को अनिवार्य बनाता है और इसके साथ ही यह अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का आदेश देने के मामले में न्यायालयों द्वारा किये जाने वाले विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग की संभावना को समाप्त करता है।
- **प्रतिस्थापित निष्पादन:** विधेयक प्रभावित पक्ष (अर्थात् वह पक्ष जिसका अनुबंध दूसरे पक्ष द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है) को किसी तीसरे पक्ष या उनकी अपनी एजेंसी के द्वारा अनुबंध के निष्पादन की व्यवस्था करने का विकल्प प्रदान करता है (प्रतिस्थापित निष्पादन)।
- **व्यादेश (injunction) :** अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय **पक्षकारों को व्यादेश अथवा निवारक राहत (किसी विशेष कार्य को करने या न करने के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश)** प्रदान कर सकता है। विधेयक न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों में उस दशा में व्यादेश प्रदान करने से रोकने का प्रयास करता है जब ऐसा व्यादेश परियोजना के पूर्ण होने को बाधित या विलंबित कर सकता हो।

- **विशेष रूप से नामित न्यायालय :** अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित मामलों से निपटने तथा **12 महीनों के भीतर उन्हें निपटाने** हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ दीवानी न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है।
- **विशेषज्ञ:** विधेयक ऐसे अभियोगों में जिनमें विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता हो, तकनीकी विशेषज्ञों की सहभागिता हेतु एक नवीन प्रावधान को सम्मिलित करता है।
- **अवसंरचना परियोजनाएं:** आर्थिक कार्य विभाग परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों को निर्दिष्ट करने हेतु नोडल एजेंसी है। साथ ही, परिवहन, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार और सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना जैसी गतिविधियों से भी 'अवसंरचना परियोजना' के विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा।

महत्व:

- यह एक अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय व्यावसायिक परिवेश का सृजन करेगा तथा निवेश में वृद्धि करेगा।
- यह **प्रवर्तनीयता के दायरे को** क्षतिपूर्ति से परे **विस्तृत** करेगा।

VISION IAS

- यह देश में **अवसंरचना क्षेत्र में उछाल** लाएगा तथा साथ ही साथ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अवधारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित भी करेगा।
- यह किसी व्यावसायिक अनुबंध के उल्लंघन के मामले में एक पक्ष को दूसरे पक्ष से **क्षतिपूर्ति की मांग करने** का अधिकार प्रदान करता है तथा साथ ही ऐसे मामलों में न्यायालयों के विवेकाधिकार को कम करता है।
- यह देश को **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों** में स्थान दिलाने तथा भारत को एक आकर्षक निवेश बाजार के रूप में स्थापित करने में सहायता करेगा।

हाल ही में भारत में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस में सुधार हेतु उठाए गए कदम:
वस्तु एवं सेवा कर तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वियन के अतिरिक्त सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख सुधार कार्य किए गए हैं:

- सरकार ने स्वीकृतियाँ उपलब्ध करवाने तथा अनुपालनों को दर्ज़ करवाने के लिए **निवेशक केन्द्रित हब-एंड-स्पोक आधारित ऑनलाइन सिंगल विंडो मॉडल की घोषणा** की है।
- सरकार ने कंपनियों के लिए **श्रम सुविधा** नामक एक ऑनलाइन पोर्टल भी आरम्भ किया है ताकि फर्में एक ही बार में आठ श्रम कानूनों का अनुपालन करने हेतु इस पोर्टल पर एक सामान्य रिटर्न फाइल कर सकें।
- सरकार ने भारत में किसी व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक दिनों की संख्या को घटा कर चार तक लाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
- सरकार ने रक्षा उद्योग के आवेदकों द्वारा शपथपत्र (affidevit) देने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों पर सुरक्षा स्वीकृतियों की प्रदायगी हेतु 12 सप्ताहों की एक अधिकतम समय-सीमा को तय किया गया है।
- संसद में बीमा सुधार विधेयक पारित किया जा चुका है जो इस क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करता है।
- सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) के अंतर्गत व्यवसाय स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त निजी कंपनियों को 39 उन्मुक्तियों की अनुमति प्रदान की है,जैसे- दो से अधिक निवेश कम्पनियों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति प्रदान करना आदि। सरकार ने IFSCs को लेन-देन कर तथा स्टाम्प शुल्क से भी उन्मुक्ति प्रदान कर दी है।
- सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में अवसंरचना विकास हेतु घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्रोतों से निवेशों को आकर्षित करना है। NIIF हेतु 40,000 करोड़ रूपए (6 बिलियन डॉलर) की राशि प्रस्तावित की गई है जिसमें सरकार 49% का निवेश करेगी।
- लाल-फीताशाही को कम करने के प्रयास में सरकार ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त कर दिया है। यह बोर्ड विदेशी निवेश प्रस्तावों की जांच करता था। अब प्रस्तावों को संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आगे की राह

- **तीव्र विकास हेतु वृहत्तर ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अत्यावश्यक है:** तेज़ी से विकसित होते राज्य विभिन्न क्षेत्रों में परमिट और स्वीकृति देने में व्यवस्थित रूप से अल्प विलंब तथा श्रम एवं पर्यावरणीय कानूनों के कार्यान्वियन में अधिक लोचशीलता प्रदर्शित करते हैं।
- **बेहतर सूचना प्रसार** ताकि उद्यम विनियम के अनुपालन भार को कम करने के तरीकों से अवगत हो सकें जैसे - सिंगल क्लीयरेंस विंडोज़ तक पहुंच।
- **श्रम कानूनों की लोचशीलता में वृद्धि:** श्रम कानूनों में सुधार तथा उनके क्रियान्वयन में अधिक लोचशीलता ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं।
- **विद्युत् क्षेत्र में सुधारों को त्वरित करना:** विद्युत् क्षेत्र में सुधारों को सुगम बनाने से विद्युत्-गहन उद्यमों की अनुचित विलम्ब या विनियामक बोझ के बिना स्थायी तथा निर्बाध विद्युत् तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **वित्त तक पहुंच में सुधार करना:** व्यवसायों हेतु निम्न-लागत पूँजी तक पहुंच में वृद्धि, विशेषतया निर्धन राज्यों में व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण साधन होगी।
- **वर्ष 2015 में वाणिज्य पर स्थायी समिति** ने भारत की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैन्किंग में सुधार करने से सम्बंधित अनुशंसाएं की थीं, ये हैं:
    - विनियामक प्रक्रियाओं हेतु एकमात्र संदर्भ के रूप में कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं को शामिल करने वाली एक **एक यूनीक बिज़नेस ID** जारी करते हुए **विनियामकीय अनुपालनों को सरल बनाना**।
    - जोखिम, संरचनात्मक आवश्यकताओं तथा इमारतों के अपेक्षित प्रयोग पर आधारित निर्माण को अनुमोदन प्रदान करने हेतु एक **ऑनलाइन सिंगल विंडो** की स्थापना के द्वारा **बाधा मुक्त परमिट**।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- राज्य सरकारें उन क्षेत्रों का निर्धारण कर सकती हैं जहाँ उर्वर भूमि को प्रभावित किए बिना भूमि का सरलता से औद्योगीकरण हेतु प्रयोग किया जा सकता हो।
- **सम्पत्ति का पंजीकरण:** इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों तथा आधार जैसे पहचान साक्ष्यों के एकीकरण के माध्यम से भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा निश्चयात्मक भूमि स्वामित्व को प्रोत्साहन द्वारा गति प्रदान की जा सकती है। यह संपत्ति के सहज हस्तांतरण को सुगम बना सकता है। यह उस पूँजी की मात्रा में भी कमी करेगा जो भूमि के अधिकार से संबंधित विवादों के कारण अवरुद्ध है।
- देश में एक स्थिर, निष्पक्ष तथा पूर्वानुमेय कर व्यवस्था के क्रियान्वयन के माध्यम से **मौजूदा कर संरचना का सरलीकरण।**
- सीमा-पार व्यापार हेतु प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करने में विभिन्न एजेंसियों की संलिप्तता के कारण उत्पन्न विलम्बों को कम करने हेतु **राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल की स्थापना करना।**
- परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को कम करने हेतु मंत्रालय द्वारा **समयबद्ध पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान किया जाना।**

3.12. चीन में बनी वस्तुओं का भारतीय उद्योग पर प्रभाव

(Impact of Chinese Goods on Indian Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति ने राज्यसभा में "चीन में बनी वस्तुओं का भारतीय उद्योग पर प्रभाव" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- चीन के विरुद्ध डंपिंग रोधी मामलों से संबंधित अनेक जांचे आरम्भ की गई हैं; साथ ही अधिकांश (अर्थात् 102/144) **डंपिंग रोधी शुल्क** चीनी उत्पादों के संदर्भ में आरोपित किए गए हैं।
- आवेदन की उच्च लागत के कारण डंपिंग से प्रभावित सभी उद्योग डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय (DAGD) तक पहुँचने में सक्षम नहीं हैं।
- DAGD द्वारा कार्यवाही में किए गए विलम्ब के कारण उद्योगों को स्थायी क्षति पहुँच सकती है, इससे उपचारात्मक उपायों की बहुत कम या बिलकुल भी संभावना नहीं रहती है।
- सरकार द्वारा डंपिंग रोधी/काउंटर-वेलिंग शुल्क का प्रभाव आकलन नहीं किए जाने के कारण इन शुल्कों की समीक्षा नहीं होती है नतीज़तन भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र अप्रभावी हो जाता है।
- ऐसा अनुमान है कि चीनी सौर पैनलों की डंपिंग के कारण, लगभग दो लाख नौकरियां समाप्त हुई हैं क्योंकि हमारी घरेलू उद्योग क्षमता का लगभग आधा भाग निष्क्रिय रहता है।
- चीनी उत्पाद, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आसानी से प्रमाणित / पंजीकृत कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत, चीन में निर्यात करने हेतु भारतीय उत्पादों को चीनी प्राधिकरणों के द्वारा प्रमाणित / पंजीकृत होने के लिए अत्यधिक विलम्ब और उच्च शुल्क का सामना करना पड़ता है।

किस प्रकार चीनी वस्तुएं भारतीय बाजारों में प्रवेश कर रही हैं?

- सस्ते चीनी उत्पादों की डंपिंग।
- चीनी वस्तुओं की **अंडर-इनवॉइसिंग**: यह सरकार के राजस्व हानि का कारण बनती है और समान वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है।
- **उन देशों के माध्यम से उत्पादों का पुनःप्रवेश** जिनका भारत के साथ FTA समझौता है।
- मूल देश नियमों (Rules of Origin) के मापदंडों अवहेलना करना, उदाहरण के लिए- कर मुक्त शुल्क वरीयता (**ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेरीफेरेंस-DFTP) के तहत** अल्प विकसित देशों में दुकानें खोलना।
- प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में भ्रामक ब्यौरा और भ्रामक वर्गीकरण।
- **निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी:** अप्रैल से दिसंबर 2017-18 में, भारत द्वारा तस्करी के 1,127 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5.4 बिलियन मूल्य की चीनी वस्तुएं ज़ब्त की गई हैं।
- भारतीय अधिनियमों के मंद कार्यान्वयन के कारण शुल्क चोरी।

VISION IAS

आंकड़ों का विश्लेषण: भारत-चीन व्यापार परिणाम

- चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। 2007-08 में 38 बिलियन डॉलर से यह द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 89.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 में भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में चीन की हिस्सेदारी 16.6% है।
- चीन के साथ होने वाला 63 बिलियन डॉलर का 'व्यापार घाटा' भारत के कुल व्यापार घाटे के लगभग 40% से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2007-08 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच, चीन में भारतीय निर्यात 2.5 अरब डॉलर तक बढ़ा, वहीं चीन से भारत में आयात में 50 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई।
- चीन ने पिछले दो वर्षों में बल्क फार्मा दवाइयों की कीमतों में 1200% की वृद्धि की है, जिससे भारतीय दवा उद्योग द्वारा 'तैयार उत्पाद' की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।
- चीनी उत्पादों को अधिमानी व्यवहार प्रदान करने हेतु दोनों के मध्य कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं है।

भारत में अत्यधिक चीनी वस्तुओं के आयात की अधिकता का कारण:

चीनी उत्पाद की अधिकता का मुख्य कारण भारतीय बाज़ार के विशाल आकार तथा मांग की अधिकता और साथ ही इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमतें हैं। इस घटना हेतु उत्तरदायी कारण हैं:

- **उद्योगों के अनुकूल ऋण दरें, भारत की तुलना में लॉजिस्टिक और ऊर्जा लागत का कम होना:** महंगी ऊर्जा, वित्त और लॉजिस्टिक के कारण वैश्विक बाजार में भारतीय सामान लगभग 9% महंगा है। चीनी उद्योगों को 6 % पर ऋण मिलता है जबकि भारत में यह दर 11-14% के बीच है। लॉजिस्टिक लागत भारत में 3% है वहीं चीन में यह व्यापार की मात्र 1% है।
- चीन वृहद् स्तर पर दूरसंचार और बिजली जैसे **विस्तारशील क्षेत्रों** में विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करता है (जबकि भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित हैं)।
- **चीनी सरकार द्वारा प्राप्त समर्थन,** जैसे निर्यात में दी जाने वाली छूट, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, प्रांतों के अन्दर कर संबंधित छूट।
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए **मुद्रा का अनुचित परिचालन**।
- गैर-पारदर्शी व्यापार नीति, WTO के नियमों के विरुद्ध प्रदत्त निर्यात सब्सिडी जैसी अनुचित व्यापार प्रथाएँ।
- *इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल* का लाभ उठाने के साथ **मजबूत और एकीकृत वैश्विक मूल्य श्रृंखला।**
- गुणवत्ता से संबंधित जांच की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा अपर्याप्त है।
- व्यवसाय से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) में विलंब के कारण चीनी उद्योग को भारतीय बाजार में अपने निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं का एकाधिकार स्थापित करने में मदद मिलती है जैसे- खिलौने, कम गुणवत्ता वाले LED आदि।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ:

- चीनी आयात ने भारत के वस्त्र, सोलर, पटाखे इत्यादि जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को अत्यधिक प्रभावित किया है।
- स्टेनलेस स्टील उद्योग में कई सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) बंद हो चुके हैं।
- तस्करी, अंडर-इनवॉइसिंग आदि के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप भविष्य में घरेलू उत्पादकों की संख्या घट जाएगी या समाप्त हो जाएगी।
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हानि पहुँची है।
- पहले से ही NPAs के कुचक्र में फंसा बैंकिंग क्षेत्र, अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है।
- चीन से आयातित निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग में परिवर्तित होने लगे हैं, इससे रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- थोक दवाओं जैसे प्रमुख उत्पादों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता के अन्य कई उत्पादों एवं रोज़गार आदि पर कैस्केडिंग प्रभाव हो सकते हैं तथा साथ ही इससे आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय महत्व और सुरक्षा के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।

रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं :

- व्यापार से संबंधित उपचारात्मक उपाय हेतु MSMEs /SSIs की पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार को मान्यता प्राप्त उद्योग मंचों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

VISION IAS

- उन सब्सिडियों के संदर्भ में भारतीय उद्योग के साथ निरंतर संवाद के लिए **संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (Directorate General Allied Duties: DGAD) मंच** की स्थापना करना जो WTO के प्रावधानों अनुरूप नहीं हैं।
- जांच और अधिसूचनाओ से संबंधित समय अंतराल को कम करना।
- तस्करी, अनुचित वर्गीकरण और अन्य व्यापार भ्रष्टाचार की जांच हेतु डंपिंग रोधी तंत्र का कठोर कार्यान्वयन।
- राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) के कार्यबल में वृद्धि करना एवं इसे सशक्त बनाना।
- भारतीय सीमा शुल्क प्रबंधन हेतु, अंडर-वॉइसिंग के तहत संदिग्ध आयातों के मूल्य एवं अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए चीन के साथ औपचारिक समझौता करना।
- साझेदार देशों के साथ संयुक्त सत्यापन /प्रमाणन के माध्यम से FTAs और मूल-स्थान संबंधी नियमों (Rules of Origin) के मापदंडों का बेहतर प्रवर्तन।
- भारतीय उद्योगों पर शून्य लागत सुनिश्चित करने के लिए, हमारे घरेलू उद्योग के सम्बन्ध में जारी **RCEP वार्ताओं** के तहत शुल्क (tariff) रियायतों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करना।
- भारतीय उद्योग द्वारा सार्वजनिक निविदाओं और **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया के लिए वरीयता) आदेश, 2017** के कार्यान्वयन के दौरान सामना किये जाने वाले प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण उपबंधों को सरल बनाना। इस संबंध में राज्य सरकारों को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा और उत्तर-पूर्वी सीमा में स्थल पत्तनों (लैंड पोर्ट्स) पर निगरानी करना।
- तकनीक कुशल मानवशक्ति और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के संदर्भ में **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** को समर्थन दिया जाना और इसके अनुपालन हेतु निर्दिष्ट तकनीकी नियमों के तहत अधिक उत्पादों को शामिल करना।
- स्विफ्ट (SWIFT) पर BIS का निरूपण भविष्य में BIS की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा।
- नियामकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकरणों, राज्य सरकारों आदि जैसी प्रवर्तन एजेंसियों को जागरूक बनाना।
- मौजूदा **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS)** की आवश्यक और तत्काल समीक्षा।

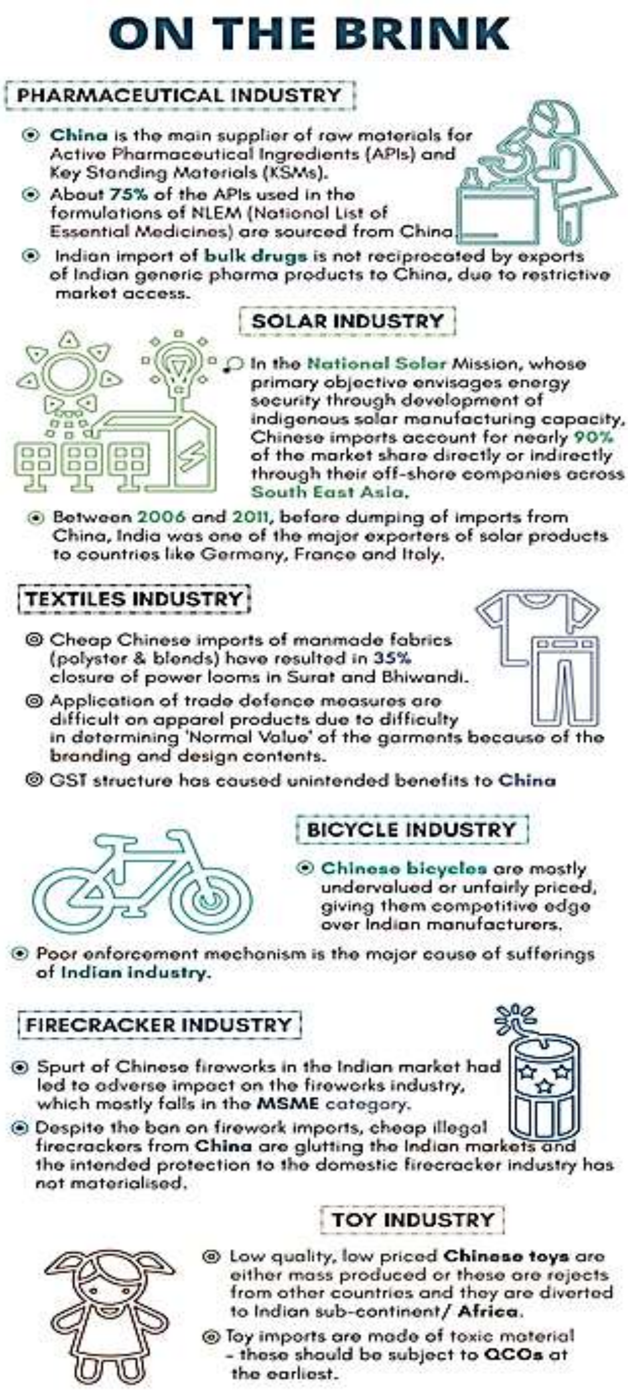

- जिस प्रकार चीन अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को सहायता प्रदान करता है उसी प्रकार उत्पादन सब्सिडी या प्रोत्साहनों को सरकारी प्रशुल्क संरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारे घरेलू उत्पादन को वास्तविक रूप से बढ़ावा मिल सके।
- **API (Active Pharmaceutical Ingredients) उद्योग** के पुनरुद्धार के पर्यवेक्षण हेतु **संचालन समिति का गठन,** जिसमें IDPL और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जैसे PSUs को पुनर्जीवित करना सम्मिलित है, विशेषकर ऐसे समय में जब चीन में कई API इकाइयां कठोर पर्यावरण मानदंडों के कारण बंद की जा रही हैं।
- सौर उद्योग की रक्षा के लिए, ADD पर विभेदकारी करारोपण किया जा सकता है जिससे घरेलू उद्योगों हेतु लेवल पेगिंग (level pegging) को सुगम बनाया जा सके।
- सौर ऊर्जा उद्योग को CVD के तहत सुरक्षा के मार्गों का पता लगाना चाहिए क्योंकि चीनी सौर उद्योग चीनी सरकार द्वारा प्रदत्त WTO गैर-अनुपालक सब्सिडियों से लाभान्वित होता है।

- चीन से खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि इससे घरेलू खिलौने उद्योग का 50% तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और शिल्पकारों के अन्य व्यवसायों में स्थानान्तरण के कारण पारंपरिक कौशल भी विलुप्त हो रहे हैं।
- अनैतिक तत्वों के प्रति प्रभावपूर्ण निवारण हेतु कठोर दंडात्मक प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।
- इस प्रकार के आयातित निम्न गुणवत्ता उत्पादों को हतोत्साहित करने के लिए जन-मत का निर्माण किया जाना चाहिए और इसमें घरेलू उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस संबंध में **'स्वदेशी अपनाओ'** (भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदना) को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण होगा।

अन्य महत्वपूर्ण कदम :

चूंकि भारत और चीन WTO के सदस्य हैं, WTO-अनुपालक व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि इस रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, तथापि घरेलू उद्योगों की रक्षा और चीनी वस्तुओं के अत्यधिक आयात को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा चुके हैं जिनमें सम्मिलित हैं:

- चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल (solar cell) पर दो वर्षों के लिए (जुलाई 2020 तक) सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गयी है।
- DGAD ने हाल ही में MSME क्षेत्र की सहायता हेतु एक सहायता काउंटर (assistance counter) का उद्घाटन किया है।
- हाल ही में एकीकृत एकल अम्ब्रेला राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका नाम "व्यापार समाधान महानिदेशालय"(Directorate General of Trade Remedies: DGTR) है। यह भारत में तीव्र एवं विस्तृत प्रभावशाली उपाय प्रदान करेगा।
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) की प्रभावकारिता को बढ़ाने संबंधित उपाय जिससे प्रवेश मार्गों पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक कठोर किया जा सकेगा।
- GST के लागू होने से व्यापारिक दक्षता, बेहतर रिकॉर्ड रखने के आधारभूत ढांचे, सरल लेखा परीक्षा और नियंत्रण तथा पूरे देश में एकीकृत बाजार के निर्माण में मदद मिलेगी।
- भारत को अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु WTO में चीन को MES का दर्जा न दिए जाने के अपने मत पर दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है।

प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी: CVD)

- सब्सिडीज के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावहीन बनाने हेतु आरोपित अतिरिक्त आयात शुल्क।

सेफगार्ड ड्यूटी (Safeguard duty)

- अस्थायी रूप से (सुरक्षा की दृष्टि से) किसी उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए लगाया गया शुल्क, यदि उस वस्तु के आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

डंपिंग रोधी शुल्क (Anti-dumping duty: ADD)

- डंपिंगरोधी शुल्क (ADD) एक संरक्षणवादी शुल्क है जिसे सरकार उन विदेशी आयातों पर आरोपित करती है जिनका मूल्य उनके घरेलू बाजार में उनके वास्तविक मूल्य से कम है।

प्रतिलोमित शुल्क ढांचा (Inverted Duty Structure: IDV)

- आम तौर पर यही माना जाता है कि प्रतिलोमित शुल्क ढांचे (IDV) की स्थिति तब बनती है जब किसी कच्चे माल पर देय आयात शुल्क उसी कच्चे माल से तैयार उत्पाद पर देय आयात शुल्क से कहीं अधिक होता है।
- अन्य देशों से आयात की तुलना में घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं अत्यधिक महँगी हो जाती हैं।

स्विफ्ट- व्यापार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT – Single Window Interface for Facilitating Trade)

- यह प्रमुख एजेंसियों जैसे पादप संगरोध (प्लांट क्वारंटाइन), जंतु संगरोध (एनीमल क्वारंटाइन), औषधि नियंत्रक, वन्य जीव, FSSAI और वस्त्र उद्योग समिति आदि को वस्तुओं को बंदरगाहों से आतंरिक भाग तक जारी करने से पहले आवश्यक निकासी और प्रमाणन प्रदान करने हेतु एकल मंच प्रदान करता है।
- स्विफ्ट का इष्टतम उपयोग QCO/तकनीकी विनियमों के तहत आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण (QC) सुनिश्चित कर सकता है।

VISION IAS

सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients: API)

- ये दवाओं के वैसे घटक हैं जो दवाओं द्वारा उत्पन्न प्रभावों के लिए उत्तरदायी हैं। एक्सीपिएंट (excipients) कहे जाने वाले दवाओं के अन्य घटक रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, जो शरीर तंत्र या लक्षित अंग आदि तक APIs को पहुँचाने में मदद करते हैं।

WTO द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्केट इकोनॉमी स्टेटस (MES)

- WTO द्वारा उन देशों को MES (प्रमाणन) का दर्जा दिया जाता है जहां अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पूरी तरह से खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्देशित किये जाते हैं, और इस संबंध में सरकारी हस्तक्षेप या केंद्रीय नियोजन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता है।
- इस दर्जे (status) को प्राप्त करने के लिए चीन के प्रयास का विरोध अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत और अन्य पक्षों द्वारा किया गया है।
- यदि इस दर्जे को स्वीकृत किया गया, तो ऐसे राष्ट्रों के विरुद्ध डंपिंग-रोधी शुल्कों और अन्य व्यापारिक सुरक्षा मानकों को लागू करना कठिन हो जाएगा।

3.13 ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी (Draft E-Commerce Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता** में गठित टास्क फोर्स द्वारा तैयार मसौदा ई-कॉमर्स पॉलिसी जारी की है।

ई-कॉमर्स पॉलिसी की आवश्यकता

निम्नलिखित कारक, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर एवं स्पष्ट नीति प्रतिक्रिया और समन्वय को आवश्यक बनाते हैं:

- **ई-कॉमर्स में तीव्र वृद्धि:** वर्तमान में, भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर के लगभग **25 अरब डॉलर** के होने का अनुमान है, जिसके **2020 तक 200 अरब डॉलर** तक वृद्धि करने की सम्भावना है। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2022 तक $1 ट्रिलियन होगा और यह **2030 तक कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होगा।**
- **निवेश में वृद्धि:** बाजार की संभावना ने इस क्षेत्र में अमेज़ॅन, वॉलमार्ट, अलीबाबा, सॉफ्टबैंक और उबर जैसे दिग्गजों (giants) को प्रमुख अभिकर्ता बनने के लिए लाखों डॉलर निवेश करने हेतु आकर्षित किया है। महानगरों और बड़े नगरों को कवर करने के बाद, बड़े ई-कॉमर्स फर्म अगले चरण में **टियर-2 और टियर-3 नगरों में विस्तार** के लिए तैयार हैं, जहां 3G और 4G नेटवर्क के विस्तार ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रखा है।
- **अंतरराष्ट्रीय पटल पर बेहतर स्थिति:** एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति, विश्व व्यापार संगठन के साथ बहुपक्षीय मुद्दों पर स्वस्थ बातचीत को सक्षम बनायेगी।

ड्राफ्ट के अंतर्गत प्रमुख प्रस्ताव

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना:** यह ई-कॉमर्स नीतियों पर अंतर सरकारी समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और जनता एवं ई-कॉमर्स कंपनियों दोनों की ही शिकायतों की सुनवाई करेगा।
- **अनिवार्य पंजीकरण:** यह सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है, चाहे वे घरेलू हों या विदेशी।
- **एकसमान कानून:** यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एकसमान कानून का प्रस्ताव करता है।
- **ई-कॉमर्स के लिए FDI नीति:** यह एक इन्वेंट्री मॉडल (inventory model) के तहत फर्मों के लिए उनके ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर स्थानीय रूप से उत्पादित सामान बेचने के लिए 49% FDI प्रस्तावित करता है। इसलिए, ऐसी फर्मों का नियंत्रण भारतीयों के पास रहेगा। वर्तमान में बाजार मॉडल का पालन करने वाले ऑनलाइन स्टोर में 100% FDI की अनुमति है; निम्नलिखित इन्वेंट्री मॉडल का अनुसरण करने वाली फर्मों में किसी भी FDI की अनुमति नहीं है।
    - ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रवर्तन निदेशालय में एक अलग संभाग स्थापित किया जाएगा।
    - न्यून हिस्सेदारी वाले भारतीय संस्थापकों/निर्माताओं को अधिक नियंत्रण देने के साथ **विभेदकारी वोटिंग** अधिकार होना चाहिए।

- **डेटा स्थानीयकरण :** यह डेटा के स्थानीयकरण की दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता है जिसे आवश्यक रूप से भारत में स्थित होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न सुझाव दिए गए हैं:
    - डेटा सेंटर्स को **बुनियादी ढांचे का दर्जा** देने के साथ-साथ ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए भौतिक आधारभूत संरचना की आसान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
    - नियमों को अनिवार्य बनाने से पहले या उनसे तालमेल बैठाने के लिए उद्योग को **दो वर्ष की सनसेट अवधि** प्रदान करने का प्रावधान है।
    - "सार्वजनिक स्थानों" में "इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT)" उपकरणों द्वारा एकत्रित **केवल व्यक्तिगत डेटा या सामुदायिक डेटा** को भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी।

मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल क्या है?

- मार्केटप्लेस आधारित ई-कॉमर्स मॉडल का अर्थ है कि एक खरीददार और विक्रेता के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु ई-कॉमर्स इकाई द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म प्रदान करना।
- ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल से आशय ई-कॉमर्स गतिविधियों से है जहां वस्तुओं और सेवाओं की सूची ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होती है और वे उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाती है।

- **MSMEs के लिए**
    - MSMEs को स्थानीय रूप से उत्पादित सामानों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बेचने के लिए इन्वेंट्री-बेस्ड मॉडल का अनुसरण करने दिया जाए।
    - **GST से छूट:** वर्तमान में, सालाना 20 लाख रुपये से कम राजस्व् वाले MSMEs को GST से छूट प्राप्त हैं, यदि वे सामान की ऑफ़लाइन बिक्री करते हैं, जबकि यदि वे ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सामान की बिक्री करते हैं, तो उन्हें GST का भुगतान करना पड़ेगा।
    - ऐसी कंपनियों को 49% FDI की अनुमति भी दी जा सकती है।
- **विलय और अधिग्रहण के लिए**
    - **प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** प्रतिस्पर्धा को विरूपित करने वाले एवं मौजूदा नियम कानूनों के विरुद्ध विलय और अधिग्रहण की **अनिवार्य रूप से जांच** करेगा। अमेरिका की प्रमुख खुदरा कम्पनी वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के हालिया अधिग्रहण के प्रकाश में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
    - **अधिक छूट के लिए समय-सीमा :** "विभेदकारी मूल्य-निर्धारण रणनीतियों" के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। CCI और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) इस प्रस्ताव का निरीक्षण करेंगे।
- **कर संबंधित प्रस्ताव**
    - GST उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का **स्थानीय पंजीकरण के बजाय केंद्रीकृत पंजीकरण होना चाहिये।**
    - वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन डिलीवरी के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रासंगिक GST प्रावधानों को संशोधित करना।
    - कर निर्धारण हेतु 'स्थायी प्रतिष्ठान' के लिए **'महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति'** संबंधी सिद्धांत का उपयोग।
- **मूल्य विकृतियों को विनियमित करना**
    - ई-कॉमर्स अभिकर्ताओं द्वारा बिक्री मूल्यों को **"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष"** रूप से प्रभावित करने से रोकता है।
    - ब्रांडेड सामानों जैसे मोबाइल फोन, फैशन आइटम्स जो मूल्य विकृति का कारण बनते है, उनकी थोक खरीद को रोकना।

लाभ

- ई-कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट **अत्यधिक व्यापक है,** जो व्यवसाय, डेटा गोपनीयता और कराधान के सभी पहलुओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वर के स्थानीयकरण और कनेक्टिविटी मुद्दों जैसे कई तकनीकी पहलुओं को शामिल करता है।
- नियामक, ऑनलाइन धोखाधड़ी से **उपभोक्ता का संरक्षण** सुनिश्चित करेगा और ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश की सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा |
- डेटा स्थानीयकरण का कदम डेटा स्थानीयकरण पर गठित श्रीकृष्णा समिति के अनुरूप निजी क्षेत्र की कंपनियों को देश में **उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहित** करने संबंधी मानकों के अनुपालन में मदद करेगा।
- यह नीति में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से MSMEs को भी बढ़ावा देगा जो राजस्व के साथ-साथ रोजगार सृजन भी करेगा।

VISION IAS

- वास्तव में डेटा स्थानीयकरण के लिए 2 वर्ष की समय-सीमा घरेलू उद्योग को कानून लागू करने से पहले डेटा संग्रहण प्रक्रियाओं के लिए तैयार होने के लिए समय प्रदान करेगी।
- यह भारतीय बाजार में विदेशी और घरेलू अभिकर्ताओं के लिए एक समान अवसर वाला परिवेश निर्मित करने में समर्थ होगी।

चुनौतियाँ / मुद्दे

- धनाढ्य विदेशी दिग्गजों के खिलाफ घरेलू उद्योग के संरक्षण का तर्क **उदारीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है।**
- डेटा साझाकरण और स्थानीयकरण, कंपनियों के **बौद्धिक संपदा अधिकार सम्बन्धित मुद्दे** उत्पन्न करेगा और उनके व्यवसाय करने के तरीके पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
- **छूट सम्बन्धी मुद्दे**
    - भारत के खुदरा बाज़ार में किराना सामान और खाद्य बाजार की हिस्सेदारी लगभग आधी है, ऑनलाइन विक्रेताओं की बाजारगत हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है। इसे देखते हुए ऑफ़लाइन विक्रेताओं के संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त छूट पर प्रतिबंध को एक बड़ा कदम बताना अत्युक्ति के समान है।
    - एक मूल्य स्तर निर्धारित करने से स्थानीय विक्रेताओं को आकर्षक डील्स की पेशकश करने में बाधा आ सकती है।
    - छूट पर रोक के संबंध में पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं, और शायद इसे आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है।
    - अनावश्यक विनियमन को लागू करना किसी अन्य क्षेत्र को मंद कर सकता है।
    - ऑनलाइन छूट के खत्म होते ही उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर कम होती चली जाएगी।
    - यह ई कॉमर्स कंपनियों की खुदरा रणनीतियों पर प्रतिबंध लगाएगा।
- कुछ राज्यों ने खुदरा बिक्री के लिए केंद्र द्वारा कानून तैयार करने को अतिक्रमण मानते हुए इसका विरोध किया है। खुदरा बिक्री राज्य सूची का विषय है।
- इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकस एवं आईटी मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के विरोधाभासी विचारों के कारण उनके बीच समन्वय एक मुद्दा बना हुआ है।

आगे की राह

- नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रूप से राज्य सरकार को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ई-कॉमर्स लेन-देन का विनियमन अस्पष्ट नियमों द्वारा करने के बजाय भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अस्पष्ट नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है।
- नीति में न्यूनतम विनियमन के साथ **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' की सुविधा** मिलनी चाहिए और **विदेशी और घरेलू अभिकर्ताओं को एकसमान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।**

3.14. राष्ट्रीय एल्युमिनियम नीति (National Aluminium Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत को एल्युमिनियम के लिए समर्पित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है ताकि इसके कुल उत्पादन और प्रति व्यक्ति धातु खपत में वृद्धि की जा सके।

एल्युमिनियम उद्योग

- 88 MMT (Million Metric Tons) की वार्षिक खपत के साथ एल्युमिनियम विश्व में इस्पात के पश्चात दूसरी सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु है।
- विगत 60 वर्षों में लगभग 20 गुना वृद्धि (अन्य धातुओं की की तुलना में 6 से 7 गुना वृद्धि) के साथ यह सर्वाधिक तीव्र संवृद्धि दर्ज करने वाली धातु बन चुकी है।
- मूलतः एल्युमिनियम उद्योग दो भागों में विभाजित हैं: **अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम।**
    - अपस्ट्रीम क्षेत्र बॉक्साइट खनन के माध्यम से कच्चे माल द्वारा प्राथमिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है।
    - डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में एल्युमिनियम का अर्द्ध-निर्मित एल्युमिनियम उत्पादों जैसे - छड़ों, सलाखों, कास्टिंग (पिघले एल्युमिनियम को सांचे में ढालकर विभिन्न उत्पादों का निर्माण), फोर्जिंग (एल्युमिनियम पर अत्यधिक दबाव डालकर या उसके संपीडन द्वारा मज़बूत एवं हल्के वजन के उत्पादों का निर्माण) इत्यादि में प्रसंस्करण किया जाना सम्मिलित है।
- भारत **एलुमिना का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक तथा एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।**
- **भारत में इसकी खपत 2.5 किग्रा/व्यक्ति है जो 11 किग्रा/व्यक्ति के वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है।**

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- विनिर्माण GDP में इसका योगदान 2% है (इस्पात 12%, सीमेंट 9%) और खपत में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि होने की आशा है। 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के योगदान को 25% के स्तर तक ले जाने के भारत के औद्योगिक विज़न के परिप्रेक्ष्य में यह वृद्धि महत्वपूर्ण है।
- विश्व के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में भारत का पांचवा स्थान है। **ओडिशा (सबसे बड़ा उत्पादक)**, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं।

एल्युमिनियम उद्योग का महत्व

- विभिन्न औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एल्युमिनियम को एक रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:
  - **उच्च लिंकेज प्रभाव -** विमानन, रक्षा, ऑटो, विद्युत, निर्माण, पैकेजिंग, मशीनरी, समुद्री क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ फॉरवर्ड लिंकेज और खनन, रासायनिक उद्योग, विद्युत, मशीनरी के साथ बैकवर्ड लिंकेज।
  - उच्च बाजार क्षमता
  - उच्च तकनीकी सघनता
  - उच्च मूल्य वृद्धि
- न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट के लिए 2015 की पेरिस-प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के परिप्रेक्ष्य में एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है।
  - यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ एनर्जी के अनुसार, ऑटो उद्योग का अनुमान है कि अन्य भारी पदार्थों को एल्युमिनियम से प्रतिस्थापित करके उन भारी पदार्थों से निर्मित वस्तुओं में से प्रत्येक के 10% भार में कटौती के साथ 6-8% ईंधन की बचत हो सकती है।
  - भवन और निर्माण कार्यों में एल्युमिनियम के 40-50 वर्ष के जीवन काल के साथ यह एक टिकाऊ धातु भी है।
  - किसी नए एल्युमिनियम उत्पाद का निर्माण करने के लिए केवल 5% ऊर्जा और उत्सर्जन के साथ इसका असीमित बार पुनर्नवीकरण किया जा सकता है।
  - 2017 में विश्व बैंक द्वारा संचालित एक अध्ययन के अनुसार पवन, सौर तथा ऊर्जा युक्त बैटरी का उपयोग करके न्यून कार्बन फुटप्रिंट प्राप्त करने हेतु एल्यूमिनियम की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा हेतु भी एल्युमिनियम एक रणनीतिक धातु है।** इसका उपयोग व्यापक रूप से विभिन्न आयुधों के घटकों, मिसाइल के पुर्जों एवं मिसाइल बैटरी, टैंक, बख्तरबंद वाहन इत्यादि के निर्माण हेतु किया जाता है।
- इस उद्योग ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने हेतु तक़रीबन 800,000 नौकरियों का सृजन किया है। इसके संयंत्र सामान्यतः देश के आंतरिक क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं और परिधीय रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास में सहायता करते हैं।

एल्युमिनियम के उपयोग

- **एक हल्की धातु होने (इस्पात की तुलना में 3 गुना अधिक हल्की), के कारण यह ईंधन दक्षता में सहायता** करता है, जो इसे ऑटोमोटिव, रक्षा और विमानन हेतु एक प्रभावी विकल्प बनाता है।
- निर्माण उद्योग इसके **स्थायित्व एवं गैर-संक्षारक** गुणों के कारण संबंधित उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न एल्युमिनियम मिश्रित धातुओं पर निर्भर करता है।
- एल्युमिनियम की **ताप एवं विद्युत चालक क्षमता** के कारण यह **इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों** में प्रचलित विकल्प बन चुका है।
- असीमित पुनर्चक्रण गुणों के कारण एल्युमिनियम पेय-पदार्थों के डिब्बों एवं फॉइल जैसे पैकेजिंग उद्योगों हेतु एक सुविधाजनक विकल्प है।

भारत में एल्युमिनियम नीति से संबंधित मुद्दे:

- **ऊर्जा:** विश्व में एल्युमिनियम के सबसे बड़े उत्पादकों जैसे-कनाडा, रूस, मध्य पूर्व, नॉर्वे तथा चीन इत्यादि देशों के मुकाबले भारत में **उत्पादन लागत सर्वाधिक** है। इसके लिए **भारत में विद्युत की उच्च कीमतों** को उत्तरदायी माना जा सकता है।
    - विद्युत एल्युमिनियम उद्योग की एक महत्वपूर्ण आगत है, जो इसकी कुल उत्पादन लागत का 30-40% भाग है। विभिन्न एल्युमिनियम उत्पादक देशों में प्रदान की जाने वाली कोयला सब्सिडी उन्हें भारतीय कंपनियों के मुकाबले तुलनात्मक लाभ प्रदान करती है।
- **खनन:** बॉक्साइट खनन कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है:
    - विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति, वन स्वीकृति तथ्य अन्य सांविधिक स्वीकृतियाँ देने में विलंब के कारण विकास के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
    - खनिज समृद्ध क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे।
    - ब्लॉक आवंटन संबंधी मुद्दों में केंद्र, राज्य एवं बोलीकर्ताओं के मध्य विद्यमान प्रक्रियात्मक मुद्दे।
    - बॉक्साइट भंडारों के एक सुदृढ़ भूगर्भिक डेटाबेस का अभाव।
- **अवसंरचनात्मक मुद्दें:**
    - कई सुदूर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना की अनुपस्थिति।
    - एलुमिना और बॉक्साइट के परिवहन की बढ़ती लागत।
    - फ्लाई-ऐश एवं रेड मड के निपटान हेतु महंगी अवसंरचना भी एक मुद्दा बनी हुई है।
- **स्क्रैप पुनर्चक्रण:** एल्युमिनियम पुनर्चक्रण प्रक्रिया कम पूंजी गहन है और प्राथमिक मार्ग से उत्पादन की तुलना में इसमें एल्युमिनियम के उत्पादन हेतु केवल 5% ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
    - विश्व में **चीन के बाद भारत स्क्रैप का दूसरा सबसे बड़ा आयातक** है। प्राथमिक धातु की महत्वपूर्ण उपस्थिति होने के बावजूद भारत में स्क्रैप की खपत 100% आयात पर निर्भर है (इसके विपरीत चीन द्वारा स्क्रैप आयात का अनुपात 21% है)। यह भारत की निम्नस्तरीय घरेलू स्क्रैप पुनर्चक्रण अवसंरचना की ओर संकेत करता है।
    - लगभग 10 मध्यम आकार के प्रतिभागियों और न्यून प्रविष्टि अवरोधों एवं पूंजी लागतों के कारण 150 से 200 छोटे प्रतिभागियों के साथ एल्युमिनियम पुनर्चक्रण का क्षेत्र विखंडित दशा में है।
- **व्यापार नीति और मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements:FTAs):** आसियान, जापान, कोरिया इत्यादि के साथ FTAs पर हस्ताक्षर करने के बावजूद एल्युमिनियम क्षेत्र को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, आसियान क्षेत्र से भारत में एल्युमिनियम आयात में काफी वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण विशेषतः मलेशिया द्वारा किए जाने वाले आयात में वृद्धि है। ऐसा इसलिए है ,क्योंकि भारत-आसियान FTA में टैरिफ उन्मूलन की अनुसूची मलेशिया के पक्ष में झुकी हुई है।

नई एल्युमिनियम नीति हेतु अनुशंसाएं

- कोर उद्योग (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली) के रूप में एल्युमिनियम का वर्गीकरण इसे व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।
- **कोयला और बॉक्साइट खनन में सुधार:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक बार आवंटित होने के पश्चात कोयला एवं बॉक्साइट खानों के संचालन के दौरान उद्योगों को प्रशासनिक एवं कानूनी अड़चनों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही सभी आवश्यक मंजूरियाँ पहले ही प्रदान कर देनी चाहिए।
- त्वरित स्वीकृति के लिए **सिंगल विंडो** क्लियरेन्स व्यवस्था गठित की जानी चाहिए।
- **धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण:** वर्ष 2025 तक 85% की पुनर्चक्रण दर का लक्ष्य प्राप्त करने और रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि करने हेतु पदार्थों के पुनर्चक्रण के लिए एक राष्ट्रीय नीति (जो नीति आयोग द्वारा तैयार की जा रही है) को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- **ऊर्जा-दक्ष क्षेत्रों के लिए ऊर्जा नीति:** एल्युमिनियम जैसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों हेतु एक भिन्न ऊर्जा नीति तैयार की जानी चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों के माध्यम से उच्च कार्बन टैक्स के भुगतान के रूप में प्रताड़ित हो रहा है।
- **डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए निर्यात नीति:** एल्युमिनियम के डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को उच्च स्तरीय उत्पादन तथा एल्युमिनियम के मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **व्यापार नीति और वृहत स्तर के मुक्त व्यापार समझौते (Mega FTAs):** भारत की व्यापार नीति तथा वृहत स्तर के FTAs को देश के अनुभव को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व के FTAs द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
- **अवसंरचनात्मक एवं डाटाबेस संबंधी मुद्दे:** एक निरंतर प्रक्रिया उद्योग के नाते एल्युमिनियम उद्योग को अपना अस्तिव बनाये रखने हेतु अवसंरचना तक प्राथमिक पहुँच की आवश्यकता होगी। रेलवे में भी इसके लिए रेकों (ट्रेन के डिब्बों के समुच्चय) की उपलब्धता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की जानी चाहिए।
- भारत को एक व्यापक **भूगर्भिक डाटाबेस** की आवश्यकता है, जिसका प्रयोग कच्चे माल के अन्वेषण हेतु किया जा सके।
- एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्रों के आस-पास **फ्लाई-ऐश हेतु एक पारितंत्र** का निर्माण किया जाना चाहिए।

VISION IAS

3.15. अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (Unconventional Hydrocarbons)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में,प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्तमान उत्पादन साझाकरण अनुबंधों (Production Sharing Contracts : PSC), CBM अनुबंध और नामांकन क्षेत्रों (Nomination fields) के तहत शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन (CBM) जैसे अपरंपरागत हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं दोहन की अनुमति देने संबंधी नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पृष्ठभूमि:

- PSC (पूर्व हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति या HELP) की वर्तमान संविदात्मक व्यवस्था में अनुबंधकर्ताओं को पहले ही आवंटित/लाइसेंस प्राप्त/पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों में CBM या अन्य अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण और दोहन करने की अनुमति नहीं थी, जबकि CBM अनुबंधकर्ताओं को CBM के अतिरिक्त किसी भी अन्य हाइड्रोकार्बन के दोहन की अनुमति नहीं थी ।
- वर्तमान में PSCs एवं CBM ब्लॉकों में विभिन्न अनुबंधकर्ताओं द्वारा तथा नामांकन व्यवस्था में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (NOCs) द्वारा अधिगृहीत क्षेत्रफल (PSCs में 72,027 वर्ग किलोमीटर तथा CBM ब्लॉकों में 5269 वर्ग किलोमीटर) भारत के अवसादी बेसिन के एक बड़े भाग का निर्माण करता है।
- वर्तमान में भारत के पांच अवसादी बेसिनों में लगभग 100-200 ट्रिलियन घन फीट (TCF) शेल गैस का भंडार विद्यमान है। साथ ही कैंबे, कृष्णा-गोदावरी (KG), कावेरी आदि बेसिनों में, जहां परिपक्व कार्बनिक समृद्ध शैल विद्यमान हैं, शेल भंडार के पाए जाने की अत्यधिक संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों के कोयले वाले क्षेत्रों में CBM भंडार पाए जाते हैं।

हाइड्रोकार्बन विजन-2025

वर्ष 2000 में प्रस्तुत हाइड्रोकार्बन विजन -2025 ने एक फ्रेमवर्क को निर्धारित किया, जो आगामी 25 वर्षों तक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित नीतियों को निर्देशित करेगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- विदेशों में इक्विटी ऑयल में निवेश के साथ स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- स्वच्छ और हरित भारत को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद मानकों में प्रगतिशील रूप से सुधार करके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में विकसित करना, जिसे इस क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्योगों के सामने बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके लिए उद्योग के सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण अत्यावश्यक है।
- एक मुक्त बाजार का निर्माण करना, प्रतिभागियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और ग्राहक सेवा में सुधार करना।
- रणनीतिक और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के लिए तेल सुरक्षा सुनिश्चित करना।

इस कदम के लाभ:

- यह अनुबंधित क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता के दोहन हेतु लाइसेंस प्राप्त/पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों के वर्तमान अनुबंधकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा और उनके वर्तमान क्षेत्रों में संभावित अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के दोहन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **अन्वेषण और उत्पादन (E&P) गतिविधियों में नया निवेश:** यह नई हाइड्रोकार्बन खोजों की संभावनाओं में वृद्धि करेगा और इनके घरेलू उत्पादन में हुई वृद्धि से अर्थव्यवस्था की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार, इसके द्वारा हाइड्रोकार्बन विजन 2025 (बॉक्स देखें) में परिकल्पित ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ा जा सकेगा।
- अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अन्वेषण और दोहन, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ अतिरिक्त रोजगार सृजित करेगाऔर समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करेगा।
- यह अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन का दोहन करने के लिए नई, नवाचारी और अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने तथा नए तकनीकी सहयोग प्राप्त करने को बढ़ावा देगा।
- 'वन हाइड्रोकार्बन रिसोर्स टाइप' नीति से वर्तमान में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और दोहन नीति (HELP) और डिस्कवर स्माल फील्ड (DSF) नीति में लागू 'एकीकृत लाइसेंसिंग नीति' की ओर एक पूर्ण स्थनांतरण होगा।

घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने, गैस पाइपलाइनों और माध्यमिक अवसंरचना का विस्तार तथा गैस का उपभोग करने वाले बाजारों को विकसित करने हेतु अपनाई गयी कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के कई खण्डों के लिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)।

VISION IAS

- डिस्कवर स्माल फ़ील्ड्स (DSF) पॉलिसी और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) को अपनाना।
- **नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश , 2014** के तहत बाजार/महत्वपूर्ण केन्द्रों की कीमतों के साथ गैस की कीमतों का लिंकेज।
- कुछ शर्तों के अधीन, डीपवॉटर, अल्ट्रा डीपवाटर और उच्च दबाव-उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से गैस के नवीन उत्पादन के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त देश में CBM संबंधी प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए कोल बेड मीथेन (CBM) क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।
- पूर्वी भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2,650 किमी लंबी जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास।
- औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों, विशेष रूप से विद्युत्, पेट्रोरसायन, उर्वरक और नगरीय गैस विपणन (CGD) क्षेत्र में LNG की मांग को बढ़ावा देने के लिए LNG के आधारभूत सीमा शुल्क में 5% से 2.5% तक की कटौती। यह विद्युत् और उर्वरक संयंत्रों की बाधित क्षमता को पुनः बहाल करने में भी सहायता करेगा।
- देश की उर्वरक इकाइयों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस पूलिंग तंत्र ।
- मांग की 100% पूर्ति करने हेतु घरेलू गैस के आवंटन के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas: PNG) / संपीडित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas: CNG) सेगमेंट को प्राथमिकता देना और परिवहन क्षेत्र, घरों और लघु उद्योगों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु PNG कनेक्शनों और CNG स्टेशनों का तीव्रता से प्रसार करना।

अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम:

- तेल मंत्रालय ने हाल ही में पेट्रोलियम की परिभाषा के तहत शेल को सम्मिलित किया है: इससे पूर्व, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम,1959 के तहत पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन सम्मिलित थे, ये प्राकृतिक गैस के रूप में अथवा तरल, चिपचिपे या ठोस रूप में अथवा इनका मिश्रण हो सकते थे; किन्तु इनमें कोयला, लिग्नाइट और पेट्रोलियम, कोयले या शेल के संयोजन में प्राप्त होने वाली हीलियम सम्मिलित नहीं थे।
- 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) लागू की गई थी, जिसके चार मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं:
    - हाइड्रोकार्बन के सभी स्वरूपों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस,
    - एक पारदर्शी रकबा (क्षेत्रफल सम्बन्धी) नीति,
    - राजस्व साझाकरण मॉडल के संचालन में सरलता
    - उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।
- 2015 में मंत्रिमंडल द्वारा तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु सीमांत क्षेत्र नीति (**Marginal Field Policy** :MFP) / DSF नीति को मंजूरी प्रदान की गयी थी। इसका लक्ष्य ऐसे सीमांत क्षेत्रों को उत्पादन के उद्देश्य से उपयोग में लाना है जिन्हें विभिन्न कारणों, जैसे अलग-थलग अवस्थिति, छोटे आकार, निषेधात्मक विकास लागतों, तकनीकी बाधाओं, प्रतिकूल राजकोषीय व्यवस्था आदि के कारण अब तक मौद्रीकृत नहीं किया जा सका है।
- **खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति (Open Acreage Licensing Policy: OALP)**: नेशनल डेटा रिपोजिटरी की स्थापना करना। OALP, अपस्ट्रीम कंपनियों को बोली की घोषणा का प्रतीक्षा किए बिना किसी भी तेल और गैस ब्लॉक के लिए बोली लगाने में सक्षम बनाती है।
- **गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण :** सरकार, 'घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और सस्ती LNG खरीदने के माध्यम से' भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। भारत ने 2022 तक अपने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में गैस का भाग 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने गैस क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है:
    - घरेलू गैस अन्वेषण और उत्पादन (E&P) गतिविधियों के माध्यम से या LNG के रूप में प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए सुविधाओं के निर्माण द्वारा गैस स्रोतों का विकास।
    - राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड और द्वितीयक वितरण नेटवर्क सहित पर्याप्त गैस पाइपलाइन अवसंरचना का विकास।
    - उर्वरक, विद्युत्, परिवहन, उद्योग इत्यादि को सम्मिलित करते हुए गैस का उपभोग करने वाले बाजारों का विकास।

3.16. एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण

(Unified Metropolitan Transport Authority: UMTA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विभिन्न महानगरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (UMTA) की स्थापना की मांग की गयी है।

VISION IAS

सरकार की यूनिफाइड फ्रेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की योजना:
सरकार देश के रेल, सड़क और जल नेटवर्क पर माल ढुलाई के निर्बाध परिवहन के लिए एक **यूनिफाइड फ्रेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी** स्थापित करने की योजना बना रही है।
यूनिफाइड फ्रेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की आवश्यकता क्यों?

- **जटिल विनियमन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं:** वर्तमान में भारत में रेल, जल और सड़क परिवहन को विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसका परिणाम अत्यधिक जटिल विनियमन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं और साथ ही मोडल लिंक की अनुपस्थिति और अक्षम मोडल मिक्स है। 2008 तक, यह मिक्स सड़कों के माध्यम से कुल माल ढुलाई का 50%, रेल द्वारा 36%, पाइपलाइनों द्वारा 7.5%, तटीय नौवहन द्वारा 6%, अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा 0.2% और वायुमार्गों द्वारा 0.01% था।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** भारत में, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% है, जो अमेरिका या यूरोप की तुलना (8-9%) में काफी अधिक है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुंचाती है, उदाहरण के लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के माध्यम से शिपमेंट्स भेजने से पूर्व सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी बाधाओं के कारण तीन दिनों तक रोका जाता है, जबकि सिंगापुर में किसी भी बंदरगाह पर कुछ ही मिनटों में मंजूरी मिल जाती है।
- नीति आयोग द्वारा **'नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग मोबिलिटी'** नामक एक योजना तैयार की गई है , जिसमें माल ढुलाई के तीव्र परिवहन के लिए चार क्रांतिकारी परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। इसमें निम्न शामिल है:
  - विभिन्न क्षेत्रों और प्रणालियों (मोड) के लिए एकीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता
  - रेल क्षेत्र में व्यापक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना
  - मल्टीमॉडल फ्रेट एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहित करना
  - भारतीय बंदरगाहों पर बड़े मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण करना
- **परिवहन समय और लागत को कम करके भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे सकता है:** जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017 द्वारा इंगित किया गया है, भारत में अंतरराज्यीय व्यापार प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 54% है जो कि एक बेहतर स्थिति है। प्राधिकरण द्वारा इसमें और अधिक वृद्धि की जा सकती है।

UMTA की आवश्यकता क्यों:

- **शहरी परिवहन नियोजन में संरचनात्मक अपर्याप्तता:** शहरी परिवहन से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तरों पर कानूनों की अधिकता से उत्पन्न जटिलता, प्राधिकरणों/विभागों की अधिकता से और अधिक बढ़ जाती है जिससे प्रायः एकीकृत और धारणीय शहरी परिवहन समाधान के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरणस्वरूप, वर्तमान में तमिलनाडु सरकार की 10 अलग-अलग एजेंसियों के द्वारा चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन को प्रबंधित किया जाता है तथा इन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा शासित किया जाता है।
- **गतिशीलता संबंधी आवश्यकताओं के लिए एकीकृत नियोजन का अभाव,** उदाहरण के लिए, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास निगम, निजी डेवलपर्स इत्यादि एजेंसियां अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए सड़क अवसंरचना से संबंधी योजना निर्मित करती हैं लेकिन उनके द्वारा इन परियोजनाओं के कारण समग्र शहरी स्तर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का उचित आकलन नहीं किया जाता है।
- **2017 की नई मेट्रो रेल नीति** द्वारा शहरों के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (CMP) तैयार करने हेतु UMTA की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है, जो क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्ण मल्टी मोडल एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। इससे शहर के भीतर सुगम एवं निर्बाध यात्रा के लिए एकल टिकट प्रणाली को कार्यान्वित करना भी आसान होगा।
- **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006** में स्वीकार किया गया है कि शहरी क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधि के आवश्यक स्तर का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए तथा वस्तुओं एवं लोगों के सुगम एवं सतत आवागमन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, सितंबर 2017 तक केवल 14 शहरों द्वारा UMTA की स्थापना की गई थी।
- **सेवाओं पर निर्भर शहरी जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करना:** भारतीय शहरों को पहले से ही अत्यधिक भीड़-भाड़, वायु की निम्न गुणवत्ता और सड़क हिंसा एवं सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि जैसी व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती शहरी जनसंख्या के 2030 तक दोगुने (590 मिलियन) से भी अधिक होना अनुमानित है, इसके परिणामस्वरूप यातायात की स्थिति और भी खराब होने की संभावना है।
- **SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता:** इस कदम से निर्धनता में कमी, लैंगिक समानता, जलवायु संबंधी कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा एवं असमानताओं में कमी सहित सतत विकास लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

VISION IAS

- **अंतर्देशीय जलमार्ग का लाभ उठाना**: यह प्राधिकरण नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित **नेशनल पालिसी ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी** के पूरक के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य मौजूदा रेल अवसंरचना के अल्प उपयोग को कम करना, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना, तटीय क्षेत्रों का उपयोग करना और अन्य लक्ष्यों में अप्रयुक्त वायु पट्टियों (एयर स्ट्रिप) को विकसित करना है।

UMTA की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

- **नीति निर्माण हेतु इनपुट प्रदान करना:** UTMA शहर के परिवहन प्रणाली संबंधी बाधाओं को दूर करने और इसके आधुनिकीकरण के लिए नीतियों एवं रणनीतियों के निर्माण हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को इनपुट प्रदान करेगा।
- **परियोजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना:** UTMA शहरी गतिशीलता क्षेत्र (Urban Mobility Area) में शहरी परिवहन से संबंधित योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- **परिचालन और प्रबंधन का निरीक्षण:** सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शामिल करते हुए परिवहन संबंधी अवसंरचना और परिचालनों के संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन को सामान्यत: सार्वजनिक एजेंसियों या निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।
- **विनियमन:** शहरी परिवहन के संदर्भ में नियामक कार्यों के अंतर्गत सार्वजनिक, निजी और माल ढुलाई वाहनों का पंजीकरण एवं लाइसेंस प्रदान करना, किराए का निर्धारण, परमिट जारी करना, सार्वजनिक परिवहन मार्गों और सेवा स्तरों का निर्धारण करना, वाहनों के निर्माण या स्थिति का निरीक्षण करना, यातायात संबंधी कानूनों का प्रवर्तन तथा यातायात प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं। यह परिवहन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को उन्नत सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ निष्पक्ष और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल पहुंच एवं सेवाएं सुनिश्चित करेगा।
- **वित्त पोषण:** शहरी परिवहन कोष के प्रबंधन, इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु UTMA को उत्तरदायी बनाया जाएगा।
- **शोध अध्ययन और जागरूकता:** शहरी गतिशीलता क्षेत्र के लिए शहरी परिवहन के उन्नयन और विस्तार सहित विशिष्ट शोध अध्ययन करने हेतु UTMA को उत्तरदायी बनाया जाएगा।

आगे की राह:

- भारत को एक मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए स्पष्ट अधिदेश के साथ **एकल एकीकृत परिवहन मंत्रालय** की आवश्यकता है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, अवसरों का विस्तार, पर्यावरणीय स्थिरता एवं ऊर्जा सुरक्षा सहित देश के व्यापक विकास लक्ष्यों में योगदान कर सके।
- इसे अब तक उपेक्षित अनेक पहलुओं जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना, सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंरचना इत्यादि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।
- UTMA को शहर में कार्यरत विभिन्न सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवा प्रदाताओं से संबंधित परिचालन, व्यापक नियम एवं विनियमों की निगरानी करनी चाहिए।

3.17. डिजिटल भुगतान (Digital Payment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंगित किया गया है कि भारत में मोबाइल भुगतान में वृद्धि के कारण डिजिटल भुगतान बाजार आगामी पांच वर्षों में ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बन जायेगा। इसके 2017-18 में 10 बिलियन डॉलर से 2023 तक 190 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

भारत में डिजिटल भुगतान से संबंधित तथ्य

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत डिजिटल भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी बैंक के साथ बनाए गए खाते को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक को दिए गए निर्देश, अनुमोदन या आदेश के द्वारा धन का किसी भी प्रकार का अंतरण।' इसमें पॉइंट ऑफ़ सेल ट्रांसफर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) लेनदेन, धन को सीधे जमा करना या निकासी, टेलीफोन, इंटरनेट और कार्ड भुगतान द्वारा किए गए हस्तांतरण शामिल है।
- भुगतान प्रणाली को **दो प्रमुख भागों** में विभाजित किया जा सकता है:
    - पहले भाग में ऐसे उपकरण शामिल हैं जो **सिस्टेमिक्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनेंसियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर (SIFMIs)** के अंतर्गत आते हैं और दूसरे भाग में **खुदरा भुगतान** शामिल होते हैं।

VISION IAS

- **फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर (FMI)** को प्रणाली के संचालक सहित भागीदार संस्थानों के मध्य एक बहुपक्षीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे भुगतान, प्रतिभूति, डेरिवेटिव या अन्य वित्तीय लेनदेन के समाशोधन, निपटान या रिकॉर्डिंग के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इस भाग के तहत भुगतान के चार उपकरण शामिल हैं: वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (RTGS), संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (CBLO), फॉरेक्स क्लीयरिंग तथा सरकारी प्रतिभूतियां।
- **खुदरा भुगतान** भाग (व्यापक उपयोगकर्ता आधार) के तहत उपकरणों की तीन व्यापक श्रेणियां हैं। ये पेपर क्लियरिंग, रिटेल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और कार्ड पेमेंट्स हैं, जिनमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), तत्काल भुगतान सेवा इत्यादि शामिल हैं।

- **भारत की भुगतान प्रणाली -** विशेष रूप से, इसकी डिजिटल भुगतान प्रणाली - विगत कई वर्षों में सुदृढ़ता से विकसित हो रही है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास से प्रेरित है।
- **डिजिटल भुगतान 'कम नकदी' (less cash) अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ने का एक प्राथमिक उपकरण है क्योंकि भारत का नगद-जीडीपी अनुपात (लगभग 12%) काफी अधिक है।
- **भारत में डिजिटल लेनदेन के लिए उपयोगकर्ता आधार वर्तमान में लगभग 90 मिलियन है और 2020 तक यह तीन गुना अर्थात् 300 मिलियन तक पहुंच सकता है,** क्योंकि ग्रामीण और अर्द्ध -शहरी क्षेत्रों के नए उपयोगकर्ता बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- 2017-18 में डिजिटल भुगतान की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 44.6% रही थी, जो 2011-2016 की अवधि के दौरान हुई वृद्धि से लगभग दोगुनी थी।
- 2016-17 में तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) और डेबिट कार्ड से संबंधित लेनदेनों में तीन अंकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी।

लाभ

- नकद लेनदेन की तुलना में डिजिटल भुगतान **तीव्र, सरल, अधिक सुविधाजनक** होता है।
- यह **वित्तीय भागीदारी और समावेश के बढ़ते स्तर** को सक्षम बनाता है।
- यह अधिक **पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा** देता है और ग्रे या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को कम करता है।
- यह **लेनदेन के डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर** करता है, जिसे ग्राहक ट्रैक कर सकते हैं।
- यह काले धन को नियंत्रित करने में सहायता करता है और **कर अनुपालन में भी वृद्धि** करता है।
- यह **लेन-देन संबंधी लागत को कम** करता है। डिजिटल भुगतान में मुद्रा की छपाई की आवश्यकता नहीं होती है परिणामस्वरूप मुद्रा की छपाई के लिए आवश्यक अतिरिक्त लागत को कम किया जा सकता है। इस नगदी लागत में 0.4% की कमी से 2025 तक बचत में 4 ट्रिलियन तक की वृद्धि हो सकती है।
- डिजिटल भुगतान के कारण अर्थव्यवस्था में व्यय स्तर में वृद्धि के कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
- यह आतंक के वित्तपोषण नेटवर्क और जाली नोटों के संचलन को अवरुद्ध करता है।

चुनौतियां

- **बैंकिंग सेवाओं से वंचित जनसंख्या**: भारत की जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत अभी भी **बैंकिंग नेटवर्क से बाहर है**, जो डिजिटल भुगतानों के समक्ष एक बड़ी बाधा है।
- **इंटरनेट की कम पहुँच**: शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच दिसंबर 2017 में 64.84% थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच केवल 20.26% ही थी।
- **डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर:** लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, निरक्षरता दर 25-30% से अधिक है और डिजिटल साक्षरता भारत की 90% से अधिक जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है।
- **संसाधनों की कमी:** छोटे सेवा प्रदाताओं के पास इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संबंधी आधारभूत अवसंरचना में निवेश करने के लिए पर्याप्त **संसाधन** नहीं हैं। (उदाहरण के लिए, प्वाइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल)।
- **साइबर खतरे:** साइबर हमलों के द्वारा व्यक्तिगत और वाणिज्यिक डेटा को नष्ट किया जा सकता है या इनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों को वित्तीय हानि हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार, साइबर हमलों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को वार्षिक जीडीपी के लगभग 1% का नुकसान होता है।

VISION IAS

- **नियामकीय बाधाएं:** अधिकांश मोबाइल भुगतान सेवा प्रदाता आईटी अधिनियम, 2000 और इसके नियमों द्वारा अधिदेशित वित्तीय डेटा सहित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा से निपटने के लिए कठोर प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते है। इसके अतिरिक्त, आईटी अधिनियम व्यापक भी नहीं है। यदि उपभोक्ताओं की डिजिटल माध्यमों से धनराशि की अनावश्यक हानि हो जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए भारत में कानूनों का अभाव है।
- **नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था:** भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 92% अनौपचारिक श्रमिक हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करते हैं। इन श्रमिकों के 80-90% को नकद भुगतान किया जाता है। स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे माध्यम अभी भी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए अवहनीय बने हुए हैं, जिसके कारण उनकी लेनदेनों के डिजिटल रूपों तक पहुँच नहीं है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलें:

- **2008 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** की स्थापना खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास हेतु की गयी थी।
- भुगतान प्रणाली के विकास क्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गयी है, जैसे 1980 के दशक में मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन (MICR) समाशोधन की शुरुआत, 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 1990 के दशक में बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 2003 में नेशनल फाइनेंसियल स्विच, जिसके द्वारा देश भर में एटीएम इंटरकनेक्टिविटी प्रदान की गयी, 2004 में वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS), 2009 में 'कार्ड नॉट प्रेजेंट' संबंधी लेनदेन के लिए सेकंड फैक्टर प्रमाणीकरण और 2013 में उन्नत सुविधाओं के साथ नई RTGS प्रणाली।
- NPCI द्वारा आरम्भ पहलों द्वारा इन उपायों के पूरक के रूप में कार्य किया गया है जिसमें ग्रिड-वाइज ऑपरेशन ऑफ़ CTS, RuPAY (एक घरेलू कार्ड पेमेंट नेटवर्क), आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एवं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफार्म (NUUP), UPI और BHIM एप्प आरंभ करना शामिल है।
- BHIM ऐप को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए ' व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस योजना' और 'व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना' को आरंभ किया गया था।
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली में आधे घंटे के अंतराल पर निपटान सुविधा को शुरू किया गया था।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए **व्यापारी छूट दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) का युक्तिकरण किया** गया था।
- जन धन, आधार और मोबाइल के इंटरलिंक द्वारा **"JAM" ट्रिनिटी** नामक डिजिटल अवसंरचना एक प्रमुख उपलब्धि थी।
- इसके अतिरिक्त, मोबाइल और डिजिटल वॉलेट सहित **प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) के निर्गमन हेतु गैर-बैंकिंग इकाईयों को प्रस्तावित किया गया।**
- भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि सभी प्रणाली प्रदाता (सिस्टम प्रोवाइडर) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित **भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु केवल भारत में ही संग्रहीत किए जायेंगे।**
- **डिजीशाला (DigiShala):** इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न प्रकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु नि:शुल्क दूरदर्शन डीटीएच शैक्षणिक चैनल।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के **वित्तीय साक्षरता अभियान** का लक्ष्य धन हस्तांतरण के लिए डिजिटल रूप से सक्षम नकद रहित आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने हेतु सभी प्रदाताओं तथा प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के युवाओं/छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना है।
- देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के उपायों के संबंध अनुशंसा करने के उद्देश्य से, 2016 में **रतन वाटल** की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान पर एक समिति का गठन किया गया था।

रतन वाटल समिति की अनुशंसाएं

- यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ढांचे के भीतर **एक स्वतंत्र भुगतान नियामक के गठन** या भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (BPSS) को **स्वतंत्र वैधानिक दर्ज़ा** प्रदान करने की (जिसे भुगतान नियामक बोर्ड: PRB कहा जाएगा) की अनुसंशा करता है।
- इसके द्वारा **बैंकों और गैर-बैंक डिजिटल भुगतान गेटवे/संस्थाओं के साथ-साथ गैर-बैंकों के अंदर अन्तरसंक्रियता** की भी अनुसंशा की गई थी।
- अन्य प्रमुख सुझावों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक फंड का निर्माण करना, सरकार द्वारा डिजिटल-आधारित लेनदेन पर सभी शुल्कों को समाप्त करना, कम मूल्य वाले लेन-देन पर विशेष बल देना (जो मुख्य रूप से नकदी द्वारा वित्त पोषित होते हैं) आदि शामिल हैं।

VISION IAS

- इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को मौजूद वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम को उन्नत बनाने हेतु भी कहा गया था ताकि वे 24/7 आधार पर संचालित हों सके।
- इसने सरकारी विभागों और एजेंसियों को डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने के लिए और उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान (जुर्माना और अर्थदंड के भुगतान सहित) करने पर छूट या कैशबैक प्रदान करके प्रोत्साहित करने संबंधी अधिदेश देने की भी मांग की गयी थी।

निष्कर्ष

भारत में नकदी रहित प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसमें ई-भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देने, भुगतान बैंकों के लिए रणनीतिक लाइसेंस प्रक्रिया, मोबाइल वॉलेट को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान आदि पर सेवा शुल्क समाप्त करना आदि शामिल होंगें।

- **डिजिटल डिवाइड को कम करना** और ग्रामीण जन सामान्य में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **जटिलताओं को कम करना और व्यापारियों के लिए दिन-प्रतिदिन की भुगतान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना** (क्योंकि छोटे खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को अपने व्यापार संचालन के लिए त्वरित लेन-देन हेतु नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है)।
- **डिजिटल भुगतान पर लेन-देन शुल्क में कमी करना** और नकद लेन-देन को हतोत्साहित करना।
- डिजिटल भुगतान को सफलतापूर्वक अपनाने में **ICT अवसंरचना** की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसलिए डिजिटल भुगतान के लिए आवश्यक अवसंरचना में सुधार करने और अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराने की मूलभूत आवश्यकता है।
- डिजिटल भुगतान की एक ऐसी एकीकृत प्रणाली पर बल देना चाहिए जो मौजूदा चुनौतियों को कम कर सके गुणवत्तापूर्ण परिणामों की प्राप्ति की दिशा में सहायक हो सके (उदाहरण के लिए, सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों के प्रति अधिक कठोर कानून सुनिश्चित करना, डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए आईटी अधिनियम आदि)

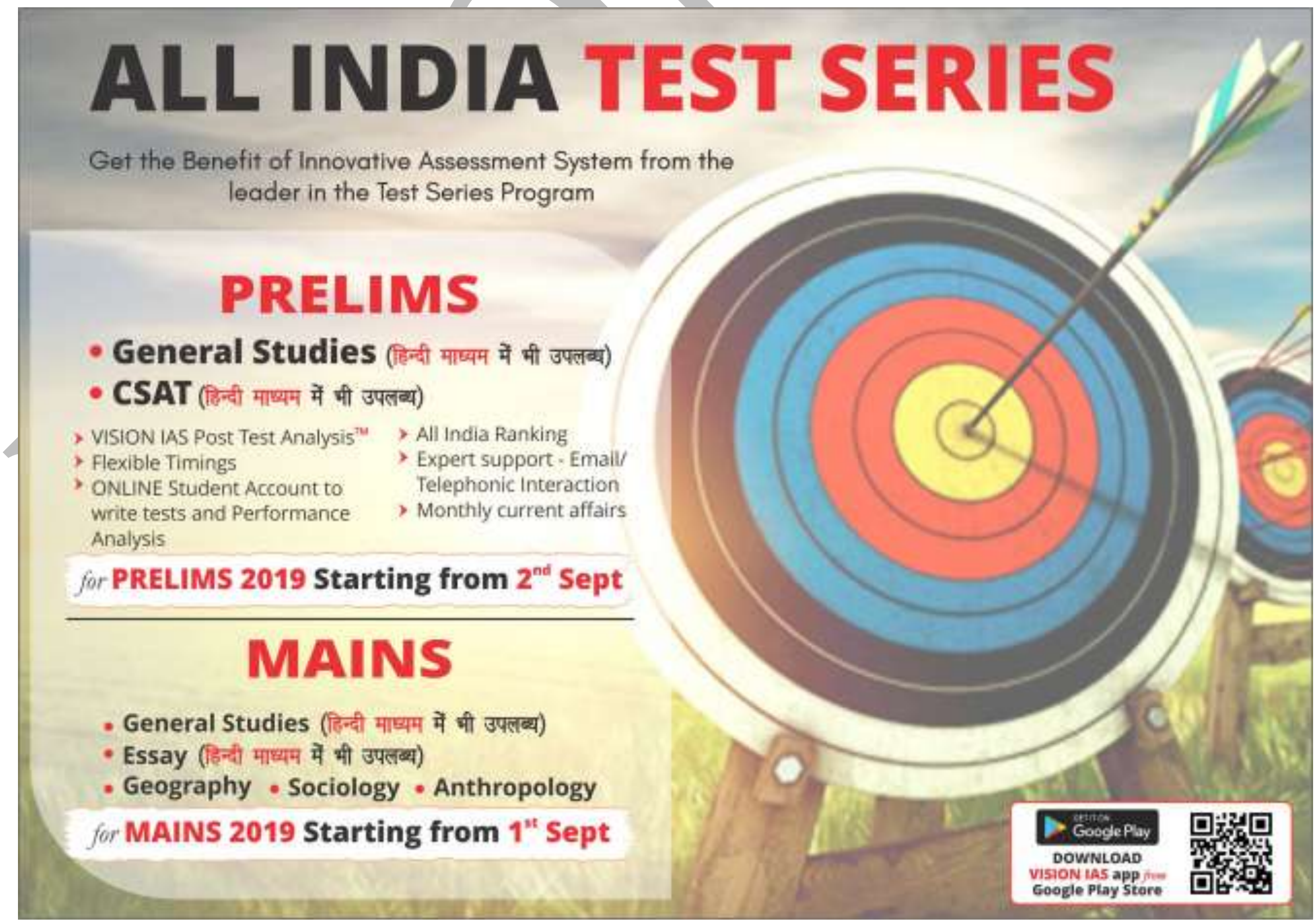

4. सुरक्षा (Security)

4.1. कस्बों और शहरों में माओवादी संगठन

(Maoist Organizations in Towns and Cities)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भीमा-कोरेगांव घटना में उनकी भूमिका के लिए कथित माओवादी संबंधों के कारण पांच लोगों की हालिया गिरफ्तारी ने एक बार फिर "शहरी नक्सलवाद" की अवधारणा पर बहस को तीव्र कर दिया है।

पृष्ठभूमि:

- **1967:** पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी क्षेत्र में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल द्वारा नक्सली आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
- **2004: CPI (माओवादी)** का गठन CPI (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वॉर ग्रुप (PWG) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ़ इंडिया के विलय के साथ हुआ था। इसके द्वारा तीन अलग-अलग रणनीतियों के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित संसदीय रूप को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विचारधारात्मक प्रणाली को स्पष्ट किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) का प्रयोग करके,** माओवादियों का लक्ष्य देश के अंदर स्थित प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना तथा उत्तरोत्तर शहरी केंद्र को चारों ओर से घेरना था।
  - **एक सामूहिक संगठन का उपयोग करना, जिसे फ्रंट ऑर्गनाइजेशन' के नाम से जाना जाता है** इसका कार्य मुख्यतः शहरी जनसंख्या के कुछ लक्षित वर्गों को संगठित करना, पेशेवर क्रांतिकारियों को भर्ती करना, विद्रोह के लिए धन जुटाना, गुप्त कैडर के लिए शहरी आश्रय स्थलों का निर्माण करना था।
  - इन संगठनों को सामान्यत: विचारधाराओं के आधार पर विकसित किया जाता है जिसमें शैक्षणिक समुदाय और कार्यकर्ता शामिल हैं, जो अधिकांशतः मानव अधिकार से संबंधित गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के तहत कार्य करते हैं जो मूल रूप से CPI (माओवादी) दल संरचना के साथ जुड़े होते हैं लेकिन कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास में अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं।
  - ऐसे संगठन सुरक्षा बलों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई को कमजोर और प्रभावहीन करने के लिए भारतीय राज्य की कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करने में भी सक्षम होते हैं तथा अपने हितों को आगे बढ़ाने हेतु राज्य संस्थानों को एक संगठित और व्यवस्थित प्रचार एवं विघटन अभियान के माध्यम से हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इन विचारधाराओं ने माओवादी आंदोलन को जीवित रखा है और यह कई तरीकों से PLGA कैडर की अपेक्षा अधिक खतरनाक हैं।
  - **CPI (माओवादी) की परिचालन संरचना:** पोलित ब्यूरो, माओवादी संगठन का मुख्य थिंक टैंक है जो ओवर-ग्राउंड फ्रंट ऑर्गनाइजेशन (शहरी क्षेत्रों में परिचालन), ऑपरेटरों और सहानुभूति प्रकट करने वालों के निरंतर संपर्क में बना रहता है और दीर्घावधिक नीतियों और रणनीतियों का निर्माण करता है।
  - **विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ मिश्रित गठबंधन (Rainbow Coalition) का निर्माण करना:** ताकि मौजूदा राज्य मशीनरी के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे के रूप में हमला शुरू किया जा सके।
- **गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित:** CPI (माओवादी) दल और इसके सभी अंगों तथा अग्र संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

शहरी नक्सलवाद के बारे में:

- **2004 में प्रस्तुत, 'शहरी परिप्रेक्ष्य: शहरी क्षेत्रों में हमारा कार्य' नामक एक CPI (माओवादी) दस्तावेज शहरी नक्सलवाद रणनीति के संबंध में वर्णन प्रस्तुत करता है:** इसका प्रमुख ध्यान शहरी क्षेत्रों से नेतृत्व और विशेषज्ञता प्राप्त करना है। इसके साथ ही यह औद्योगिक श्रमिकों एवं शहरी गरीबों को संगठित करने, फ्रंट संगठनों की स्थापना, छात्रों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित इसी प्रकार की विचारधारा वाले संगठन 'टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट' का गठन करना तथा पुलिस की घुसपैठ सहित कर्मियों, प्रौद्योगिकियों, सामग्री और बुनियादी ढांचे जैसे सैन्य कार्यों में शामिल होने पर बल देता है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- **फ्रंट संगठन भारत के कई शहरों में सक्रिय हैं:** खुफिया रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि 'शहरी नक्सलवाद' का समर्थन करने वाले फ्रंट संगठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, मदुरै, तिरुवनंतपुरम, नागपुर और पुणे सहित कई शहरों में सक्रिय हैं।

माओवादी विचारधारा को स्वीकार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी:

- 2015 में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि माओवादी होने और माओवादी की राजनीतिक विचारधारा रखने तक कोई अपराध नहीं है. जब तक कि पुलिस द्वारा तर्कसंगत रूप से यह सिद्ध नहीं किया जाता कि उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां गैरकानूनी हैं।
- केवल यदि कोई व्यक्ति या संगठन शारीरिक हिंसा करता है और उसकी सहायता लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में कानूनी एजेंसी व्यक्ति या संगठन पर रोक लगा सकती है या उसके विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है।

नक्सलवादियों के लिए शहरों में उपस्थिति का महत्व:

- **लोजिस्टिक्स समर्थन:** शहरी केंद्रों में उपस्थित होने और वहां संचालित होने की उपयोगिता को इस रूप में सबसे बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है जब 2006 में पुलिस द्वारा आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में खाली रॉकेट के गोले और रॉकेट लांचर जब्त किए गए थे। यह घटना माओवादियों के एक विस्तृत नेटवर्क का वर्णन करती है जिसके माध्यम से माओवादी रॉकेट के विभिन्न पार्ट्स का निर्माण और देश के विभिन्न भागों में उनका परिवहन भी करते हैं।
- **औद्योगिक श्रमिकों का उपयोग करना:** संचार, तेल एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, परिवहन, बिजली, रक्षा उत्पादन इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित श्रमिक वर्गों के आंदोलन में शामिल होने की परिकल्पना की गई है। 2006 से पूर्व गुजरात के सूरत जैसे शहरों में तथा इसके पश्चात कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों का पता लगाने से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई।
- **छात्रों और युवाओं को आकर्षित करना:** शहरी आंदोलनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को माओवादी विचारधारा की ओर आकर्षित किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फ्रंट संगठनों ने शिक्षा क्षेत्र में एक सशक्त आंदोलन शुरू कर दिया है, ताकि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों का समर्थन प्राप्त कर सकें।
- **शहरीकरण में ही कुछ दोष विद्यमान हैं और माओवादी इस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं:** इसके अतिरिक्त, माओवादियों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों सहित शहरी बुद्धिजीवी वर्ग एवं मध्यम वर्ग के मध्य कुछ सहानुभूति और समर्थन भी प्राप्त कर रहे हैं।
- रेस्ट एंड रिकूपरैशन (Rest and recuperations:R&R): विभिन्न अवसरों पर CPI (माओवादी) के महत्वपूर्ण शीर्ष-स्तर के नेताओं को शहरों और कस्बों से गिरफ्तार किया गया है जो सिविल सोसाइटी का सहारा लेकर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे।

आगे की राह

- गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वामपंथी चरमपंथ (LWE) चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों में 'शहरी नक्सलवाद' से निपटने की योजना को भी शामिल किया जाना चाहिए। राज्यों को माओवादी फ्रंट संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।
- शहरों में बढ़ती नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने हेतु एक पृथक बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं सहित इसके विचारकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप प्राय: माओवादी प्रचार मशीनरी की प्रभावकारिता के कारण प्रवर्तन एजेंसियों का नकारात्मक रूप से प्रचार किया गया है। अत: एक व्यवस्थित, दीर्घकालिक और निरंतर प्रयासों के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है।

4.2. डेटा प्रोटेक्शन (Data Protection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बी. एन. श्रीकृष्ण समिति ने डेटा प्रोटेक्शन पर एक मसौदा विधेयक तथा डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

डेटा प्रोटेक्शन के बारे में

- डेटा प्रोटेक्शन का आशय डेटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया से है तथा इसमें डेटा एवं प्रौद्योगिकी के संग्रह और प्रसार के मध्य संबंध शामिल है।
- इसका लक्ष्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हुए व्यक्ति की निजता के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना है।
- चूंकि इंटरनेट पर डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है और **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा** जैसी नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार से डेटा के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है इसलिए यह आवश्यक है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- किसी भी डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को अपने पूरे जीवन चक्र - डेटा संग्रह, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा उपयोग, डेटा शेयरिंग एवं डेटा विनाश, में डेटा सुरक्षित करना चाहिए।
- विभिन्न देशों ने डेटा प्रोटेक्शन पर समर्पित कानूनों का निर्माण किया है यथा जापान का प्रोटेक्शन ऑफ़ पर्सनल इनफार्मेशन एक्ट। हाल ही में, यूरोपीय संघ ने **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018** को अपनाया है।

डेटा प्रोटेक्शन से सम्बंधित चुनौतियां / बाधाएं

- अधिकांश **डेटा स्टोरेज कंपनियां विदेशों में** स्थित होती हैं। वे अन्य देशों को भी डेटा निर्यात करती हैं जिससे भारतीय कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- देश के भीतर डेटा संग्रह हेतु भारत में **डेटा स्थानीयकरण (data localization)** की क्षमता नहीं है।
- डेटा गतिकी में **सैकड़ों निजी अभिकर्ता** शामिल होते हैं जिससे यूनिफ़ॉर्म डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- सामान्यतः, **एप्लिकेशंस में** नियमों और शर्तों की स्वीकृति के संबंध में उपयोगकर्ताओं से पूछते समय **सहमति के सन्दर्भ में प्री-टिक्ड बॉक्स** का उपयोग किया जायेगा।
- अधिकांशतः डेटा गोपनीयता पर हमला करने वाले **अपराधी का पता लगाना मुश्किल** होता है।

डेटा प्रोटेक्शन और भारत

- भारत में लगभग 40 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और 25 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं जो अपना महत्वपूर्ण समय ऑनलाइन व्यतीत करते हैं। भारत में डेटा उल्लंघन के लिए औसत लागत 11.9 करोड़ रूपए है जिसमें 2017 से 7.9% की वृद्धि हुई है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस.पुट्टास्वामी मामले में **निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार** घोषित किया है। इसलिए व्यक्ति की निजता की रक्षा राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।
- भारत में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई समर्पित वैधानिक ढांचा नहीं है। वर्तमान में कुछ अधिनियम सामान्य रूप से डेटा प्रोटेक्शन को कवर करते हैं:
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 A** उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा करती है **लेकिन यह केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होती है, सरकारी एजेंसियों पर नहीं।** इसके अतिरिक्त यह नियम केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा **(चिकित्सकीय इतिहास, बॉयोमीट्रिक सूचना आदि)** तक ही सीमित है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2015, कॉपीराइट 1957** आदि अन्य अधिनियम भी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
- डेटा प्रोटेक्शन के विभिन्न प्रयासों में शामिल हैं-
  - डेटा प्राइवेसी पर **जस्टिस ए.पी शाह पैनल** ने डेटा प्रोटेक्शन के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा की थी।
  - 2017 में, संसद में एक **डेटा प्राईवेसी एंड प्रोटेक्शन बिल** प्रस्तुत किया गया था।
  - हाल ही में भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डेटा सुरक्षा के लिए अपने दिशानिर्देश दिए हैं।
  - **न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्णा समिति ने डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क** और **मसौदा विधेयक** तैयार करने के लिए हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फ्रेमवर्क के आधार पर, समिति ने एक **ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018** भी तैयार किया है।

श्री कृष्णा समिति द्वारा तय किये गए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **पारस्परिक विश्वास (Fiduciary relationship):** व्यक्ति और सेवा प्रदाता के मध्य पारस्परिक विश्वास का सम्बन्ध होना चाहिए। इस प्रकार डेटा प्रोसेस करने वाले सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे और उसे केवल अधिकृत उद्देश्यों के लिए प्रयोग करे।
- **पर्सनल डेटा की परिभाषा:** पर्सनल डेटा का अर्थ ऐसे डेटा से है, जिससे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पहचाना जाता हो या पहचाना जा सकता हो। समिति ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को संवेदनशील पर्सनल डेटा (उदाहरण के लिए, जाति, धर्म और व्यक्ति का यौनिक रुझान) के प्रोटेक्शन से अलग करने की मांग की है, क्योंकि संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग से व्यक्ति को अधिक नुकसान हो सकता है।
- **सहमति-आधारित डेटा प्रोसेसिंग:** इन चार मामलों को छोड़कर:
  - जब सरकार को लोक कल्याण के कार्य के लिए डेटा को प्रोसेस करना हो,
  - जब भारत में कानूनी या अदालती आदेशों का पालन करना हो,

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

  - जब तत्काल कार्य करने की आवश्यकता हो (उदाहरण के लिए, जीवन रक्षा हेतु),
  - कुछ मामलों में, रोजगार के कॉन्ट्रैक्ट्स की सीमित परिस्थितियों में (जैसे, जब सहमति हासिल करने के लिए नियोक्ता को अकारण ही अत्यधिक प्रयास करने पड़ें)।
- **पर्सनल डेटा का स्वामित्व:** विभिन्न अधिकारों यथा डेटा तक पहुँच, उसके प्रमाणन और संशोधन का अधिकार, डेटा प्रोसेसिंग पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार तथा भुला दिए जाने का अधिकार (एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात किसी व्यक्ति का डेटा मिटा दिया जाए या उस डेटा को अनाम बना दिया जाए) आदि के माध्यम से पर्सनल डेटा का स्वामित्व सुनिश्चित करना।
- **नियामक प्राधिकरण:** इसे डेटा प्रोटेक्शन की प्रणाली का उल्लंघन करने पर जांच करने का अधिकार होगा। यह कुछ ऐसी फिडयूशरीज़ (विश्वसनीय संस्था) को महत्वपूर्ण डेटा फिडयूशरीज के रूप में भी वर्गीकृत कर सकता है, जो कि लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। ऐसी फिडयूशरीज पर अधिक बाध्यताएँ आरोपित की जाएँगी।
- **अन्य कानूनों में संशोधन:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जनगणना अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत अधिकृत देश में सभी डेटा प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम डेटा प्रोटेक्शन मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

डेटा सुरक्षा के लिए TRAI के दिशानिर्देश

- लोगों को उनकी निजता के रक्षोपाय के रूप में **पसंद, सहमति और भुलाए जाने का अधिकार** दिया जाना चाहिए।
- डेटा का स्वामित्व व्यक्तियों के पास है जबकि डेटा संग्रहकर्ता और डेटा प्रोसेसर "केवल संरक्षक" हैं एवं नियमों के अधीन हैं।
- डिजिटल इको-सिस्टम में शामिल वे सभी इकाइयाँ जो डेटा को नियंत्रित या प्रोसेस करती हैं, उन्हें व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए मेटाडेटा का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वास्तव में, डिजिटल सिस्टम में पर्सनल डेटा के ऐनोनिमाईज़ेशन / डी-आइडेंटिफिकेशन के मानकों को तैयार किया जाना चाहिए।
- **संग्रहकर्ता और प्रोसेसर दोनों ही उपयोगकर्ता** के "अनपेक्षित नुकसान (unintended harm)" के लिए **उत्तरदायी** होने चाहिए।
- संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम डेटा एकत्र करने के लिए **डेटा न्यूनीकरण** के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) पर लागू मौजूदा गोपनीयता कानूनों को "डिजिटल इको सिस्टम में सभी इकाइयों" जैसे उपकरणों (मोबाइल और कंप्यूटर), ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन और ओवर-द-टॉप (OTT) सर्विस प्रोवाइडर पर भी लागू किया जाना चाहिए जो इंटरनेट पर प्रवाहित सूचनाओं को मीडिया को वितरित करते हैं।

ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 के प्रमुख प्रावधान

- **उद्देश्य:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को संतुलित करना और वैधानिक व्यवस्था के तहत व्यक्तियों के मध्य संचार के साधन के रूप में डेटा का उपयोग करना जोकि राज्यों और निजी संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण से व्यक्तियों की स्वायत्तता की रक्षा करेगा।
- **व्यक्ति के अधिकार:** यह विधेयक किसी व्यक्ति के कुछ अधिकार निर्धारित करता है। इनमें शामिल हैं: फिडयूशरी से इस बात की पुष्टि करने का अधिकार कि क्या उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया गया है; गलत, अधूरे या आउट-ऑफ़-डेट पर्सनल डेटा में संशोधन की मांग करने का अधिकार; तथा विशेष परिस्थितियों में दूसरे डेटा फिडयूशरी को पर्सनल डेटा ट्रान्सफर करने का अधिकार।
- **डेटा फिडयूशरी की बाध्यताएं:** डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में नीतियों का कार्यान्वयन, अपनी डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली में पारदर्शिता बरतना, सिक्योरिटी सेफगार्ड लागू करना (जैसे-डेटा एन्क्रिप्शन), और एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना ताकि व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों से निपटा जा सके।
- **डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी:** व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, पर्सनल डेटा का दुरुपयोग रोकने तथा विधेयक के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए।
- **डेटा स्थानीयकरण:** यह डेटा फिडयूशरी द्वारा भारत में कम से कम डेटा की एक कॉपी के स्थानीयकरण को अनिवार्य बनाता है।
- **पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के आधार:** विधेयक के अंतर्गत, सहमति मिलने पर फिडयूशरी को डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति दी गई है हालांकि फ्रेमवर्क में कुछ मामलों में व्यक्ति की सहमति के बिना भी डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है।
- **संवेदनशील पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के आधार:** संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग के लिए व्यक्ति की स्पष्ट सहमति मिलना आवश्यक है। हालाँकि इसके कुछ अपवाद भी हैं यथा यदि यह संसद अथवा राज्य विधायिका के किसी कार्य के लिए आवश्यक हो या किसी अदालती आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता हो, आदि।

VISION IAS

- **संवेदनशील पर्सनल डेटा को परिभाषित करना:** इसमें पासवर्ड, वित्तीय डेटा, अनुवांशिक डेटा, जाति, धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा, या ऐसी कोई भी श्रेणी शामिल है जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- **भारत के बाहर डेटा का स्थानांतरण:** उन विशेष स्थतियों में पर्सनल डेटा (संवेदनशील पर्सनल डेटा के अतिरिक्त) भारत के बाहर स्थानांतरित किया जाता है, जब केंद्र सरकार ने यह निर्दिष्ट किया हो कि किसी विशेष देश में डेटा स्थानांतरण की अनुमति है, या जब प्राधिकरण ने आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण को मंज़ूरी दे दी हो।
- **अनुपालन से छूट:** यह कुछ उद्देश्यों, जैसे **पत्रकारिता की गतिविधियों, कानून प्रवर्तन, राज्य की सुरक्षा** के **लिए पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग** हेतु छूट भी प्रदान करता है।
- **अपराध और जुर्माना:** प्राधिकरण द्वारा फिड्यूशरी पर विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है यथा कर्तव्यों को निभाने में असफल रहना, विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डेटा प्रोसेसिंग करना और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना आदि। उदाहरण के लिए, विधेयक के अंतर्गत, फिड्यूशरी से यह अपेक्षा की जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा का अतिक्रमण होता है, जिससे उसके नुकसान की आशंका हो तो वह प्राधिकरण को सूचित करे अन्यथा फिड्यूशरी पर 5 करोड़ रुपये तक का या उसके वैश्विक टर्नओवर की राशि के 2% का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **अन्य कानूनों में संशोधन:** यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और RTI अधिनियम में निजी जानकारी का खुलासा न करने की अनुमति के लिए संशोधन करता है बशर्ते व्यक्ति का नुकसान सार्वजनिक हित से अधिक महत्व रखता हो।
- **गोपनीयता को मूल अधिकार के रूप महत्व देना:** इसमें पर्सनल डेटा को इनफ़ॉर्मेशन प्राइवेसी के एक आवश्यक पहलू के रूप में सुरक्षित रखने का प्रावधान है।
- **निगरानी प्रावधान: डेटा प्रोटेक्शन इम्पेक्ट एसेसमेंट,** लेखा परीक्षा और **डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी** की नियुक्ति की आवश्यकताएं भी बिल में शामिल हैं। डेटा का निरंतर संग्रहण आवश्यक है या नहीं, यह जांचने के लिए **आवधिक समीक्षा** होनी चाहिए।

विधेयक के सकारात्मक प्रभाव

- कानून व्यक्ति के अधिकारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था से प्राप्त होने वाले जनहित के मध्य संतुलन स्थापित करेगा।
- अब तक देश भर में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई समर्पित ढांचा नहीं है। प्रस्तावित कानून डेटा सुरक्षा संरचना और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा में सहायता करेगा।
- बिल नागरिकों की राज्य द्वारा निगरानी किये जाने पर नज़र रखेगा और उनके भुक्तभोगी होने पर राज्य के विरुद्ध उनकी सहायता करेगा।

विधेयक से सम्बंधित मुद्दे

- डेटा फिड्यूशरी द्वारा **किस प्रकार के सुरक्षा मानकों** का पालन किया जाना चाहिए इस पर **कोई स्पष्टता नहीं है।**
- अब तक विभिन्न मानकों का पालन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, वित्तीय डेटा से निपटने वाली भुगतान कंपनियां PCI-DSS (भुगतान कार्ड उद्योग-डेटा सुरक्षा मानक) का पालन करती हैं तथा स्वास्थ्य कंपनियां वैश्विक स्तर पर HIPPA (स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम) का पालन करती हैं।
- विनियमन **लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने से हतोत्साहित कर सकता है। यह** यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के मामले में देखा गया है जो कि प्रत्येक EU नागरिक का डेटा यूरोपीय संघ के भीतर संग्रहीत करने को अनिवार्य बनाता है। साथ ही फेसबुक और ट्विटर ने अपने राजस्व और विज़िटर्स की संख्या में गिरावट देखी है।
- यह सरकार द्वारा उपयोगकर्ताओं के पर्सनल डेटा को बिना उनकी सहमति के प्रोसेस किये जाने पर उसके **उत्तरदायित्व** को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है।
- इसके साथ ही विधेयक आवधिक समीक्षा और कंपनियों की डेटा सुरक्षा लेखापरीक्षा करवाए जाने तथा फिड्यूशरी द्वारा की गई रिपोर्टिंग के लिए कोई **समय सीमा तय नहीं करता है।**
- **डेटा स्थानीयकरण से सम्बंधित मुद्दे**
    - इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि **डेटा स्थानीयकरण** डेटा की बेहतर गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
    - **उद्योगों को अतिरिक्त लागत का वहन करना होगा** क्योंकि विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि कंपनियों को पर्सनल डेटा की कम से कम एक प्रति का संग्रह, भारत में स्थित सर्वर या डेटा सेंटर में सुनिश्चित करना चाहिए।
    - **भारत में एक प्रति रखना वास्तव में सुरक्षा या गोपनीयता के उल्लंघन के विरुद्ध गारंटी प्रदान नहीं करता है।** वर्तमान में भारत के सर्वरों में संचित सरकारी लाभार्थियों के डेटा प्रकाशित किये जाने के मामले देखे गए हैं जोकि आधार अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।

VISION IAS

- विधेयक में **RTI अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) को प्रतिस्थापित** करने का प्रावधान है। यह **प्रतिष्ठा के नुकसान एवं मानसिक आघात जैसे अस्पष्ट आधारों पर सूचना अनुरोध को अस्वीकार किये जाने का खतरा उत्पन्न कर सकता है** और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित पब्लिक रिकॉर्ड तक पहुंच सुनिश्चित करने में अधिनियम को अप्रभावी बना सकता है।
- राज्य की सुरक्षा के आधार पर दी जाने वाली छूट बहुत व्यापक हो सकती है और नागरिकों के डेटा तक राज्य को व्यवस्थित पहुँच तथा राज्य द्वारा उसकी निगरानी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

4.3. रणनीतिक साझेदारी मॉडल

(Strategic Partnership Model)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रणनीतिक साझेदारी मॉडल के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रणनीतिक साझेदारी मॉडल क्या है?

- इस मॉडल की अवधारणा को प्रथम बार **धीरेंद्र सिंह समिति** द्वारा सुझाया गया था। यह कुछ निजी कंपनियों को रणनीतिक साझेदार (SPs) के रूप में नामित करने की परिकल्पना करता है जो न केवल सिस्टम इंटीग्रेटर्स की भूमिका को अपनाएँगे बल्कि एक सुदृढ़ रक्षा उद्योग की नींव भी रखेंगे।
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल का उद्देश्य **रक्षा औद्योगिक परिवेश को पुनर्जीवित करना** और सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जटिल **हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है।**
- इसका उद्देश्य **स्वदेशी निजी क्षेत्र और वैश्विक रक्षा प्रमुखों के मध्य संयुक्त उद्यमों (Joint ventures) को बढ़ावा देना है।**
- सरकार का लक्ष्य **2025 तक सैन्य वस्तुओं और सेवाओं में 1,70,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर को प्राप्त करना है।**

दिशा-निर्देश

- **स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना:** इनमें क्षेत्र-विशिष्ट तकनीक (niche technology) के हस्तांतरण के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है और यह भारत में उत्पादित सैन्य उपकरणों में उच्च स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करता है।
- **प्रमुख वैश्विक कंपनियों (global Majors) को प्रोत्साहित करना:** भारत को एक क्षेत्रीय / वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रमुख वैश्विक कंपनियों और भारतीय सहयोगियों की साझेदारी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **अधिकारप्राप्त परियोजना समितियां (Empowered Project Committees :EPC):** रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल के तहत समस्त खरीददारी विशेष रूप से गठित EPC द्वारा निष्पादित की जाएगी।
- **मानदंड निर्दिष्ट करना:** दिशानिर्देशों ने विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट विनिर्माण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए मानदंड भी निर्दिष्ट किए हैं।

लाभ

- यह **स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित** करके एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ रक्षा क्षेत्र को जोड़कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा जिससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।
- EPC से परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा तथा उनका **समय पर निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।** इस प्रकार, सशस्त्र बलों को समय पर उपकरणों की आपूर्ति की जा सकेगी।
- यह **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, क्षमता में वृद्धि करेगा तथा प्रौद्योगिकी के तीव्र और अधिक महत्वपूर्ण समावेशन** की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह एक **व्यापक कौशल आधार का विकास** सुनिश्चित करेगा **और नवाचार को बढ़ावा देगा।**
- यह मॉडल भारतीय निजी क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय के मध्य **दीर्घकालिक विश्वास अंतराल को कम करने** में भी सहायता करेगा।

चुनौतियां

- **संस्थागत क्षमता का अभाव:** संस्थागत क्षमता के अभाव के कारण विगत वर्षों में किए गए विभिन्न आशाजनक उपाय, विशेष रूप से 'मेक' और 'बाई एंड मेक (इंडियन)' प्रक्रियाओं से सम्बंधित वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।
- **संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों का अभाव:** खरीद और उत्पादन से संबंधित संरचनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधारों के अभाव ने एक सुदृढ़ रक्षा उद्योग के विकास को अवरुद्ध किया है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- **IPR सम्बन्धी मुद्दे:** बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) का संवेदनशील मुद्दा उन कारणों में से एक है जिनसे विदेशी विक्रेता सामान्यतः प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं।
- **व्यवहारिकता सम्बन्धी मुद्दा:** सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को प्राप्त विशेषाधिकार स्थिति के कारण वृहद पैमाने पर दीर्घकालिक अवधि के लिए व्यवहार्यता के सन्दर्भ में रणनीतिक साझेदारों की चिंताएँ भी व्याप्त हैं। विगत वर्षों में भी, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधों के संबंध में निष्पक्षता की कमी देखी गयी है तथा उसके द्वारा रक्षा PSU और ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों को नामांकित कर बड़े ऑर्डर्स सौंपे गए हैं।

इस प्रकार, सरकार को क्षमता निर्माण और अनुबंध करने में योग्यता के सिद्धांत के प्रयोग के साथ मॉडल को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है।

4.4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Border Area Development Programme: BADP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17 राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (2015-16 में 990 करोड़ रुपये से 2017-18 में 1,100 करोड़ रुपये) के तहत अपने परिव्यय में वृद्धि की है।

BADP के बारे में

- भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नस्तरीय पहुंच, अपर्याप्त अवसंरचना, निराशाजनक आर्थिक विकास, अत्यधिक गरीबी और लोगों के मध्य असुरक्षा की भावना जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को सीमा प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस ओर महत्वपूर्ण कदम के रूप में, 1987 में एक **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में BADP का प्रारंभ किया गया था।
- इसके तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं: (a) **अवसंरचना निर्माण** (b) **सीमावर्ती लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करना**, और (c) **उनके मध्य सुरक्षा की भावना का सृजन करना।**
- अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सीमावर्ती जनसंख्या की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए BADP में 17 राज्यों के **111 सीमावर्ती जिलों** को शामिल किया गया है।
- प्रारंभ में, इस कार्यक्रम को सीमावर्ती सुरक्षा बल की तैनाती की सुविधा के लिए अवसंरचनात्मक विकास पर बल देते हुए **पश्चिमी सीमा राज्यों में** लागू किया गया था।
- बाद में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों जैसे अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल करने के लिए इसकी परिधि में विस्तार किया गया।
- BADP का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त परिषदों और स्थानीय निकायों के माध्यम से **सहभागिता और विकेन्द्रीकरण के आधार** पर किया जाता है।

BADP योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं

- इसके पहले चरण को सीमावर्ती क्षेत्रों से 0-10 किमी की सीमा में लागू किया जाना है। जब इस क्षेत्र के लिए सभी विकास कार्य पूर्ण हो जायेंगे, तब राज्य सरकार 10 किमी से आगे के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर सकती है। यह समस्यात्मक है क्योंकि प्रथम चरण में शामिल क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए **अल्पविकसित क्षेत्रों** से होकर गुज़रना होगा (जिन्हें बाद के चरण में शामिल किया जाएगा) जिससे परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाएगी।
- इसके साथ ही, BADP योजना में यह अनिवार्य किया गया है कि 10 किमी से आगे के क्षेत्र को तब तक आवंटित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि 0-10 किमी (सीमा से) तक का क्षेत्र **'संतृप्त'** न हो जाए; इसके अतिरिक्त यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि क्षेत्र संतृप्त है या नहीं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में, वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा और शीत ऋतु के दौरान बर्फ़बारी से योजना के कार्यान्वयन, विशेष रूप से **निर्माण कार्य, में बड़ी कठिनाई** उत्पन्न होती है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- **योजना के अंतर्गत धन** को अवसंरचना पर व्यय किया जाता है जिससे अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया जाता है । जिससे BADP के विशिष्ट लक्ष्यों का प्रभाव कम होता जा रहा है।
- वित्त के आवंटन के लिए **कोई उचित व्यवस्था/प्रणाली नहीं है**। यह व्यक्तिपरकता और एकाधिकार की सम्भावना में वृद्धि करता है। वस्तुतः सीमा से दूरी के अनुसार एक वित्त आवंटन अनुपात का निर्धारण किया जाना चाहिए।

BADP के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएं

NITI आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं में से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं-

- **कार्यक्रम का निरीक्षण और निगरानी-** ऐसी विकास योजनाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समस्त देश में एकसमान प्रारूप होना चाहिए। वर्तमान में, इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य का अपना प्रारूप है। साथ ही, BADP के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को तैयार करने और प्रस्ताव भेजने तक प्रत्येक चरण में प्रखंडों (ब्लॉक्स) को शामिल किया जाना चाहिए।
- **रोजगार और कौशल सृजित करने वाली योजनाएं-** कृषि क्षेत्र संतृप्त बन चुका है तथा शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जो यह अनुभव करते हैं कि इस योजना के तहत मजदूरी कम है। छोटे पैमाने पर उद्योग संवर्धन जैसे गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विविधता होनी चाहिए।
- **राजनीतिक भागीदारी को कम किया जाना चाहिए-** यद्यपि राजनीतिक और लोकप्रियता का दबाव होता है जो कार्य के चयन को सूचित और प्रभावित करता है, तथापि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों के विविधीकरण के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है।
- **BADP के बारे में जागरूकता-** विभिन्न मुख्य विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ-साथ सभी चयनित जिलों और प्रखंडों में BADP के तहत कवर की गई विभिन्न संपत्तियों के संबंध में जागरूकता निर्माण अभियानों की तात्कालिक आवश्यकता विद्यमान है।
- **सभी मौसमी सड़कों का निर्माण (all-weather Roads)- इन गाँवों के सड़क मार्ग से जुड़े न होने के कारण** वित्त की अपर्याप्तता और केंद्र से धन के सीमित प्रवाह की समस्या और गंभीर हो जाती है। किसी आपात स्थिति में इन गाँवों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच अत्यधिक कठिन हो जाती है।
- **अधिक फण्ड / समय पर निधि जारी करना-** BADP के तहत कार्य के समय पर पूरा होने के लिए यह एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
- **नियोजन में पंचायतों को शक्ति प्रदान करना-** सीमावर्ती गांवों की पंचायत समिति को कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन में शामिल होना चाहिए। वस्तुतः वे सभी स्तरों पर शामिल एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन करने के साथ-साथ जिले में BDO और नोडल अधिकारियों को सभी जानकारी अग्रेषित करने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे।
- **लोगों के मध्य विश्वास का सृजन-** सामाजिक-आर्थिक तनाव के कारण, विकास के लिए योजना बनाने में सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिए जाने की अर्थात त्वरित और एकीकृत संधारणीय विकास की आवश्यकता होती है। यहां, आत्मविश्वास निर्माण उपायों को इन क्षेत्रों में सफल होने की सम्भावना की जाने वाली किसी भी विकास रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है।

योजना का प्रभाव

- **विभिन्न राज्यों में योजना का प्रभाव** अलग-अलग है। उदाहरण के लिए-
  - मणिपुर के 32% लोग, मिजोरम के 54% लोग और हिमाचल प्रदेश में 100% लोग योजना के **सामुदायिक विकास कार्यों के प्रभाव** से संतुष्ट थे।
  - त्रिपुरा के 82% लोगों और नागालैंड के 14% स्थायी लोगों ने कहा कि वे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। गुजरात के 100% स्थायी लोगों ने कहा कि वे **सुरक्षित महसूस** करते हैं।
  - लगभग सभी क्षेत्रों में (हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त) **महिलाओं की भागीदारी** अलग-अलग और असंतोषजनक रही है।
- इसके अतिरिक्त, अन्य **योजनाओं के साथ अभिसरण** के संदर्भ में, यह अधिक सफल नहीं है क्योंकि क्लस्टर में से कोई भी इससे संतुष्ट नहीं हुआ है।
- जैसा कि देखा गया है, अधिकांश कार्य ग्राम पंचायत वाले बड़े गांवों में किए जाते हैं जबकि उस ग्राम पंचायत से सम्बंधित छोटे गांवों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, **धन के वितरण के** लिए किसी सूत्र की आवश्यकता है। BADP के तहत कार्य की स्वीकृति में **राजनीतिक संपर्क** की प्रमुख भूमिका है।

VISION IAS

BADP में हालिया बदलाव

- सीमावर्ती गांवों के व्यापक और समस्त विकास के लिए, **61 मॉडल गांवों को विकसित** करने का निर्णय लिया गया है।
- प्रत्येक मॉडल गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत रूप से रहने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।
- BADP के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए **BADP ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली** प्रारंभ की गई है।
- सीमावर्ती राज्य अपनी संबंधित **वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत** कर सकते हैं और **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और योजना और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

VISION IAS

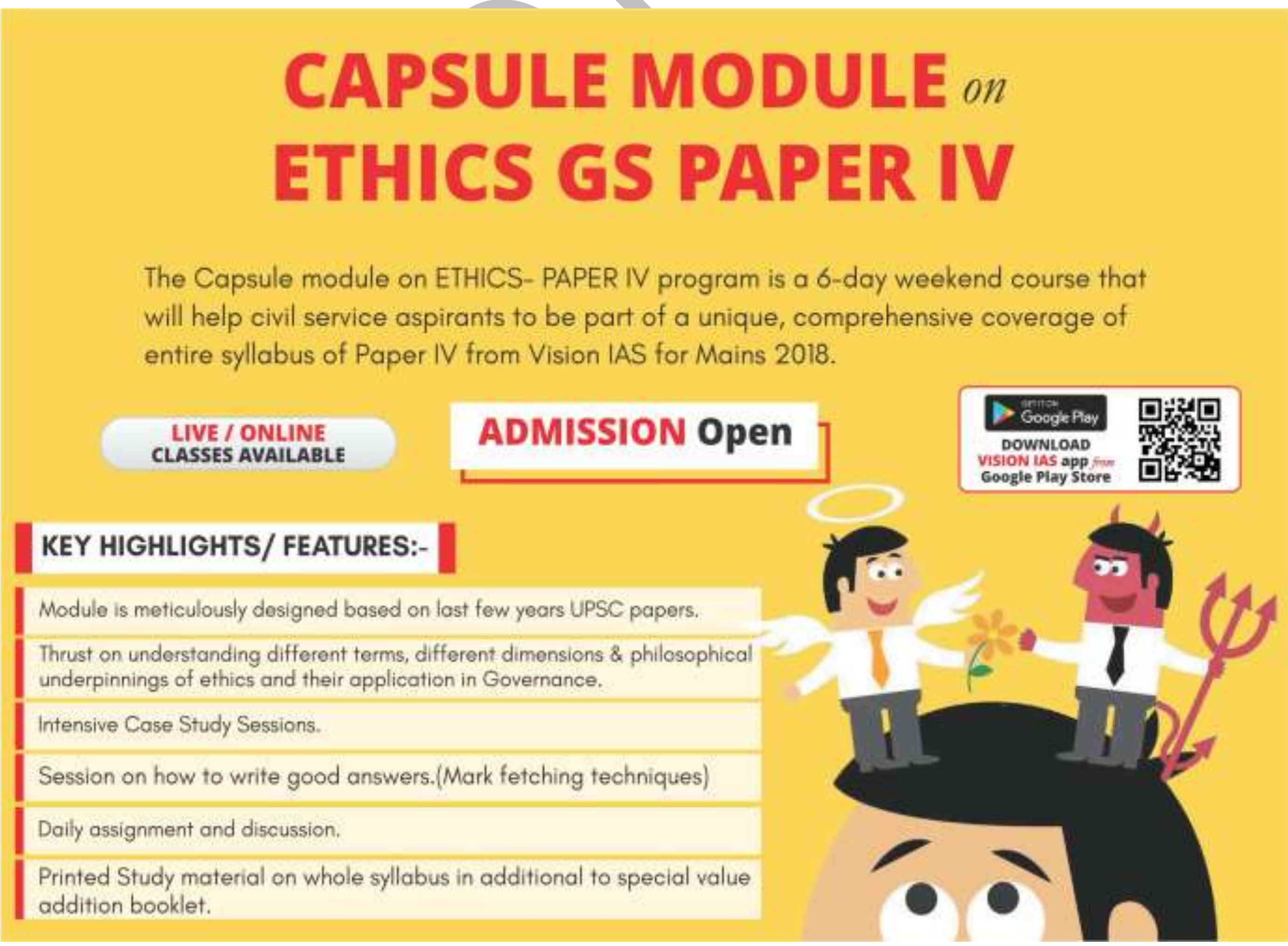

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. केरल में बाढ़ (Kerala Flood)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल ने 1924 के बाद से अब तक की सबसे भीषण बाढ़ की स्थिति का सामना किया है। जिसके कारण कम से कम 480 लोगों की मृत्यु हो गई, 780,000 विस्थापित हुए और राज्य में 50,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ।

पृष्ठभूमि

- **भारत की बाढ़ के प्रति सुभेद्यता:** भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** 1980 के बाद से दक्षिण एशियाई मानसून ऋतु के दौरान अत्यधिक आर्द्र अवधि और अत्यधिक शुष्क अवधि की तीव्रता में वृद्धि हो रही है।
- **वित्तीय क्षति:** 1953 से 2011 के मध्य देश में बाढ़ के कारण 8,12,500 करोड़ रुपये की संपति का नुकसान हुआ। विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute:WRI) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि से 2030 तक प्रति वर्ष बाढ़ के जोखिमों से देश के सकल घरेलू उत्पाद से 154 बिलियन डॉलर तक का नुकसान पहुंच सकता है।
- **जून 2017 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)** की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का वैज्ञानिक आकलन करने और 349 बांधों का सर्वेक्षण करने में असफल रहे हैं, केवल 40 विस्तृत आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं।
  - इसमें यह भी इंगित किया गया कि **अकुशल बांध प्रबंधन** भारत में बाढ़ के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण था जैसा कि 2016 में बिहार और 2006 में सूरत बाढ़। 2015 में चेन्नई बाढ़, जिसमें 295 लोगों की मृत्यु हुई, इसमें भी बांध सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन एक महत्वपूर्ण कारक था।

केरल में बाढ़ की सुभेद्यता

- **राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (RBA)** ने केरल में 38.90 लाख हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 8.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के बाढ़ प्रवण होने का अनुमान लगाया था।
- 2014 में **केरल स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (SAPCC)** ने मूल्यांकन किया कि राज्य को जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से खतरा है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **केन्द्रीय जल आयोग (CWC)** जो कि भारत की एकमात्र बाढ़ पूर्वानुमान एजेंसी है, इस एजेंसी के पास केरल में किसी प्रकार की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- **पश्चिमी घाट के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर गाडगिल रिपोर्ट (2011) में यह** चेतावनी दी गई कि अवैध खनन और वनोन्मूलन से राज्यों में नदी किनारों पर वृहद पैमाने पर अतिक्रमण हुआ और इस हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का सुझाव दिया गया।

VISION

- यह भी कहा गया है कि, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित उत्खनन और निर्माण इत्यादि के कारण पश्चिमी घाटों के विभिन्न जलाशयों में असामयिक अवसाद निक्षेपण, विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकता है।

कारण

- **निरंतर वर्षा:** केरल में जून माह के आरंभ से 1,349.5 मिमी की सामान्य वर्षा की तुलना में 2,346.6 मिमी वर्षा हुई है। मानसून का "सक्रिय" चरण तब होता है जब मानसून द्रोणी (monsoon trough) अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में स्थानांतरित हो जाती है जिसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीप में भारी और तीव्र वर्षा होती है।
- **बांध का कुप्रबंधन:** अत्यधिक वर्षा के कारण बांध से जल की तत्काल निकासी हुई, क्योंकि वर्षा के आरंभ होने से पूर्व बांध जलाशयों को खाली नहीं कराया गया था, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में अपेक्षा से तीव्र गति से बाढ़ आई।
  - केरल सरकार ने दावा किया कि राज्य में बाढ़ का कारण मुल्लापेरियार बांध (केरल में स्थित, परन्तु तमिलनाडु द्वारा संचालित) से जल की आकस्मिक निकासी करना था।
- **इमारती पत्थरों के उत्खनन:** केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक हालिया अध्ययन में यह बताया गया कि राज्य में 5,924 बड़ी, मध्यम और छोटी खदानें थीं। राज्य भर में 211 विभिन्न स्थानों में मडस्लाइड और लैंडस्लाइड की घटनाएं रिपोर्ट की गई, इमारती पत्थरों के उत्खनन गतिविधियों में वृद्धि और बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन इसके लिए उत्तरदायी कारण है।
- बाढ़ में सहायता करने वाले अन्य कारक, विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला **वनोन्मूलन** है, **अनियंत्रित रेत खनन** से नदी प्रवाह बाधित हुआ है, जबकि अस्थिर पहाड़ी ढलानों पर बड़ी बड़ी **इमारतों** के तीव्र विस्तार ने मृदा को कमजोर बना दिया है। इस अनियोजित विकास ने क्षेत्र को बाढ़ और भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया है।

प्रभाव

- **कृषि पर प्रभाव:** धान की खड़ी फसल तथा केले, रबड़, इलायची, काली मिर्च और अखरोट के बागानों को नष्ट कर दिया गया है ,क्योंकि बाढ़ इडुक्की, कोट्टायम और वायनाड जैसे बागान जिलों में केंद्रित है।
- **आजीविका को क्षति:** केयर रेटिंग (CAREs Ratings) के अनुसार, लगभग 41.3 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है और अगस्त माह में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की मजदूरी के नुकसान का अनुमान है।
- **मृदा की उर्वरता की क्षति:** बाढ़ के कारण ऊपरी मृदा स्तर में अत्यधिक क्षति पहुंची है, जिससे इसकी प्राकृतिक अवस्था की पुनर्प्राप्ति में अधिक समय लगता है।
- **सांस्कृतिक क्षति:** केरल सरकार ने केरल के फसल कटाई के त्योहार, **ओणम** के आयोजन को रद्द कर दिया है।
- **आर्थिक प्रभाव:** ASSOCHAM के अनुसार, केरल में बाढ़ से संभावित रूप से 15,000 - 20,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है, जिसमें 134 पुलों और 16,000 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग की सड़कों जैसी अवसंरचनात्मक क्षति शामिल हैं।
- **रोग का प्रकोप:** गंभीर बाढ़ के पश्चात्, केरल में 196 **लेप्टोस्पायरोसिस (रैट फीवर)** के मामले और नौ लोगों के मृत्यु की पुष्टि हुई है।
  - लेप्टोस्पायरोसिस, जिसे वेइल रोग भी कहा जाता है (Weil's disease)। लेप्टोस्पायरो बैक्टीरिया के कारण होने वाला जल-जनित जीवाणु रोग है। यह कदाचित ही व्यक्ति से व्यक्ति में प्रसारित होता है और इसे सामान्य एंटीबायोटिक्स से उपचारित किया जा सकता है। इसका उद्भवन काल (incubation period) 5 से 14 दिनों के मध्य होता है।

बाढ़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश

- बाढ़ प्रबंधन योजनाएं (Flood Management Plans:FMPs) का कार्यान्वयन कर पूर्व-तैयारी (preparedness) पर ध्यान केंद्रित करना।
- विभिन्न संरचनाओं की प्रभावशीलता और संधारणीयता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना तथा उनके नवीनीकरण और सुदृढ़ता के लिए उचित उपाय करना।
- बाढ़ पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय समर्थन प्रणाली का निरंतर आधुनिकीकरण।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नई संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में बाढ़ प्रतिरोधी विशेषताओं के संयोजन को सुनिश्चित करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रणनीतिक और सार्वजनिक उपयोगिता वाली संरचनाओं की फ्लड प्रूफिंग हेतु समयबद्ध योजना तैयार करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सभी हितधारकों की जागरूकता और पूर्व-तैयारी में सुधार।
- प्रभावी बांध प्रबंधन (जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, और दस्तावेज़ीकरण शामिल हैं) के लिए उपयुक्त क्षमता विकास समाधान प्रस्तुत करना।
- यथोचित उपायों के माध्यम से अनुपालन व्यवस्था में सुधार।

VISION IAS

भारत में बांध प्रबंधन

- भारत में लगभग 75 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और लगभग 164 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। कुप्रबंधित और असुरक्षित बांध मानव जीवन, वनस्पतियों और जीवों के लिए एक संकट उत्पन्न कर सकता है, यहां तक कि भारत में पूर्व में 36 बाँध जनित आपदाएं हुई थी।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)

- यह एक बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना है। कुल परियोजना का 80% विश्व बैंक द्वारा ऋण / क्रेडिट के रूप में प्रदान किया जा रहा है और शेष 20% राज्यों / केंद्र सरकार (CWC के लिए) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
- अप्रैल 2012 में, सात राज्यों नामतः झारखंड (DVC), कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड (UJVNL), में आरंभिक रूप से 225 बांधों की मरम्मत और पुनर्वास हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गयी थी।
- वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 198 बांध शामिल हैं जिन्हें जून 2018 तक पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है।
- **DRIP के उद्देश्य -**
    - चयनित विद्यमान बांधों और संबद्ध व्यवस्थाओं की सुरक्षा और संचालन-निष्पादन प्रदर्शन में स्थायी रूप से सुधार, और
    - भागीदार राज्यों / कार्यान्वियन एजेंसियों की संस्थागत बांध सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण।

आपातकालीन कार्य योजना

- DRIP के अंतर्गत बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना (EAP) प्रस्तावित की गई है। EAP एक औपचारिक योजना है जो किसी बांध पर संभावित आपातकालीन स्थितियों को स्पष्ट करती है तथा जीवन एवं संपत्ति की क्षति को कम करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है।
- EAP विभिन्न प्रयासों को सुव्यवस्थित करने तथा बचाव एवं राहत संबंधी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता करती है।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

- इस विधेयक का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समान एवं देशव्यापी प्रक्रियाओं को विकसित करने में सहायता प्रदान करना है तथा उनकी सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण देश में सभी निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा अनुरक्षण करना है।
- यह **बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति के गठन** का प्रावधान करता है। यह समिति **बांध सुरक्षा नीतियों** को विकसित करेगी और आवश्यक विनियमों की अनुशंसा करेगी।
- यह एक **नियामक निकाय** के रूप में **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की** स्थापना का प्रावधान करता है। यह निकाय देश में बांध सुरक्षा के लिए नीति, दिशा-निर्देश और मानकों के कार्यान्वयन का कार्य करेगा।
- यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा **बांध सुरक्षा पर राज्य समिति** के गठन का प्रावधान करता है।

बांध सुरक्षा पर राज्य समिति के विषय में

- यह संबंधित राज्य में सभी निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और अनुरक्षण तथा बांधों सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेगी।
- यह बांध मालिकों पर बांध सुरक्षा की जिम्मेदारी को लागू करता है और कुछ कृत्यों के भार और उनकी अनुपस्थिति के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- प्रत्येक उस राज्य में जहां बांधों की निर्दिष्ट संख्या होगी, **राज्य बांध सुरक्षा संगठन** की स्थापना की जाएगी। यह संगठन बांध सुरक्षा क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इन अधिकारियों में प्राथमिक रूप से बांध डिजाइन, हाईड्रो मेकेनिकल इंजीनियरिंग, हाईड्रोलॉजी, भू-तकनीकी जांच और बांध पुनर्वास क्षेत्र के अधिकारी होंगे।

5.2. मानसून पूर्वानुमान

(Monsoon Forecasting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हिंद महासागर अनुसंधान जलयान (IORV) सागर निधि को भारत- US अभियान के अंतर्गत हिंद महासागर में स्थापित किया गया है। इसका कार्य बंगाल की खाड़ी में विद्यमान अनिश्चितता के कारणों की खोज करना है जो दक्षिण-पश्चिम मानसून में सहायक हैं।

VISION IAS

भारत में मानसून पूर्वानुमान:

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा भारत में मानसून के पूर्वानुमान हेतु एक नई पद्धति को स्वीकृत किया गया है। नई पद्धति **गत्यात्मक पूर्वानुमान (dynamical forecasting)** के नाम से जानी जाएगी, जिसे सदियों पुरानी ब्रिटिश विकसित संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के स्थान पर स्वीकृत किया गया है।
- भारत द्वारा उपयोग में लाया जाने वाले डाइनैमिक मॉडलिंग को अमेरिका से लिया गया है तथा इसमें भारतीय मानसून की क्रियाविधि के अनुरूप परिवर्तन लाया जा रहा है।
- भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा विभिन्न समय-मानों पर मानसूनी वर्षा के लिए एक अत्याधुनिक गत्यात्मक पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने हेतु 2012 में **'राष्ट्रीय मानसून मिशन' (NMM)** लॉन्च किया गया था। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित हैं:
  - मौसमी एवं विस्तारित सीमा पूर्वानुमान प्रणाली तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी की पूर्वानुमान प्रणाली की पूर्वानुमान क्षमता में सुधार करने हेतु एक अत्याधुनिक गतिशील मॉडलिंग ढांचा स्थापित करना।
  - भारतीय क्षेत्र पर सभी समय-मानों (दीर्घ, मौसमी, विस्तारित, मध्यम और लघु सीमा) में मानसून पूर्वानुमान क्षमता में सुधार करने हेतु बुनियादी ढांचे और आवश्यक कार्यबल को स्थापित करना।
  - मानसून पूर्वानुमान क्षमता में सुधार करने हेतु अकादमिक/अनुसंधान एवं विकास संगठनों और परिचालन एजेंसियों के मध्य एक कार्यशील साझेदारी का निर्माण करना।

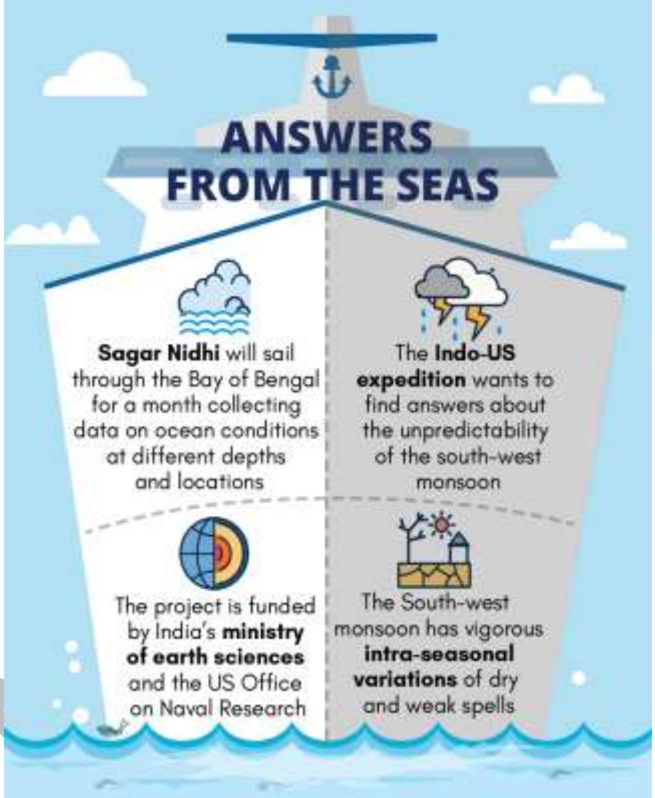

भारत में मानसून का पूर्वानुमान जटिल क्यों है?

- **मानसून की अत्यधिक परिवर्तनशीलता:** कई कारक मानसून की अवधि और तीव्रता को प्रभावित करते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **एल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO):** यह पूर्वी प्रशांत महासागर के बढ़ते तापमान से संबंधित एक जलवायविक परिघटना है। अन्य कारक जो एल नीनो के प्रभाव को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करते हैं उनमें **इंडियन ओशन डायपोल (IOD)** प्रमुख है। IOD, अरब सागर के निकट पश्चिमी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के निकट पूर्वी हिस्से के मध्य महासागरीय सतह के तापांतर की घटना है। एक उष्ण पश्चिमी धारा सकारात्मक IOD का निर्माण करता है, जो एल नीनो को प्रभावहीन करने वाले कारक के रूप में कार्य कर सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप सामान्य वर्षा होती है। अन्य कारकों में इक्वेटोरियल इंडियन ओसियन ऑसिलेशन (EQUINO), मैडेन जूलियन ऑसिलेशन इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, इन कारकों के मध्य परस्पर जटिल संबंध भी विद्यमान होता है और ये परिदृश्य को और भी जटिल बना देते हैं।
  - **मानव जनित उत्सर्जन वर्षा के प्रतिरूप को प्रभावित करता है:** अत्यधिक उष्ण वायुमंडल का मानसून में परिवर्तनशीलता के साथ प्रत्यक्ष सहसंबंध है।
  - **वायु प्रदूषण:** एयरोसोल जैसे ब्लैक कार्बन एवं सूर्य प्रकाश के मध्य परस्पर अंत:क्रिया वर्षा परिवर्तनशीलता को जटिल बना देती है जिसके परिणामस्वरूप सूर्य की किरणों का या तो प्रकीर्णन (Scattering) या अवशोषण (absorbing) होता है। प्रकीर्णन, सूर्य प्रकाश के द्वारा पृथ्वी की सतह को गर्म होने से रोकता है, जबकि अवशोषण, कण के चारों ओर स्थित वायु को गर्म करने का कारण बनता है जो अंततः वायुमंडल की ऊष्मण प्रतिरूप को परिवर्तित कर देता है तथा महासागर की अपेक्षा स्थल भाग का अधिक तापन करता है।
  - **वनावरण:** अगस्त और सितंबर माह में भारत के पूर्वी भाग के बड़े क्षेत्र में लगभग एक चौथाई वर्षा धरातल से होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से वनीय क्षेत्र से होने वाले वाष्पन-उत्सर्जन के कारण होती है। संपूर्ण विश्व में व्यापक पैमाने पर होने वाले वनोन्मूलन से भारतीय मॉनसून में 18% की कमी हो सकती है।

- **अन्य कारक:** उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के ऊपर स्थित धूलकण सूर्य किरणों को अवशोषित कर वायु के तापमान को बढ़ा देते हैं, एवं पूर्व की ओर प्रवाहित आर्द्रता युक्त पवन को शक्तिशाली बना देते हैं जो आगे चलकर भारत में भारी वर्षा करती है। इसी प्रकार, **जलवायु परिवर्तन** इस परिघटना को और अधिक जटिल बना देती है।
- **मानसून अवदाब (Monsoon Depressions):** ये बंगाल की खाड़ी पर निर्मित अवदाब होते हैं और इन्हें मानसून के दौरान भारी वर्षा के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में, इनकी संख्या में समुद्री सतह के तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण पश्चिमी हिन्द महासागर पर अनियमित आर्द्रता अभिसरण के कारण कमी हो रही हैं।

- **जेट स्ट्रीम की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है:** मानसून के दौरान, भारत के दक्षिणी भाग में एक शक्तिशाली पवन (जिन्हें **निम्न स्तर पर स्थित मानसून जेट स्ट्रीम** के रूप में जाना जाता है) धरातल से लगभग 1.5 किमी की ऊंचाई पर स्थित अक्षांशों में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार, लगभग 14 किमी की ऊंचाई (समताप मंडल के समीप) पर पूर्व दिशा से एक और जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। इन दोनों जेट स्ट्रीमों की उत्तर दक्षिण संचलन की गति भारतीय क्षेत्र में वर्षा के वितरण को नियंत्रित करती है।

मौसम का गत्यात्मक पूर्वानुमान मॉडल (Dynamic Weather Prediction Model)

मौसम के गत्यात्मक पूर्वानुमान मॉडल के अंतर्गत कंप्यूटर पर वायुमंडल के 3D गणितीय सिम्युलेशन को शामिल किया जाता है। गत्यात्मक मॉडल विशेष रूप से लघु स्थानिक एवं कालिक पैमाने पर वर्षा के पूर्वानुमान हेतु उपयोगी होते हैं, जो संख्यात्मक पूर्वानुमान प्रणाली में संभव नहीं था। गत्यात्मक मॉडल की सहायता से, प्रत्येक राज्य के लिए हम मासिक आधार पर पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।

गत्यात्मक मॉडल के कई लाभ हैं

- गत्यात्मक मॉडल, जिसे युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली (Coupled Forecast System) भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत शॉर्ट-रेंज (लघु श्रेणी) पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने हेतु तीव्र कंप्यूटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह विशिष्ट क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान को उन्नत बनाने के लिए सुगमता प्रदान करता है और विशिष्ट अवधि हेतु पूर्वानुमान का सिम्युलेशन करने के लिए मौसम प्रतिरूप से संबंधित स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर आकड़ों के संग्रहण को सक्षम बनाता है।
- इसका उपयोग कृषि और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के साथ किया जा सकता है। इनका उपयोग वर्षा के पूर्वानुमान के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। डिजिटलीकृत प्रारूप में वायु, तापमान और आर्द्रता संबंधी वास्तविक समय (रियल टाइम) पर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली और इसकी सीमाएं

भारत ने पूर्व में संख्यात्मक पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग किया जाता था। संख्यात्मक मॉडल को दक्षिण पश्चिम मानसून को ट्रैक करने के लिए विस्तृत गणना की आवश्यकता होती है। इन मॉडल में वर्षा और समुद्री सतह के तापमान एवं हिन्द महासागर पर प्रवाहित दक्षिण-पूर्वी पवन जैसे छह से आठ सूचकों के मध्य के ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग किया जाता है।

- पूर्वानुमान में विफलता: उदाहरण के लिए, IMD 2002, 2004 और 2009 में सूखे की आपदा का पूर्वानुमान करने में विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, 1988 से 2010 तक, IMD केवल नौ बार मानसून का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान करने में सक्षम रहा था। अत: सफलता दर केवल 40 प्रतिशत रही थी।
- यह सम्पूर्ण देश और पांच क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करता है, हालांकि यह देश के सभी 29 राज्यों के लिए पृथक-पृथक पूर्वानुमान नहीं उपलब्ध कराता है। भारत के आकार को देखते हुए, संपूर्ण देश के लिए किया गया एक राष्ट्रीय पूर्वानुमान विभिन्न जलवायु प्रदेशों में स्थित किसानों के लिए बहुत कम मददगार है।

लाभ

- राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) के तहत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को 2019 तक संपूर्ण देश में ब्लॉक स्तर तक विस्तारित कर दिया जायेगा। यह किसानों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और सभी संबंधित लोगों को सहायता पहुंचाएगा।
- सूखे का पूर्वानुमान करना संभव हो सकेगा। यदि हम किसानों को अग्रिम चेतावनी उपलब्ध कराने में सक्षम हुए तो 2004 और 2009 के समान पड़ने वाले सूखे को रोका जा सकेगा।
- बेहतर पूर्वानुमान किसानों को बुवाई का उचित समय, सिंचाई या उर्वरकों के छिड़काव और वर्षा की विफलता के समय राज्यव्यापी उपायों की योजना निर्मित करने संबंधी सहायता प्रदान कर भारत के कृषि उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, बेहतर कृषि उत्पादन के परिणामस्वरूप बेहतर पूर्वानुमान मुद्रास्फीति स्तर को स्थिर कर सकती है और इस प्रकार मौद्रिक नीतियों के उद्देश्यों का अर्थव्यवस्था में बेहतर रूप से संचार किया जा सकता है।

VISION IAS

5.3. ग्रीष्म ऋतु के दौरान गंगा का घटता जलस्तर

(Ganga Drying Up In Summers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IIT खड़गपुर के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि विगत कुछ ग्रीष्म ऋतुओं के दौरान गंगा नदी के कई निचले क्षेत्रों में जलस्तर में कमी आई है। जिसका कारण नदी के चारों ओर स्थित भूमिगत जल भंडार का क्षरण है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **जल स्तर में अभूतपूर्व कमी:** 2015 और 2017 के ग्रीष्म ऋतु में गंगा नदी के मध्य एवं निचले क्षेत्रों में जल स्तर और प्रवाह में अभूतपूर्व कमी देखी गयी।
- **विगत कई वर्षों में जल स्तर में परिवर्तन की दर:** 1999 और 2013 के ग्रीष्म ऋतु के मध्य गंगा नदी का जल स्तर -0.5 से -38.1 सेमी/वर्ष की दर से कम हुआ है।गंगा की प्रवाह की दिशा में स्थित राज्यों (downstream states) के जल प्रवाह में निरंतर कमी, संभवतः आस-पास स्थित जलभृतों में भूमिगत जल की कमी के कारण हुई है।
- **गंगा नदी के निकटवर्ती जलभृतों का महत्व:** वर्तमान में गंगा के निकटवर्ती जलभृतों से गंगा नदी का आधारभूत प्रवाह (कुल नदी प्रवाह का वह भाग जो प्राकृतिक भंडारण से एक नदी धारा में भूजल रिसाव को इंगित करता है) पूर्व-मानसून (ग्रीष्म ऋतु) महीने में कुल नदी जल की मात्रा का एक तिहाई या अधिक हो सकता है। 1970 के दशक में पम्पसेट के द्वारा की जाने वाली सिंचाई के चरण की शुरुआत के पश्चात आधारभूत प्रवाह में लगभग 50 प्रतिशत तक की कमी हो गई है।
- **भविष्य में नदी में औसत भूमिगत जल के योगदान में अत्यधिक कमी हो सकती है:** अगले 30 वर्षों तक, आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान गंगा नदी में भूजल योगदान में निरंतर कमी होती रहेगी।
- **जलवायु परिवर्तन और हिमालयी हिमनदों का पिघलना:** यह स्थिति नदीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में वृद्धि करेगी।
- **भूमिगत जल परिवर्तन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक:** इस क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु कुल सिंचाई का 27 प्रतिशत सतही जल द्वारा की जाने वाली सिंचाई का है। नदी द्वारा शहरों के विस्तार, वनोन्मूलन, बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण आदि के माध्यम से मानव जनित दबावों ने नदी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- पिछले अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बाढ़ से शहरों की रक्षा करने हेतु निर्मित तटबंधों द्वारा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा के दौरान नदी अपवाह में और अधिक वृद्धि हो जाती है और जलभृत के पुनर्भरण हेतु बहुत कम जल का अंत:स्राव होता है।
- **गंगा नदी के घटते जल स्तर का प्रभाव**
- निम्न जल स्तर के कारण घरेलू जल आपूर्ति, सिंचाई संबंधी जल आवश्यकताओं, नदी परिवहन और अत्यधिक जनसंख्या वाले उत्तर भारतीय मैदानों की पारिस्थितिकी गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

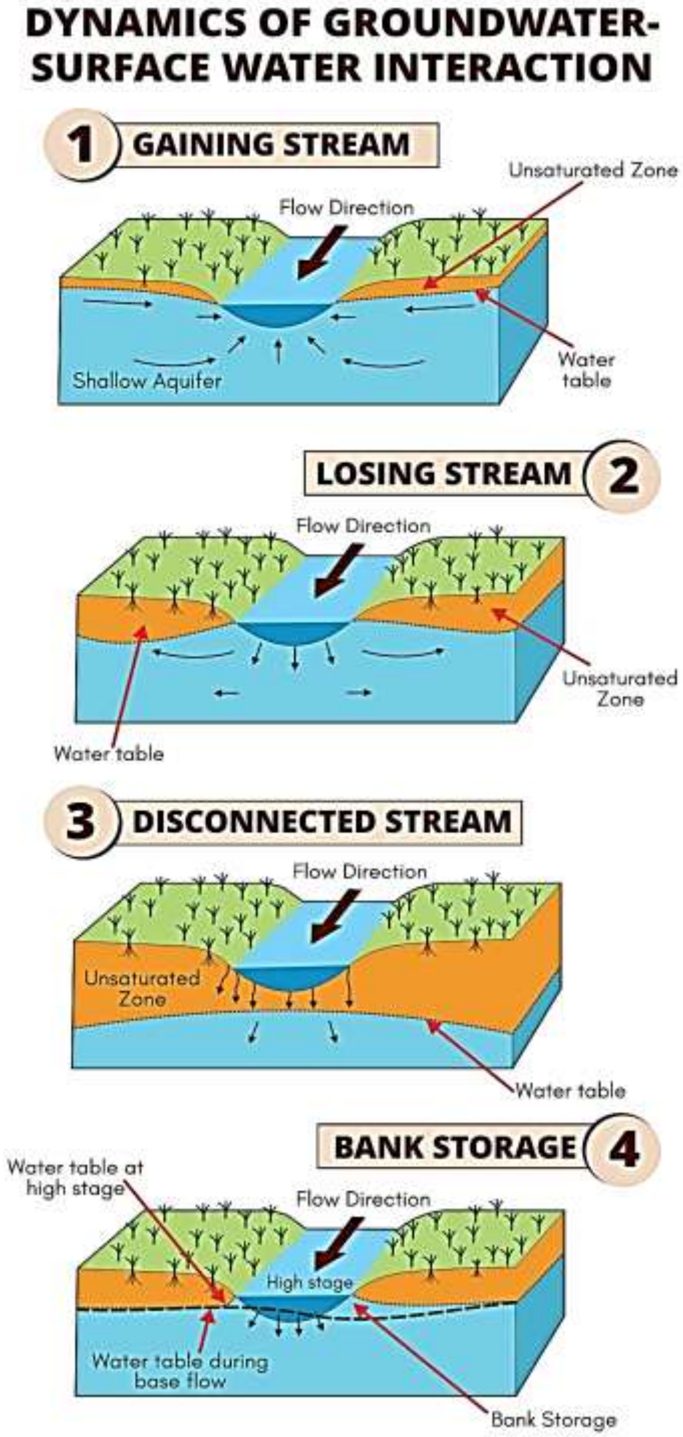

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

- **इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पर नदी के घटते जल स्तर का प्रभाव:** निचले क्षेत्रों के लगभग 120 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और यदि इसी तरह अविवेकपूर्ण दर से भूजल का निष्कर्षण जारी रहता है तो बहुत बड़ी जनसंख्या को खाद्य उत्पादन की कमी का सामना करना पड़ेगा। एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक, इस क्षेत्र के कुल निवासियों में से लगभग 20% के लिए कुल कार्बोहाइड्रेट-आधारित भोजन अनुपलब्ध होगा।
- **सतही जल संकट की संभावना:** भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान 'भूमिगत जल सूखा' के साथ यह एक और बड़े संकट की स्थिति को उत्पन्न करेगा।
- **आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए, 2016 में, फराक्का बैराज के निकट स्थित एक NTPC संयंत्र, जल के प्रवाह में कमी के कारण बंद हो गया था।
- **भूमिगत जल संदूषण:** केंद्रीय भूजल बोर्ड बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का लगभग 50% से अधिक भूमिगत जल फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक आदि के उच्च स्तर की विद्यमानता के साथ संदूषित है।
  - **जीवित जीवों पर प्रभाव:** इन्डैन्जर्ड गांगेय डॉल्फिन की आबादी सहित जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं।

घटते भूजल स्तर के कारण

- **सिंचित क्षेत्र और सब्सिडी की राजनीति में वृद्धि:** सब्सिडी की राजनीति ने भूमिगत जल के अस्थिर निष्कर्षण को बढ़ावा दिया है जिस कारण जलाभाव की समस्या उत्पन्न हुई है। लोक लुभावनी राजनीति के कारण ही किसानों को उपलब्ध सस्ती, सब्सिडी प्राप्त बिजली बिना किसी प्रतिबंध के सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाती है।
- **जल का अविवेकपूर्ण दोहन:** जल की कमी को पूरा करने के लिए गहरे कुओं और नलकूपों से लगातार भूमिगत जल के अनियंत्रित दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर निरंतर कमी हो रही है।
- **वन क्षेत्र में कमी:** वृक्षों के द्वारा, प्राकृतिक चैनल में क्रमिक रूप से जल को निर्मुक्त होने तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण, से पूर्व लगभग 18 इंच तक वर्षा जल को अवशोषित कर लिया जाता है।
- **पिघलते हिमनद:** वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में स्थित हिमनद प्रति वर्ष 131.4 वर्ग किमी की औसत दर से पिघल रहे हैं। जब हिमनद पिघलते हैं, तो शुरुआत में नदियों में जल की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसके पश्चात मौसमी पिघलाव चक्र (seasonal melt cycle) में जल की कमी होने लगती है, क्योंकि हिमनद के सिकुड़ने के कारण कुल नदी प्रवाह में हिमनदों से प्राप्त होने वाले जल में कमी हो जाती है।
- **वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन** जल पर पड़ने वाले दबावों (water stress) को और बढ़ा देती है क्योंकि इसके कारण वैश्विक स्तर पर कृषि के लिए उपयोगी भूमिगत जल उपलब्धता में कमी हो जाती है।
- **अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में, जलाभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जल-गहन फसलों (धान, कपास और गन्ना) की कृषि जैसी अपरीक्षित कृषि पद्धतियाँ भी जल की कमी का कारण है।

निवारण और आगे की राह

- **जल-निष्कर्षण को सीमित करना तथा जल संसाधनों को संरक्षित एवं समृद्ध बनाना:** भूमिगत जल के अवैध दोहन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- **नदी धाराओं का मार्ग परिवर्तन तथा जलाशयों का निर्माण:** नए जलाशयों के निर्माण के साथ ही पुराने जलाशयों को गहरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नए नलकूपों की गहराई में और अधिक वृद्धि करनी चाहिए।
- **वृक्षारोपण अभियान:** व्यापक वनरोपण भौम जलस्तर के पुनर्भरण में सहायता कर सकता है।
- **जागरूकता बढ़ाना:** लोगों में जल संसाधनों के संधारणीय उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।
- **खाद्यान्न उत्पादन या कृषि में जल उपयोग संबंधी अनुकूलन विकल्पों को कार्यान्वित करना:** जैसे जल-दक्ष कृषि पद्धतियों (मौजूदा खाद्यान्न सिंचाई तकनीकों में संशोधन), जल-संचय करने वाले फसलों को बढ़ावा देना, कृषि जलवायविक कृषि पद्धतियों, भूमिगत जल निष्कर्षण को कम करना, जलभृत का जीर्णोद्धार एवं प्रबंधित पुनर्भरण इत्यादि को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- इस अध्ययन के परिणामों का उपयोग भूमिगत जल-संबद्ध नदी जल क्षरण के साथ-साथ विश्व के अन्य सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय जल सुरक्षा की समझ विकसित करने हेतु भी किया जा सकता है।

5.4. री-वॉटर रिसर्च सेंटर (Re-Water Research Center)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- IIT खड़गपुर द्वारा जल संसाधनों के पुनर्भरण और जीर्णोद्धार हेतु री-वॉटर रिसर्च सेंटर स्थापना की जाएगी।

री-वॉटर क्या है?

- जल पुनर्चक्रण (Water recycling) कृषि एवं भूदृश्य सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं, घरेलू पेयजल और गैर-पेयजल संबंधी पुन:उपयोग और भूजल के पुनर्भरण जैसे लाभदायक उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करना है। जल

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

पुनर्चक्रण हेतु कोई मानक 'निर्दिष्ट (ऑफ दी शेल्फ)' प्रक्रिया नहीं है- प्रत्येक प्रक्रिया विभिन्न तकनीकों और अत्यंत विविध प्राकृतिक जलग्रहण विशेषताओं के साथ स्थानीय प्रौद्योगिकियों और वातावरण के अनुसार विशिष्ट है।

भारत में अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण की संभावनाएं

- **वर्तमान में देश में उत्सर्जित अपशिष्ट जल के केवल 30% भाग को पुनर्चक्रित किया जाता है:** यह स्थिति मुख्य रूप से सीवेज सिस्टम के निम्नस्तरीय डिजाइन के कारण है, जिसमें अधिकांश अपशिष्ट जल को सीधे नदियों और झीलों में प्रवाहित कर दिया जाता है।
- **भारत विश्व में ताजे जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत एक वर्ष में 750 मिलियन घन मीटर ताजे जल का उपभोग करता है जो कि विश्व में सर्वाधिक है।
- **भारत में अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट जल का उत्सर्जन:** नगरीय भारत लगभग 38000 MLD अपशिष्ट जल का उत्सर्जन करता है और 2030 तक नगरीय जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर के साथ अपशिष्ट जल उत्सर्जन 60000 MLD के स्तर तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गयी है।

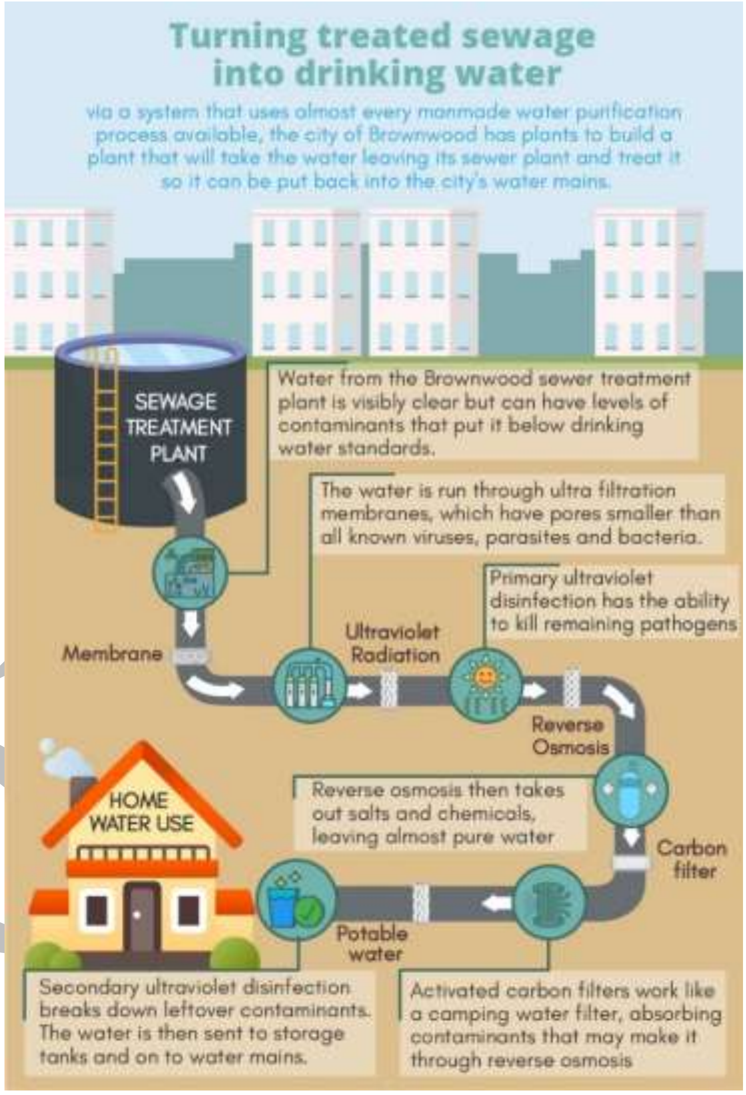

पुनर्चक्रित जल का महत्व

- **जल संकट का समाधान:** जून में, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट, भारत में जल संकट के मुद्दे पर प्रकाश डालती है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग जल के अतिरिक्त एवं मूल्यवान स्रोत के रूप में किया जा सकता है।
- **अंतर-राज्यीय जल विवादों में कमी:** विशेष रूप से जलाभाव / सूखे की अवधि के दौरान और संबंधित परिणामों जैसे फसल हानि, सामाजिक अशांति, आदि के संदर्भ में।
- **अपशिष्ट जल से पोषक तत्वों और ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति:** अपशिष्ट जल में महत्वपूर्ण पोषक तत्व (NPK) उपस्थित होते हैं तथा भारत द्वारा घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए, फॉस्फोरस और पोटेशियम के अत्यधिक आयात की पृष्ठभूमि में इन तत्वों की पुनर्प्राप्ति महत्वपूर्ण है। सिंचाई हेतु प्रयुक्त उपचारित अपशिष्ट जल फसल उत्पादन में वृद्धि और कृत्रिम उर्वरकों की आवश्यकता में 40% तक की कमी करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- **भूमिगत जल ह्रास को रोकने** और भूमिगत जल निकासी हेतु आवश्यक ऊर्जा उपभोग में कमी करने में सहायक होगा। इससे कुल कृषि आय में वृद्धि होगी।
- **ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी:** पारंपरिक सीवेज संयंत्रों से अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है।
- **सरकारी लागत में कमी:** विकेंद्रीकृत जल आपूर्ति और सीवेज उपचार प्रणाली नगरों को जल संबंधी आवश्यकताओं हेतु आत्मनिर्भर बनाती हैं जिससे सीवेज लाइनों के निर्माण की लागत, नदियों की स्वच्छता लागत आदि में कमी होती है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल की बिक्री नगरीय स्थानीय निकायों (ULB) के लिए राजस्व का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराती है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** पुनर्चक्रित जल का उपयोग आर्द्रभूमि एवं तटवर्ती आवासों के निर्माण अथवा संवर्धन और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, इससे महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

पुनर्चक्रित जल से संबंधित मुद्दे

- **उपचार प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता:** बड़े पैमाने पर जल पुनर्चक्रण के लिए भारत की मौजूदा अवसंरचना और प्रौद्योगिकी अपर्याप्त हैं।

- **अत्यधिक महंगा:** कुछ मामलों में, उच्च स्तरीय उपचार और जोखिम प्रबंधन अत्यधिक महंगा हो सकता है और इस प्रकार, पुनः उपयोग योजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी। इसके लिए नियमित सीवर या सेप्टिक सिस्टम की तुलना में अधिक रखरखाव की भी आवश्यकता हो सकती है।
- **प्रमुख संभावित स्वास्थ्य जोखिम:** सीवेज बहिःस्राव से अपशिष्ट जल में माइक्रोबियल रोगजनक की उत्पति जल पुनर्चक्रण के दौरान मानव स्वास्थ्य के लिए प्रमुख खतरा हैं। कुछ प्रमुख रोगजनक समूह आंशिक रूप से उपचारित जल में भी विद्यमान हो सकते हैं, जिनमें ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया; एंटरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस-ए वायरस जैसे वायरस; प्रोटोजोआ; और हेल्मिन्थस (टैपवार्म) जो पुनर्चक्रित जल को उचित ढंग से उपचारित न किए जाने पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
- **संभावित पर्यावरणीय जोखिम:** पुनर्चक्रित जल से संबंधित कुछ सामान्य पर्यावरणीय जोखिम:
  - **लवणता (Salinity):** इसके परिणामस्वरूप पौधों की वृद्धि अवरोधित एवं पौधों की क्षति हो सकती है प्रत्यक्ष रूप से निम्न विलयन के साथ निकासी करने से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्वच्छ जल वाले पौधों और अकशेरुकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक उपकरणों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - **सोडियम की अधिकता (Sodicity):** पुनर्चक्रित जल में उपस्थित सोडियम की अतिरिक्त मात्रा मृदा के बिखराव/स्फीति (dispersion/swelling) और अत्यधिक संघटित मृदा में जल के रिसाव का कारण बन सकती है।
  - **बोरॉन और सोडियम**: यदि सिंचाई के दौरान ये मृदा संचित हो जाते हैं तो कुछ पौधों के लिए विषाक्त हो सकते हैं।
  - **क्लोराइड:** पत्तियों पर सीधे छिड़काव किए जाने और सिंचाई के माध्यम से मृदा में संचित होने की स्थिति मे यह पौधों के लिए विषाक्त हो सकता है, हालाँकि यह लवणता के घटक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होता है।
  - **फॉस्फोरस और नाइट्रोजन:** सामान्यतः ये पौधों के लिए अधिक लाभदायक होते हैं, लेकिन अधिक संचयन से भूमि और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण (eutrophication) का कारण बन सकते हैं।
  - **क्लोरीन अवशेष:** कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं के उप-उत्पाद, प्रत्यक्ष सपर्क में आने की स्थिति में ये जलीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
  - **जलप्रेरित दवाब (Hydraulic loading):** भूमि पर जल के अत्यधिक प्रयोग से अधिशेष भूमिगत जल रिचार्ज, जल भराव,और माध्यमिक लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
  - **सर्फैक्टेंट्स:** डिटर्जेंट के कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट पुनर्चक्रीय जल में अनुपचारित रह सकते हैं जो विभिन्न जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
  - **अंतः स्रावी विघटन रसायन (EDCs):** यह रसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो पशुओं में सामान्य अंतःस्रावी कार्य को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं।
  - **फार्मास्युटिकल रसायन और उनके मेटाबोलाइट्स:** ये पुनर्चक्रित जल में पाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
- **पुनर्चक्रण के लिए जलवायु की उपयुक्तता:** जलवायु भी पुनर्चक्रण के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, ठंडे प्रदेशों और शीतल जलवायु में, पुनर्चक्रण व्यवहार्य नहीं हो सकता है।
- **सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष:** पुनर्चक्रित जल का उपयोग करने के लिए, विशेषतः पेयजल के रूप में, उपचारित सीवेज जल के संबंध में नकारात्मक जन धारणा में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जो एक कठिन कार्य हो सकता है।
- **जल के पुनर्चक्रण हेतु दिशानिर्देशों का अभाव:** राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण हेतु किसी प्रकार के दिशानिर्देश अथवा विनियमों का निर्माण नहीं किया गया है।

पुनर्चक्रित जल संबंधी दिशानिर्देश

- **WHO द्वारा जारी दिशानिर्देश**
  - वेस्ट वॉटर, एक्स्क्रीटा और ग्रेवॉटर का सुरक्षित उपयोग: (ये दिशानिर्देश बीमारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों पर बल देते हैं),
  - पेयजल की गुणवत्ता,
  - सुरक्षित मनोरंजक जलीय वातावरण।
- कृषि के लिए जल की गुणवत्ता संबंधी FAO दिशानिर्देशों में सिंचाई के जल की गुणवत्ता और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग पर एक विशिष्ट अनुभाग शामिल है।
- पेयजल गुणवत्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश।
- 1992 और 2004 के US EPA रीयूज संबंधी दिशानिर्देश।
- US सुरक्षित पेयजल अधिनियम।
- नगरीय अपशिष्ट जल और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग संबंधी यूरोपीय आयोग के निर्देश।

VISION IAS

भारत और विदेशों में स्वीकृत जल पुनर्चक्रण के उदाहरण:

- **नामीबिया:** नामीबिया में विंडहोक का गोरेंगब अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा लगभग 50 वर्षों से बैक्टीरिया ट्रीटमेंट जैसे जैविक तंत्र का उपयोग करके अपशिष्ट जल पुनर्चक्रित किया जा रहा है। व्यस्ततम अवधि (peak hours) के दौरान इसकी क्षमता प्रति दिन 41,000 घन मीटर से अधिक है।
- **भारत:** एक गैर सरकारी संगठन सोशल अवेयरनेस, न्यूर अल्टरनेटिव (SANA) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सहयोग से जुलाई 2015 में, केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (दिल्ली) में एक पायलट परियोजना - 'सुजल धारा' - प्रारंभ की गयी है। इसके तहत स्थापित सयंत्र **बायो-फिल्ट्रेशन नैनो मेमब्रेन्स फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी** का उपयोग कर प्रति घंटे 4000 लीटर स्वच्छ जल का उत्पादन कर सकता है।

आगे की राह

- **सरकार और निजी क्षेत्र से पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता:** विज्ञान और पर्यावरण केंद्र का अनुमान है कि एक अपशिष्ट जल संयंत्र के निर्माण की लागत 1 करोड़ प्रति मिलियन लीटर है। सरकार और निजी क्षेत्र से पर्याप्त समर्थन के बिना, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र ऐसे सयंत्रों के निर्माण का व्यय वहन करने में सक्षम नहीं होंगे।
- **भारत में विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में, भूमि की अनुपलब्धता अपशिष्ट जल संयंत्रों के निर्माण में एक प्रमुख अवरोध** के रूप में कार्य करती है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के निर्माण में अन्य चुनौतियां निरंतर विद्युत आपूर्ति, कुशल श्रम बल, पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का अनुपालन आदि हैं।
- **राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय प्रशासन के मध्य समन्वय की आवश्यकता:** नगरीय प्रशासन और जल संबंधी निकायों को अपने विभिन्न जल संबंधी उपयोगों के प्रबंधन हेतु संस्थानों को प्रदत्त निर्देशों की अतिव्यापी शिथिलता (overlapping remits) के कारण परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।
- **जल संसाधन प्रबंधन के लिए नियामक ढांचे के संबंध में मार्गदर्शन हेतु अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर बल दिया जाना चाहिए।** अधिक कुशल और न्यायसंगत उपयोग के लिए जल संसाधनों को बेसिन स्तर पर और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधित करने की आवश्यकता है। वर्तमान आवंटन मॉडल नदी घाटी के तहत संचालित होते हैं और राज्य स्वच्छ जल के आवंटन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **देश में जल पुनर्चक्रण के लिए उचित दिशानिर्देश फ्रेमवर्क की भी आवश्यकता है।** दिशानिर्देशों के तहत, अन्य प्राथमिकताओं के साथ, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जल प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं को अद्यतन और सुदृढीकरण हेतु उनमे लचीलापन भी होना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके।
- **पुनर्चक्रित जल से संबद्ध जोखिमों को किसी भी विशिष्ट स्थिति में इसके उपयोग से पूर्व स्वीकार्य स्तरों तक कम किया जाना चाहिए।** पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को अपशिष्ट जल उपचार के स्तर अथवा पुनर्चक्रित जल के सावधानीपूर्वक उपयोग के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।
- **पुनर्चक्रित जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी:** इससे संबंधित प्रतिकूल प्रभावों को अत्यधिक कम और जोखिमों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।
- **नगरों को अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना:** इसमें उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण हेतु पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों अथवा नगरों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन किया जाना शामिल हो सकता है।
- समुदाय के लोगों को **इस प्रक्रिया में प्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में और अधिक जागरूक** करने की आवश्यकता है ताकि पुनर्चक्रित जल को समुदाय द्वारा बेहतर रूप से स्वीकृत किया जा सके।

5.5. उच्च सागर का विनियमन

(Regulating High Seas)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने उच्च सागर (high seas) में महत्वपूर्ण समुद्री जैव विविधता के वैश्विक संरक्षण हेतु 2020 की संधि पर वार्ता प्रारंभ की।

उच्च सागर के बारे में

- महासागरों के उस क्षेत्र को उच्च सागर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक देश की तटरेखा के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ, आमतौर पर 370 किमी या 200 समुद्री मील के अन्दर) से परे होता है।
- इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह का 45% और महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा (जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है) शामिल है। यह क्षेत्र पृथ्वी के कुल भू-क्षेत्र का लगभग 1.5 गुना है तथा इसमें कुछ दुर्लभतम एवं अत्यंत आकर्षक प्रजातियां वास करती हैं।

VISION IAS

- सभी देशों को उच्च सागर में बगैर किसी प्रतिबंध के नौवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मत्स्यन तथा विमानों के परिसंचालन का अधिकार है।

पृष्ठभूमि

- **1982 में UN कन्वेंशन ऑफ़ द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) पर की गयी वार्ता में** समुद्री तल पर उत्खनन और कुछ हद तक केबल बिछाने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित किया गया किन्तु उच्च सागर क्षेत्र को इसकी अगम्यता के कारण सुरक्षित मानते हुए उसे छोड़ दिया गया। हालाँकि तब से, नौवहन मार्गों का उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है और तकनीकी प्रगति ने अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में खनन और गहरे जल में मत्स्यन को सक्षम बनाया है।
- इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (IWC) और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) समेत कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूह भी उपस्थित हैं, जो समुद्र के विशिष्ट पहलुओं को महत्व देते हैं। हालाँकि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण संधि नहीं है जो जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के साथ उच्च सागर के अविवेकपूर्ण दोहन को नियमित या नियंत्रित कर सके।
- इस प्रकार, भले ही ऐसी गतिविधियों की निगरानी के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, परन्तु उच्च सागर के संरक्षण और प्रबंधन में व्यापक अंतराल व्याप्त है जोकि एक समग्र और बाध्यकारी वैश्विक संधि की मांग करते हैं।

उच्च सागर पर आसन्न खतरे

- **निकट भविष्य में उत्खनन योग्य खनिज संसाधनों का प्रमुख स्रोत:** आने वाले वर्षों में उच्च सागर, खनिज संसाधनों के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। 2017 में, अटलांटिक महासागर में एक जलमग्न पर्वत का अन्वेषण कर रहे ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक दल ने सौर पैनलों के निर्माण हेतु उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ और मूल्यवान पदार्थों के बड़े भंडारों की खोज की। इस प्रकार तेल एवं गैस के लिए डीप सी ड्रिलिंग एवं अविवेकपूर्ण दोहन, भविष्य में चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।
- **डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अत्यंत दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों की एक श्रृंखला के लिए वास स्थान हैं:** निजी कंपनियां नयी औषधियों के निर्माण के लिए इन प्रमुख दुर्लभ प्रजातियों को लक्षित कर सकती हैं। पिछले 30 वर्षों में समुद्री प्रजातियों से संबंधित पेटेंट के आवेदनों के लगभग 84% सर्वाधिक विकसित देशों के 30 प्रमुख संस्थानों द्वारा किये गए। यह राष्ट्रों के बीच संसाधनों के असमान वितरण का द्योतक है।
- **मत्स्यन आधारित दोहन:** बड़े पैमाने पर मत्स्यन में प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया और स्पेन समेत 10 समृद्ध राष्ट्र सम्मिलित हैं, जिनका उच्च सागर क्षेत्र के कुल मत्स्यन में लगभग 70% की हिस्सेदारी है।
- **विधि के शासन का अभाव और खराब निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र:** अवैध गतिविधियों वाले संदेहास्पद जहाजों को रोकने के लिए अधिकारियों के पास शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। यह गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, समुद्री डाकू और आतंकवाद अभियानों में प्रयुक्त जहाजों इत्यादि से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा है।
- **पर्यावरणीय निम्नीकरण में वृद्धि:** कमजोर एवं लचर प्रशासन प्रणाली भी प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही उच्च सागर में उभरते उद्योगों जैसे ऊर्जा उत्पादन, तेल रिसाव आदि पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं।
- **समुद्री मलबे का प्रभाव:** एक तरफ इसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष डूबने, दम घुटने और भुखमरी से लगभग 10 लाख समुद्री पक्षी और लगभग 1 लाख समुद्री स्तनधारियों (मुहरों, व्हेल और डॉल्फ़िन) की मौत का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर यह नौवहन के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

- **ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** बढ़ता समुद्री तापमान महासागरों की ऑक्सीजन धारण क्षमता में कमी करेगा तथा साथ ही कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर को बढ़ाएगा जो समुद्र के अम्लीकरण का कारण बनेगा। इससे समुद्री जीवों एवं पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाली रासायनिक और शारीरिक स्थितियों में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे।

नई संधि के संभावित प्रभाव

इसके द्वारा निम्नलिखित घटकों के माध्यम से उच्च सागर में मुद्दों को विनियमित करने की संभावना है:

- **अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना:** कई देशों ने पहले से ही अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें स्थापित कर लिया है। एक मजबूत वैश्विक महासागरीय संधि, जलीय जीवों की रक्षा के लिए महासागरीय अभयारण्यों का एक नेटवर्क बनायेगी, अरबों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायता करेगी।
- **पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना:** उच्च सागर में होने वाली गतिविधियों से संभावित क्षति पर नज़र रखना।
- **समुद्री संसाधनों का न्यायसंगत वितरण:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से विकसित किसी भी खोज से प्राप्त लाभ को गरीब देशों तक पहुँचाना।

चुनौतियाँ

- **कुछ सरकारें संधि का समर्थन करने में अनिच्छुक हैं:** अमेरिका ने 1994 में UNCLOS संधि को ख़ारिज कर दियाऔर वर्तमान प्रस्तावों पर मौन (Reticent) है, क्योंकि यह समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से सम्बन्धित सभी विनियमों का विरोध करता है।इसी प्रकार, जापान, आइसलैंड और नॉर्वे जैसे कुछ व्हेल का शिकार करने वाले देश इस विचार के बारे में सतर्क हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यह उनके मत्स्यन कार्य को सीमित कर देगा।
- **मौजूदा संगठनों के अतिव्यापन से बचना:** मौजूदा संगठनों जैसे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (IWC) या इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) को कमजोर किए बिना उच्च सागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती है।

आगे की राह

- विकसित देशों को अपने ट्रॉलर को प्रदत्त सब्सिडी पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। पांच वर्षों के भीतर इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन देशों के ट्रॉलर उच्च सागर क्षेत्र में असंधारणीय कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन देते हैं। इसके साथ ही सभी देशों को अपने मत्स्यन आधारित सब्सिडी के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से उच्च सागर की जैव विविधता और कार्यप्रणाली के संरक्षण हेतु एक ऐतिहासिक अवसर है। सरकारों, व्यवसायों और सिविल सोसायटी द्वारा संयुक्त प्रयास और राजनैतिक इच्छाशक्ति, संधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.6. ग्रीन बॉन्ड (Green Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्याज दरों में वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारत से अत्यधिक संख्या में जारी ग्रीन बॉन्ड फंस गए हैं।

ग्रीन बॉन्ड क्या है?

- ग्रीन बॉन्ड, सामान्य बॉन्ड के समान ऋण उपकरण हैं, परंतु इनसे संबंधित निवेश का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, अथवा पारिस्थितिक रूप से संधारणीय सेवाओं में किया जाता है।
- ये बॉन्ड स्वैच्छिक होते हैं तथा किसी वित्तीय संस्थान, सरकार या यहां तक कि किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं।
- 2015-17 की अवधि में संपूर्ण एशिया से $65 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए और चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला प्रमुख देश है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

ग्रीन बॉन्ड क्यों?

- ये पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं जो अन्यथा निवेश नहीं करते हैं।
- संधारणीय एवं निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के वित्त-पोषण हेतु सुलभ और शक्तिशाली उपकरण।
- प्रोजेक्ट डेवलपर्स द्वारा ग्रीन बॉन्ड को सामान्यत: एक किफायती और सुविधाजनक वित्तपोषण मॉडल के रूप में देखा जाता है।
- ये किसी कंपनी को पर्यावरणीय दृष्टि से जागरूक संगठन के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता कर, उसके ब्रांड मूल्य में वृद्धि करते हैं।

इंडियन ग्रीन बॉन्ड मार्केट

- **BSE** ने **कार्बन-एफिसिएंट लाइव इंडेक्स, ग्रीनेक्स** नामक ग्रीन इंडेक्स लॉन्च किया है।
- भारत ने 2015 में ग्रीन बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया। यस बैंक द्वारा नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया।
- ग्रीन बॉन्ड बाजार, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों, राज्य स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों, निगमों और बैंकिंग क्षेत्र में उत्तरोत्तर विस्तारित हुआ है।
- भारत में ग्रीन बॉन्ड से संबंधित निवेश में वृद्धि होना अपेक्षित है क्योंकि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित वृहद परियोजनाएं ,निजी कंपनियों को सौंप रही है।
- हालांकि, इंडियन ग्रीन बॉन्ड बाजार स्वयं, वित्तपोषण के लिए पूंजी की प्रकृति में विविधता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका 'विशुद्ध परिचालन' (pure play) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ही केंद्रित है।

ग्रीन बॉन्ड पर SEBI के दिशा-निर्देश

जनवरी 2016 में, SEBI ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले भारतीयों के लिए ग्रीन बॉन्ड संबंधी अपनी आधिकारिक आवश्यकताओं को प्रकाशित किया है। इस प्रकार भारत इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर के दिशानिर्देश जारी करने वाला दूसरा देश (चीन के बाद) बन गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण प्रतिभूति को 'ग्रीन' या 'ग्रीन डेबिट सिक्योरिटीज' माना जाना चाहिए, यदि ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग निम्नलिखित में से किसी भी व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली परियोजना(ओं) और परिसंपत्तियों के लिए किया जा रहा हो:

- पवन, सौर, बायोमास ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित ऊर्जा के अन्य स्रोत इत्यादि सहित नवीकरणीय और संधारणीय ऊर्जा से सम्बंधित परियोजना।
- सामूहिक / सार्वजनिक परिवहन इत्यादि सहित स्वच्छ परिवहन।
- स्वच्छ जल या पेयजल, जल पुनर्चक्रण, आदि सहित संधारणीय जल प्रबंधन। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और इंडेक्स हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है:
    - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन।
    - दक्ष और हरित भवन, आदि सहित ऊर्जा दक्षता।
    - पुनर्नवीनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण, अपशिष्ट का कुशल निपटान आदि सहित सतत अपशिष्ट प्रबंधन।
    - सतत वानिकी एवं कृषि, वनीकरण, आदि सहित सतत भूमि उपयोग।
    - जैव विविधता संरक्षण।

चुनौतियां

- **अविकसित बॉन्ड बाजार:** RBI और सरकार द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार विकसित करने हेतु उठाए गए हालिया कदमों के बावजूद भी विशेष रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अविकसित अवस्था में है।
- **"ग्रीन" के रूप में निवेश को परिभाषित करना:** यह संभावना है कि "ग्रीन" की परिभाषाओं का एक निर्देशात्मक मानक समुच्चय प्रत्येक निवेशक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा।
- **इस नए (ग्रीन बॉन्ड) उपकरण के समर्थन हेतु केंद्रित उपायों का अभाव:** इसके निहितार्थों के नयेपन एवं इनसे से संबंधित समझ के अभाव के कारण, औसत घरेलू निवेशक इनमें निवेश करने में सावधानी बरतते है, और उन्हें उच्च जोखिम वाले निवेश के रूप में मानते है।
- ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए **अतिरिक्त लागत** की आवश्यकता होती है, जबकि इनसे प्राप्त होने वाला रिटर्न एक सामान्य बॉन्ड के समान होता है। इन लागतों में ग्रीन मानकों को परिभाषित करने, ग्रीन के रूप में की गई निवेश की निगरानी एवं रखरखाव, और बांड के जीवनकाल में निवेशकों के प्रदर्शन को पारदर्शी रूप से संचारित करने हेतु अतिरिक्त व्यय शामिल हो सकता है।

VISION IAS

आगे की राह

- निम्नलिखित कदमों के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड की पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु सरकारी सहायता की आवश्यकता है:
  - मानकीकरण के स्तर के साथ प्रकटीकरण और पारदर्शिता संबंधी पक्ष को सुदृढ़ करना।
  - कर छूट सहित अन्य रियायतें प्रदान करना; एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया जा सकता है।
- अप्रयुक्त क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए समूहन के तत्वों और क्रेडिट वृद्धि के साथ परियोजनाओं को डिजाइन करने हेतु राष्ट्रीय विकास बैंक, सिडबी (SIDBI) और नाबार्ड (NABARD) को भी शामिल किया जा सकता है।
- अपरंपरागत निवेश के क्षेत्रों उदाहरण के लिए वानिकी और समुद्री संरक्षण, नवोन्मेषी परिवहन जैसे विस्तृत क्षेत्रों में ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाने की वृहद संभावना मौजूद है।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) द्वारा वित्तीय समर्थन के साथ संयोजन से ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ताओं को मूल्य निर्धारण लाभ प्रदान करने के लिए व्यावसायिक मॉडल विकसित करना।
- RBI, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सम्बन्धी अपने दिशानिर्देशों का विस्तार करने पर विचार कर सकता है ताकि वे वर्तमान में SEBI के दिशानिर्देशों का भाग बन सकें जिससे वे बॉन्ड जारीकर्ताओं के लिए आकर्षण का क्षेत्र बन जाएगें।

5.7. वन्यजीव संरक्षण हेतु निजी भागीदारी

(Private Participation In Wildlife Conservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक ने निजी भूमि के माध्यम से वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए **निजी संरक्षण नियमों** का प्रारूप तैयार किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन नियमों के तहत, जिनके पास राष्ट्रीय उद्यान के निकट कम से कम 100 एकड़ भूमि है, वे इसे "वन्यजीव निजी संरक्षण" क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं।
- इस भूमि के 5% का उपयोग इको टूरिज्म हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है; शेष को वनस्पतियों और जीवों के लिए रखा जाना चाहिए।

वन्यजीव संरक्षण में निजी भागीदारी की आवश्यकता

- **वित्त:** संरक्षण गतिविधियों जैसे, कानून के प्रवर्तन, संघर्ष के न्यूनीकरण, आवास समेकन, गाँवों के पुनर्वास और अनुसंधान एवं निगरानी के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से विकासशील देशों में संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर वर्तमान व्यय बहुत ही कम है। निजी क्षेत्र, वित्तपोषण के इस अंतराल को कम करने में सहायता कर सकता है।
- **विशेषज्ञता और कुशल प्रबंधन:** निजी क्षेत्र, विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है जिसका सरकारी एजेंसियों में के पास प्राय:अभाव रहता है। साथ ही, सरकार का नौकरशाही प्रबंधन गैर-सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम लचीला हो सकता है, यह उन्हें महंगा और उद्यान प्रबंधन के परिचालन पक्ष के संबंध में अकुशल बनाता है।
- **वन्यजीव संरक्षण के लिए बफर जोन:** संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण के लिए बफर की भूमिका निभा सकते हैं और यह दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले विस्तारित गलियारे के रूप में भी कार्य कर सकते हैं जो बाघ, हाथी आदि जैसे बड़े जीवों के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **आय और रोजगार का सृजन:** वन्यजीव प्रबंधन और इको टूरिज्म के अवसरों से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां आय और रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी तथा वनवासी समुदायों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक होगी और उनके संकटग्रस्त प्रवास को प्रतिबंधित करेगी।
- **पारंपरिक वनों पर दबाव कम करना:** वाणिज्यिक उद्देश्य से लकड़ी काटने (lumbering) हेतु स्टॉक में वृद्धि से पारंपरिक वनों पर दबाव में कमी आएगी। वनों का वाणिज्यिक विकास कृषि विस्तार के लिए वनों की कटाई को भी कम कर सकता है।
- **अन्य लाभ:** यह वन क्षेत्र (वर्तमान 21% से निर्धारित लक्ष्य 33% की ओर) के प्रतिशत में वृद्धि करेगा; वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और निकटवर्ती जल निकायों एवं मृदा का संरक्षण जो उनके संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है; कार्बन प्रच्छादन क्षमताओं में वृद्धि आदि।

चिंताएं

- **वन्यजीवों के आवास का विखंडन:** सड़कों, होटलों, इको टूरिज्म के विकास के लिए खेल जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अवसंरचना के विकास के कारण प्राकृतिक आवास का विखंडन होगा और यह वन्यजीवों की गतिविधियों को बाधित करेगा।

VISION IAS

- **संरक्षण का संकीर्ण दृष्टिकोण:** संरक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें इसके साथ संबद्ध विभिन्न साझीदारों के हितों को शामिल किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्ति है, इस प्रकार उनकी भागीदारी मूलभूत वास्तविकताओं की उपेक्षा करते हुए संरक्षण के टॉप डाउन मैकेनिकल तरीके में परिवर्तित हो सकती है।
- **अवैध शिकार और अवैध व्यापार:** निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित बफर जोन, स्पष्ट नियमों के अभाव के कारण वन्यजीवो के अवैध शिकार और अवैध व्यापार तथा वन्यजीव से सम्बन्धित अन्य अपराधों जैसे कि आखेट के स्थल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **वनवासी समुदायों का बहिष्करण:** वनों का वाणिज्यिक विकास उनके आसपास निवास करने वाले पारंपरिक समुदायों को और पृथक कर सकता है क्योंकि वे राजनीतिक-नौकरशाही और निजी क्षेत्र के गठबंधन के कारण दृढ़तापूर्वक अपने अधिकारों की मांग नही कर पाएंगे।
- **मोनोकल्चर का विकास:** वाणिज्यिक उद्देश्य से वनों के विकास के कारण मोनोकल्चर का विकास हो सकता है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं का अभाव होगा।
- **नैतिक मुद्दे**: वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु वन्यजीवों के उपयोग में कुछ नैतिक मुद्दे निहित हैं जो एक जीवित इकाई के वस्तुकरण (ऑब्जेक्टीफीकेशन) करने के समान है।

आगे की राह

- संरक्षण, वाणिज्य (पर्यटन), समुदायों (भूस्वामियों और कौशल आपूर्तिकर्ताओं), और सरकार (प्राय:, एक पर्यवेक्षक के रूप में) के मध्य भागीदारी से होना चाहिए। इन तीनों के मध्य उचित संतुलन के अभाव में कोई भी हितधारक गलत कदम उठा सकता है जिससे संरक्षण प्रक्रिया को क्षति पहुंच सकती है।
- निजी भागीदारी को अनुमति प्रदान करने वाले देशों में, इस भागीदारी के संबंध में सुस्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। उन देशों में जहां सरकारी प्राधिकार कमजोर है। उदाहरण के लिए, कोलंबिया के टायरोना नेशनल नेचुरल पार्क में कंपनी द्वारा संचालित पर्यटक पर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रियायत दर पर भूमि प्राप्त करने और विवादास्पद विकास का आरोप लगाया गया है।

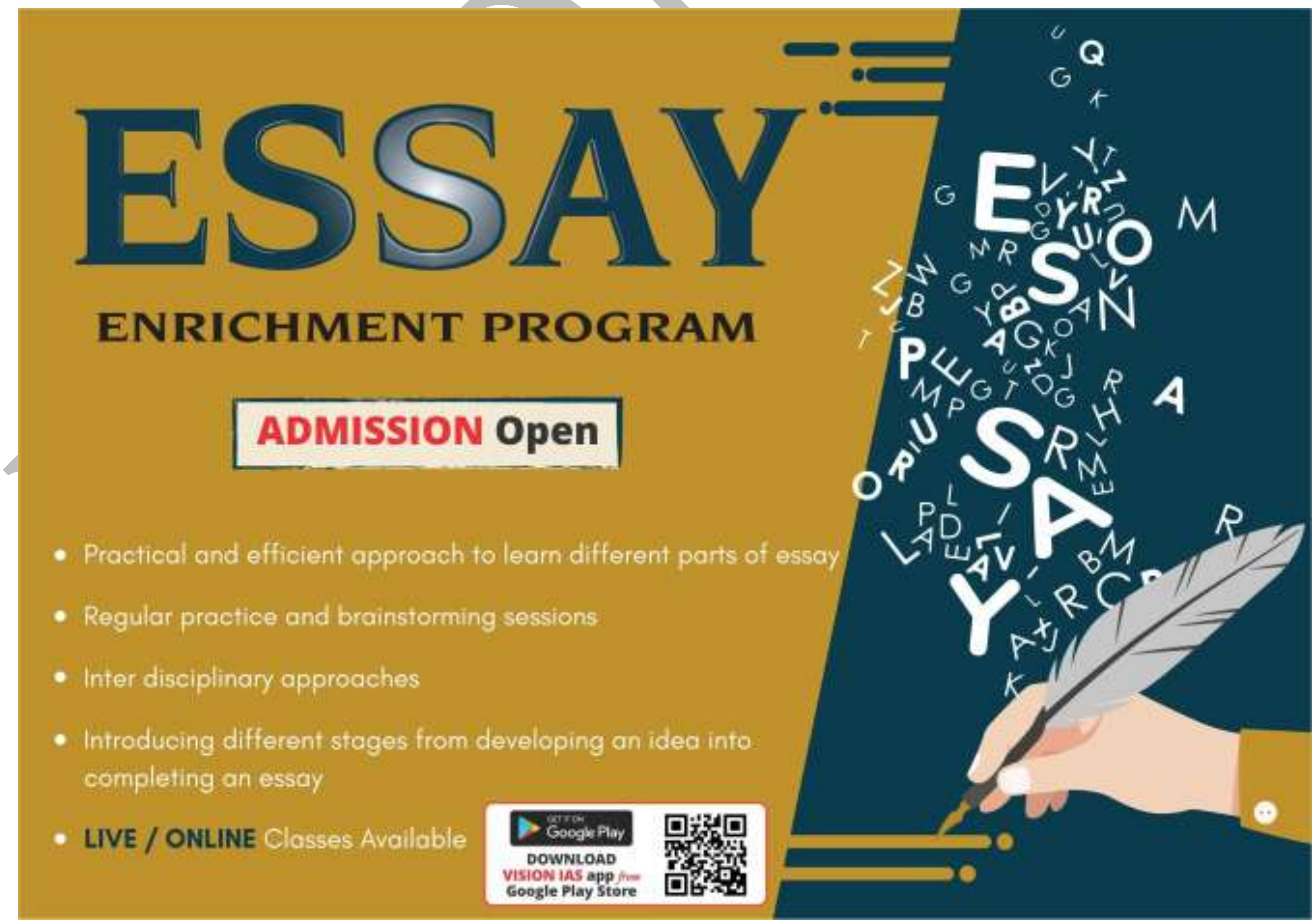

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

6.1. भारत में ड्रोन विनियमन (Drone Regulations in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में ड्रोन के असैन्य उपयोग को विनियमित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पहली बार नियमों का एक सेट जारी किया है जो 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी होगा।

ड्रोन क्या हैं?

ड्रोन अथवा मानव रहित विमान (UAVs) वे स्व-चालित विमान हैं जिनके लिए मानव चालक की आवश्यकता नहीं होती है। इन विमानों को लिफ्ट (वायु में ऊपर उठना) प्रदान करने के लिए वायुगतिकीय बलों का उपयोग किया जाता हैं। ये स्वायत्त ढंग से उड़ सकते हैं अथवा रिमोट द्वारा संचालित किये जा सकते हैं। ये विमान आसानी से नष्ट किये जाने या पुनर्प्राप्ति के योग्य होते हैं। ये एक घातक अथवा गैर-घातक पेलोड को वहन कर सकते हैं।

UAVs के अनुप्रयोग

- सर्वेक्षणों, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की निगरानी और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति तथा जीवन की **क्षति का मूल्यांकन**।
- **सुरक्षा कार्य:** सीमा पर सामरिक उद्देश्यों के लिए सशस्त्र बलों द्वारा ड्रोन का उपयोग किया जाता है।
- **निरीक्षण और भीड़ प्रबंधन:** कुंभ मेला इत्यादि जैसे आयोजनों के प्रभावी और सुचारू संचालन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
- **वन्यजीवों की निगरानी:** वर्तमान समय में बेहतर गणना और दुर्गम क्षेत्रों के संरक्षण के लिए UAV तैनात किए गए हैं।
- **कृषि:** SENSAGRI (सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर) एक ड्रोन आधारित फसल और मृदा स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है जिसमें हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग (HRS) सेंसर का उपयोग किया जा रहा है।
- **डिलीवरी का साधन:** अमेज़ॅन जैसी विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियां इसका उपयोग उत्पादों की डिलीवरी हेतु कर रही हैं।
- **अन्य उपयोग:** सर्वेक्षण, अवसंरचना निगरानी, वाणिज्यिक फोटोग्राफी, एरियल मैपिंग इत्यादि के लिए।

वर्तमान परिदृश्य

- एक शोध के अनुसार 2021 तक भारतीय ड्रोन बाजार का आकार 885.7 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक और वैश्विक बाजार का आकार 21.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा।
- अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (International Civil Aviation Organization:ICAO) वैश्विक ड्रोन अभिशासन के प्रयासों का नेतृत्व करने वाला प्राथमिक मंच रहा है। ICAO ने सर्कुलर और नियमावली के रूप में अनेक नियम जारी किए हैं किन्तु इसने अभी तक इस सन्दर्भ में व्यापक दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं।
- भारत में सैन्य ड्रोन अथवा मानव रहित विमान (UAV) अनेक वर्षों से उपलब्ध हैं तथा इनके युद्धक संस्करण भी विकसित किए जा रहे हैं। किन्तु असैन्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग अल्पविकसित रहा है ,क्योंकि अभी तक इस प्रौद्योगिकी के संबंध में नियम पूर्णतः निर्धारित नहीं किए गए थे।
- सुपरिभाषित नियमों के अभाव ने इस क्षेत्र में नवाचार और निवेश को अत्यधिक कठिन बना दिया है। अतः नए नियमों से यह अपेक्षित है कि वे देश में ड्रोन विनिर्माण और उपयोग को सुगम बनाएंगे।

ड्रोन के उपयोग के विषय में चिंताएं

- **संभावित खतरा:** इसका उपयोग **सुरक्षा संबंधी खतरे** उत्पन्न कर सकता है और साथ ही **निजता का भी उल्लंघन कर सकता** है। निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण पूर्व में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने भारत में किसी भी UAV के लॉन्च पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- भारतीय शहरों के हवाई क्षेत्र में पहले से ही विमान यातायात का उच्च घनत्व है और ड्रोन के अनियमित उपयोग से **वायु में विमानों की टक्कर और दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा** उत्पन्न हो सकता है।
- **ड्रोन ट्रैफिक प्रबंधन:** इसके लिए योजनाबद्ध अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों की आवश्यकता है। छोटे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और परिवर्तनशील मौसमी दशाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तीव्र पवनों और वर्षा के कारण वे आसानी से अपने निर्दिष्ट परिचालन क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं।

VISION IAS

- **हथियारों के रूप में ड्रोन**: उन्हें एक लागत-प्रभावी हथियार प्रणाली माना जाता है जिसमें ऑपरेटरों को किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता है। इस प्रकार उन्हें भविष्य के युद्धास्त्रों के रूप में वर्णित किया जा रहा है।
- आतंकवादियों, अपराधियों, ड्रग कार्टेल और अन्य असामाजिक समूहों द्वारा ड्रोन का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

'रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के असैन्य उपयोग के लिए विनियम' की मुख्य विशेषताएं

- **डिजिटल स्काई प्लेटफार्म** अपनी तरह का पहला **राष्ट्रीय मानवरहित यातायात प्रबंधन (UTM) मंच** है जो **"अनुमति नहीं तो उड़ान नहीं" (no permission, no takeoff: NPNT) के सिद्धांत** को लागू करता है।
  - UTM ड्रोन एयरस्पेस में एक यातायात नियामक के रूप में कार्य करता है और ड्रोन का अनुमोदित उड़ान पथ पर बने रहना सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह सैन्य एवं असैन्य एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों (ATCs) के साथ निकटता से समन्वय करता है।
  - प्रत्येक उड़ान से पूर्व ड्रोन पायलटों को मोबाइल ऐप के माध्यम से उड़ान भरने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह ऐप स्वचालित रूप से अनुरोध की जांच करेगा और तत्पश्चात अनुमति प्रदान करेगा अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करेगा।
  - यदि कोई ड्रोन पायलट डिजिटल स्काई प्लेटफार्म से अनुमति प्राप्त किए बिना उड़ान भरने का प्रयास करता है तो वह उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा।
- उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और स्वामियों का **एक बार पंजीकरण** करना होगा। सभी असैन्य रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स (RPAs) के लिए DGCA से **यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN)** प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- विनियमन के अनुसार, वजन के आधार पर वर्गीकृत रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) की 5 श्रेणियां हैं -
  - नैनो (250 ग्राम से कम या इसके बराबर)
  - माइक्रो (250 ग्राम से 2 किग्रा तक),
  - मिनी (2 किलो से 25 किग्रा तक),
  - मीडियम (25 किग्रा से 150 किग्रा तक) और
  - लार्ज (150 किग्रा से अधिक)।
- NTRO, ARC और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले RPA जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सिविल ड्रोन ऑपरेटरों को **DGCA से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (UAOP) प्राप्त करना आवश्यक है।**
- DGCA को सात कार्य दिवसों के भीतर UAOP जारी करना होगा जो पांच वर्ष के लिए मान्य होगा और अहस्तांतरणीय होगा।
- RPAs को केवल **18 वर्ष से अधिक आयु के उस व्यक्ति** द्वारा ही संचालित किया जा सकता है **जिसने अंग्रेजी में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है** और DGCA द्वारा अनुमोदित आधारभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण को पूर्ण किया है।
- DGCA ने यह भी स्पष्ट किया है कि **किसी भी रिमोट पायलट द्वारा किसी भी समय एक से अधिक RPA का संचालन नहीं किया जा सकता है।**
- मूलभूत परिचालन प्रक्रिया **केवल दिन के समय** में "विजुअल लाइन ऑफ साइट (VLOS)" के भीतर ही ड्रोन उड़ानों की अनुमति देगी।
- मानव चालित विमान को प्राथमिकता दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्री, पशु अथवा मानव को लाने या ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी रूप में यह लोगों या संपत्ति के लिए खतरे का कारण नहीं बनना चाहिए।
- तीसरे पक्ष के नुकसान को कवर करने के लिए **बीमा करना अनिवार्य होगा।**
- RPAs के लिए न्यूनतम विनिर्माण मानकों को निर्धारित किया गया है।
- **आरोपित प्रतिबंध:**
  - RPAS को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हवाई अड्डे की परिधि से 5 किमी की दूरी के भीतर और किसी भी अन्य हवाई अड्डे की परिधि से 3 किमी की दूरी के भीतर नहीं उड़ाया जा सकता है।
  - इन्हें "स्थायी या अस्थायी निषिद्ध, प्रतिबंधित और खतरे वाले क्षेत्रों" के भीतर और अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC), लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) तथा एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन (AGPL) सम्मिलित हैं, से 25 किमी की दूरी के भीतर नहीं उड़ाया जा सकता है।

VISION IAS

- इसे समुद्र में तटीय क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी से आगे और सैन्य प्रतिष्ठानों की परिधि से 3 किमी दूरी के भीतर नहीं उड़ाया जा सकता है।
- इसे दिल्ली में विजय चौक से 5 किमी की परिधि के भीतर, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रणनीतिक स्थानों/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से 2 किमी की परिधि के भीतर तथा राज्य सचिवालय परिसरों से 3 किमी की परिधि के भीतर नहीं उड़ाया जा सकता है।
- इसे मोबाइल प्लेटफार्म जैसे-गतिशील वाहन, जहाज अथवा विमान से भी संचालित नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व अनुमति के बिना उड़ान भरना प्रतिबंधित है।

निष्कर्ष

- भारत में ड्रोन को विनियमित करने के उद्देश्य से निर्मित ड्रोन नीति, भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- हालांकि, विभिन्न नियामक एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप और अनुपालन/मंजूरी अभिकर्ताओं को हतोत्साहित करेगी।
- इसके अतिरिक्त, वर्तमान में खाद्य या अन्य वस्तुओं की डिलीवरी के लिए अथवा यात्रियों के परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- भारत में विदेशी अभिकर्ताओं द्वारा ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगाये गए हैं (ये केवल किसी भारतीय इकाई को RPAS लीज के लिए लाइसेंस प्रदान करने के माध्यम से इसमें भागीदारी कर सकते हैं)।
- सरकार ने जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में ड्रोन टास्क फोर्स की स्थापना की है जो ड्रोन रेगुलेशन 2.0 के लिए प्रारंभिक अनुशंसाएं करेगी।

6.2. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग में उच्चतम निर्णय लेने वाले निकाय, दूरसंचार आयोग ने पिछले वर्ष TRAI द्वारा अनुशंसित नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान की है।

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

- नेट न्यूट्रैलिटी का मूलभूत सिद्धांत यह है कि इंटरनेट पर किसी का कोई भी स्वामित्व नहीं है और यह सभी के लिए नि:शुल्क और मुक्त है तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को कंटेंट (content) या सामग्री के प्रकार, स्रोत या गंतव्य या इसके संचरण के माध्यम से संबंधित सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ अनिवार्य रूप से समान व्यवहार करना चाहिए।
- TRAI के नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांतों के अनुसार, कंटेंट के साथ व्यवहार में भेदभाव अथवा हस्तक्षेप का कोई भी रूप यथा, गति को अवरुद्ध करने, घटाने, धीमा करने या किसी भी कंटेंट के लिए वरीयता गति या व्यवहार प्रदान करने जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है।

महत्व

- **इंटरनेट के मुक्त संचलन के लिए बड़ी जीत**: विशेष रूप से ऐसे समय में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में नेट न्यूट्रैलिटी नियमों का निरसन किया है।
- **भारत में इंटरनेट के भविष्य हेतु निहितार्थ:** भारत में 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने की उम्मीद है; इसलिए नेट न्यूट्रैलिटी नियमों की स्वीकृति भारत में इंटरनेट के भविष्य के लिए अत्यधिक दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करेगी।
- **एक प्रगतिशील कदम:** सरकार का निर्णय प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मोबाइल ऑपरेटरों, ISPs और सोशल मीडिया कंपनियां कंटेंट के अधिमानी व्यवहार में शामिल नहीं हो सकती हैं, अथवा इसके लिए प्रयास नहीं कर सकती हैं, इस प्रकार यह किसी भी ऑपरेटर अथवा ISP को इंटरनेट पर एकाधिकार बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
- **नवाचार और व्यापार करने में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण:** नवाचार, प्रतिस्पर्धा और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए नेट न्यूट्रैलिटी महत्वपूर्ण है जो कंटेंट प्रदाताओं और स्टार्ट-अप्स को समान अवसर प्रदान करती है।
- **महत्वपूर्ण, नई और उभरती हुई सेवाओं के लिए अपवाद**: जैसे- ऑटोनोमस ड्राइविंग, टेली-मेडिसिन, आपदा प्रबंधन, इत्यादि को प्राथमिकता प्राप्त इंटरनेट लेन और सामान्य गति से अधिक तीव्र गति की आवश्यकता हो सकती है। एक समिति महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए संभावित अपवादों पर विचार करेगी।

VISION IAS

- **प्रवर्तन और निगरानी तंत्र प्रदान करता है:** सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी की निगरानी और प्रवर्तन के लिए बहु-हितधारक निकाय बनाने का निर्णय लिया है।

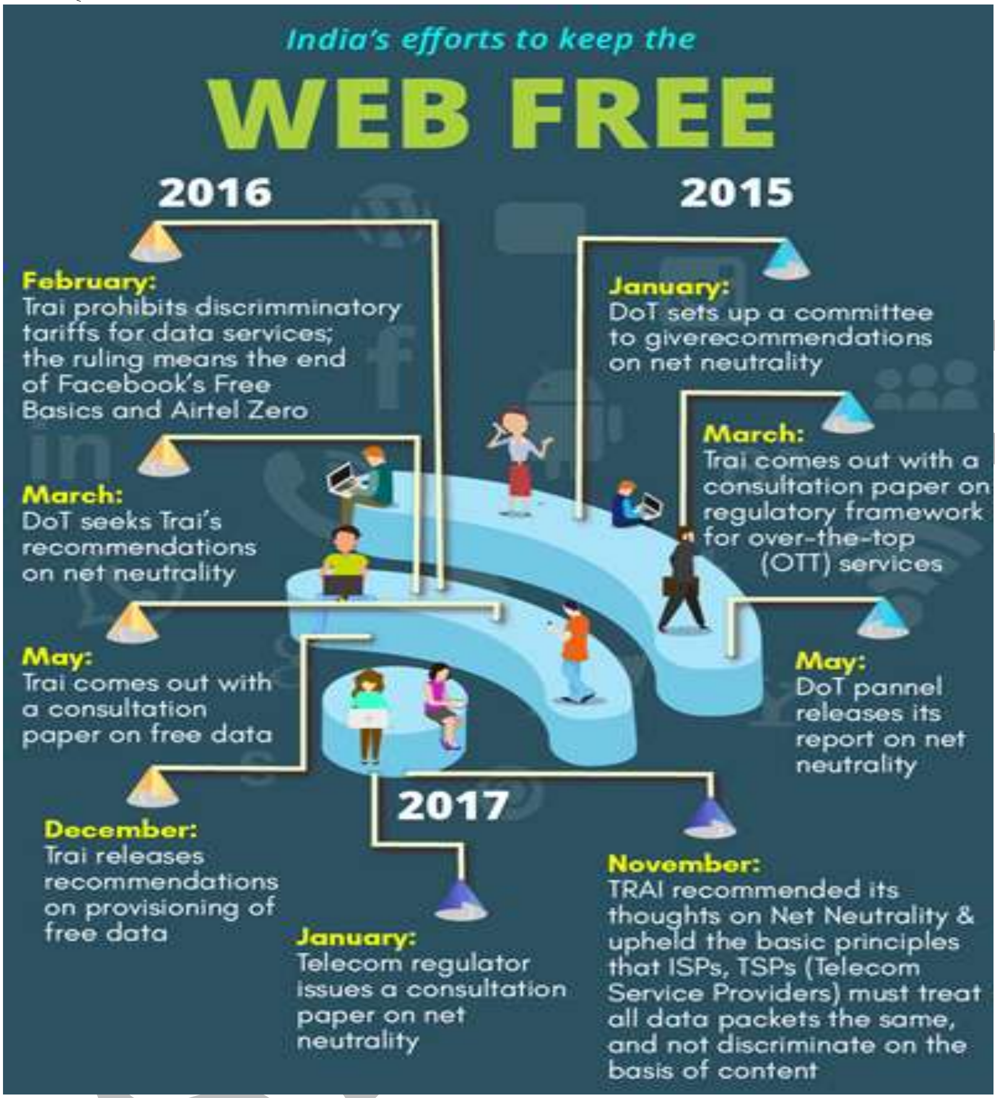

आगे की राह

- किसी भी इकाई द्वारा बाधित हुए बिना इंटरनेट को एक मुक्त मंच के रूप में बना रहना चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के पास उनकी पसंद की कंटेंट तक पहुंच का विकल्प हो।
- भारत को मुक्त इंटरनेट को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ सम्मिलित होना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत ने नेट न्यूट्रैलिटी को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6.3. डिजिटल लैंगिक अंतराल (Digital Gender Gap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) नीति सम्बन्धी थिंक टैंक LIRNEAsia द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत मोबाइल फोन के संदर्भ में लैंगिक अंतराल के मामले में प्रथम तथा इंटरनेट तक पहुंच के संदर्भ में लैंगिक अंतराल के मामले में तीसरे स्थान पर है।

शोध से संबंधित अन्य निष्कर्ष

- अध्ययन के अनुसार, भारत में भारतीय पुरुषों के लगभग 80 प्रतिशत की तुलना में केवल 43 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फोन हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और रवांडा सहित अन्य सभी देशों (जहाँ यह सर्वेक्षण किया गया) की तुलना में यह अंतर लगभग आधे से अधिक है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि इंटरनेट उपयोग के संदर्भ में भारत के लैंगिक अंतराल (57 प्रतिशत) से भी अधिक लैंगिक अंतराल केवल बांग्लादेश और रवांडा में था।
- ये लैंगिक अंतराल ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर हैं।

अन्य आँकड़े

- वर्तमान में विश्व में लगभग 3.58 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इनमें लगभग 2 अरब (56%) पुरुष तथा 1.57 अरब (44%) महिलाएं हैं। पुरुषों की तुलना में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 430 मिलियन की इस कमी में 42% हिस्सेदारी भारत की है।
- जहाँ एक ओर कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारत का योगदान 12 प्रतिशत का है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक डिजिटल लैंगिक अंतराल में भारत लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत डिजिटल लैंगिक अंतराल की दृष्टि से सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से भी नीचे है।
- भारत में 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ की 1.3 बिलियन जनसंख्या के एक तिहाई से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यह सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाले देशों की रैंकिंग में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन फिर भी यह डिजिटल लैंगिक अंतराल को भरने में असमर्थ रहा है।
- हाल ही में किये गए यूनेस्को सर्वेक्षण के अनुसार भी, भारत में 70% से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष हैं।

डिजिटल लैंगिक अंतराल को कम करने के लाभ

- यह **श्रमबल भागीदारी (वर्तमान में 31%) में सुधार** करता है तथा बाजार कौशल (जैसे महिला ई-हाट), ऑनलाइन कौशल विकास पहलों तक पहुंच प्रदान कर **उद्यमशीलता का मार्ग प्रशस्त** करता है।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बैंक ऋण, बीमा, जमाओं और विभिन्न अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच को सुगम बनाकर **वित्तीय समावेशन** को बढ़ाना। निर्धनतम महिलाओं पर लक्षित लाभों को मोबाइल फोन के साथ एकीकृत करना लीकेज को रोकने का एक प्रभावशाली तरीका सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही यह कल्याण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
- यह घरेलू निर्णय निर्माण और अन्य क्षेत्रों में **महिलाओं की निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि** करने तथा रुढ़िवादी सामाजिक मानकों को समाप्त करने में सहायक होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004-05 के अनुसार जिन घरों में महिलाओं के पास मोबाइल फोन थे वहां घरेलू हिंसा के लिए कम सहनशीलता के साथ घर के बाहर आने-जाने एवं आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़े निर्णय लेने में महिलाओं को अधिक स्वायत्त पाया गया।
- **शिक्षा:** ज्ञान-आधारित समाज में डिजिटल साक्षरता और संपर्क भावी आय-अर्जन क्षमता में सुधार करने में सक्षम है। स्वयं (SWAYAM) पोर्टल जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म घर से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों तक बेहतर पहुँच, पोषण के संबंध में जागरूकता और टेलीमेडिसिन सेवाएँ।
- **राजनीतिक जागरूकता में सुधार:** विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं के विषय में जागरूकता जो उनकी समझ को बेहतर बनाएंगी और राजनीतिक मुख्यधारा में उनके प्रवेश में सहायक होंगी। पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है और प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने के बजाए उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।
- डिजिटल माध्यमों से नागरिक भागीदारी उपायों, जैसे- RTI, सिटीजन चार्टर आदि तक महिलाओं की पहुंच में भी सुधार किया जा सकता है।

चुनौतियां

- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** डिजिटल सेवाओं तक पहुंच स्थापित करने के लिए पर्याप्त गति युक्त इन्टरनेट, उपकरण (स्मार्ट फोन और कंप्यूटर), विद्युत इत्यादि जैसी मूलभूत अवसंरचनाएँ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं।
- विभिन्न **सामाजिक अवरोध** भी विद्यमान हैं जैसे-
  - **पितृसत्तात्मकता:** अनेक भारतीय ग्रामीण परिवार पितृसत्तात्मक मान्यताओं से शासित होते हैं। ये मान्यताएँ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के आवागमन को प्रतिबंधित करती हैं। चूंकि अधिकांश ICT सुविधाएं सामुदायिक इंटरनेट केंद्रों पर उपलब्ध हैं अतः ऐसी महिलाएं इन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं। अनेक लोगों को यह भी भय है कि लड़कियों को इंटरनेट के उपयोग की अनुमति प्रदान करने से उनका पुरुषों के साथ मेलजोल बढ़ेगा जिससे परिवार की बदनामी होगी।
    - कुछ परिवारों में प्रौद्योगिकी को लड़कियों और महिलाओं के लिए आवश्यक अथवा लाभदायक नहीं समझा जाता है। लड़कियों के लिए आज्ञाकारिता और समर्पण एवं सम्मान जैसे गुण प्रायः समाज में जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये मान्यताएँ आज भी पितृसत्तात्मक समाज में कमोबेश विद्यमान हैं।
  - **शैक्षिक स्तर:** साक्षरता की कमी के कारण महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सेल फोन रखने के बावजूद उनका उपयोग नहीं कर सकता है। ये महिलाएं नंबर डायल करने या यहां तक कि संदेशों को पढ़ने के लिए भी अपने साक्षर रिश्तेदारों पर ही निर्भर हैं।

VISION IAS

 - नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए **व्यावहारिक जड़ता,** जो तकनीकी साक्षरता के अभाव, स्थानीय भाषाओं में सामग्री की अनुपलब्धता और आत्मविश्वास की कमी जैसे कारकों के फलस्वरूप और भी बढ़ जाती है।
 - **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** ऑनलाइन ट्रोलिंग के बढ़ते मामलों के साथ ही महिलाएं साइबर बुलिंग के लिए अधिक सुभेद्य भी हैं। डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताएं भी हैं, जिससे निजता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है और इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।

आगे की राह

- **अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गति की इंटरनेट सुविधा प्रदान की जानी चाहिए (भारतनेट इस संबंध में एक अच्छी पहल है)।
  - महिलाओं को **मुफ्त अथवा सब्सिडीकृत स्मार्ट फोन** प्रदान किये जाने चाहिए (छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क स्मार्ट फोन वितरित किए हैं)।
  - सभी गांवों में **सामान्य सेवा केंद्र** स्थापित किये जाने चाहिए और 50% महिला कर्मचारियों के नियोजन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- **साक्षरता:** विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अंग्रेजी भाषा में सामान्य दक्षता और तकनीकी साक्षरता पर बल दिया जाना चाहिए। (महिलाओं पर विशेष फोकस के साथ प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान और डिजिटल इंडिया मिशन को सर्वशिक्षा अभियान के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।)
  - ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का उपयोग और संचालन सिखाने के लिए, टाटा ट्रस्ट और गूगल द्वारा सयुंक्त रूप से संचालित एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, **इंटरनेट साथी** एक अच्छी पहल है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- **समाज की अभिवृत्ति में परिवर्तन:** जिससे महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसरों तक पहुंच के लिए एक सक्षम परिवेश निर्मित किया जा सके जो समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। (इस सन्दर्भ में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'ही एंड शी अभियान' स्वागत योग्य कदम हैं)।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** डेटा सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करना और साइबर बुलिंग के मामलों से निपटना। इन दोनों ही सन्दर्भों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए।

6.4. गहरे समुद्री क्षेत्र का अन्वेषण

(Deep Sea Exploration)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न वैश्विक अध्ययनों ने विशेष रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए गहरे समुद्री क्षेत्र के अन्वेषण (Deep Sea Exploration) की बहुआयामी संभावनाओं को इंगित किया है।

गहरे समुद्री क्षेत्र के अन्वेषण के विषय में

- गहरे समुद्री क्षेत्र (Deep Sea) को सामान्यत: महासागर की **200 मीटर से अधिक गहराई** में स्थित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें **पृथ्वी की सतह का लगभग 65 प्रतिशत भाग** शामिल है। इसका नितल, विशाल नितलीय मैदानों से लेकर सागरीय पर्वत श्रृंखलाओं और गहरे गर्तों तक **भूगर्भीय विशेषताओं** की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि महासागरों के कुल क्षेत्रफल के केवल 5% भाग का ही अन्वेषण किया गया है, जहाँ **पॉलिमेटेलिक नोड्यूल, गहरे समुद्री मत्स्यन** और अन्य निर्जीव संसाधनों के विशाल भंडार हैं। **इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA)** एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसके माध्यम से **यूएन कन्वेंशन ऑफ़ द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS)** के सभी पक्षकार राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सागरीय नितल में उत्खनन से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है।
- भारत का **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें **गहरे समुद्री क्षेत्र भी शामिल** हैं जिनका अभी तक पर्याप्त अन्वेषण अथवा उपयोग नहीं किया गया है।
- भारत 1987 में अग्रणी निवेशक (pioneer investor) का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश है। इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा नोड्यूल के अन्वेषण और उपयोग के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन में एक विशेष क्षेत्र आवंटित किया गया था।

VISION IAS

सरकारी पहलें

- सरकार ने मध्य हिन्द महासागर बेसिन से नोड्यूल का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों के अन्वेषण और विकास के लिए **पॉलिमेटेलिक नोड्यूल कार्यक्रम** का शुभारम्भ किया है।
- **डीप ओशन मिशन-** इसका शुभारंभ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है।
    - यह मिशन गहरे समुद्री क्षेत्र में उत्खनन, अंडरवाटर रोबोटिक्स, पनडुब्बी और महासागरीय जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - इसके अतिरिक्त, यह तटीय शहरों की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए अपतटीय विलवणीकरण संयंत्र का निर्माण करेगा।
- समुद्र-विज्ञान सम्बन्धी पोत (ओशनोग्राफिक शिप) 'सागरकन्या', कई वर्षों से अन्वेषण संबंधी कार्य में संलग्न है।
- **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Ocean Technology)**
    - यह 1993 में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था।
    - यह भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सजीव और निर्जीव संसाधनों के दोहन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान -2 (International Indian Ocean Expedition-2)**
    - यह एक प्रमुख वैश्विक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य 2015-2020 की अवधि में तटीय पर्यावरण से लेकर गहरे समुद्री क्षेत्र तक समुद्र विज्ञान एवं वायुमंडलीय अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है।

भारत के लिए गहरे समुद्री क्षेत्र का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य हिंद महासागर में 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलिमेटेलिक नोड्यूल के निष्कर्षण की क्षमता है। इस वृहद भंडार के मात्र 10% निष्कर्षण से आगामी 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** इस संदर्भ में, गहरे समुद्री क्षेत्र में मत्स्यन, मत्स्यन क्षेत्र में नवीन एवं विविधतापूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार सामुदायिक आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी।
- **अनुसंधान:** यह भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन प्रतिरूप की भविष्यवाणी करने तथा पृथ्वी के गठन और सजीवों के मध्य पारिस्थितिक प्रकार्यों (ecological functions) के अध्ययन में सहायता प्रदान करेगा।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता:** पिछले दशक में, चीन ने अपने सभी प्रतिस्पर्धियों पर स्पष्ट रूप से बढ़त प्राप्त की है और चीन में सागरीय नितल से मूल्यवान खनिजों के निष्कर्षण से सम्बंधित सर्वाधिक प्रगतिशील कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में डीप ओशन मिशन, महासागरीय अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार करेगा।
- **कूटनीति:** गहरे समुद्री क्षेत्र के अन्वेषण में प्रगति, भारत के लिए जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ कूटनीति के नए आयामों को खोलेगी।
- **आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन:** खनन कंपनियों को निवेश पर प्रतिफल के अतिरिक्त, गहरे समुद्री क्षेत्र के खनन में वृद्धि से मूल्य श्रृंखलाओं के अन्य भागीदारों जैसे उपकरण निर्माताओं और धातु प्रसंस्करण संयंत्रों के लिएअवसरों में वृद्धि होती है। आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो सकती है।
- **अनुसंधान को प्रोत्साहन:** संभावित खनन स्थलों के अन्वेषण से नई प्रजातियों की खोज को प्रोत्साहन मिला है तथा साथ ही गहरे महासागर में अब तक अज्ञात जैविक प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण नई अंतर्दृष्टि का विकास हो रहा है। यह उन क्षेत्रों में अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा जो प्रत्यक्ष रूप से गहरे समुद्री क्षेत्र के खनन से संबंधित नहीं हैं।

गहरे समुद्री क्षेत्र के अन्वेषण में चुनौतियां

- **तकनीकी:** अत्यधिक उच्च दाब, अत्यंत मुलायम मृदा और अन्य कारकों के परिप्रेक्ष्य में, संसाधनों के उत्खनन के लिए डीप सब-सी टेक्नोलॉजी का विकास एक बड़ी चुनौती है।
- **परिचालन संबंधी बाधाएं:** अपर्याप्त, अविश्वसनीय अथवा अत्यधिक महंगी विद्युत आपूर्ति और सागरीय जल की अत्यधिक संक्षारक प्रकृति जैसी **परिचालनात्मक बाधाएं**, अन्वेषण संचालन को और अधिक कठिन बनाती हैं।

VISION IAS

- **निधि और संसाधन:** गहरे समुद्री क्षेत्र के अन्वेषण में एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स, कंप्यूटर मॉडलिंग, रोबोटिक्स, आर्मर सूट इत्यादि के रूप में लागत बहुत अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्री क्षेत्र में मत्स्यन के संदर्भ में, स्थानीय समुदाय आरंभिक निवेश की लॉक-अप अवधि और तत्पश्चात उच्च परिचालन लागत के कारण इस नई पद्धति को अपनाने के प्रति अनिच्छुक भी हो सकते हैं।
- **जैव विविधता को क्षति:** गहरे समुद्री क्षेत्र के उत्खनन से जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बाधा और असंतुलन उत्पन्न हो सकता है; जैसे कि इससे जल की गुणवत्ता में कमी आती है जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता को क्षति पहुंच सकती है।

आगे की राह

- गहरे समुद्री क्षेत्र के अन्वेषण की नीतिगत कार्य योजना को विश्व बैंक की **ब्लू इकोनॉमी** की अवधारणा के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। यह अवधारणा सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों के सतत अन्वेषण पर बल देती है।
- **प्रभाव आकलन (Impact Assesment):** गहरे समुद्र के अन्वेषण का न केवल महासागरीय भूगर्भ विज्ञान पर बल्कि तटीय समुदाय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए, पॉलिमेटेलिक नोड्यूल से संबंधित प्रभाव आकलन की पारंपरिक पद्धतियों में समग्र महासागरीय अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाना चाहिए।
- **अन्तर्जलीय विरासत (Underwater Heritage):** अन्वेषण गतिविधियों को अन्तर्जलीय स्थलों को यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अंडरवाटर कल्चरल हेरिटेज (UNESCO Convention on Protection of Underwater Cultural Heritage) के अनुरूप महत्व प्रदान करना चाहिए।

6.5. गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की कि ISRO 2022 तक अंतरिक्ष में अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन भेजेगा।

पृष्ठभूमि

- 2004 में, मानव अंतरिक्ष मिशन को पहली बार ISRO की नीति आयोजना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका आरंभ में लक्ष्य 2015 निर्धारित किया गया, तब से इस हेतु निरंतर तैयारियां चल रही है।
- ISRO ने इन प्रौद्योगिकियों में से कुछ को **अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग (Space Capsule Recovery Experiment:SRE - 2007), क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग (Crew module Atmospheric Reentry Experiment:CARE-2014), GSLV Mk-III (2014), पुनः प्रयोज्य प्रमोचन वाहन-प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (Reusable Launch Vehicle- Technology Demonstrator:RLV-TD), क्रू एस्केप सिस्टम (जुलाई 2018) और पैड एबॉर्ट टेस्ट (2018)** के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। ISRO ने हाल ही में एक स्पेस कैप्सूल (क्रू मॉड्यूल) और **स्पेस सूट प्रोटोटाइप** का अनावरण किया।
- ISRO ने **पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली (ECLSS)** के लेआउट और डिज़ाइन को भी अंतिम रूप प्रदान किया है जो एक स्थिर केबिन दबाव और वायु संघटन को बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को हटाता है, तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करता है तथा आगजनी का पता लगाने एवं शमन, खाद्य और जल प्रबंधन एवं आपातकालीन सहायता जैसे मानदंडों को प्रबंधित करता है।

विशेष विवरण

- गगनयान को प्रक्षेपित करने के लिए GSLV Mk-III-3 प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष में मानव को भेजने से पहले दो मानव रहित गगनयान मिशन 30 महीने के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ भेजे जाएंगे।
- संपूर्ण कार्यक्रम के 2022 से पहले पूरा होने की उम्मीद है और कुल कार्यक्रम लागत 10,000 करोड़ रुपये से कम होगी।
- मिशन का उद्देश्य पांच से सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में तीन सदस्यों का एक दल भेजना है। इस अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की निम्न भू-कक्षा (low earth orbit) में रखा जाएगा।
- **यह ISRO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहला मानव मिशन होगा,** हालांकि कार्यक्रम को त्वरित करने के लिए, ISRO द्वारा मित्र देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ISRO और CNES (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी) अंतरिक्ष चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य निगरानी, जीवन समर्थन, विकिरण से संरक्षण, अंतरिक्ष मलबे से संरक्षण और व्यक्तिगत स्वच्छता प्रणालियों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ सहयोग स्थापित करेंगी।

VISION IAS

- इसमें एक क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होगा जो एक **ऑर्बिटल मॉड्यूल** का गठन करेगा। क्रू मिशन के दौरान माइक्रो ग्रैविटी परिक्षण करेंगे।

गगनयान मिशन के उद्देश्य:

- देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि
- एक राष्ट्रीय परियोजना जिसमें विभिन्न संस्थान, अकादमिक और उद्योग शामिल हैं
- औद्योगिक विकास में सुधार
- युवाओं के लिए प्रेरणादायक
- सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार।

गगनयान की आवश्यकता

- **जीवाणुओं और पौधों से लेकर बड़े स्तनधारियों तक के सभी जीवों पर माइक्रो ग्रैविटी और ब्रह्मांडीय विकिरण के प्रभावों के संबंध में परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संभाविता।** इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के कुछ अनुसंधानों ने महत्वपूर्ण ढंग से लाभ प्रदान करना आरंभ कर दिया है, उदाहरण के लिए इसके द्वारा मौसम अनुसंधान से लेकर आपदा प्रबंधन तथा बॉलपॉइंट पेन तक विभिन्न तकनीकों में वृहद प्रगति की है।
- **मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजकर चिकित्सा तकनीकों और मानवीय शरीर के कार्यप्रणाली की मूलभूत समझ में अत्यधिक प्रगति हुई है:** उदाहरण के लिए, माइक्रोग्रैविटी मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व को कमजोर कर क्षति का कारण बन सकती है। वैज्ञानिकों ने तकनीकों और फिटनेस तंत्र विकसित किए हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार और मांसपेशियों सुदृढ़ता को बनाए रखने में सफल रहे हैं।
- **वर्तमान में अनेक तकनीकें अंतरिक्ष अनुसंधान के परिणामस्वरूप विकसित हुई:** अंतरिक्ष अनुसंधान के माध्यम से मिनिचराइज़्ड अल्ट्रासाउंड यूनिट्स और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम सहित टेलीमेडिसिन विकसित किए गए थे। इसी प्रकार, लेजर सर्जरी और रोबोट सर्जरी का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के भाग के रूप में बेहतर लेजर प्रौद्योगिकी के विकास के परिणामस्वरूप था।
- इज ऑफ लिविंग के लिए कृषि, रेलवे, मानव संसाधन विकास और सड़क, परिवहन और राजमार्ग इत्यादि जैसे **विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है।** जल शोधन और सीवेज रीसाइक्लिंग को इस प्रकार की तकनीक अपनाकर रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में NASA के जल शोधन तकनीक का उपयोग किया की जा रही है।
- इसी प्रकार, एडवांस एस्ट्रोकल्चर (ADVASC) नामक एक एथिलीन रिमूविंग सिस्टम को अंतरिक्ष में विकसित किया गया था जो वायरस, बैक्टीरिया और मोल्ड को हटाता है। वर्तमान में इसका उपयोग फलों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और वाइन बनाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष प्रयोजनों के लिए ISRO द्वारा विकसित सिलिका एरोजेल का कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है।
- **मानव अंतरिक्ष अनुसंधान मानव रहित मिशनों की तुलना में अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करते है:** ISRO ने अनुमान लगाया है कि गगनयान मिशन में नई प्रौद्योगिकियों के शामिल होने के कारण यह 15,000 नौकरियां सृजित करेगा।
- **राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना** क्योंकि इस कार्यक्रम से भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च करने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन जाएगा। अब तक, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष-यान मिशन लॉन्च किए हैं।

चुनौतियां

- **बायोसाइंसेस:** ISRO ने मिशन के इंजीनियरिंग पहलुओं को पूरा कर लिया है, जबकि बायोसाइंस ISRO के लिए एक नया क्षेत्र है जिसके लिए अधिक तकनीकी ज्ञान, सहयोग और अन्य संगठनों से समर्थन की आवश्यकता है। आवास योग्य अंतरिक्ष परिमंडल (habitable space ecospheres) सृजित करने के लिए एक्सोटिक मटेरियल और फर्स्ट क्लास रीसाइक्लिंग सिस्टम के विकास सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की भी आवश्यकता होती है।

VISION IAS

- **लागत:** मानव मिशनों के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए, सीमित संसाधनों वाले भारत जैसे विकासशील देश के लिए, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय की तुलना में ऐसे महंगे मिशनों की आवश्यकता सदैव विवाद का विषय बनता है।
- **एक मानव मिशन के लॉन्च में प्रौद्योगिकियों और परिशुद्धता की एक पूरी नई श्रृंखला के अनुसंधान एवं विकास शामिल होंगे:** इसमें अत्यधिक जटिल और खतरनाक पुनः प्रवेश और पुनर्प्राप्ति (reentry and recovery) क्षमता की विशेषज्ञता शामिल होती है। अंतरिक्ष यान को कई हज़ार डिग्री से अधिक उच्च तापमान का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए अत्यधिक सटीक गति और कोण की आवश्यकता होती है, और यहां तक कि अत्यंत अल्प विचलन भी खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- **अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण:** भारत में अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, हालांकि ISRO ने 2000 के दशक से ही अपने अंतरिक्ष यात्री के लिए स्वदेशी प्रशिक्षण केंद्रों की मांग की थी परन्तु अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।

VISION IAS

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

7.1. सबरीमाला मुद्दा (Sabrimala Issue)

पृष्ठभूमि :

- सबरीमाला मंदिर केरल के पत्थनमथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर पेरियार टाइगर रिज़र्व में स्थित है। तीर्थयात्री मंदिर तक पहुंचने के लिए नीलिमाला की यात्रा करते है , जिसमें 18 पवित्र सीढियों को चढ़ने के बाद, 48 दिनों तक कठिन तपस्या और उपवास कर भगवान अयप्पा की पूजा-अर्चना की जाती है।
- यह पवित्र मंदिर भगवान अय्यप्पा (जो एक ब्रहमचारी थे) को समर्पित है।
- 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं (जो रजस्वला आयु वर्ग में आती हैं) का मंदिर में प्रवेश निषेध है। जबकि किसी अन्य मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस मंदिर में उनका प्रवेश प्रतिबंधित है।

इससे संबंधित मुख्य मुद्दे:

- समानता का अधिकार बनाम धर्म का अधिकार
- आस्था बनाम तर्कसंगतता
- समाज का आचरण - प्रतिगामी और पितृसत्तात्मक

इसमें शामिल हितधारक :

- 2006 में **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन** और पांच महिला वकीलों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से महिलाओं को बिना किसी आयु बाध्यता के मंदिर में प्रवेश संबंधी निर्देश की मांग की गयी थी। मंदिर से संबंधित इस प्रथा को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि यह प्राकृतिक रूप से भेदभावपूर्ण और लैंगिक न्याय के विरुद्ध है। महिलाओं से संबंधित एक अन्य समूह (जो **"हैप्पी टू ब्लीड"** अभियान का हिस्सा है) ने न्यायालय से इस सन्दर्भ में दिशा -निर्देश देने की मांग भी की है कि क्या समाज को "मासिक धर्म सम्बन्धी भेदभाव" को सहन करते रहना चाहिए।
    - उनकी याचिका में तर्क किया गया है कि मंदिरों में प्रवेश के मामलों में भेदभाव हिंदू धर्म से संबंधित न तो कोई अनुष्ठान है और न ही कोई संस्कार और इस प्रकार यह धर्म -विरोधी भेदभाव है। धार्मिक संप्रदाय केवल गर्भगृह में प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकता है, न कि केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हुए मंदिर में प्रवेश को।
- **ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन** ने तर्क दिया कि रजस्वला महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संविधान में प्रदत्त समानता और गरिमा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता) नैतिकता के अधीन है और यह किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथा की अनुमति नहीं देता है।
- **पांडलम शाही परिवार (मंदिर के पूर्व संरक्षक); मंदिर तंत्री (सर्वोच्च पुजारी) परिवार और मंदिर की देखभाल करने वाले त्रावणकोर देवासम बोर्ड** का मानना है कि यह प्रतिबंध सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप है। ऐसा भगवान अयप्पा के एक 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' होने के कारण है (उन्होंने आजीवन ब्रहमचारी बने रहने का प्रण लिया था)।
    - विभिन्न मंदिरों में अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं। सबरीमाला में कोई भेदभाव नहीं है, बस कुछ प्रतिबंध हैं। यह देवता की प्रकृति के कारण है, पुरुष वर्चस्व के कारण नहीं। 1991 के निर्णय में केरल उच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार का पक्ष रखा था।
    - सबरीमाला मंदिर में 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना **अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक संप्रदाय की एक "आवश्यक और अनिवार्य" प्रथा है।** अतः, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर स्वयं से यह निर्णय नहीं ले सकता कि किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए क्या 'आवश्यक' है।
    - देवता को 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' (शाश्वत ब्रह्मचर्य)' रहने का अधिकार है। **यह देवता की निजता के अधिकार का ही एक भाग है और देवता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।**
    - **देवता की विशिष्टता अर्थात** देवता के ब्रह्मचारी चरित्र को **उन लोगों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है जो प्रार्थना करना चाहते हैं।**
    - महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शारीरिक कष्ट, तपस्या और ब्रह्मचर्य की अवधि का पालन करना संभव नहीं है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

- **सबरीमाला मंदिर में एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध "पितृसत्तात्मक" विश्वास पर आधारित है,** जिसका मानना है कि समाज में पुरुषों की प्रभावशाली स्थिति उन्हें तपस्या करने में सक्षम बनाती है जबकि एक महिला, जो केवल "पुरुषों की संपत्ति" है, तीर्थयात्रा से पहले 41 दिनों तक स्वयं को शुद्ध रखने में असमर्थ होती है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- **महिलाओं का पूजा करने का अधिकार संवैधानिक है और यह कानूनों पर निर्भर नहीं है।** इसलिए, 10 से 50 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करना है।
- **महिलाओं के प्रवेश पर मंदिर द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है** : महिलाओं का सबरीमाला में प्रवेश मासिक धर्म (शारीरिक और जैविक प्रक्रिया) के कारण प्रतिबंधित किया गया है। उनसे एक भिन्न वर्ग के रूप में भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कुछ जातियों को उनकी सामाजिक स्थिति के कारण 'अशुद्ध' माना जाता है, वैसे ही रजस्वला महिलाओं को भी लैंगिक आधार पर इसी श्रेणी में रखा जा रहा है। आधार भिन्न हैं परन्तु इस अपवर्जन का प्रभाव समान है।

विश्लेषण और आगे की राह

- संक्षेप में, **सबरीमाला मुद्दा न केवल धर्म की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों का अपितु संवैधनिकता के व्यापक सिद्धांतों के सम्मान के** परीक्षण का भी एक मामला है।
- भारतीय समाज में धार्मिक मान्यताओं में तर्कसंगतता और आधुनिकता के आधार पर बदलाव की आवश्यकता है अन्यथा ये धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के सिद्धांतों और मूल्यों को व्यापक रूप से सीमित करती रहेंगी।
- हालांकि, **न्यायपालिका को प्रतिबंधात्मक धार्मिक प्रथाओं के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने एवं निर्णय देने में 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत' का भी उपयोग करना चाहिए,** अन्यथा ये धार्मिक संगठनों और संप्रदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे।

लिविंग ट्री सिद्धांत और अनुच्छेद 17

- इसमें संविधान को एक विकासशील एवं आंगिक साधन के रूप में माना जाना सम्मिलित है।
- 'लिविंग ट्री' विचारकों के अनुसार इसका बहुत कम महत्व है कि संविधान निर्माण के समय इसका उद्देश्य क्या था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की व्याख्या है कि संविधान में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर कितने अधिकार समाहित हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता के विरुद्ध) को इसके अंतर्गत विशेष रूप से कुछ जातियों/समूहों से जुड़े सामाजिक कलंक की उपस्थिति को स्वीकार करने और उन्हें हटाने के लिए समाविष्ट किया गया था। इसे प्राचीन काल से चली आ रही असमानता को समाप्त करने के प्रयास हेतु अधिनियमित किया गया था।
- **'लिविंग ट्री'** दृष्टिकोण -संविधान का एक वैकल्पिक और एक श्रेष्ठ वाचन होने के कारण - अनुच्छेद 17 की विस्तृत व्याख्या में यह सहयोग प्रदान करता है।

अन्य व्यापक रूपरेखाएँ/कमियां :

- **भारतीय धर्मनिरपेक्षता-** राज्य और धर्म के मध्य कोई कठोर अलगाव नहीं है।"
- "आवश्यक धार्मिक प्रथाओं" का सिद्धांत - यह एकमात्र धर्म का अधिकार क्षेत्र मानी जाने वाली सीमाओं को परिभाषित करता है। अर्थात कुछ समूह (संप्रदाय) मंदिर से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने और विशिष्ट पूजा-अर्चना करने के अधिकारों का दावा कर सकते हैं, बस यह दूसरों के लिए संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध न हो। न्यायाधीशों ने स्वयं को यह निर्धारित करने की शक्ति दे रखी है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाएं क्या हैं (किसी एक धर्म के लिए ही नहीं, अपितु सभी धर्मों के लिए)।
- **धार्मिक मामलों पर न्यायिक अतिक्रमण/जूडीसिओपैपिज़्म:** (न्यायाधीशों द्वारा धार्मिक अधिकार को पूर्णतः निष्प्रभावी किया जा सकता है): उदाहरणस्वरूप- संथारा; सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश, जो पुजारी (आर्चका) हो भी सकती हैं और नहीं भी।

7.2. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (Harassment of Women at Workplace)

सुर्खियों में क्यों ?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में संशोधन किया है और निजी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत किये गए अनुपालन के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

- यह अधिनियम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रयास करता है। साथ ही यह कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है।
- अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त करने वाली " **पीड़ित महिला**" की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है। इसमें सभी महिलाओं को आयु या रोजगार की स्थिति को महत्व दिए बिना शामिल किया गया है, चाहे वे संगठित क्षेत्र से हों या असंगठित क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से हों या निजी क्षेत्र से। क्लाइंट, ग्राहक और घरेलू श्रमिक सभी इसमें शामिल हैं।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- यह अधिनियम यौन उत्पीड़न के रूप में प्रतिकार स्वरूप किए गए उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य परिवेश को भी शामिल करता है (यदि ये यौन उत्पीड़न की किसी घटना या व्यवहार के रूप में घटित हुए हों)।
- प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अनिवार्य है, जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी होने चाहिए।
- आंतरिक शिकायत समिति को सम्मन, खोजबीन और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण आदि के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं।
- प्रत्येक आंतरिक शिकायत समिति को NGO या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध संगठनों की सदस्यता की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक जिले में एक **'स्थानीय शिकायत समिति'** गठित करना अनिवार्य है। उन स्थितियों में शिकायतों का समाधान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक अतिरिक्त 'स्थानीय शिकायत समिति' भी गठित की जाएगी, जहां शिकायतकर्ता को आंतरिक शिकायत समिति उपलब्ध न हो या जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध की गयी हो।
- यह झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करता है।

अधिनियम की आलोचना

- इस अधिनियम के तहत गठित आंतरिक समिति को मौद्रिक जुर्माना निर्धारित करने की शक्ति है जिसे अपराधियों की आय एवं वित्तीय स्थिरता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह एक तरह का भेदभावपूर्ण तरीका है जो समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता को समर्थित एवं परिकल्पित करता है। उदाहरण के लिए, कम आय अर्जित करने वाला व्यक्ति अधिक कमाने वाले वरिष्ठ की तुलना में कम जुर्माने का भुगतान करेगा।
- अधिनियम में कृषि श्रमिकों और सशस्त्र बलों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- अधिनियम संतोषजनक ढंग से उत्तरदायित्व का समाधान नहीं करता है। यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कार्यस्थलों पर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने का प्रभारी कौन है।
- यह लैंगिक-तटस्थ कानून नहीं है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से केवल महिलाओं की रक्षा करता है।

पृष्ठभूमि

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development :MWCD) द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को मुख्यधारा में लाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- केंद्र सरकार के तहत सभी मंत्रालयों और विभागों को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। अधिनियम के तहत शी-बॉक्स (SHE-Box) के माध्यम से शिकायत को सीधे मंत्रालय में दर्ज कराया जा सकता है।
- इसके संदर्भ में MWCD ने निजी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में अनुपालन के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुरोध किया था।

नियमों में संशोधन के पक्ष में तर्क

- गैर-वित्तीय प्रकटीकरण में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत अनुपालन को सम्मिलित करने से यह सुनिश्चित हो पायेगा कि निजी कंपनियों के निदेशक मंडल का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित हो। इसके कारण निदेशकों पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन का कहीं अधिक उत्तरदायित्व होगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न

- **उत्पीड़न का कारण:** कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण समाज की पितृसत्तात्मक संरचना है जिससे पुरुष श्रेष्ठता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। कार्य स्थल पर ईर्ष्या के अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध अवमानना और अपमान की भावना भी सामान्य है, जो यौन विकृत व्यवहारों के माध्यम से परिलक्षित होती है।
- 2014 और 2015 के मध्य **कार्यालय परिसरों में यौन उत्पीड़न के दोगुने से अधिक मामले पाए गए हैं** और 2015 में कार्य से संबंधित अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न के मामलों में 51% की वृद्धि हुई है।
- 2017 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग को प्रति दिन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित औसतन 1.7 शिकायतें प्राप्त हुईं।
- 2017 में प्राप्त 60% शिकायतें पांच राज्यों : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा से प्राप्त हुई थीं।
- 2015 में 'फॉस्टरिंग सेफ वर्कप्लेस' नामक शीर्षक से फिक्की द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि 36% भारतीय कंपनियां और 25% बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अभी तक अपनी आंतरिक शिकायत समिति (internal complaints committee: ICC) का गठन नहीं किया है। अध्ययन में भाग लेने वाली 120 से अधिक कंपनियों में से 50% ने स्वीकार किया कि उनके ICC सदस्यों को कानूनी रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

VISION IAS

- अधिनियम उन नियोक्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करता है जो कार्यस्थल पर अधिनियम को लागू नहीं करते हैं या ICC बनाने में भी विफल रहते हैं। लेकिन, कानून का पूर्णतः पालन न करने वाले नियोक्ताओं की संख्या यह इंगित करती हैं कि उनकी निवारण तंत्र द्वारा उचित रूप से निगरानी नहीं की जा रही है।
- 2017 में इंडियन बार एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70% महिलाओं ने वरिष्ठों द्वारा यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं की।

सुरक्षा समस्याओं की रिपोर्ट करने में विफलता के कारण:

- **समझ की कमी**: अधिकांशतः महिलाओं को लगता है यह व्यवहार इतना गंभीर नहीं है कि इसके विरुद्ध कोई कदम उठाया जाए एवं इसकी शिकायत की जाए। इसका कारण इस बात की समझ का अभाव है कि उत्पीड़न क्या है, कानून द्वारा महिला सुरक्षा से सम्बंधित क्या उपाय किये गए हैं एवं उनके लिए क्या आवश्यक है।
- **विश्वास की कमी** महिलाओं की शिकायत दर्ज़ कराने संबंधी प्रक्रिया में विश्वास की कमी है, क्योंकि उनके लिए शिकायत करना शर्मिंदगी का कारण बन सकता है और साथ ही उन्हें शिकायत प्रक्रिया कठिन और व्यर्थ प्रतीत होती है।
- **प्रतिशोध का भय :** उत्पीड़क या संगठन द्वारा प्रतिशोध का भय उन्हें इसके संबंध में मौन बनाता है।
- **स्व-निर्णय:** कुछ महिलाओं को लगता है कि शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय वे स्वयं ही स्थिति संभाल सकती हैं।
- **सामाजिक कलंक**: भारतीय समाज में यौन उत्पीड़न से एक सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। अधिकांश बार महिलाओं को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने पर शर्मिंदा होना पड़ता है, भले ही उसमें गलती किसी की भी हो। यौन शोषण की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं के सोशल मीडिया में शर्मसार होने संबंधी कई घटनाएं देखी गई हैं।

संगठन द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं:

- **महिलाओं को आवाज़ उठाने के लिए तैयार करना** : संगठन को इस तरह के किसी भी अधिनियम के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए। सरकार को निर्देशित गंभीर मामलों के सन्दर्भ में शिकायतों का पंजीकरण तीव्रता से किया जाना चाहिए।
- **तकनीक को परिनियोजित करना**: महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल और परिवहन को सुरक्षित बनाने हेतु GPS, CCTV कैमरों, मोबाइल ऐप इत्यादि तकनीकों का लाभ उठाया जाना चाहिए।
- **लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण:** कॉर्पोरेट्स को अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए लैंगिक-संवेदीकरण प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित करने चाहिए।
- **कार्य संबंधी उचित प्रथाओं को अधिदेशित करना :** संगठन प्रायः सुरक्षा की तुलना में उत्पादकता की ओर अधिक महत्व देते हैं जो कर्मचारियों को गलत संकेत देता है। शीर्ष प्रबंधन स्तर को सुरक्षा को प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए।
- **सुरक्षित कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना:** बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ कार्यालय में विभिन्न शिफ्टों में और देर तक कार्य करना सामान्य बात है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध उनकी क्षमताओं को सीमित करते हैं। इसलिए, संगठन द्वारा महिलाओं को कुछ विकल्पों जैसे टेलीकम्यूटिंग (घर से या दूरसंचार उपकरणों की सहायता से कार्य), समय पर कार्यालय छोड़ने और अधूरे कार्य को घर पर करने की छूट आदि की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। कार्यालयों में आवश्यक स्थानों पर महिला सुरक्षा गार्डों को नियुक्त किया जा सकता है और कार्यालय परिसर के अंदर एक बेसिक पैंट्री की व्यवस्था की जा सकती है ताकि महिला कर्मचारियों को देर से काम करते समय रात के खाने के लिए बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े।

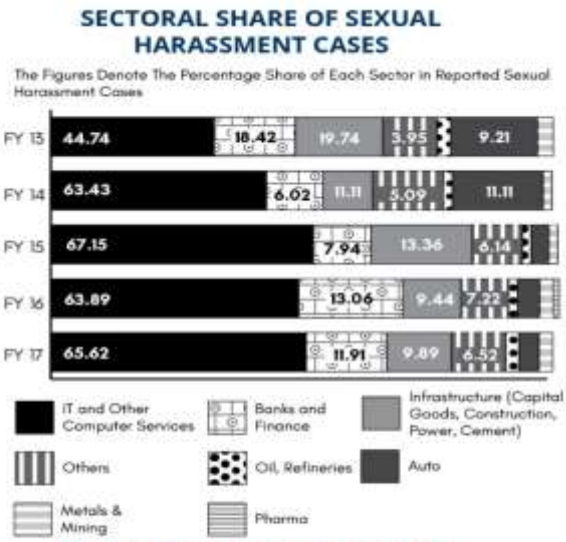

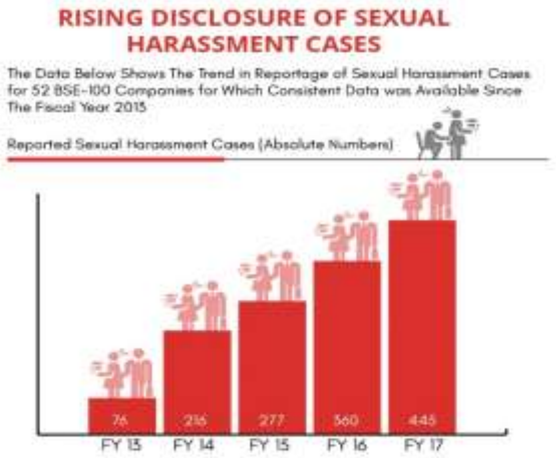

VISION IAS

- यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कंपनियों की दृढ़ता को प्रदर्शित करने के लिए कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता के तहत **शून्य सहिष्णुता नीति (Zero tolerance policy)** को अपनाया जाना चाहिए।
- **'मी टू' (#MeToo) और 'टाइम्सअप'(#TimesUp)** जैसे सफल अभियानों ने अधिक से अधिक महिलाओं को आगे आने और दुर्व्यवहार के प्रति आवाज़ उठाने में सहायता की है।

निष्कर्ष

महिलाओं को हमेशा सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के मध्य सामंजस्य करना पड़ता है। यह आंशिक रूप से भारत की निम्न महिला श्रमबल भागीदारी दर को स्पष्ट करता है क्योंकि उत्पीड़न के भय से अनेक कुशल महिलाएं श्रमबल से दूर रहती हैं। इसके कारण भारत की उत्पादकता और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंच रहा है। विश्व बैंक के आकलनों के अनुसार, यदि भारत बांग्लादेश के स्तर तक भी अपनी महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) को बढ़ा सके तो इसकी आर्थिक वृद्धि एक पूर्ण प्रतिशत बिंदु तक बढ़ सकती है। कंपनियों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की पर्याप्त निगरानी और निवारण महिलाओं के लिए एक सक्षम परिवेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

7.3. डायन प्रताड़ना (Witch Hunting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015** को स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- **डायन प्रताड़ना** एक अंधविश्वासी प्रथा है जो समाज में महिलाओं के विरुद्ध सांस्कृतिक हिंसा के निकृष्टतम रूपों में शामिल है। यह संस्कृति, धर्म और सामाजिक मानदंडों एवं प्रथाओं के नाम से प्रचलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अभिव्यक्ति है, जिसकी सामान्यत: समाज द्वारा उपेक्षा की जाती है।
- यह **लोगों के एक विशिष्ट समूह पर दोषारोपण (stigmatization)** है, जिनमें अधिकांशतः विधवा महिलाएं, निःसंतान महिलाएं, वृद्ध महिलाएं तथा निम्न जाति की महिलाएं आदि शामिल हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक पृथक्करण:** भारत के कुछ भागों में जादू-टोना और 'डायन प्रताड़ना' की प्रथा कुछ जातियों और जनजातियों के मध्य मुख्य रूप से प्रचलित है। ये समुदाय सदियों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से बहिष्कृत और वंचित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB)** के अनुसार, 2000 से 2016 के मध्य 2,500 से अधिक भारतीयों को इस प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उनका उत्पीड़न किया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गई। झारखंड डायन प्रताड़ना से संबंधित हत्याओं की सूची में सबसे ऊपर है।
- **मानवाधिकार का उल्लंघन: गुवाहाटी उच्च न्यायालय** ने कहा है कि एक पुरुष अथवा एक महिला को डायन के रूप में कलंकित करना और फिर डायन प्रताड़ना का कृत्य करना सबसे अमानवीय कार्य है और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के निकृष्टतम रूपों में से एक है।

इसके प्रचलन के कारण

- **समाज में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण:** एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि, जो महिलाएं सामाजिक आधिपत्य संरचना के विरुद्ध विरोध करने और बोलने का साहस करती हैं उन्हें भारत की जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक संस्कृति के माध्यम से डायन के रूप में लक्षित किया जाता है।
- **अंतर्निहित हित: कई** बार, कलंकित महिलाओं को डायन के रूप में एक साधन की तरह भूमि अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी-कभी लोग समाजिक में प्रस्थिति को बनाए रखने के लिए निम्न जाति के पुरुषों और महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार की प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। यह वैसी महिलाएं जो यौन दुर्व्यवहार का विरोध या उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, उनके विरुद्ध प्रतिशोध के एक साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
- **व्यक्तिगत लाभ:** डायन प्रताड़ना का अभ्यास स्थानीय चिकित्सकों / नीम-हकीमों / ओझाओं के लिए अपनी भौतिकवादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सामाजिक और धार्मिक व्यवसाय बन गया है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दे:** पंजीकृत मामलों में से कई मामले अपर्याप्त जांच, सबूतों और गवाहों की कमी अथवा पीड़ितों और अपराधियों के मध्य समझौता किए जाने के कारण बंद कर दिए गए।
- **उचित वैज्ञानिक जागरूकता और शिक्षा का अभाव** भारत में डायन प्रताड़ना के अत्यधिक प्रचलित होने के कारणों में से एक है। उदाहरण के लिए: महिलाओं को शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, अकाल, बाढ़ और महामारी संबंधी रोगों जैसी सभी आपदाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

चुनौतियां

- **राष्ट्रीय कानून का अभाव:** भारत में डायन प्रताड़ना को प्रतिबंधित करने के लिए कोई विशिष्ट राष्ट्रीय कानून अथवा विधि उपलब्ध नहीं है। अधिकांश मामलों को **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323** के तहत निपटाया जाता है, जो किसी को जानबूझकर पहुंचाई जाने वाली क्षति के लिए एक वर्ष के कारावास और 1000 रुपये जुर्माना निर्धारित करता है।
- **प्रचलित कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन:** राज्य कानूनों की अप्रभाविता के कारण डायन प्रताड़ना की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।
- डायन के रूप में लक्षित महिलाओं के पुनर्वास, राहत अथवा किसी भी रूप में मुआवजे प्रदान करने के प्रावधानों का अभाव है।
- **सामाजिक कठोरता:** सामाजिक बुराई के रूप में, डायन प्रताड़ना से निपटना कठिन होता है क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई की प्रेरणा प्राय: समुदायों की पारंपरिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वास प्रणाली में निहित होती है।

महिलाओं की सुरक्षा

- **संवैधानिक दायित्व:** लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से सुरक्षा भारत सरकार का दायित्व है (अनुच्छेद -15) और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि, अनुबंध और कानूनों द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं जैसे-:
    - **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) 1948**, यह किसी भी भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा और विधि के समक्ष समता को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है।
    - **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICCPR),** भारत इसके साथ 1979 में संबद्ध हुआ, यह नागरिकों के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित कर पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता को बढ़ावा प्रदान करता है तथा अन्यों को किसी के मूल अधिकारों को कम करने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 7 स्पष्ट रूप से क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक उपचार के निषेध का उल्लेख करता है और अनुबंध के साथ संबद्धता, इन नियमों को लागू करना भारत सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है।
    - भारत ने 1993 में **महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकारों के भेदभाव के निवारण संबंधी अभिसमय (CEDAW) पर हस्ताक्षर** किए हैं और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और सामाजिक क्रूरता को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है।

आगे की राह

- सीमांत समुदायों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए **अनुच्छेद 51-A के तहत वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।**
- मानव विकास में बेहतर संकेतक प्राप्त करने के लिए, वैधानिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, अपराधियों का उत्पीड़न जैसे **व्यापक दृष्टिकोण** शामिल है।
- **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार कर** ब्लॉक स्तर पर मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति के माध्यम से गांवों तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समर्थन की पहुंच को सुनिश्चित करना है। जबकि त्वरित कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत कार्रवाईयों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को न्याय उपलब्ध करने को सुनिश्चित करना है।
- डायन प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने के प्रभावों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए **जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों का समर्थन करना**, तथा पितृसत्ता (जो महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा और उन्हें अधीनस्थ बनाते हैं) की **गहन रूप से स्थापित मूल्य प्रणाली** को परिवर्तित करना है।
- डायन प्रताड़ना संबंधी रिपोर्टों पर कारवाई करने और महिलाओं पर डायन संबंधी हिंसा की घटनाओं की समाप्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी निवारक उपायों को अपनाने के लिए **पंचायत स्तर पर नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- **क्षमता निर्माण:** कमजोर महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर महिलाओं के समूह, समुदाय अथवा संघों को व्यवस्थित करना।
- जमीनी स्तर पर समर्थन प्रणाली का नेटवर्क बनाने और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए समुदायों के भीतर महिलाओं के मध्य स्वयं सहायता समूह अथवा नागरिक समाज संगठनों द्वारा **सहयोगात्मक पद्धतियों (Group Building Exercise) का विकास करना।**

7.4. व्यभिचार का गैर-अपराधीकरण (Decriminalising Adultery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code:IPC) की धारा 497 से व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने के परिणामस्वरूप विवाह की पवित्रता समाप्त हो जाएगी और यह अंतर्निहित भारतीय सामाजिक मूल्यों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

निहित मुद्दे

- संवैधानिक पीठ को इस बात पर निर्णय देना है कि क्या स्वतंत्रता से पूर्व निर्मित व्यभिचार से संबंधित IPC का प्रावधान (धारा 497) एक विवाहित महिला को अपने पति के "अधीनस्थ" के रूप में मानता है तथा लिंग समानता एवं संवेदनशीलता की संवैधानिक अवधारणाओं का उल्लंघन करता है?
- इसका निर्णय इस तथ्य पर भी लिया जाएगा की क्या IPC की धारा 497 पुरुष को व्यभिचारी और विवाहित महिला को पीड़ित के रूप में मानती है।
- वृहत पीठ द्वारा इस तथ्य की भी जांच की जाएगी की क्यों परस्पर सहमति से किये गये व्यभिचार के कृत्य हेतु केवल पति को ही अपराधी के रूप में माना जाता है?

अन्य संबंधित तथ्य

IPC की धारा 497- यदि कोई गैर पुरुष किसी अन्य विवाहिता महिला के साथ उसके पति की सहमति या मिलीभगत के बिना यौन संबंध बनाता है तो इस प्रकार के अपराध को रेप नहीं बल्कि व्यभिचार माना जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पत्नी को दुष्प्रेरक के रूप में दण्डित नहीं किया जाता है।

CrPC की धारा 198- विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोग

महिला के पति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति धारा 497 के तहत दंडनीय किसी अपराध से पीड़ित समझा जाएगा।

अन्य पर्सनल लॉ

व्यभिचार को सभी पर्सनल लॉ में तलाक हेतु एक आधार के रूप में माना जाता है। उदाहरणार्थ हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1), मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 2 (viii) (b), पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 32(d), इत्यादि।

इस विवाद के अंतर्निहित कारण

- जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका इस तथ्य को रेखांकित करती है कि अपराध में केवल पुरुष को ही दोषी क्यों करार दिया जाता है, जबकि यौनाचार महिला एवं पुरुष की पारस्परिक सहमति द्वारा किया जाता है।
- याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि धारा 497 "पुरुषों के विरुद्ध पक्षपात करने के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का भी उल्लंघन करती है।"
- याचिका में व्यभिचार कानून के अंतर्गत अपूर्णता को वर्णित करते हुए कहा गया है कि यह महिलाओं के प्रति भी भेदभावपूर्ण है ,क्योंकि यह उन्हें पुरुषों की संपत्ति मानता है। यह इस तथ्य द्वारा प्रमाणित किया गया कि यदि व्यभिचार महिला के पति की सहमति से संबंधित है, तो इस प्रकार के कृत्य को संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं माना गया है।
- याचिकाकर्ता ने CrPC की धारा 198 (2) की संवैधानिक वैधता पर भी प्रश्न उठाया, जो विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन से संबंधित है।

सरकार का पक्ष

- उपरोक्त प्रश्नों के संदर्भ में, सरकार द्वारा विचार दिया गया कि व्यभिचार को दंडित करने का प्रावधान - IPC की धारा 497 - विवाह की संस्था का समर्थन, सुरक्षा एवं रक्षा करता है और इसे निरस्त कर देने से सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का हनन होगा।
- सरकार ने कहा कि IPC की धारा 497 और CrPC की धारा 198 (2) को विधायिका द्वारा स्वयं संज्ञान द्वारा भारतीय समाज की विशिष्ट संस्कृति एवं संरचना को ध्यान में रखकर विवाह की पवित्रता की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया था। इन धाराओं की निरस्तता, अंतर्निहित भारतीय सामाजिक मूल्यों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगी, जो विवाह की संस्था तथा उसकी पवित्रता को सर्वोच्च महत्व देती है।

सरकार के पक्ष का विरोध

- सरकार द्वारा व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने संबंधी याचिका का विरोध व्यक्तिगत विकल्पों को नियंत्रित करने संबंधी शक्तियों को त्यागने हेतु व्यापक अनिच्छा के भाव को प्रदर्शित करता है।
- सरकार का पक्ष उच्चतम न्यायालय का संवैधानिकता से पथभ्रष्ट कर सकती है, जो भारतीय दंड संहिता प्रावधान के विधि क्षेत्र से बाहर निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के विरुद्ध व्यभिचार की रोकथाम हेतु परीक्षण करने की गारंटी प्रदान करता है।
- आधुनिक राष्ट्र व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत नैतिकता के अनुसार नियम बनाने और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने की अनुमति देते हैं। वैवाहिक कानूनों द्वारा राज्य को सम्मत वयस्कों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

VISION IAS

- विवाह की नियति **पूर्ण रूप से दो लोगों पर** निर्भर होनी चाहिए। व्यभिचार जैसे व्यक्तिगत विकल्प कई व्यक्तियों को नैतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकते हैं, परंतु इसे आपराधिक मामले के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि, IPC की धारा 497 न केवल वैवाहिक अशुद्धता की निगरानी हेतु शयनकक्षों तक प्रवेश करती है, बल्कि केवल व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को दंडित करने और यदि यौनाचार में शामिल स्त्री के पति को कोई आपत्ति न होने पर व्यक्ति को मुक्त करके स्थिति को और अधिक बदतर बना देती है।
- **नागरिकों की निजता एवं विकल्पों के सम्मान** हेतु समाज को अस्थिर नहीं बनाया जाना चाहिए। यह केवल यह इस बात को स्वीकार करती है कि वह प्रत्येक कृत्य जिससे नैतिक ठहराया जा सकता है, उसे प्रतिरोधी सरकारी शक्ति के माध्यम से वैधानिक एवं कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय का पक्ष

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 497 आरोपित किए जाने का उद्देश्य एकल विवाह (एक स्त्री से विवाह करने का सिद्धांत) को लागू करना नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों (पति एवं पत्नी) द्वारा **विवाह में ईमानदारी एवं पवित्रता** संबंधी वचन की **की सुरक्षा** करना है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह विधि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य एक अतार्किक वर्गीकरण करता है। हालांकि, यह विचार भी प्रस्तुत किया गया कि लैंगिक तटस्थता (जिसकी मलिमथ समिति द्वारा सिफारिश की गई थी) द्वारा व्यभिचार को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कृत्य सहमतिपूर्ण है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि आज महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकारिता पूर्ण स्थिति में हैं, अतः महिला को सदैव ही 'पीड़ित' के रूप में माना जाना न केवल **महिलाओं की के कर्तृत्व की भावना को खोखला** करती हैं बल्कि पुरुषों के लिए भी पूर्ण रूप से अनुचित है।
- पीठ ने यह भी कहा कि व्यभिचार का गैर-अपराधीकरण "लोगों को इसमें संलिप्त होने का लाइसेंस नहीं देती"। इसके अतिरिक्त व्यभिचार को दंडनीय अपराध के रूप में भी नहीं माना जा सकता है। और, अधिक से अधिक इस नागरिक दोषपूर्ण कृत्य के लिए नागरिक उपचार के रूप में तलाक की व्यवस्था मौजूद है।

इस वाद में न्यायालय द्वारा अभी अंतिम निर्णय दिया जाना शेष है।

7.5. ट्रांसजेंडर से संबंधित अध्ययन (Study on Transgenders)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारतीय मानवधिकार आयोग (NHRC) द्वारा भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर की स्थितियों का अध्ययन किया गया :

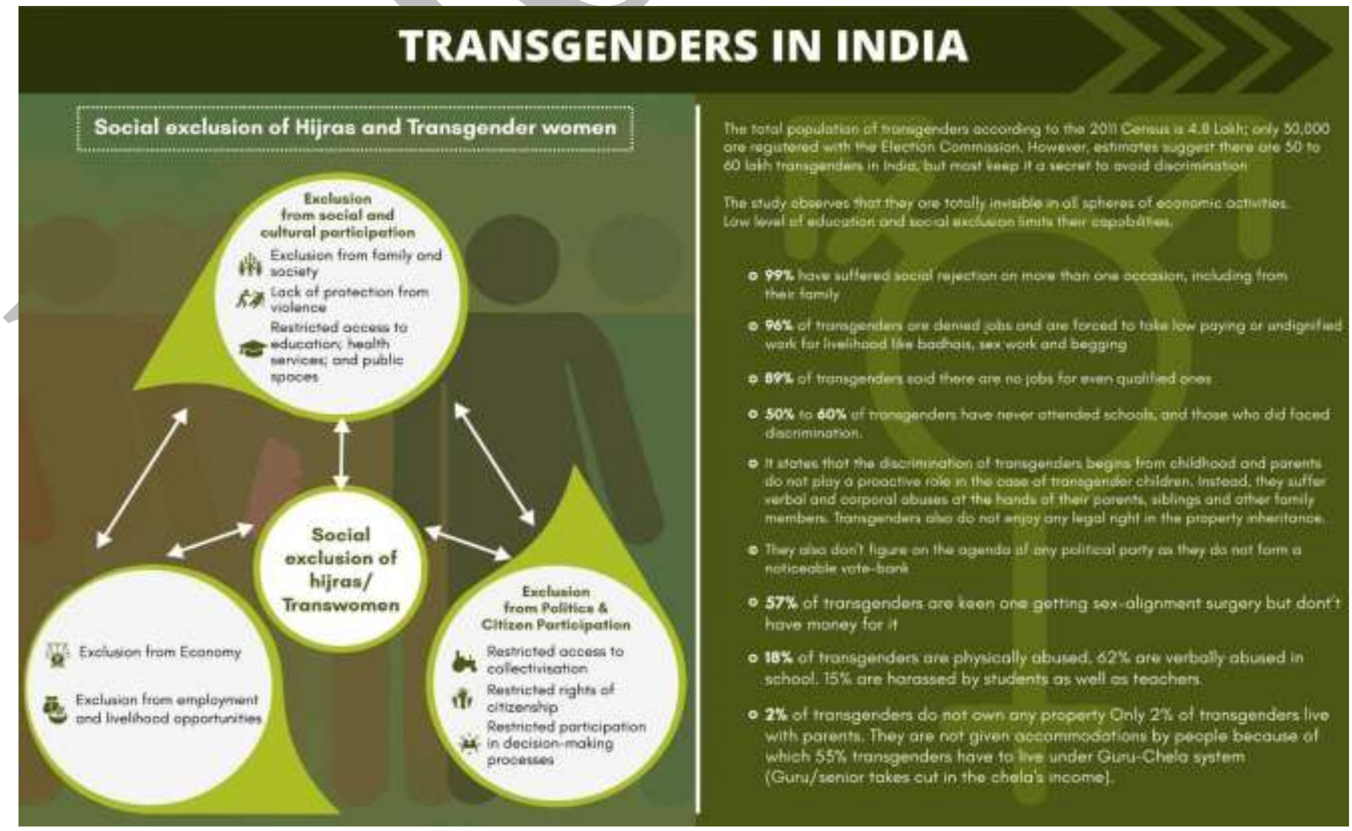

VISION IAS

भारत में ट्रांसजेंडर की स्थिति में सुधार हेतु किए गए प्रयास

- **भारतीय संघ बनाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2014 में, ट्रांसजेंडर लोगों की उपस्थिति को वैध माना है, और विधिक रूप में एक **"तीसरे लिंग (third gender)"** श्रेणी के निर्माण का निर्देश दिया गया है।
  - इस फैसले में शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अब ट्रांसजेंडर की पहचान सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में की जा सकती है।
  - हालांकि, IPC की धारा 377 (जो गैर-प्रजनन यौन कृत्यों को अपराध के रूप में घोषित करता है) के संदर्भ में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की गई, जिसके कारण यौन कार्यों में शामिल समलैंगिक HIV जैसे स्वास्थ्य संबंधी रोगों के इलाज में कठिनाई का सामना करते हैं।
  - NHRC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NALSA निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू करने या ट्रांसजेंडर के जीवन को बेहतर बनाने संबंधी कानूनों के निर्माण में विफल रही है। ट्रांसजेंडरों के OBC दर्जे प्रदान करने पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है "।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016:

- विधेयक के द्वारा एक **ट्रांसजेंडर व्यक्ति को** आंशिक रूप से महिला या पुरुष; या महिला और पुरुष का संयोजन; या न तो महिला और न ही पुरुष के रूप में **परिभाषित किया गया है**। इसके अतिरिक्त , व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है, और इस श्रेणी में ट्रांस-मेन (परा-पुरुष), ट्रांस-वीमन (परा-महिला), इंटरसेक्स भिन्नताओं और लिंग विलक्षणताओं वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।
- यह शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का निर्देश देता है।
- किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भीख मांगने के लिए बाध्य करना, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से प्रतिबंधित करना, शारीरिक एवं यौन दुर्व्यवहार, इत्यादि कृत्यों के लिए दो वर्ष के कारावास और जुर्माने का उपबंध करता है।
- यह केंद्र सरकार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के गठन का निर्देश देता है।
- यह ट्रांसजेंडर के रूप में जन्मे बच्चों को न्यायालय के आदेश के बगैर उनके माता-पिता से अलग करने पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
- प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है :
  - माता-पिता या नजदीकी परिवारिक सदस्यों के साथ रहने का अधिकार प्राप्त होगा;
  - परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उसे घर से या उसके किसी भी हिस्से से बाहर निकालना;
  - घर की सभी सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने और बिना किसी भेदभाव के उनके उपयोग का अधिकार।
- सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी:
  - एक पृथक HIV निगरानी केंद्र की स्थापना ;
  - सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी और हार्मोनल थेरेपी सहित चिकित्सकीय देखभाल सुविधा प्रदान करना;
  - प्री और पोस्ट सेक्स रीसाइनमेंट सर्जरी तथा हार्मोनल थेरेपी संबंधी परामर्श उपलब्ध कराना;
  - ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के लिए वर्ल्ड प्रोफेशन एसोसिएशन फोर ट्रांसजेंडर हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी से संबंधित एक स्वास्थ्य मैनुअल का निर्माण;
  - अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और केंद्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहुंच में विस्तार करना;
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत बीमा योजना द्वारा चिकित्सीय खर्चों के कवरेज का प्रावधान।

विधेयक से संबंधी मुद्दे

- विधेयक में कहा गया है कि 'ट्रांसजेंडर' के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान के आत्म-निर्धारण का अधिकार होगा। हालांकि, यह ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। एक जिला स्क्रीनिंग कमेटी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान करने हेतु पहचान प्रमाण पत्र जारी करेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि के आत्म-पहचान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और स्वायत्तता के अधिकार का भाग है।
- विधेयक में 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों' की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय निकायों और भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त परिभाषाओं से भिन्न है।

VISION IAS

- इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में 'ट्रांस-मेन', 'ट्रांस-वीमन', 'इंटरसेक्स भिन्नता' और 'लिंग विलक्षणता' वाले व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि, इन शब्दावलियों को परिभाषित नहीं किया गया है।
- वर्तमान में लागू कुछ आपराधिक और व्यक्तिगत कानून केवल 'पुरुष ' और 'महिला' के लिंग को पहचान प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये कानून दोनों में से किसी लिंग में शामिल नहीं किये जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर कैसे लागू होंगे।
- इसमें ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग जैसे संस्थानों, ट्रांसजेंडर अधिकार न्यायालय आदि को स्थापित करने संबंधी प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया हैं जो पूर्व में निर्मित विधेयक के मसौदे में शामिल थे।
- 2014 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों में शिकायत विभाग की स्थापना, प्रवेश और परीक्षा फॉर्मों में अलग श्रेणी के अंतर्गत ट्रांसजेंडर की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

भारत में सफलतम ट्रांसजेंडर व्यक्ति :

- 1998 में शबनम मौसी किसी सार्वजनिक कार्यालय में चुनी जाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर बनी।
- 2014 में, ग्रेस बानू इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर छात्र थे।
- 2015 में, मानबी बंदोपाध्याय भारत की पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल बनीं। इन्होंने पश्चिम बंगाल कृष्णनगर महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला।
- ए रेवती 'उनार्वम-उरुवमम' नामक लेखिका, लैंगिक विषयों पर लिखने वाली पहली ट्रांसजेंडर है।
- पद्मिनी प्रकाश देश की पहली ट्रांसजेंडर टेलीविजन समाचार एंकर हैं।

राज्यों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम:

- **तमिलनाडु** राज्य ट्रांसजेंडर लोगों के विकास हेतु शिक्षा, पहचान पत्र और सब्सिडी प्राप्त भोजन और मुफ्त आवास प्रदान करने संबंधी महत्वपूर्ण उपाय करने वाला अग्रणी राज्य है। ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण प्रयासों के रूप में, तमिलनाडु सरकार ने 2008 में एक **ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड** की स्थापना की (पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने भी इस बोर्ड की स्थापना की है)।
  - ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटों को आरक्षित किया गया है।
  - तमिलनाडु एड्स इनिशिएटिव द्वारा 20,000 ट्रांसजेंडरों का एक संघ बनाया है, जो अपने सदस्यों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
- **केरल की सरकार** ने "गरिमामय जीवन का अधिकार" प्रदान करने के लिए **'स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर इन केरल 2015"** का निर्माण किया है।
  - ग्राम एवं जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं में रोजगार के अवसर प्रदान करने, विशेष प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम और कल्याण परियोजनाओं को संचालित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - उनके विरुद्ध भेदभाव और हिंसा के मुद्दों को हल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर न्यायिक बोर्ड की स्थापना की गई है।
  - कोच्चि मेट्रो में ट्रांसजेंडर को नौकरी में कोटा भी प्रदान किया गया है।

आगे की राह :

- सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों की पहचान और गणना करने के लिए कुछ उपाय किए गये हैं। इन उपायों को अधिक सुव्यवस्थित एवं अंतर-मंत्रालयी सहयोग को विकसित करने की भी आवश्यकता है।
- हालाँकि विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं, परन्तु नीति निर्माण और विकास कार्यक्रमों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है।
- यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ट्रांसजेंडर **बच्चों के माता-पिता और समाज के अन्य सदस्यों को ट्रांसजेंडर समुदायों के मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील** बनाया जाए।
- ट्रांसजेंडर बच्चे गंभीर तनाव और निम्न आत्म-सम्मान की समस्या से ग्रसित होते है इसलिए उन्हें **परामर्श सेवाएं** उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी सेवाओं का एक घटक समेकित बाल विकास योजना के तहत शामिल किया जा सकता है।
- **कानून और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों पर सशक्त और संवेदनशील** बनाने की आवश्यकता है। उनकी सुरक्षा के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में विशेष शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए।
- ट्रांसजेंडर किशोरों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु **बाल संरक्षण कानूनों के सुदृढ़ीकरण** की आवश्यकता है। IPC की धारा 317 के तहत ट्रांसजेंडर बच्चे का त्याग एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए बच्चे की आयु सीमा को 18 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ट्रांसजेंडर बच्चों का त्याग सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की अवधि में अधिक किया जाता है।
- असुरक्षित ट्रांसजेंडर बच्चों के शोषण को रोकने के लिए ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए **'केयर होम्स'** की स्थापना की जानी चाहिए।

VISION IAS

- भारत में **ट्रांसजेंडर कानूनी रूप से विवाह नहीं** कर सकते, पति/पत्नी के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त कर सकते और अपना परिवार भी नहीं बना सकते हैं। उन्हें यौन उन्मुखीकरण के अधिकार के साथ विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।
- ट्रांसजेंडर लोगों को **रोजगार के समान अवसर** प्राप्त होने चाहिए और सभी नियोक्ताओं द्वारा ट्रांसजेंडरों की नियोजन (trans recruitments) संबंधी नीति घोषित की जानी चाहिए।
- स्थानीय सरकारों को इन वर्जनाओं (taboos) और भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- सरकारी और निजी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर रोगियों को उपचार और अन्य **सभी सुविधाएं मुफ्त या सब्सिडी प्राप्त दरों पर** उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- स्कूल और कॉलेजों द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षा एवं मूल्य प्रणाली (value-system) प्रदान करने में सहयोगी और प्रोत्साहक भूमिका का निर्वाह किया जाना चाहिए।
- कैरियर संबंधी योजना निर्माण एवं मार्गदर्शन, कैरियर विकल्पों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना की जानी चाहिए और साथ ही ऑनलाइन प्लेसमेंट सिस्टम को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- एक उद्यमी या व्यापारी के रूप में अपना करियर प्रारंभ करने हेतु इनके लिए उदार ऋण सुविधा और वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

- डेनमार्क, माल्टा और अर्जेंटीना जैसे देशों द्वारा आत्मनिर्णय (self-determination) संबंधित कानून निर्मित किए गए हैं। अर्जेंटीना के बाद भारत **योग्यकर्ता सिद्धांतों (Yogyakarta principles)** को अपनाने का विकल्प चुन सकता है। **योग्यकर्ता सिद्धांत** अर्थात लिंग पहचान के एक मॉडल को स्वीकृत करना जो चिकित्सकों के द्वारा उपचार पर निर्भर नहीं हो।
- यूनाइटेड किंगडम में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन विवाह, सुरक्षा लाभ/पेंशन आदि को प्रभावित नहीं करते है और अभिभावकत्व या उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।
- उदाहरण के तौर पर ईरान, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों द्वारा निर्धारित सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी और हार्मोन थेरेपी को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7.6. धारा 377 का गैर-अपराधीकरण (Section 377 Decriminalized)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए समलैंगिकता को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया है। यह निर्णय **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार, 2018 वाद में दिया गया।** इसके द्वारा IPC की धारा 377 के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

- ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 में धारा 377 लागू की गयी थी जिसके तहत समलैंगिक प्रथाओं सहित "अप्राकृतिक" लैंगिक गतिविधियों को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया था।
- **नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार, 2009** के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 377 संविधान के मूल अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करती है तथा इसे गैर-आपराधिक बना दिया था।
- 2013 में, **सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन वाद में** सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया तथा इस मुद्दे को देश की जनसंख्या के अत्यल्प वर्ग से सम्बंधित बताकर ख़ारिज कर दिया।
- 2014 में, **NALSA बनाम भारत संघ वाद** में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' के रूप में घोषित करने और OBC वर्ग में शामिल करने का निर्देश दिया।
- पिछले वर्ष अपने निजता सम्बन्धी निर्णय **(न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, 2017)** में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मूल अधिकार माना और कहा कि लैंगिक अभिविन्यास पहचान का एक आवश्यक घटक है और LGBTQ व्यक्तियों के अधिकार वास्तविक हैं तथा संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इसे समानता के रूप में स्वीकार किया है और भेदभाव की निंदा करते हुए कहा है कि लैंगिक अभिविन्यास की सुरक्षा मूल अधिकारों और व्यक्ति की गरिमा के मूल में निहित है।

VISION IAS

धारा 377 के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क

- **सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को तर्कहीन, गैर-प्रतिवाद योग्य और स्पष्टतः अविवेकपूर्ण घोषित किया है:** यह तथ्य कि धारा 377 सक्षम वयस्कों के मध्य सहमति और असहमति वाले लैंगिक कृत्यों के बीच भेद करने में विफल है स्पष्ट रूप से इसे अविवेकपूर्ण प्रदर्शित करता है तथा समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है जिसमें स्वेच्छाचारिता (arbitrariness) के विरुद्ध अधिकार भी शामिल है।
- **निजता के अधिकार का उल्लंघन और असंवैधानिकता:** सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, शारीरिक स्वायत्तता व्यक्तिगत है और अपने जीवन साथी को चुनना निजता के मूल अधिकार में शामिल है, जोकि संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है (हदिया वाद, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार)। इस प्रकार एक ही लिंग के वयस्कों के मध्य निजी लैंगिक आचरण का अपराधीकरण असंवैधानिक था क्योंकि यह अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति की रुचि एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित करता था।
- **अल्पसंख्यकों के साथ पूर्णतः उनके लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव:** इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत LGBTQ समुदाय के आधारभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो पूर्ण रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसने उन्हें समान नागरिकता और विधि के समान संरक्षण से भी वंचित किया है।
- **यह अप्राकृतिक नहीं है:** जीवों की लगभग 1500 प्रजातियों में समलैंगिकता प्रमाणित है अतः यह विशिष्ट रूप से मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समान लिंग के प्रति यौन आकर्षण स्वाभाविक रूप से तंत्रिका तंत्र सम्बन्धी एवं जैविक कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसी व्यक्ति का प्राकृतिक अभिविन्यास अन्तर्जात होता है और उसकी विशिष्ट पहचान के मूल में निहित होता है।
- **समलैंगिकता न तो मानसिक रोग है और न ही नैतिक बुराई:** मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 ने समलैंगिकता को मानसिक रोग माने जाने के कलंक को पहले से ही ख़ारिज कर दिया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून लैंगिक अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को कठोरता से प्रतिबंधित करते हैं:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने राष्ट्रों को समलैंगिक व्यक्तियों को होमोफोबिक हिंसा (समलैंगिकों से घृणा के चलते उनके विरुद्ध हिंसा) से बचाने; ऐसी हिंसा को रोकने; समलैंगिकता को वैध बनाने; भेदभाव को समाप्त करने और सभी व्यक्तियों की मूल स्वतंत्रता का सम्मान करने का निर्देश दिया है। LGBTQ समुदाय से सम्बंधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों को हाल ही में विस्तारित योग्यकार्ता सिद्धांतों (Yogyakarta Principles) में भी दोहराया गया था।
- **सामाजिक या बहुपक्षीय नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को विशेषाधिकार:** संवैधानिक नैतिकता मात्र लिखित संविधान तक सीमित नहीं है अपितु इसे बहुलवादी और समावेशी समाज में समाविष्ट करने के प्रयास किये जाने चाहिए। राज्य का यह दायित्व है कि वह बहुसंख्यकवाद की ओर अत्यधिक झुकाव से बचे। इसके साथ ही सभी को एक समान, सजातीय, सुसंगत और मानकीकृत दर्शन के पालन के लिए बाध्य करने का प्रयास संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करेगा। संविधान केवल बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। मूल अधिकार "प्रत्येक व्यक्ति" और "प्रत्येक नागरिक" को प्रदान किये गए हैं और इन अधिकारों की निरंतरता को बहुसंख्यक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- **परिवर्तनशील संवैधानिकता का विचार** नागरिकों के मध्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को अपनाने के लिए समाज को बेहतर रूप से बदलने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- **व्यक्तिगत पहचान का नष्ट होना गरिमा का दमन करने के समान होगा:** व्यक्तियों की भिन्न पहचानों को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्तियों और मानसिकताओं को बदलना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को उनके अलग होने के लिए सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए तथा उन्हें वैसा बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जैसे वे नहीं हैं। अदालतों को व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि गरिमा के साथ जीने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है।

निर्णय के प्रभाव

- यह धारा समलैंगिकों, विषमलैंगिकों और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के मध्य सहमति से किये गए लैंगिक कृत्यों के सन्दर्भ में लागू नहीं होगी, लेकिन उनमें से किसी के भी साथ सहमति के बिना पाशविकता (bestiality) और लैंगिक कृत्य किये जाने पर यह धारा लागू होगी।
- **भेदभाव की समाप्ति:** लाखों लोगों को अपने लैंगिक अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के कारण कई वर्षों तक भेदभाव का सामना करना पड़ा है, यह निर्णय उस भेदभाव को समाप्त करेगा।
- **अन्य निर्णयों पर प्रभाव:** यह वर्तमान में न्यायालय में लंबित इसी प्रकार के अन्य मामलों को प्रभावित करेगा जैसे धारा 497 जो व्यभिचार (adultery) को अपराध घोषित करती है।

VISION IAS

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** यह निर्णय इसी प्रकार के लैंगिक संबंधों को आपराध घोषित करने वाले अन्य देशों को ऐसे प्रावधानों की विधिसंगतता और वैधता पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।

आगे की राह

- लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक नया कानून लाया जाना चाहिए और सरकार को समलैंगिकता के सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- पूर्ण समानता, गरिमा और सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विवाह, विरासत, अभिभावक और गोद लेने का अधिकार प्रदान करने के लिए कानूनों में उचित रूप से संशोधन किए जाने चाहिए।
- इसी प्रकार, शिक्षा, नौकरियों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में LGBTQ समुदाय द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों से भलीभाँति निपटा जाना चाहिए।
- वर्तमान निर्णय LGBTQ के मानवाधिकारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों को संरचित तरीके अपनाने का अवसर प्रस्तुत करता है ताकि समकक्ष नागरिकों के प्रति वर्षों से हो रहे अन्यायों को समाप्त किया जा सके।

7.7. जनजातीय समूहों का विकास प्रेरित विस्थापन

(Development Induced Displacement of Tribals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अनुच्छेद 338 के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के कारण विस्थापित जनजातीय परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। उदाहरण के लिए बांधों को **'आधुनिक भारत के मंदिर'** की संज्ञा दी गयी है।
- इनमें से कई परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय समूहों के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित की गई हैं। ये वे समूह हैं जो पारंपरिक रूप से अपनी जीविका के लिए साझा संपत्ति संसाधन अर्थात मुख्य रूप से वन भूमि पर निर्भर हैं।
- **'विकास प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास (DIDR)'** को आर्थिक विकास के उद्देश्यों हेतु समुदायों और व्यक्तियों को उनके घरों या जन्म-स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- विस्थापन के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई क्षतिपूर्ति और पुनर्वास नीतियां प्राय: असफल रही हैं। इसका मुख्य कारण निचले स्तर के नौकरशाहों का भ्रष्टाचार, संसाधनों के मूल्य को कम आंकना, विस्थापित लोगों की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों की जटिलताओं को पहचानने में योजनाकारों की विफलता तथा नियोजन प्रक्रिया में विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी की कमी इत्यादि रहे हैं।

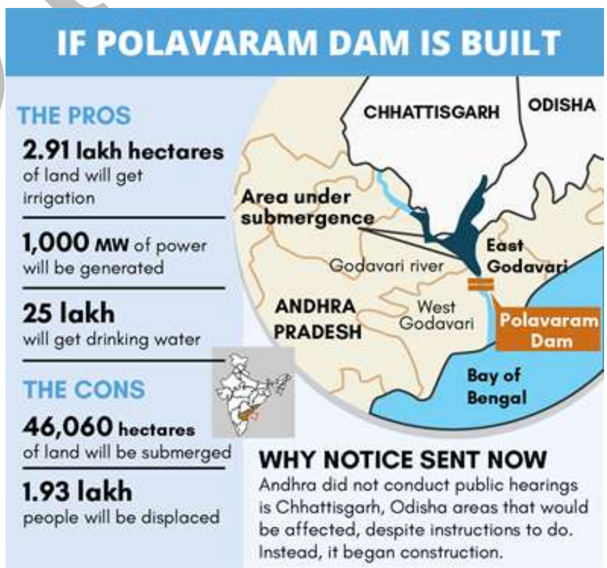

विस्थापित परिवारों के समक्ष व्याप्त मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं:

- कई बार परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावित समुदायों पर उसके परिणामों को लेकर उनसे कोई **परामर्श नहीं किया जाता है।** उदाहरण के लिए नर्मदा पर निर्मित बरगी परियोजना के मामले में यह कहा गया था कि इससे 104 गांव प्रभावित होंगे, जबकि वस्तुतः 162 गांव जलमग्न हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।
- **क्षतिपूर्ति का कम-आकलन करना:** भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, जनजातीय समूहों में निरक्षरता तथा विभिन्न अन्य समस्याओं के कारण, लोगों के साथ छल किया जाता है तथा उन्हें दिया जाने वाला मुआवजा उनको होने वाले नुकसान की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है।
- **नक़द मुआवजे का बेहतर उपयोग करने में असमर्थ:** धोखाधड़ी, पुराने ऋण की अदायगी, शराब और अन्य अनावश्यक उपभोगों के कारण उन्हें प्रदत्त धन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उनकी जीवन भर की आजीविका सुरक्षा या आश्रय कुछ ही महीनों, कभी-कभी कुछ सप्ताह में ही समाप्त हो जाती है। इससे विस्थापित व्यक्तियों में निश्चित और अपरिवर्तनीय गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

VISION IAS

- **कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने में विफलता:** एक व्यापक पुनर्वास योजना की अनुपस्थिति, क्षतिपूर्ति का कम आकलन और धन के लिए समझौता करने में असमर्थता आदि से संबंधित समस्याएं, विस्थापित भू-स्वामियों के लिए वैकल्पिक कृषि योग्य भूमि को प्राप्त करने में गंभीर रूप से बाधक होते हैं।
- **कष्टप्रद, बलपूर्वक और विलंबित पुनर्वास:** परियोजना प्राधिकरणों का मुख्य उद्देश्य परिवारों का पुनर्वास तथा उनके नए आवासों में क्रमिक रूप से और कम कष्टप्रद स्थानांतरण को सुगम बनाना एवं विस्थापितों की सहायता करना नहीं होता, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य जलमग्न होने वाले क्षेत्र पर विद्यमान मानवीय बोझ (विस्थापितों) को वहाँ से हटाना होता है।
- **पुनर्वास स्थलों से संबंधित समस्याएं:** पुनर्वास स्थल प्राय: कई प्रकार से वास योग्य नहीं होते (छोटे घर, अस्थायी संरचनाएं, आधारभूत सुविधाओं, स्कूलों और कॉलेजों आदि का अभाव) हैं। पुनर्वास स्थलों को आजीविका के अवसरों की उपलब्धता या विस्थापित व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर विचार किये बिना चुना जाता है।
- **बार-बार विस्थापन:** सरकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण, विस्थापन दो या तीन अथवा इससे भी अधिक बार किये जाते हैं तथा इसके लिए ग्रामीणों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।
- **वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने में विफलता:** भूमि के बदले भूमि की नीति का शायद ही कभी संचालन हो पाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी विस्थापित लोगों को गैर-भूमि आधारित सतत आजीविका प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।
- **मेजबान समुदायों की समस्याएं:** अनधिवासित क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण पहले से ही अधिवासित बस्तियों में ही पुनर्वास किया जाता है। इससे सीमित उपलब्ध संसाधनों और नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप मेजबान समुदाय विस्थापित लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
- विस्थापन के दौरान वर्ग, जाति, लिंग, आयु आदि के कारण **विशेष सुभेद्यताएँ** भी देखी जाती हैं। विस्थापितों की आजीविका, उनके परिवार, रिश्तेदारी, सांस्कृतिक पहचान और अनौपचारिक सामाजिक नेटवर्क गंभीर रूप से प्रभावित एवं बाधित हो जाता है। इस मामले में महिलाओं की स्थिति और भी भयावह है। नीतिगत ढांचे एवं सामाजिक सुरक्षा की कमी ने उन्हें असुरक्षित और मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक कमजोर बना दिया है।

विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अनुशंसाएं:

- **कृषि भूमि:** राज्य सरकार को उचित सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई परियोजना के कमांड एरिया के भीतर विस्थापित परिवार को उपयुक्त कृषि योग्य भूमि प्रदान करनी चाहिए।
    - आदिवासी लोगों को मुआवजा प्रदान करते समय, **"भूमि के लिए भूमि" नीति** का पालन अवश्य करना चाहिए।
    - भूमि की 2.5 एकड़ के सीलिंग संबंधी प्रावधानों से जनजातीय लोगों को छूट प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें पोलावरम जैसी सिंचाई परियोजना के मामले में कमांड एरिया के भीतर उनकी भूमि के बराबर या कम से कम 2.5 एकड़ भूमि प्रदान की जानी चाहिए।
- **आजीविका के साधन:** राज्य सरकार को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान कर उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके पास भूमि (जो आजीविका के लिए सूक्ष्म वन उत्पादों पर निर्भर हैं) नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार, विस्थापित परिवारों को रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए पुनर्वास क्षेत्र के आस-पास एक औद्योगिक एस्टेट / केंद्र विकसित करने पर विचार कर सकती है।
- **आवासन:** सरकार को विस्थापित लोगों की समस्याओं को कम करने हेतु उन नवनिर्मित घरों को शीघ्र ही पुनर्निर्मित करना चाहिए जो अचानक आई बाढ़ के कारण नष्ट हो गए हैं।
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए **क्षतिपूर्ति पैकेजों** को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- **अवसंरचना:** पुनर्वास कॉलोनियों में विस्थापितों के भू स्वामित्व सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, AIIMs के पैटर्न पर मेडिकल कॉलेजों, कला और संगीत अकादमियों/केंद्रों, विश्वविद्यालय, स्टेडियम आदि जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **अग्रिम निर्माण और मुआवजा:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के अंतर्गत उस क्षेत्र को जलमग्न करने अथवा परियोजना के प्रवर्तन या परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन (जो भी पहले हो) से कम से कम चार माह पूर्व पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) का कार्य पूर्ण हो चुका हो और विस्थापित परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जा चुका हो।
- **प्रक्रिया की निगरानी:** NCST ने अनुशंसा की है कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए विकास गतिविधियों और अन्य कल्याणकारी उपायों की निगरानी के लिए पुनर्वास क्षेत्र में R&R अधिकारियों की एक समर्पित टीम होनी चाहिए।

- **वैकल्पिक समाधान** जैसे **जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करना** (इसने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में कार्य किया है, किसानों की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित किया है तथा इस क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को भी समाप्त किया है), **आधुनिक वर्षा जल संचयन मॉडल** को लागू करना और छोटे चेक डैम का निर्माण करना, सटीक सिंचाई विधियों, टिकाऊ खनन आदि को बड़ी परियोजनाओं के स्थान पर अपनाया जा सकता है।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का गठन भारत के संविधान के **अनुच्छेद 338** में संशोधन और **संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक नए अनुच्छेद 338A** के अंतर्वेशन के परिणामस्वरूप किया गया था। आयोग को अन्य विषयों के साथ-साथ, संविधान के अंतर्गत, तत्समय प्रभावी किसी क़ानून के अंतर्गत अथवा सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा उन रक्षोपायों के कामकाज का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना करता है। यह अनुसूचित जातियों और संविधान के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि पर उन सुरक्षा उपायों के संचालन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।
- विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे से निपटने वाला एक प्रमुख कानून भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है।
- जनजातीय विकास के लिए अन्य कानूनों में पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), वन अधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की पांचवीं अनुसूची सम्मिलित हैं।

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रावधान:

- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण, अधिग्रहण के प्रयोजन को व्यक्त करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना, अधिग्रहण की घोषणा और एक निश्चित समय में मुआवजा प्रदान करना शामिल है। सभी अधिग्रहणों के अंतर्गत अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है।
- अधिनियम में उस 'सार्वजनिक उद्देश्य' को परिभाषित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित की जा सकती है।
- इस अधिनियम में स्कूलों एवं खेल के मैदानों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों एवं बिजली के कनेक्शन और प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल के सुनिश्चित स्रोतों के लिए भी प्रावधान किये गए हैं।
- **ग्राम सभा की भूमिका** को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और सरकार के लिए इससे परामर्श करना आवश्यक है।
- अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को प्रदान किये जाने वाला मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों के मामले बाजार मूल्य का दो गुना होगा।
- निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु विस्थापित लोगों के 80 प्रतिशत की सहमति की आवश्यकता होगी। निजी कंपनियों द्वारा भूमि के बड़े भाग की खरीद के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करना आवश्यक होगा।
- अधिनियम में बहुफसली सिंचित क्षेत्र के अधिग्रहण पर रोक लगायी गयी है। हालांकि इस प्रकार के अधिग्रहण को अंतिम उपाय के रूप में अनुमति प्रदान की जा सकती है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिला या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए समग्र ऊपरी सीमा के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त स्थिति के अतिरिक्त, जब भी बहु-फसली सिंचित भूमि अधिग्रहित की जाएगी, तो राज्य द्वारा उतनी ही बंजर भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा।

7.8. घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति

(Proposed National Policy For Domestic Workers)

सुर्खियों में क्यों ?

सरकार द्वारा हाल ही में घरेलू कामगारों से सम्बंधित नीति की मुख्य विशेषताएं प्रस्तावित की गयी हैं जिस पर वर्तमान में चर्चा जारी है।

घरेलू कामगारों के लिए विधायन हेतु किए गए पूर्व प्रयास :

घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच ने **घरेलू कामगारों के कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2016** का प्रारूप

VISION IAS

तैयार किया है। इसमें घरेलू कामगारों के विनियमन हेतु नियोक्ताओं और कामगारों का जिला बोर्ड के साथ पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया हैं।

घरेलू कामगारों से संबंधित मुद्दे

- **इनकी वास्तविक संख्या के संबंध में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं:** रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (**National Sample Survey Office**:NSSO) सर्वेक्षण के 68 वें चक्र में इनकी संख्या लगभग 3.9 मिलियन होने का संकेत मिलता है। हालांकि अधिकारिक रूप से यह संख्या अधिक हो सकती है।
- **वर्तमान में इनके अधिकारों की पहचान करने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं है**: यद्यपि भारत में घरेलू कामगारों की चिंताओं के समाधान हेतु दो कानून हैं जो अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें 'श्रमिक' मानते हैं। इनमें असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013 सम्मिलित हैं। किन्तु इनमें से कोई भी ऐसे कामगारों के अधिकारों को मान्यता नहीं देता।
- **घरेलू कामगारों के प्रति राज्य सरकारों का उदासीन दृष्टिकोण**: राज्य, रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित करने में विफल रहे हैं।
- **व्यापक क्षेत्र होने के बावजूद इसे अभी भी आर्थिक गतिविधि में नहीं गिना जाता है:** श्रम कानूनों के दायरे में घरेलू कामगारों के कार्यों जैसे-खाना पकाने, सफाई, बच्चों की देखभाल आदि की''कार्य' के रूप में पहचान नहीं की जाती है। मातृत्व लाभ,पेंशन और बीमा सहित आधारभूत सामाजिक सुरक्षा लाभों तक उनकी पहुंच नहीं है।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के दायरे में घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं**: इसके परिणामस्वरूप अल्प मजदूरी प्राप्त कामगारों के मामले में शिकायत निवारण की दर अत्यंत निम्न होती है।
- **सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित हैं**, जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- भारत **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 189 वें अभिसमय** का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे घरेलू कामगारों के अभिसमय के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभी तक इस अभिसमय को पुष्ट नहीं किया गया है।

नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **घरेलू कामगारों में एक संगठित यूनियन का अभाव है:** वे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वे एक दबाव समूह के रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं तथा अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने में अक्षम हो जाते हैं।
- **प्रवासी कामगार:** इनमें से अधिकतर कमज़ोर समुदायों - आदिवासियों, दलितों या भूमिहीन अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से हैं और लगभग सभी प्रवासी हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक हैं।
- **दुर्व्यवहार के पीड़ित :** इनके साथ प्रायः मौखिक रूप से या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार उन्हें यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यवहार कार्यस्थल को असुरक्षित बनाते हैं।
- **अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर:** ये तीव्र आर्थिक विकास और समृद्धि के लाभों का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं।

घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं

- विद्यमान कानूनों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित करना।
- घरेलू कामगारों का पंजीकरण।
- स्वयं के संघों, ट्रेड यूनियनों का निर्माण करने का अधिकार।
- न्यूनतम मजदूर, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार।
- अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का अधिकार।
- दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से घरेलू श्रमिकों की सुरक्षा।
- घरेलू कामगारों की न्यायालयों, न्यायाधिकरणों आदि तक पहुंच।
- प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना।

राज्यों द्वारा किये गए प्रयास

- राजस्थान, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसी कई राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में घरेलू कामगारों को सम्मिलित किया है और इसलिए कामगार इस संबंध में कोई भी शिकायत संबंधित अधिकारियों के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।
- महाराष्ट्र में प्रचलित **माथादी बोर्ड मॉडल**: माथाडी बोर्ड इसलिए स्थापित किए गए थे ताकि कामगारों को उचित मजदूरी का भुगतान किया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाये।

VISIONIAS

प्रस्ताव का महत्व

- इसका लक्ष्य न्यायसंगत वेतन और उचित रोजगार शर्तों, दुर्व्यवहार / उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिकायतों एवं विवादों का समाधान करना है।
- यह प्रस्ताव घरेलू कामगारों हेतु नियुक्ति एजेंसियों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए राज्य बोर्ड / ट्रस्ट स्थापित करने की मांग करता है। बोर्ड, कार्य संबंधी घंटों, न्यूनतम मजदूरी और अवकाश उन्मुक्तियों पर सिफारिशें करेगा तथा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देगा।
- यह स्पष्ट रूप से अंशकालिक, पूर्णकालिक और नियोक्ता के घर में रह कर काम करने वाले कामगारों, नियोक्ताओं और निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को परिभाषित करता हैं।
- घरेलू कामगारों को अब श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किये जा रही सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा संहिता मे सम्मिलित किया जाएगा। इससे उन्हें चिकित्सा बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और अनिवार्य अवकाश जैसे लाभ प्राप्त होंगे।
- घरेलू कामगारों के औपचारीकरण में यह एक अगला कदम होगा।

7.9. व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018

(The Trafficking of Persons Bill, 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पारित कर दिया है।

मानव तस्करी क्या है?

- **पारदेशीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** (United Nations Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) मानव तस्करी को धमकी, बल प्रयोग अथवा ज़ोर-ज़बरदस्ती के अन्य तरीकों के प्रयोग, अपहरण, छल-कपट, शक्ति अथवा किसी की सुभेद्य स्थिति के दुरुपयोग के माध्यम से अथवा धन या लाभ के लेन-देन से शोषण के उद्देश्य से व्यक्ति पर नियंत्रण रखने किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, उसे अपने अधीन रखने अथवा हासिल करने के रूप में परिभाषित करता है।
- शोषण में दूसरों से वेश्यावृत्ति करवाने अथवा अन्य प्रकारों से यौन शोषण, बलात श्रम या सेवाएं लेने, गुलामी या गुलामी जैसी अन्य प्रथाएं, सेवकत्व अथवा अंगों को निकालने में से कम से कम कुछ अवश्य शामिल होता है।
- मानव तस्करी व्यक्ति के विरुद्ध एक अपराध है क्योंकि इसमें बलप्रयोग के माध्यम से पीड़ित के संचरण के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और उनका वाणिज्यिक शोषण किया जाता है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है।

भारत में मानव तस्करी

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े इंगित करते हैं कि 2016 में भारत भर में मानव तस्करी के 8,000 से अधिक मामले सामने आए।
- पश्चिम बंगाल (बांग्लादेश और नेपाल के साथ छिद्रिल सीमाएं) मानव तस्करी का एक केंद्र बन गया है क्योंकि 2016 में पीड़ितों की कुल संख्या का एक-तिहाई से अधिक यहां दर्ज किया गया।
- भारत दक्षिण-पूर्वी एशियाई मानव तस्करी उद्योग में एक स्रोत, एक पारगमन केंद्र और साथ ही साथ एक उपभोक्ता देश भी है।

मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- भारत ने 2011 में UNTOC की अभिपुष्टि की।
- भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 लागू किया गया, साथ ही IPC की धारा 370 और 370 A मानव तस्करी को रोकते हुए मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी के अलावा किसी भी तरह के यौन शोषण, दासता और मानव अंगों को जबरदस्ती निकाले जाने के मामले में कठोर दंड देने का प्रावधान प्रदान करती हैं।
- इनके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य कानून और प्रावधान हैं जो शोषण से लोगों की सुरक्षा में सहायता करते हैं, जैसे-
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 (1) मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध करता है
    - वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु तस्करी की रोकथाम के लिए 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 {The

VISION IAS

Immoral Traffic (Prevention) Act: ITPA}'।

- बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- यौन उत्पीड़न और शोषण से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual offences: POCSO)' आदि।

मानव तस्करी (दुर्व्यापार) के लिए सुभेद्यता बढ़ाने वाले कारक

- **राजनीतिक अस्थिरता:** यह अस्थिर स्थितियां उत्पन्न करती है जिसमें लोगों के लिए उत्तरजीविता और आजीविका के सीमित विकल्पों के साथ निरंतर भय का वातावरण बना रहता है।
  - यह बलपूर्वक प्रवासन का कारण भी बन सकती है जिसके कारण आवासहीनता, बेरोजगारी और अन्य वंचनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनका दुर्व्यापार करने वाले लाभ उठा सकते हैं।
- **निर्धनता:** दुर्व्यापार करने वाले विशेष रूप से निर्धन और कमजोर समुदायों को लक्षित करते हैं तथा इसके लिए वे कमजोर व्यक्तियों को उनकी परिस्थितियों में सुधार के झूठे अवसर प्रस्तावित करते हैं। माता-पिता को प्रायः निर्धनता के कारण अपने बच्चों को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है।
- **लैंगिक असमानता:** यह दुर्व्यापार करने वालों के द्वारा भर्ती किए जाने के प्रति महिलाओं को अधिक संवेदनशील बनाती है।
- **व्यसन:** दुर्व्यापार के पीड़ित व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए दुर्व्यापार करने वाले मादक पदार्थों पर निर्भरता और व्यसन का उपयोग करते हैं। कुछ दुर्व्यापार करने वाले जानबूझकर सुभेद्य लोगों का प्रतिरोध तोड़ने और बलात श्रम अथवा सेक्स के लिए बाध्य करने के लिए ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रसित लोगों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें अलगाव, सहमति या सूचित सहमति प्रदान करने की क्षमता की कमी तथा जोखिम का आकलन करने एवं दुर्भावना का पता लगाने की सीमित क्षमता सम्मिलित है। दुर्व्यापार करने वाले इन सुभेद्यताओं का पता लगाने और उन्हें अपने हित में लाभप्रद बनाने में कुशल होते हैं।
- **ऑनलाइन सुभेद्यता:** दुर्व्यापार करने वाले सुभेद्य वयस्कों और बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मिलने, सुस्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करने और उन्हें प्रसारित करने तथा अपनी मांगों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करने हेतु ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखते हैं।

तस्करी विरोधी विधेयक, 2018 की मुख्य विशेषताएं:

- तस्करी के मामलों के समन्वय, निगरानी और निरीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय तस्करी विरोधी ब्यूरो (National Anti-Trafficking Bureau: NATB) की स्थापना की जाएगी। यह अंतर-राज्यीय विस्तार वाले अपराधों से भी निपटने का कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर **तस्करी विरोधी राहत और पुनर्वास समितियां** स्थापित की जाएंगी। ये समितियां निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी: (i) पीड़ितों को मुआवजा प्रदान कराना, (ii) पीड़ितों का प्रत्यावर्तन और (iii) समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ पीड़ितों का पुन: एकीकरण।

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद द्वारा मानवाधिकारों और मानव तस्करी पर अनुशंसित दिशानिर्देश

- **मानव अधिकारों का प्रोत्साहन और संरक्षण:** तस्करी विरोधी उपायों का मानव अधिकारों और व्यक्तियों की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, विशेष रूप से दुर्व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों, प्रवासियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और आश्रय गृहों में निवास कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों पर।
- **तस्करी किए गए व्यक्तियों और तस्करी करने वालों की पहचान:** तस्करी किए गए किसी व्यक्ति की पहचान करने में विफलता के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के अधिकार अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
- **प्रभावी और यथार्थवादी तस्करी विरोधी रणनीतियों** को सटीक और सामयिक सूचना, अनुभव और विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए।
- पर्याप्त कानूनी ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर **कानूनी परिभाषाओं, प्रक्रियाओं और सहयोग** को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार **सुसंगत बनाने** की तत्काल आवश्यकता है।
- तस्करी के लिए पर्याप्त कानूनी प्रवर्तन अनुक्रिया **तस्करी किए गए व्यक्तियों और अन्य गवाहों के सहयोग पर निर्भर है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भी** तस्करी किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सर्वोच्च आवश्यकता के प्रति **संवेदनशील होना** चाहिए।
- **भेदभाव के बिना** सभी तस्करी किए गए व्यक्तियों को उचित सुरक्षा और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।
- तस्करी को रोकने के उद्देश्य से संचालित रणनीतियों में असमानता, निर्धनता और भेदभाव तथा पूर्वाग्रह के सभी रूपों जैसे

मूल कारणों के समाधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- **तस्करी से पीड़ित बच्चों** को उचित सहायता और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके विशेष अधिकारों और आवश्यकताओं के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लिया जाना चाहिए।
- तस्करी पीड़ितों के मध्य उपलब्ध **उपचारों के अधिकार** के विषय में जागरुकता की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए उपचारों के अधिकार के संबंध में तस्करी किए गए व्यक्तियों को पर्याप्त एवं यथोचित कानूनी और अन्य भौतिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **राज्य, अंतर सरकारी और गैर-सरकारी संगठन** उनके प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत लोगों के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए यह उनका दायित्व है कि वे अपने नागरिकों और कर्मचारियों को तस्करी और संबंधित शोषण में शामिल होने से **प्रतिबंधित करने के लिए प्रभावी उपाय करें**।
- **अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग** तस्करी गतिविधियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह के सहयोग तस्करी चक्र के विभिन्न चरणों में शामिल देशों के मध्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

- **राज्य तस्करी विरोधी अधिकारी**: वह उत्तरदायी होगा: (i) राज्य तस्करी विरोधी समिति के निर्देशों के अनुसार, विधेयक के तहत कार्रवाई का पालन करने और (ii) राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए। राज्य सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक पुलिस नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी।
- **तस्करी विरोधी इकाईयां (Anti-Trafficking Units:** ATU): ATU रोकथाम, बचाव और पीड़ितों एवं गवाहों की सुरक्षा तथा तस्करी अपराधों की जांच एवं अभियोजन संबंधी कार्यों को निष्पादित करेगी। उन जिलों में जहां एक भी ATU कार्यशील नहीं है, वहां यह जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा निभाई जाएगी।
- **संरक्षण और पुनर्वास:** केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संरक्षण गृहों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ये पीड़ितों को आश्रय, भोजन, परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे।
- **निश्चित समय-सीमा (एक वर्ष के भीतर) में निर्णय प्रदान करने** के लिए प्रत्येक जिले में **निर्दिष्ट न्यायालयों** की स्थापना की जाएगी। विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।

विश्लेषण

- विधेयक एक सुदृढ़ नीतिगत ढांचा प्रदान करता है जिसमें रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के दृष्टिकोणों को समन्वयित करता है। इसमें '**तस्करी के गंभीर दुष्परिणामों**', जैसे कि भिक्षावृत्ति, गर्भधारण, हार्मोन नियंत्रित करना आदि, की अवधारणा को भी शामिल किया गया है।
- विधेयक समयबद्ध सुनवाई के प्रावधान के साथ-साथ कैमरे में कार्यवाही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से **गवाह की गोपनीयता तथा सुरक्षा संबंधी प्रावधान** सुनिश्चित करता है।
- यह न्याय तक पहुंच और आगे पुनः तस्करी रोकने हेतु पीड़ित को सशक्त बनाने के लिए पूंजी, अवसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास प्रदान कर उनकी क्षमता निर्माण करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को परिचालन आसूचना के संग्रह, संयोजन और प्रसार में सुधार की आसूचना गतिविधियों माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और सुदृढ़ बनाया जाएगा।
- हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे विद्यमान हैं जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे-
  - अत्यधिक मांग के बावजूद इसे **स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया है**।
  - यह भी माना जाता है कि यह विद्यमान कानूनों का केवल एक नवीन मिश्रण है क्योंकि IPC की धारा 370 अभी भी विद्यमान है। अनेक तस्करी विरोधी प्रशासनिक निकायों का निर्माण इन कानूनों के **कार्यान्वयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा**।
  - विभिन्न अस्पष्ट वाक्यांशों और प्रावधानों, जैसे "कोई भी प्रचार सामग्री जो व्यक्ति की तस्करी को बढ़ावा देती है या किसी भी प्रकार से तस्करी से पीड़ित व्यक्ति के शोषण को बढ़ावा देती है", की व्याख्या किए जाने के लिए एक व्यापक दायरा उत्पन्न होता है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
  - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार न होने के कारण भी इसकी आलोचना की गई है।
  - सुरक्षा उपायों के बिना किये गए प्रावधानों के परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडरों का उत्पीड़न हो सकता है। विधेयक में दिए गए 'हार्मोनों का प्रबंधन (administration of hormones)' जैसे वाक्यांशों का उपयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि उनमें से कई अपनी लिंग अभिपुष्टि (gender affirmation) की प्रक्रिया के दौरान हार्मोन लेते हैं।
  - कुछ प्रावधान जैसे संपत्ति जब्त करना उन यौन कर्मियों को नुकसान पहुंचाएगा जो **स्वेच्छा से इस पेशे में सम्मिलित हैं**। विधेयक पुनर्वास के नाम पर पुलिस द्वारा "बचाव संबंधी छापेमारी" और **पीड़ितों के संस्थानीकरण** को बढ़ावा देता है।

VISION IAS

7.10. प्रवासन (Migration)

परिचय

नए स्थान पर अस्थायी या स्थायी रूप से बसने के आशय से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही मानव प्रवासन कहलाता है|

भारत के प्रवासन सम्बन्धी आंकडे

- **प्रवासन का महिलाकरण :** जनगणना 2011 के अनुसार, महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवास करती हैं। यह प्रवास मुख्य रूप से ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य (47.4%) तत्पश्चात शहरी से शहरी क्षेत्रों (22.6%) के मध्य, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के मध्य (22.1%) और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य (7.9%) होता है।
- **प्रवासी श्रमबल:** शहरी क्षेत्रों में पुरुष श्रमबल का लगभग 33% तथा महिला श्रमबल का 56% भाग प्रवासी श्रमिक हैं।
- **रोजगार का स्वरुप:** शहरी क्षेत्रों में 33% पुरुष प्रवासी पारंपरिक सेवाओं (फुटकर एवं थोक व्यापार, होटल, परिवहन), 27% विनिर्माण और 16% आधुनिक सेवाओं (रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य) में कार्यरत हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पुरुषों में बढ़ते प्रवास के कारण **कृषि क्षेत्र का महिलाकरण (कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि)** होता जा रहा है।
- **ILO के अनुसार**, प्रवासियों विशेषकर प्रवासी महिलाओं की श्रम भागीदारी दर गैर-प्रवासियों की तुलना में अधिक है।
- **विश्व आर्थिक मंच के अनुसार,** भारत में प्रति वर्ष लगभग 5-6 मिलियन प्रवासी स्थानान्तरण करते हैं। ये श्रमिक भारत के कुछ गरीब राज्यों से नए उभरते शहरी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं।

प्रवासन का महिलाकरण

हाल के दिनों में प्रवासन प्रतिरूप में बदलाव उन महिलाओं की बढ़ती संख्या से संबंधित है जो या तो अविवाहित हैं या विवाहिता होकर भी अपने परिवार के बिना अकेले ही प्रवास करती हैं।

कारण

- **पारिवार के भीतर लैंगिक संबंध और पदानुक्रम** महिलाओं के प्रवास को प्रभावित करते हैं। परिवार महिलाओं की भूमिका को परिभाषित और निर्धारित करते हैं जो सापेक्ष रूप से प्रवास करने के लिए उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन को निर्धारित करता है। इसके साथ ही यह उन संसाधनों के वितरण और सूचनाओं को नियंत्रित करता है जो प्रवासन का समर्थन कर सकते हैं, उसे निरुत्साहित कर सकते हैं या रोक सकते हैं।
- उत्पत्ति स्थल के समष्टिगत लक्षण लिंग-विशिष्ट प्रवासन प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। इन विशेषताओं में, अर्थव्यवस्था की स्थिति; अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार; आर्थिक परिवर्तनों के कारण विस्थापन का स्तर; भूमि पट्टा कानून आदि शामिल हैं।

प्रवासी महिलाओं के समक्ष व्याप्त चुनौतियां

- **व्यक्तिगत अधिकारों का अभाव:** आप्रवासी महिलाओं पर किये गए अध्ययन का तर्क है कि पुरुषों की तुलना में अधिकांश महिलाओं को विभिन्न अधिकारों अर्थात् नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों तथा समाज का सदस्य बनने पर स्वतः ही आने वाली ज़िम्मेदारियों में पूर्ण सहभागिता प्रदान नहीं की जाती है।
- **कार्य संबंधी भेदभाव:** पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अलग अनुभव हो सकते हैं क्योंकि उन्हें बहुधा घरेलू काम-काज,बच्चों की देखभाल या परिधान निर्माण जैसे पारंपरिक "महिला केन्द्रित" व्यवसायों में कार्य करने हेतु पृथक कर दिया जाता है।
- मौजूदा प्रतिकर्ष (push) और अपकर्ष (pull) कारक अनियमित प्रवासन में वृद्धि कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप प्रवासी श्रमिक और उनमें भी विशेष रूप से महिलाएं शोषणकारी कार्य दशाओं का सामना करने के लिए विवश हैं। इसके साथ ही ये कारक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा तक महिलाओं की पहुँच को भी बाधित कर रहे हैं।
- **घरेलू आर्थिक परिस्थितियों से विवश** महिलाओं को कभी-कभी रोजगार की तलाश में प्रवास करना पड़ता है।
- **सांस्कृतिक भेदभाव:** प्रवासी महिला श्रमिकों को प्रायः बाहरी और साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कमतर माना जाता है जो उन्हें शोषण और यौन उत्पीड़न के प्रति और भी सुभेद्य बना देता है।

प्रवासियों के समक्ष व्याप्त अन्य चुनौतियां

- **रोजगार तक पहुंच:** कुछ राज्यों ने रोजगार के संबंध में निवास-स्थान सम्बन्धी आवश्यकताओं को लागू कर रखा है जो प्रवासियों के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं।
- **लाभों तक पहुंच:** प्रवासी अपने मूल स्थान पर कानूनी और सामाजिक अधिकारों (जैसे- PDS) का दावा करने के पात्र हैं क्योंकि उनके नामों की प्रविष्टि उन्ही मूल स्थानों के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है। यही कारण है कि प्रवासन के बाद गंतव्य स्थान पर वे इन लाभों से वंचित हो जाते हैं। ये प्रवासी BPL के लिए होने वाले सर्वेक्षणों में भी छूट जाते हैं।

VISION IAS

- **स्थायी प्रकृति का संतोषजनक कार्य न मिलना:** शहरी क्षेत्रों में कम भुगतान वाले, खतरनाक और अनौपचारिक रोजगारों में मौसमी प्रवासियों की बहुलता है जिनमें निर्माण कार्य, होटल, कपड़ा, विनिर्माण, परिवहन, सेवाएं, घरेलू कार्य इत्यादि क्षेत्र प्रमुख हैं।
- **स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दे:** स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच अपर्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **कौशल की कमी:** बड़ी संख्या में प्रवासी अकुशल मजदूरों के रूप में काम करते हैं क्योंकि वे अल्प आयु में रोजगार बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। कौशल के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं स्थिर होकर रह जाते हैं। जिसके कारण अपने सम्पूर्ण कार्यशील जीवन के दौरान उन्हें कम वेतन और खतरनाक परिस्थितयों में काम करना पड़ता है।
- **मौसमी प्रवास के संबंध में विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव** एक प्रभावी नीति तैयार करने में गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। नीति निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाली जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) भी मौसमी और चक्रीय प्रवासन से संबंधित आँकड़े संग्रहीत करने में असमर्थ हैं।
- **मतदान का अधिकार:** प्रवासी औपचारिक चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ होते हैं जिससे वे वोट देने के अपने अधिकार (जो नागरिकों का विधिक अधिकार है) से वंचित हो जाते हैं।

भारत में अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए नीतिगत ढांचा

- प्रवासी श्रमिकों (जो मुख्यतः अनौपचारिक श्रम बाज़ार का निर्माण करते हैं) की अस्थिर प्रकृति और अस्थायी कार्यावधि को मान्यता प्रदान करने वाले उपयुक्त प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं, इस कारण ये श्रमिक सुरक्षा नियमों के दायरे में नहीं आ पाते हैं।
- प्रवासी विशिष्ट नीतियों ने, प्रवासी श्रमिकों के अंतर्वाह को नियमित करने के लिए पंजीकरण व्यवस्था के आरम्भ तथा नियोक्ताओं एवं ठेकेदारों हेतु उत्तरदायित्व सम्बन्धी उपायों के प्रावधान के माध्यम से इस अंतराल को भरने का प्रयास किया है।
- **अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979** कानून एक महत्वपूर्ण कदम था किन्तु ये केवल कागजों तक ही सीमित रहा जिसके कारण इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।
    - इस अधिनियम में अनेक दोष हैं, जैसे- केवल ठेकेदारों के माध्यम से आये श्रमिकों का प्रमाणन; प्रमुख नियोक्ता के साथ प्रत्यक्ष संलग्नता का परिभाषित न होना; रोजगार की सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का अभाव; रोजगार प्रदाता एवं ठेकेदारों का कोई दायित्व न होना या अपराधों के लिए जुर्माने का कोई प्रावधान न होना आदि।
- विधायी ढांचे के भीतर इन कमियों के अलावा, इसकी विफलता का एक प्रमुख कारण भारत में सामाजिक सुरक्षा कानूनों और श्रम कानूनों की समवर्ती प्रकृति है जिसका अर्थ है कि इन्हें केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा लागू और क्रियान्वित किया जाता है।
    - अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वियन की ज़िम्मेदारी केंद्र, गृह राज्य और मेज़बान राज्य के बीच बिखर कर रह जाती है। श्रम प्रशासन पर भारतीय राज्यों में विद्यमान अत्यधिक भिन्नता ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणपरक योजनाओं को निर्मित करने में एक बड़ी बाधा बन गई है।

आगे की राह

- **मौजूदा विधायी ढांचे की समीक्षा के साथ ही साथ** सभी श्रमिकों हेतु मजदूरी एवं कार्य दशाओं के लिए **बुनियादी गारंटी** प्रदान करना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानून लाया जाना चाहिए जो ऐसे श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा।
- **PDS को सुवाह्य (पोर्टेबल) होना चाहिए** और इसके कवरेज को विस्तारित करते हुए इसमें प्रवासियों को भी सम्मिलित करना चाहिए।
- **सभी वास क्षेत्रों तक** आधारभूत सुविधाओं (जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति) का विस्तार कर **आवासीय मुद्दों को हल करना, विभिन्न प्रकार के किराए के आवासों, शयनागारों (dormitories)** तथा कामकाजी महिलाओ के लिए हॉस्टलों की व्यवस्था करना।
- राज्यों को **निवास स्थान सम्बन्धी बाध्यता को हटाते हुए** प्रवासियों के लिए रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना चाहिए।
- धन के हस्तांतरण की लागत कम करने के लिए तथा अनौपचारिक प्रेषण चैनलों से बचने के लिए डाकघर, बैंकिंग प्रणाली एवं भुगतान बैंकों के नेटवर्क को और अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए।
- अप्रयुक्त **कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस फंड** का प्रयोग प्रवासियों के हित में किराए के आवासों, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों आदि हेतु किया जाना चाहिए।
- जागरूकता अभियान आरम्भ किए जाने चाहिए जिसका उद्देश्य प्रवासियों के बारे में रूढ़िवादी छवि निर्माण और उनके सम्बन्ध में प्रचलित आधारहीन चिंताओं के मुद्दे को संबोधित करना तथा प्रवासियों को अपनी राजनीतिक आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए।
- विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों में नए समुदायों के प्रवेश से उत्पन्न चुनौतियों को समझने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के मुद्दों को भी समझा जाना चाहिए।

VISION IAS

7.11.मॉब लिंचिंग (Mob Lynching)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने सम्पूर्ण देश में भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अनुशंसाएं करने हेतु केंद्रीय गृह सचिव **राजीव गौबा** की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

भारत में मॉब लिंचिंग

- मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हिंसा का तात्पर्य, **वास्तविक अथवा कथित अपराधों के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भीड़ द्वारा सज़ा के रूप में किसी को जान से मारना या उसे हिंसक दंड देना है।**
- भारत संभवतः **विश्व का एकमात्र स्थान है** जहां मोबाइल के संदेश, इस प्रकार की हत्या और बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बने हैं।
- सितंबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश दिए थे परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
- हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने मॉबोक्रेसी **(भीड़तंत्र) द्वारा किए जाने वाले ऐसे भयावह कृत्यों** की निंदा की है और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं।
- ○ राज्यों द्वारा जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
  - ○ कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
  - ○ इन क्षेत्रों में राजमार्गों पर अधिक कुशलतापूर्वक गश्त करना।
  - ○ तत्काल FIR दर्ज़ करना।
  - ○ पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाएं।
  - ○ ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्माण।
  - ○ वैसे पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहते हैं।
  - ○ संसद द्वारा **एक विशेष कानून** तैयार किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत लिंचिंग को एक अलग अपराध माना जाए।

एक अलग कानून की आवश्यकता

- **कोई मौजूदा कानून नहीं:** वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भीड़ द्वारा की गई हत्या को एक अलग अपराध मानता हो।·
- **निवारक के रूप में:** इससे सम्बंधित विशेष कानून इस तरह के गंभीर अपराध के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- **शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना :** भीड़ द्वारा अपने न्याय के प्रवर्तन किसी की हत्या कर देने की घटनाएँ, लोकतांत्रिक समाज और राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं। अतः ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को दंडित करना आवश्यक है।·
- **बहुआयामी चुनौतियों से निपटना:** जैसे समाज और संस्कृति के स्व-घोषित रक्षकों द्वारा कानून हाथ में लेना, अफवाह को सच मानकर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा आदि।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हिंसा करने वाली भीड़ कानून और व्यवस्था से सम्बंधित चुनौती है तथा IPC में इससे सम्बंधित पर्याप्त प्रावधान हैं। ये प्रावधान हत्या, हत्या के प्रयास, एक साझा इरादे के अंतर्गत कई लोगों द्वारा किए गए कृत्यों आदि से सम्बंधित हैं। इनके दृढ़तापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू होने पर इस तरह के जोखिमों से निपटा जा सकता है।

मॉब लिंचिंग से संबंधित मुद्दे

- **विधि के शासन के विरुद्ध:** निर्णय की प्रक्रिया न्यायालयों में होनी चाहिए सड़कों पर नहीं।
- **मानवाधिकार के विरुद्ध:** मॉब लिंचिंग एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ मनुष्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा वाक्, अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूचि की स्वतंत्रता तथा बहुलता एवं विविधता को अस्वीकृत कर दिया जाता है।
- **सांप्रदायिकता और जातिवाद को उकसाना:** अधिकांश मामलों में पीड़ित समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं - जिनमें घुमंतू जनजातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, निम्न जातियां आदि शामिल हैं।
- **रुझानों का विश्लेषण करने हेतु कोई डेटाबेस नहीं:** गृह मंत्रालय के अनुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसा से संबंधित कोई रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है। इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालना तथा समस्या का संभावित समाधान खोजना कठिन हो गया है।
- **ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले कारणों में वृद्धि**
  - ○ विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के शासन की न्यायिक / लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास में कमी। इसलिए वे अपने तरीके से तत्काल न्याय देने का प्रयास करने लगे हैं।

VISION IAS

- ○ **सामाजिक-राजनीतिक ढांचा:** इसमें सम्मिलित हैं-ऐसे लोग जिनके पास शिक्षा नाममात्र की है या बिलकुल नहीं है, गहरी दरारें और अविश्वास, संकीर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संरक्षण, बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ता ध्रुवीकरण इत्यादि।
- ○ **फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से गलत सूचना और प्रचार :** उदाहरण के लिए हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों ने सम्पूर्ण देश में हिंसा के कई आवेगपूर्ण और अनियोजित कृत्यों को भड़काया हैं।
- ○ **कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अक्षमता / अनिच्छा** से भीड़ द्वारा किए जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने की उनकी अक्षमता के कारण कानून को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में लोगों का मनोबल बढ़ा है। पूर्णतः सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरोप लगाने की अपेक्षा सार्वजनिक अधिकारियों और पुलिस विभागों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
- ○ जहाँ सामान्यतः किसी व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का होता है, वहीं ऐसी घटनाओं में अपराधबोध तथा उत्तरदायित्व बंट जाता है और कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता।

आगे की राह

- **अभियोजन और दंड सुनिश्चित कर उदाहरण प्रस्तुत करना:** भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या न्याय वितरण में राज्य की क्षमताओं के प्रति विश्वास में कमी को दर्शाती है। अतः, बार-बार होने वाली ऐसी क्रूरताओं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकारों पर होने वाले हमलों का दमन करने और इसके उत्तरदायी लोगों को दंडित करने की आवश्यकता है। इससे अपराधियों में यह भावना आएगी कि वे ऐसे कार्यो को करने के बाद बच नहीं सकते।
- **सामाजिक/अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना:** शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों तक पहुंच स्थापित करना, अराजक तत्वों को अफवाह फ़ैलाने से रोकना, तथा सिविल सोसाइटी की सहायता से बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर सोशल मीडिया के दुरुपयोग के विषय में जागरूकता का प्रसार करना।
- **राज्य संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाना:** स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, तीव्रगामी पुलिस प्रतिक्रिया, अफवाहों के प्रति सजग रहना आदि।
- **सोशल मीडिया प्लेटफार्म को जवाबदेह बनाना:** व्हाट्सएप को दो व्यक्तियों के मध्य भेजे गए संदेशों में गोपनीयता को बनाये रखने और व्हाट्सऐप ग्रुपों में सार्वजनिक किये गए अग्रेषित (फ़ॉरवर्डेड) संदेशों के मूल स्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने प्लेटफार्म में आवश्यक बदलाव करने चाहिए।
- **विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गयी उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाना जैसे:**
  - ○ **तेलंगाना पुलिस** ने फ़ेक न्यूज़ के जोखिम से निपटने हेतु 500 पुलिस अधिकारियों की एक टीम को प्रशिक्षित किया है। ये अधिकारी सामाजिक मुद्दों के विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए गांव जाते हैं। पुलिस कर्मियों को स्थानीय व्हाट्सएप समूहों में भी जोड़ा गया है ताकी ऐसी अफवाहों को चिह्नित किया जा सके जो हिंसा भड़काने में सक्षम हों।
  - ○ **पश्चिम बंगाल पुलिस ने** ट्विटर पर फैली उन अफवाहों पर त्वरित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए उसका खंडन किया जिनमें ईद के अवसर पर सरकार द्वारा पांच दिन की छुट्टी को स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गयी थी। इस प्रकार सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले प्रयासों को विफल कर दिया गया।

7.12. RTE संशोधन विधेयक, 2017 (The RTE Amendment Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा ने स्कूलों में 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' (नो-डिटेन्शन' पॉलिसी) को निरस्त करने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 में संशोधन पारित किये।

पृष्ठभूमि

- **86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** के तहत राज्य को सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया है। **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (Right of Children to Free and Compulsory Education: RTE) अधिनियम, 2009** का उद्देश्य इस संशोधन को प्रभावी बनाना है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निकटस्थ विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-8) का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **RTE अधिनियम की धारा 30 (1)** में उल्लिखित है कि प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी छात्र को किसी भी कक्षा में रोका या अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा।
- हाल के वर्षों में, दो विशेषज्ञ समितियों- **गीता भुक्कल (2014) और टीएसआर सुब्रमण्यम (2016)** ने RTE अधिनियम के अंतर्गत अनुत्तीर्ण न करने की नीति की समीक्षा कर इसे निरस्त करने अथवा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की अनुशंसा की।

Mains 365 – अपडेटेड स्टडी मटेरियल

VISION IAS

- संशोधन विधेयक के अनुसार, कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षाएं आयोजित की जाएँगी और यदि कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे दो माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि वह परीक्षा में फिर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो संबंधित केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उसे उसी कक्षा में रोकने की अनुमति दी जा सकती है।

अनुत्तीर्ण न करने की नीति (नो-डिटेन्शन पॉलिसी) के विपक्ष में तर्क

- **बच्चों को सीखने और शिक्षकों के लिए सिखाने के बदले में कोई प्रोत्साहन नहीं:** RTE अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है जो विभिन्न मापदंडों जैसे कि उपस्थिति, परीक्षा के अंक या पाठ्यक्रम के समापन पर परीक्षा इत्यादि के माध्यम से सीखने के परिणामों (learning outcomes) के वस्तुनिष्ठ मापन को सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार स्वतः प्रोन्नति बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए प्रोत्साहन में कमी करती है।
- **बच्चे शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं रहते एवं लापरवाह हो जाते हैं तथा नियमित उपस्थित नहीं रहते हैं:** अधिकांश छात्रों के लिए मिड डे मील एकमात्र प्रोत्साहन है। इस प्रकार अनुत्तीर्ण न करने की नीति के कारण नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु अकादमिक मानकों अथवा शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत कम सुधार या कोई सुधार नहीं हुआ है।
- **छात्रों में उच्च कक्षाओं हेतु प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता, ज्ञान एवं कौशल का अभाव होता है:** इसके कारण प्रत्येक आगामी कक्षा में उनके खराब प्रदर्शन में वृद्धि होती जाती है। इसके अतिरिक्त लापरवाह छात्रों को प्रोत्साहन देना संपूर्ण कक्षा के मानक में कटौती करता है। इससे शिक्षक की अपेक्षित गति से पाठ्यक्रम पढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है जोकि कक्षा में अधिकांश छात्रों हेतु अनुचित होता है।
- **बच्चे पर दबाव एवं तनाव में वृद्धि:** बच्चे के प्राथमिक कक्षाओं में भाषा (मातृभाषा) के मूलभूत सिद्धांतों और मूल अंकगणित न सीखने की स्थिति में बड़ी कक्षा में जाने पर उस पर दबाव एवं तनाव में वृद्धि होती है। इसके कारण वह नियमित स्कूली शिक्षा प्रणाली से दूर हो सकता है।
- **ड्रॉपआउट दर में कमी अनुत्तीर्ण न करने की नीति द्वारा निर्मित एक कृत्रिम एवं भ्रामक स्थिति है:** प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर कक्षा 8 में ड्रॉपआउट में तीव्रता से वृद्धि बच्चों की स्वतः प्रोन्नति को व्यर्थ सिद्ध करती है तथा ड्रॉपआउट की समस्या को सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित करती है।
- **अधिकांश राज्यों में कक्षा 9 की परीक्षा में फेल छात्रों की संख्या में वृद्धि होना:** उदाहरण के लिए, दिल्ली में कक्षा 9 में नामांकित कुल छात्रों की तुलना में दोबारा उसी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत 2010 के 2.8% से बढ़कर 2014 में 13.4% हो गया। अतः इसके परिणामस्वरूप कई राज्यों ने अनुत्तीर्ण न करने की नीति की समीक्षा की मांग की है।

अनुत्तीर्ण न करने की नीति (नो डिटेंशन पॉलिसी) के पक्ष में तर्क

- **प्राथमिक स्तर पर बच्चों को रोकने से उनके आत्म-सम्मान को आघात पहुंच सकता है और वे स्थायी रूप से हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं:** "असफलता" से सम्बंधित सामाजिक कलंक बच्चों के मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालता है।
- **डिटेंशन की नीति से ड्रॉपआउट्स में बढ़ोत्तरी एवं सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होगी:** परीक्षाओं में फेल होने और उसी कक्षा में रोके जाने का भय बच्चों के पाठ्यचर्या सीखने पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कक्षा में रोके जाने से बच्चे स्कूल छोड़कर आवारागर्दी, भिक्षा मांगने और छोटे अपराधों इत्यादि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरी ओर बच्चों को स्कूल बनाए रखकर किशोर अपराधों और बाल विवाह सहित कई अन्य सामाजिक समस्याओं की रोकथाम की जा सकती है।
- **एक ही कक्षा में रोके जाने से बच्चे को संपूर्ण पाठ्यक्रम दोबारा पढ़ना पड़ता है:** बच्चे को नौ महीनों के लिए कक्षा में रोकने एवं संपूर्ण पाठ्य सामग्री को पुनः दोहराने के लिए बाध्य करने के बजाय, उसके कमजोर विषयों को चुनिंदा रूप से लक्षित कर उनमें व्याप्त अंतरालों को दो या तीन महीने में कवर किया जा सकता है।
- **सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है:** सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और किसी विशेष समय पर सफल या असफल का वर्गीकरण एक संकीर्ण सरलीकरण प्रदर्शित करता है एवं शैक्षिक रूप से अमान्य है।
- **गरीब एवं कमजोर बच्चों से संबंधित मुद्दे:** ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में शैक्षिक जागरूकता का अभाव होता है, जिसके कारण स्कूल में दाखिले विलंब से होते हैं। इसी प्रकार अन्य मामलों जैसे कि गरीबी, रोग, बाल श्रम में संलग्नता आदि के कारण बच्चे लम्बे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके कारण वे शिक्षा में बहुत पीछे छूट जाते हैं और परीक्षा में ख़राब प्रदर्शन करते हैं। डिटेंशन से केवल इन खामियों को बढ़ावा मिलेगा और यह बच्चों को सदैव ड्रॉपआउट करने तथा स्कूल से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- **समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER) में स्थिर वृद्धि:** अनुत्तीर्ण न करने की नीति के प्रभाव में आने के बाद से लड़कों एवं लड़कियों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर रहने वाले अन्य वर्गों के संदर्भ में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। भारत जैसे अत्यधिक विखंडित समाज में यह एक महत्वपूर्ण लाभ है, जिसे व्युत्क्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

VISION IAS

आगे की राह

- शिक्षा को समावेशी बनाना चाहिए एवं इसमें एक सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि सभी बच्चे भारतीय शिक्षा की मूलभूत अवधारणाओं, नियमों, सिद्धांतों एवं चरित्र से परिचित हो सकें।
- बच्चे को उपचारात्मक कोचिंग और अपनी क्षमता सिद्ध करने हेतु कम से कम दो अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के बाद ही अनुत्तीर्ण करने की नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- टीएसआर सुब्रमण्यम समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार यदि कोई बच्चा परीक्षा में पुनः अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे व्यावसायिक शाखा (vocational stream) के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के अन्य अवसर भी दिए जाने चाहिए ताकि वह अपनी क्षमताओं एवं दक्षताओं को दूसरे क्षेत्र में प्रदर्शित कर सके।
- प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति का उपयोग धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए।
- इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण, गुणवत्ता और जवाबदेही तंत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र तरीके से सुधार करने की आवश्यकता है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS